खण्ड-28, अंक-07
शुक्रवार, 28 फाल्गुन, शक संवत्, 1931
(19 मार्च, 2010 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा
की
कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)
(द्वितीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2010)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 28 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2012

मूल्य-

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति..	'क'
प्रश्नोत्तर	1–51
श्री प्रताप सिंह पुष्पवाण, पूर्व सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्गार	51–63
नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं	63
जनपद हरिद्वार अन्तर्गत एस0सी0पी0 योजना का समय से सदुपयोग न होने के कारण जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	63–64
जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट के अन्तर्गत दर्जनों ग्राम पंचायतों में पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	64
नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की मांग	65–67
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं........................	68–111
वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी)..	111–135
उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2010 (पारित)	135–139
उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010 (पारित)	139–141
उत्तराखण्ड प्रदेश की राजधानी चन्द्रनगर (गैरसैंण) घोषित करने सम्बन्धी असरकारी संकल्प पर चर्चा (जारी)	142
प्रदेश में वर्तमान विकास खण्डों की संख्या को बढ़ाते हुए नये विकास खण्डों के सृजन पर सदन में गम्भीरता से विचार किया जाए, विशेषकर जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत मछखाली, मझोड़, जालली तथा सोमेश्वर नये विकास खण्ड बनाये जाने तथा प्रदेश में लगभग 30 नये विकास खण्डों का निर्माण किये जाने सम्बन्धी असरकारी संकल्प पर चर्चा (जारी)	142
नियम–105 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के रामनगर के चौखुटिया तक रेलवे लाईन बिछाई जाए ताकि उक्त सुदूर क्षेत्रों का समग्र विकास सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	143

नियम–105 के अन्तर्गत प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आधुनिक पर्यटन के नये आयाम तलाशे जाने सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) 143

नियम–105 के अन्तर्गत डा0 हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष द्वारा उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के सीमावर्ती जनपद बिजनौर के 61 ग्राम पंचायतों को उत्तराखण्ड राज्य में शामिल किये जाने सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (स्थगित) 143

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं 144

जनपद अल्मोड़ा के वि0स0 क्षेत्र भिकियासैंण के स्यालदे गनीला महाविद्यालय में प्रवक्ताओं व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की कमी व बी0एस0सी0 के पठन–पाठन आरम्भ न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, स0वि0स0 द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य 144

उत्तराखण्ड के हरिद्वार जनपद की सहकारी समिति पनियाला द्वारा अपनायी गई ऋण वसूली प्रक्रिया की तरह ही साल में एक बार ऋण वसूली किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र राकेश, स0वि0स0 द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य 145–146

नत्थियाँ 147–184

"क"

उपस्थिति

1. श्री अजय टम्टा
2. श्री अरविन्द पाण्डेय
3. श्री अनिल नौटियाल
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्रीमती आशा
6. श्री ओम गोपाल
7. श्री करन मेहरा
8. सुश्री कैरन मेयर
9. श्री किशोर उपाध्याय
10. श्री केदार सिंह रावत
11. श्री केदार सिंह फोनिया
12. श्री खजान दास
13. श्री खड़क सिंह बोहरा
14. श्री गगन सिंह
15. श्री गणेश जोशी
16. श्री गोपाल सिंह
17. श्री गोपाल सिंह रावत
18. श्री गोविन्द लाल
19. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
20. श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
21. श्री चन्दन राम दास
22. श्री जोगा राम टम्टा
23. श्री जोत सिंह गुनसोला
24. हाजी तस्लीम अहमद
25. श्री तिलक राज बेहड़
26. श्री दिनेश अग्रवाल
27. श्री दिवाकर भट्ट
28. श्री दिवान सिंह
29. श्री नारायण पाल
30. काजी मौ0 निजामुद्दीन
31. श्री पुष्पेश त्रिपाठी
32. श्री प्रकाश पन्त
33. कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
34. श्री प्रीतम सिंह
35. श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
36. श्री प्रेमानन्द महाजन
37. श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
38. श्री बलबीर सिंह नेगी
39. श्री बिशन सिंह चुफाल
40. श्री बंशीधर भगत
41. श्री बृज मोहन कोटवाल
42. श्री शेर सिंह गढ़िया
43. मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द खण्डूड़ी
44. श्री मदन कौशिक
45. श्री मनोज तिवारी
46. श्री मयूख सिंह
47. श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मदू भाई"
48. श्री मातबर सिंह कण्डारी
49. श्री कुलदीप कुमार
50. श्री यशपाल आर्य
51. श्री यशपाल बेनाम
52. चौ0 यशवीर सिंह
53. श्री रणजीत रावत
54. डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"
55. श्री राजकुमार
56. श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
57. श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
58. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
59. श्री विजय सिंह (गुलवू पंवार)
60. श्रीमती वीना महराना
61. श्री शहजाद
62. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
63. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
64. श्री सुरेन्द्र राकेश
65. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
66. श्री सुरेश चन्द जैन
67. डा0 हरक सिंह रावत
68. श्री हरभजन सिंह चीमा
69. श्री हरिदास
70. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च, 2010 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को निजी भूमि से मिट्टी उठाने पर रोक तथा मिट्टी उठान पर रायल्टी शुल्क

**1. कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री अवगत हैं कि क्या प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को निजी स्वामित्व की भूमि से घरेलू कार्य हेतु मिट्टी तथा रेत के उठाने पर रोक लगाई गई है ?

क्या सरकार किसान के निजी कार्य को भी व्यवसायिक परिधि में लेकर उनको उक्त उठान पर खनन की भांति रॉयल्टी शुल्क जमा कराये जाने हेतु विवश कर रही है ?

क्या यह सत्य है कि इस रोक के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अपने घरों, घेर–बैठकों, फार्म हाऊस के निर्माण कार्य आदि भी नहीं करा पा रहे हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त रोक को हटाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

जी नहीं।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा–3(e) में मिट्टी तथा रेत उप खनिज घोषित हैं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा–15 के अधीन उत्तराखण्ड उप खनिज परिहार नियमावली, 2001 के अनुसार उप खनिज पर रॉयल्टी देय होती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से जो उत्तरालेख आया है, वह वस्तुतः सत्य से परे है और विषयवस्तु को क्षीण करने का पूर्ण प्रयास किया गया है। मूल प्रश्न का तो मान्यवर, उत्तर ही नहीं दिया गया है। सरकार कहती है कि किसानों को निजी स्वामित्व की भूमि से घरेलू कार्य हेतु मिट्टी तथा रेत उठाने पर रोक नहीं लगाई गई है। मान्यवर, मैं पूछना चाहूँगा कि लक्सर तहसील में क्या इसके विपरीत हो रहा है ? मैं पिन प्वाइंट करूंगा मान्यवर, 7 फरवरी, 2010 की घटना को जब सेठपुर तहसील लक्सर के चौ० रविन्दर सिंह पुत्र चौ० सुखवीर सिंह अपनी बुग्गी से मिट्टी लेने के लिए गये, तहसीलदार, लक्सर ने उनको बाकायदा रोका, उन्होंने कहा कि साहब मेरी निजी भूमि की मिट्टी है और मेरे घर में घेर की दीवार चुनी जा रही है, उसके लिए ले जा रहा हूँ। तहसीलदार ने एक नहीं सुनी और कहा कि चाहे कोई भी हो आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी, चाहे निजी भूमि हो, चाहे व्यवसायिक कार्य के लिए ले जा रहे हों। उस गरीब को बुग्गी वहीं झाड़नी पड़ी मान्यवर, और वो अपनी दीवार नहीं बना सका जैसा मैंने उल्लेख किया। तो मैं जानना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी, ये जो धारा कोट की गयी है खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा–15 के अधीन उत्तराखण्ड उप खनिज परिहार नियमावली, 2001, क्या ये सिर्फ सरकारी सम्पत्तियों के उप खनिज दोहन पर है या निजी सम्पत्ति पर भी लागू होती है ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि उसमें रॉयल्टी नहीं है। मैंने तो ये कहा कि उसमें रोक नहीं है। (व्यवधान)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, यह जनहित का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें। जो प्रश्न है, उस हिसाब से तो ठीक है उत्तर।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, जो धारा–15 दी है, क्या ये निजी भूमि के ऊपर भी लागू हो रही है या सरकारी स्वामित्व की भूमि पर लागू हो रही है ?

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करिये।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैंने आपको बहुत स्पष्ट बताया कि वन भूमि हो, निजी भूमि हो,

किसी प्रकार की भूमि हो, उसमें अगर रेता, बजरी, किसी प्रकार का मिट्टी का खनन होता है तो उस पर कोई रोक नहीं है, रॉयल्टी देकर लिया जायेगा चाहे वो निजी भूमि भी है तो उस पर भी रॉयल्टी लगेगी।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, रोक कैसे नहीं है, तहसीलदार लक्सार रोक रहे हैं जा करके, मान्यवर, रोक तो है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करिये न।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, रोक इसलिए रहे हैं क्योंकि चोरी करके ले जा रहे हैं। (व्यवधान)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, अपने खेत से चोरी, मैं अपने खेत से मिट्टी उठाऊँगा तो क्या वो चोरी की श्रेणी में आयेगा ? (व्यवधान)

चौ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, रॉयल्टी जो लगेगी, क्या काश्तकार की अपनी जमीन पर भी लग जायेगी ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, इतनी देर से जवाब तो यही दे रहा था मैं। वन भूमि और निजी भूमि जो भी, रॉयल्टी लगेगी। आप बिना रॉयल्टी दिये खोदेंगे तो हम 10 बार पकड़ेंगे।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर ये कानून है तो इसमें तरमीम जरूरी है, क्योंकि निजी अधिकारों का हनन हो रहा है। (व्यवधान)

श्री शहजाद–

मान्यवर, चोरों को तो पकड़ते ही नहीं, चोर तो पकड़ में नहीं आते, किसान ही पकड़ोगे, गरीब को ही पकड़ोगे।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, अब चोर कौन है, गरीब कौन है, अमीर कौन है, इसकी परिभाषा आप करके दे दोगे तो हम उनको चिन्हित कर लेंगे।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, क्या इस नियम में परिवर्तन किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

आप संशोधन लाईये।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, मैं पूछना चाहूँगा कि क्या इस नियम में सरकार द्वारा जनहित में किसानों को संरक्षण देने के लिए कोई परिवर्तन किया जायेगा ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, जो भी नियम बना है यह उत्तराखण्ड सरकार ने या प्रदेश सरकार ने नहीं बनाया है। यह भारत सरकार का राजपत्र है, भारत सरकार में बात करिये और हम भी आपके साथ चलेंगे।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को शायद नहीं पता, यह भारत सरकार का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, सरकार ने हमको निर्देशित किया है, कहें तो इसको पढ़ देता हूँ।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, किस वर्ष में निर्देशित किया है ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, यह 2001 का है। (व्यवधान)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, 2001 के नियम में 2009 में टर्निंग की गई, शायद मंत्री जी को पता नहीं है। 2001 में गहराई सुनिश्चित नहीं की गई थी और 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आदेश दिया और गहराई निश्चित की गई। एक फुट की गहराई तक किसान अपने निजी खेत में खुदान करता है तो उसकी रायल्टी नहीं है, उस पर रोक नहीं। लेकिन इस सरकार द्वारा इसका उल्लंघन हो रहा है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैं तो भारत सरकार के निर्देश पर .... (व्यवधान)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, भारत सरकार नहीं सुप्रीम कोर्ट।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, आप सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं तो मुझे दिखा दीजिए।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, यह जिम्मेदारी तो माननीय मंत्री जी की है।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, जो ज़िम्मेदारी है मैं उसको समझूँगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, मेरा अनुरोध है, कृपया स्थान ग्रहण करें। अगर आपके संज्ञान में कोई उच्चतम न्यायालय का आदेश है तो वह माननीय मंत्री जी को उपलब्ध करा दीजिए।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, यह तो सरकार की जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष–

यह उनके संज्ञान में नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, अगर सरकार के पास जानकारी नहीं है तो यह सरकार की कमी है, सरकार जानकारी उपलब्ध करायें।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न को स्थगित किया जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, उनकी बात आने दीजिए। माननीय सदस्य कम से कम नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन की गरिमा का ध्यान रखा करें।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखण्ड के गाँवों में जो लोग रहते हैं, बस्तियों में जो लोग रहते हैं उनकी दैनिक जीवन चर्या से जुड़ा हुआ यह सवाल है। क्योंकि जिस तरह माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि

निजी भूमि के खनन पर भी अगर रेत के बजाय मिट्‌टी पर, जैसे माननीय अध्यक्ष जी, आप स्वयं भिज्ञ हैं कि हम कहीं भी अपना मकान बनाते हैं और जब नींव भरते हैं तो खुदान होता है, मिट्‌टी खोदनी पड़ती है। नींव जब तीन फुट ऊँची होती है, जिससे कि मकान पर पानी का प्रभाव न पड़े, उस पर मिट्‌टी का भरान करना पड़ता है। अगर हमारे बगल में खेत हैं तो हम उससे अपने मकान में मिट्‌टी भरान करेंगे तो उसकी भी रायल्टी देनी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष जी, चाहे यह आदेश भारत सरकार का हो या किसी का हो, क्योंकि यह प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी प्रदेश की जनता के प्रति है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी से प्रदेश सरकार बच नहीं सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या सरकार प्रदेश के परिवारों को जो अपने निजी भूमि से मिट्‌टी अपनी मकान की आवश्यकता के लिए, बिक्री के लिए नहीं, रेत अपने खेत से क्योंकि बहुत सारे खेत ऐसे होते हैं, जो नदी के किनारे होते हैं, नाले के किनारे होते हैं तो क्या उनको बिना रॉयल्टी के वसूल करने की अनुमति देगी, इस पर विचार करेंगी ?

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बहुत ही गम्भीर बात कही है और बड़ी शालीनता से कही। मैं उनको धन्यवाद देते हुए यह कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बात कही जा रही है, तो उसका मैं परीक्षण करवा लूँगा।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

माननीय अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष–

नहीं देखिये, प्रणव जी, आप माननीय उच्चतम न्यायालय की बात का उल्लेख कर रहे हैं और उच्चतम न्यायालय का कोई निर्णय है तो आप बता दीजिए, अगर नहीं है तो रहने दीजिए और अगर है तो आप दिखा देना।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, यह सरकार की जिम्मेदारी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप उच्चतम न्यायालय के निर्णय की बात कर रहे हैं तो आप उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिखायेंगे तभी तो बात है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूँ, क्या उच्चतम न्यायालय के कोई निर्देश हैं या नहीं हैं ? यह स्पष्ट कर दें।

श्री बंशीधर भगत--

मान्यवर, मेरे पास जो सूचना है उसके हिसाब से भारत सरकार का 2000 और 2001 का आदेश है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह--

मैंने पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है या नहीं है ?

श्री बंशीधर भगत--

मान्यवर, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। आपने मेरे संज्ञान में यह बात डाली है तो इसको मैं चैक करा लूँगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप उल्लेख कर दीजिए। इसमें क्या बात हो गई।

श्री प्रीतम सिंह--

मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। सरकार को इसमें जानकारी देनी चाहिए। मान्यवर, हम ही जानकारी दें सरकार को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी ने बताया कि हमारे पास इसका कोई उल्लेख नहीं है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"--

मान्यवर, प्रश्न स्थगित होना चाहिए। जानकारी तो आ जाए।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष--

आप जानकारी दे दीजिए।

श्री सुरेन्द्र राकेश--

माननीय अध्यक्ष जी, एक छोटा सा सवाल मेरा भी है, इस सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष--

कृपया स्थान ग्रहण करें।

जनपद हरिद्वार में उद्योगों द्वारा बिना ट्रीटमेन्ट के रसायनयुक्त पानी भू-स्तर में डालने के विरुद्ध कार्यवाही

**2. सुरेन्द्र राकेश--

क्या पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार जनपद में स्थापित उद्योगों द्वारा रसायनयुक्त बिना ट्रीटमेन्ट का पानी भू-स्तर में डाला जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा ऐसे उद्योगों को चिन्हित कर कोई कार्यवाही की गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों तथा इसके क्या कारण हैं ?

मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक')–

जी हाँ, (जनपद हरिद्वार में 611 बार उद्योगों के निरीक्षण के दौरान 25 उद्योगों का उत्प्रवाह बिना ट्रीटमेंट भू–स्तर पर डाला जाना पाया गया।)

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33(ए) के अन्तर्गत 04 उद्योगों को बन्दी आदेश, 03 उद्योगों को कारण बताओ नोटिस तथा 18 उद्योगों को मानकों के अनुसार कार्य न करने के कारण नोटिस प्रेषित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि 611 बार उद्योगों का निरीक्षण किया गया। मैं सबसे पहले इसमें यह जानना चाहता हूँ 611 बार में कितने उद्योगों के निरीक्षण किये गये ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, 611 उद्योगों के निरीक्षण किये गये और उन उद्योगों में से 25 उद्योगों में उत्प्रवाह बिना ट्रीटमैंट भू–स्तर पर डाला जाना पाया गया।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, इसमें लिखा है कि 611 बार उद्योगों के निरीक्षण किये गये। मैंने पूछा है कि कितने उद्योगों के निरीक्षण किये गये ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, 611 उद्योगों के निरीक्षण किये गये।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, 611 उद्योग हरिद्वार में नहीं हैं। मैंने यह पूछा है कि 611 बार में कितने उद्योगों का निरीक्षण किया गया ? मैं अब यह जानना चाहता हूँ कि हरिद्वार जनपद में कितने उद्योग स्थापित हैं, जो प्रदूषण के अन्तर्गत आते हैं ? मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि डिस्टर्ब न करें, प्रश्न पूछ लेने दें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जो 611 बार उद्योगों का निरीक्षण किया गया, उस निरीक्षण में जिन उद्योगों की जानकारी मैंने उपलब्ध करायी है, उसके आधार पर जो 25 उद्योग हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी फिर वही कहेंगे की जोर से बोलते हैं और उत्तर को डिस्टर्ब करते हैं। माननीय मंत्री जी वही उत्तर पढ़ रहे हैं, मैं जो पूछ रहा हूँ, उसका जवाब तो दे नहीं रहे हैं। मान्यवर, 25 का तो पहले ही बता दिया है। 611 बार उद्योगों का निरीक्षण किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि हरिद्वार जनपद में कितने उद्योग स्थापित हैं ? (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न का पूरा जवाब आने दीजिए, कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो कुल उद्योगों में निरीक्षण किया गया वह 611 बार निरीक्षण किया है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हरिद्वार में कुल कितने उद्योग हैं और कितने उद्योग प्रदूषण युक्त है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, क्योंकि यह अल्पसूचित प्रश्न है, इसमें इतनी गहराई तक (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, अल्पसूचित प्रश्न का क्या मतलब है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आपने जो जानकारी इस मूल प्रश्न के उत्तर में चाही है, वह जानकारी आपको उत्तर में उपलब्ध करायी गयी है, इस प्रश्न के विषय में जो आप जानना चाहते हैं मैं दे सकता हूँ।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, जो आपने जानकारी उपलब्ध करायी है वह गलत है। क्या आपको यह पता नहीं है कि हरिद्वार जनपद में कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं ? (कई सदस्यगणों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़े हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो जानकारी आपने चाही है कि उद्योगों द्वारा रसायनयुक्त बिना ट्रीटमेन्ट का पानी भू–स्तर में डाला जा रहा है, ये कितने उद्योगों के माध्यम से डाला जा रहा है। इन उद्योगों की जाँच की तो 25 उद्योग पाये गये और इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है वह हमने अवगत करा दिया है। (व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैं यह नहीं जानना चाह रहा हूँ। आपके द्वारा दिया गया उत्तर तो सभी ने पढ़ा है। (व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इनको जो जानकारी चाहिए थी और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी उस सबके बारे में अवगत करा दिया गया है। (व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैंने पूछा कि कितने उद्योग हैं ? माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर आ जाय। एक ही अनुपूरक प्रश्न है, उसका ही उत्तर नहीं आ रहा है। जब 611 बार उद्योगों का निरीक्षण किया गया तो मेरा सीधा सा सवाल है कि हरिद्वार में कितने उद्योग स्थापित हैं ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, कितने उद्योग हैं इसकी जानकारी तो उद्योग मंत्री दे पायेंगे, इसके लिए पृथक से प्रश्न पूछा जाय और इस प्रश्न से उस प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, जवाब तो आप दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आपने कहा कि कितनी बार निरीक्षण किया तो हमने 611 बार निरीक्षण किया और 25 पर कार्यवाही की गयी, सीधा सा सवाल का जवाब है। यदि आप जानकारी चाह रहे हैं तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन यह प्रश्न उद्योग से सम्बन्धित है। आप पर्यावरण विभाग से कह सकते हैं कि कितने इंसपैक्शन किये और उन पर क्या कार्यवाही की गयी उसका उत्तर हम दे रहे हैं, आप परेशान क्यों हो रहे हैं। इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। हरिद्वार में कुल जो इकाईयां प्रस्तावित हैं, वह 1392 हैं। जो स्थापित इकाईयां हैं वह 761, इसमें

हमने 611 उद्योगों में निरीक्षण किया, जिसमें 25 उद्योग दोषयुक्त पाये गये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, फिर 25 उद्योगों की बात कर रहे हैं और प्रश्न को उलझाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य प्रश्न को सुनना नहीं चाहते हैं यह उचित स्वभाव नहीं है। मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य अपने व्यवहार में परिवर्तन लायें। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश जी ने जो सवाल पूछा है, वह बहुत सीधा सा सवाल था कि जो प्रदूषित उद्योग हैं, जिनका रसायनिक तत्व जमीन में डाला जा रहा है और माननीय पर्यावरण मंत्री जी ने बताया कि यह प्रश्न उद्योग से सम्बन्धित है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने 25 बता दिये हैं। (व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि पर्यावरण विभाग के द्वारा ही इसके लिए हर उद्योग को एन0ओ0सी0 दी जाती है तो निश्चित रूप से पर्यावरण विभाग को इसकी जानकारी होती है। भले ही उद्योग 'उद्योग विभाग' लगाता हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ और माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश जी की बात पर बल दे रहा हूँ, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया 611 बार, अब 611 बार का मतलब यह हुआ कि उद्योग केवल 10 हों, अगर 611 इकाईयों का 611 बार लिखा होता तो उसका मतलब यह होता कि एक उद्योग का एक बार आपने निरीक्षण किया। बार का मतलब यह भी हो सकता है कि आपने एक ही उद्योग का 4 बार निरीक्षण किया हो।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, आप उसका अर्थ न लगाएं जो मैं कह रहा हूँ। आपने हरिद्वार में इकाईयों की संख्या पूछी मैंने कहा 761 इकाईयां हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

आपने 611 बार में कितनी यूनिटों का निरीक्षण किया ?

श्री प्रकाश पन्त–

मैंने कहा कि 761 इकाईयों में से 611 इकाईयों का निरीक्षण किया ,यह तो मैंने पहले ही बता दिया था। 25 उद्योगों के खिलाफ कार्यवाही की है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ये 25 उद्योग कौन–कौन से हैं ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जिन 04 उद्योगों को हमने बन्दीकरण किया है उसमें मै0 मैरिल फार्मा प्रा0 लि0, खसरा नं0–212, रायपुर औद्योगिक क्षेत्र, रायपुर, भगवानपुर, हरिद्वार। मै0 मेडिमार्क फार्मा प्रा0लि0, पुहाना, इकबालपुर रोड, ग्राम ननहेड़ा, अनन्तपुर, रुड़की, हरिद्वार। मै0 जी0एस0के0 फार्मास्यूटिकल्स, प्लॉट नं0–बी–3, देवभूमि औद्योगिक आस्थान रुड़की, हरिद्वार। मै0 यूरोलाइफ हेल्थकेयर प्रा0लि0, यूनिट–1, भगवानपुर, रुड़की, हरिद्वार और जिनको कारण बताओं नोटिस जारी हुए हैं वे सरफेस वाटर में अपना दूषित वाटर डाल रहे थे, वे हैं मै0 कॉरोनेट लैब्स प्रा0लि0, पुहाना–इकबालपुर, रुड़की, हरिद्वार। मै0 याका फार्मास्यूटिकल्स प्रा0 लि0, 11 किमी0 स्टोन, ग्राम–सालियर, भगवानपुर, रुड़की, हरिद्वार। मै0 ओमेगा बॉयोटेक लि0, 7 किमी0 स्टोन, भगवानपुर, रुड़की और ऐसे उद्योग जो बिना बोर्ड से एन0ओ0सी0 के, बिना कन्सल्ट के उद्योग चला रहे हैं, ये उद्योग हैं मै0 शिवम इन्टरप्राइजेज, ई–21, इण्डस्ट्रियल एरिया, मारूति शो रूम के सामने, हरिद्वार। मै0 शिव सांई इन्डस्ट्रीज, रामधाम कालोनी, बहादराबाद, हरिद्वार। मै0 देवमनी इन्टरप्राइजेज, बहादराबाद, हरिद्वार, मै0 अम्बे इंजीनियरिंग, बहादाराबाद, हरिद्वार, मै0 पाल पाउडर कोटिंग, बहादराबाद, हरिद्वार, मै0 जे0बी0 इन्टरप्राइजेज, बहादराबाद, हरिद्वार, मै0 सीमा पाउडर कोटिंग, बहादराबाद, हरिद्वार, मै0 शिव मैटल, फिनीशर्स, बहादराबाद, हरिद्वार, मै0 यूनाईटेड इंजीनियर्स, पत्थरी पॉवर स्टेशन के पास, हरिद्वार, मै0 सुमारा इन्टरप्राइजेज, भगवानपुर, हरिद्वार, मै0 सृष्टि इन्टरप्राइजेज, रुड़की, हरिद्वार, मै0 मार्टिन एण्ड हैरिस लेबोरेट्रीज लि0, रुड़की, हरिद्वार। मै0 कॉनकार्ड फार्मा प्रा0लि0, पुहाना, रुड़की, हरिद्वार, मै0 एस0जी0एस0 फार्मास्यूटिकल, पुहाना, रुड़की, हरिद्वार, मै0 यूरो साइंसलाइफ यूनिट–2, भगवानपुर, हरिद्वार, मै0 सैल्यूड केयर प्रा0लि0, रायपुर, हरिद्वार, मै0 जैमिनी फार्मा प्रा0लि0, हरिद्वार।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय मंत्री जी ने 25 उद्योगों की सूची पढ़ी है, मैं माननीय मंत्री जी को जानकारी देना चाहता हूँ कि मान्यवर, जिलाधिकारी, हरिद्वार ने एक जाँच कराई थी, जिसमें पूरी टीम थी, पर्यावरण विभाग के भी थे,

जाँच की मेरे पास एक कॉपी है। मान्यवर, जितनी फैक्ट्रियों के नाम लिए उसमें 29 की जाँच कराई भगवानपुर क्षेत्र में और 29 में से 26 फैक्ट्रियाँ दोषी पायी गयीं, जो रसायनयुक्त पानी को भूमि में डाल रहे थे। माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि 611 की जाँच की गई और पूरे जनपद में मात्र 25 पकड़े गये और मैं यह कह रहा हूँ कि डी0एम0 द्वारा जाँच करायी गयी है, पूरी एक कमेटी भी है जिसमें एस0डी0एम0 भी है, डाक्टर भी है, पर्यावरण विभाग के भी हैं, तहसीलदार भी हैं। 5 लोगों की कमेटी है, जिसमें उन्होंने दो दिन में 29 फैक्ट्रियों की जाँच की है और उसमें से 25 दोषयुक्त पाये गये, यह मेरे पास है और माननीय मंत्री पूरे जनपद का 25 उत्तर दे रहे हैं, तो माननीय मंत्री जी का उत्तर सही है या डी0एम0 द्वारा जो जाँच की गई है, वह सही है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जो पर्यावरण विभाग द्वारा जाँच कराई गई, वह 611 इण्डस्ट्रीज की कराई गई उसमें 25 उद्योगों को उसमें प्रवाह को बिना ट्रीटमेंट के भू–स्तर पर डाला हुआ पाया गया और भू–स्तर पर डालने के कारण जो उस पर कार्रवाई की गई, उसके कार्रवाई से सम्मानित सदन को अवगत करा दिया गया है, इससे पृथक यदि माननीय सदस्य की संज्ञान में कोई प्रकरण है तो हमारे संज्ञान में ले आयें, हम उसके विरूद्ध भी कार्रवाई करेंगे।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, उसमें पर्यावरण विभाग का भी अधिकारी है और 29 में से 26 बताया है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, हमने 25 उद्योगों को नियमों के आधार पर संचालित होते हुये नहीं पाया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, इसमें अलग से नहीं है इसमें पूरी टीम है। मान्यवर, उत्तर गलत दिया जाता रहा है, 611 फैक्ट्रियों में मात्र 25 को दोषी माना जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

तारांकित प्रश्न संख्या–2

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले प्रश्न का उत्तर नहीं आया है और पूरी इण्डस्ट्री जहाँ–जहाँ लगी है, वहाँ की जनता प्रभावित है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य के संज्ञान में यदि कोई प्रकरण है तो वह सरकार के संज्ञान में लायें उस पर प्रभावी कार्यवाही कर देंगे। अगर कोई उद्योग आपके संज्ञान में है तो वह उपलब्ध करा दें।

श्री हरिदास–

मान्यवर, सदन में गलत रिपोर्ट आई है।

श्री अध्यक्ष–

आपके नेता खड़े हैं, कृपया उनको बोलने दें।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, पीलिया से लोग बीमार हो रहे हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, रिपोर्ट गलत नहीं है। 611 उद्योगों का निरीक्षण किया गया उसमें से 25 गलत पाये गये हैं, अगर आपको कोई शिकायत है तो उसे बता दें।

श्री अध्यक्ष–

आप क्या चाहते हैं ?

श्री शहजाद–

मान्यवर, क्या जाँच के आदेश दे दिये गये हैं ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो विषय आपके संज्ञान में है, आप उस विषय को हमारे संज्ञान में ले आयें, तुरन्त कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी, आप प्रश्न करें।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, स्थिति खराब हो रही है, क्या सरकार एक हफ्ते के अन्दर इण्डस्ट्रीज की जाँच करायेगी और दण्डित फैक्ट्री को बन्द करेगी ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, बिल्कुल, जो भू–स्तर को दूषित कर रहे हैं, ऐसे उद्योगों को हमने बन्द किया है। हम नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं, जहाँ–जहाँ से शिकायतें आती हैं, वहाँ हमारे अधिकारी जाकर निरीक्षण करते हैं। आप शिकायत करा दें, हम निरीक्षण करा लेंगे।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य पूर्ववत् अपने–अपने स्थान पर खड़े रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी शिकायत का हमने संज्ञान ले लिया है, आप उपलब्ध करा दीजिए तो हम जाँच करा देंगे। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, अब जाँच क्या कराओगे, जब आपके विभाग द्वारा जाँच कराई जा चुकी है। आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे या नहीं यह बतायें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपना–अपना स्थान ग्रहण करें। आपकी बात आ चुकी है।

तारांकित प्रश्न

*1. श्री प्रीतम सिंह–

तृतीय शुक्रवार तक स्थगित।

प्रदेश के विद्यालयों में दोपहर भोजन हेतु व्यवस्था व खपत खाद्यान्न की मात्रा तथा खाद्यान्न व्यवस्था हेतु नीति

*2. श्री प्रीतम सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के कितने विद्यालयों में दोपहर भोजन की व्यवस्था है तथा दोपहर भोजन व्यवस्था में कुल कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न की खपत होती है ?

क्या प्रदेश में दोपहर भोजन के लिए खाद्यान्न व्यवस्था की कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री गोविन्द सिंह बिष्ट)–

मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में माह दिसम्बर, 2009 तक प्राथमिक स्तर के 12776 तथा उच्च प्राथमिक स्तर के 5016 राजकीय तथा राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों व शिक्षा गारण्टी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों को आच्छादित किया गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष, 2009–10 के लिए प्राथमिक स्तर पर 14706.65 मीट्रिक टन व उच्च प्राथमिक स्तर पर 12162.44 मीट्रिक टन खाद्यान्न का आवंटन किया गया है, जिसके सापेक्ष दिसम्बर माह तक प्राथमिक स्तर पर 8794.65 मीट्रिक टन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 7382.13 मीट्रिक टन खाद्यान्न विद्यालयों को वितरित किया गया है।

मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत विद्यालय स्तर तक खाद्यान्न व्यवस्था के लिए प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को शासनादेश संख्या–1566/XXIV(1)/2008–25/2007 शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक), दिनांक 12 जनवरी, 2009 के अन्तर्गत उत्तरदायित्व सौंपा गया है। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न का उठान कर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है, उच्चतर विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है, राजकीय और राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है, शिक्षा गारंटी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की कुल कितनी संख्या है ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां 12778 प्राथमिक विद्यालय हैं। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी राजकीय और राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की कुल संख्या, शिक्षा गारंटी केन्द्र और वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है, बतायें।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, राजकीय विद्यालय 12569 हैं, सहायता प्राप्त विद्यालय जीरो हैं और सहायतित 3065 हैं। इस तरह से कुल 15644 विद्यालय हैं। मान्यवर, उच्च प्राथमिक विद्यालय 2990 और सहायता प्राप्त विद्यालय 269 और सहायतित 1037 विद्यालय हैं, इस तरह से कुल 4296 विद्यालय हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

श्रीमन्, मैं थोड़ा सा माननीय मंत्री जी, से जानना चाहता हूँ कि जो आपने संख्या बताई है, चलो थोड़ी देर के लिए मैं उसको सही मान लेता हूँ। यह जो आपने संख्या बतायी है, इन तमाम विद्यालयों को आपने कहा कि आच्छादित किया है, दोपहर भोजन के लिए, इसमें कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न की आवश्यकता है ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो हमें कुल खाद्यान्न आवंटित था, वह था 14708 मीट्रिक टन। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

श्रीमन्, वह उत्तर में मैंने पढ़ लिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप पहले पूरी बात तो आने दें। जहां कमी होगी, वह भी बता देंगे।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने जो दिसम्बर माह तक उठान किया, मार्च तक की कुल आवश्यकता प्राथमिक विद्यालयों में 12091.65 मी0 टन और जूनियर में 10150 मी0 टन, इस तरह कुल 22241.65 मी0 टन है।

श्री प्रीतम सिंह–

श्रीमन्, जो विद्यालयों की संख्या आपने बतायी है, आपने प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की संख्या बतायी, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बतायी। मान्यवर, इसके अतिरिक्त राजकीय व राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की संख्या के बारे में और शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या के बारे में पूछा है। यह जो भारत सरकार ने आपको दोपहर भोजन के लिए राशन उपलब्ध कराया है, वह मात्र कराया है प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। शेष के लिए नहीं करवाया है। यही कहना है आपका ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, प्राइमरी विद्यालयों के साथ जो वैकल्पिक केन्द्र चलते हैं, उनके लिए भी है। जैसे ई0जी0एस0 और ए0आई0ई0 केन्द्र हैं, उनके लिए भी है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आपने उत्तर में लिखा है ....

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, यह तो विद्यालयों के लिए लिखा है, विद्यालयों के अतिरिक्त अनौपचारिक शिक्षा के जो वैकल्पिक केन्द्र हैं, उनके लिए भी है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में जो कहा है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। आपने लिखा है कि प्राथमिक स्तर पर, तो प्राथमिक स्तर पर आप क्या–क्या शामिल कर रहे हैं ? प्राथमिक विद्यालय सम्मिलित कर रहे होंगे, यानि 12776 और उच्च प्राथमिक स्तर पर सम्मिलित करेंगे 5016, इनके लिए ही तो हमारे पास खाद्यान्न उपलब्ध हुआ। इन दोनों के लिए आपको 14706.65 मीट्रिक टन और 12162.44 मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध हुआ है। आपने कहा प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के लिए यह राशन आता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य विद्यालय हैं, राजकीय और राजकीय सहायता प्राप्त, इनके लिए कितने खाद्यान्न की आवश्यकता है ? ये बता दीजिए।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, इन विद्यालयों के अलावा जो हमारे ए0आई0ई0 केन्द्र और ई0जी0एस0 केन्द्र हैं, उनके लिए व्यवस्था हम देते हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा। व्यवस्था तो राज्य सरकार करती है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, इनको केन्द्र सरकार देती है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं यह नहीं कह रहा। माननीय अध्यक्ष जी, शायद मैं अपना प्रश्न आपको समझा नहीं पाया। मैं यह कह रहा हूँ कि राजकीय और राजकीय सहायता प्राप्त, शिक्षा गारन्टी केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के लिए कुल कितने मीट्रिक टन खाद्यान्न की आवश्यकता है ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैंने यह बताया, 12091.65 मीट्रिक टन, यह तो प्राथमिक विद्यालयों के लिए है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यह उत्तर तो मैंने पढ़ लिया।

श्री अध्यक्ष–

उसके अतिरिक्त बताइये।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, इसके अतिरिक्त और कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं इस पर ही प्रश्न उठाने वाला था, माननीय मंत्री जी ने जो तकनीकी रूप से उत्तर दिया, वही गलत है। लेकिन जब इन्होंने जवाब दिया, तब मैं कुछ कहता तो यहाँ बहस होती। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने जब स्वयं इस बात को कहा है कि हमने प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, राजकीय तथा राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों, शिक्षा गारन्टी केन्द्र और वैकल्पिक केन्द्रों को आच्छादित किया है, इन सबके लिए दोपहर भोजन की व्यवस्था की है। भारत सरकार से जो दोपहर भोजन मिला है, वह प्राथमिक स्तर के विद्यालयों और उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को मिला है। जो शेष तीन हैं, इनके लिए खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है या नहीं ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, इनके लिए भी भारत सरकार से खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, इनके लिए कितना है ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, ये सब इसी में इन्क्लूड हैं। क्योंकि ये भी विद्यालय ही हैं। ई0जी0एस0 और ए0आई0ई0 केन्द्र हैं, ये भी हमारे विद्यालय हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि आपके बगल में माननीय आबकारी मंत्री जी बैठे हैं। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। जो आपने उत्तर दिया है, इसमें आपने क्या लिखा है ? इसमें तो आपने प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के लिए ही खाद्यान्न की बात कही है। आपने वैकल्पिक विद्यालयों का जिक्र नहीं किया है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्राथमिक विद्यालयों के अन्तर्गत ही ई0जी0एस0 और ए0आई0ई0 केन्द्र हैं, इन सबको इसमें इन्क्लूड किया है।

(माननीय कृषि मंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा बैठे–बैठे कुछ कहने पर)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे मेरा आग्रह है, जब आपका प्रश्न आए, उस

समय आप उत्तर दे देना। इस समय बैठे-बैठे कहने की आवश्यकता नहीं है उस समय उत्तर दे दें। उस समय तो उत्तर देते नहीं हैं। उस समय तो पर्चियाँ ढूँढते रहते हैं। जब दूसरे मंत्री से पूछ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा बोलने लगे हैं। जब आपका समय आएगा। तब आपसे बात करूँगा।

श्री अध्यक्ष–

समय तो सबका आता है। (हँसी)

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य की जिज्ञासा शान्त कर देता हूँ।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जिज्ञासा शान्त करने वाली बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा हूँ। माननीय मंत्री जी ने कहा प्राथमिक स्तर के 12776 विद्यालय, उच्च प्राथमिक स्तर के 5016 विद्यालय, आपने कहा कि इसी में ही सब कुछ है। तो क्या राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय भी इसी में सम्मिलित हैं ? क्या शिक्षा गारण्टी केन्द्र और वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र भी इन्हीं विद्यालयों में सम्मिलित हैं ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, जी हाँ, इन्हीं विद्यालयों में सम्मिलित हैं। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, कन्फ्यूज नहीं हूँ, यदि आप इस प्रश्न के उत्तर को पढ़ेंगे तो आप भी कन्फ्यूज हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रेम चन्द अग्रवाल जी, कृपया शांत रहें।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यह तो बता दें कि इसमें छात्र संख्या कितनी है ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, हमारे यहां जो नामांकित छात्र हैं, उनकी संख्या 6 लाख, 65 हजार 662 है और जो लाभान्वित हो रहे हैं, उनकी संख्या 6 लाख, 49 हजार, 908 है, यह प्राथमिक स्तर पर हैं। इसी प्रकार से जूनियर स्तर पर नामांकित छात्रों की संख्या 4 लाख, 5 हजार, 870 तथा लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या 3 लाख, 54 हजार, 558 है।

प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जो अवशेष हैं, उन्हें इसका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, छात्र संख्या रोज एक जैसी नहीं होती है, इसके लिये 80 प्रतिशत औसत माना जाता है।

प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आप कितनी उपस्थिति का मान रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

मैं एक सूचना आप लोगों को देना चाह रहा हूँ कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय इण्टर कालेज, मेलखेत, विकास खण्ड देवाल, जिला चमोली से कुछ छात्र सदन की कार्यवाही देखने के लिये दर्शक दीर्घा में हैं। मैं आप सभी की ओर से उनका स्वागत करता हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो मध्याह्न भोजन बनाने के लिये भोजन माताओं की नियुक्ति की गई है, जो मेरे संज्ञान में है कि उनको 400 रुपया लगभग वेतन प्रतिमाह दिया जा रहा है। जो कि बहुत कम है, इस महंगाई के युग में 400 रुपये में कोई भोजन माता काम कर पायेगी ? क्योंकि यदि 200–250 की छात्र संख्या किसी विद्यालय में है तो उसे उनका भोजन बनाने में ही आधा दिन लग जायेगा। ऐसी स्थिति में क्या कोई भोजन माता 400 रुपये प्रतिमाह पर अपना और अपने परिवार का जीवन–यापन कर सकती है ? तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि क्या इन भोजन माताओं का वेतन बढ़ाने के लिये प्रदेश सरकार के स्तर पर व्यवस्था की जायेगी ? क्योंकि मैं जानता हूँ कि सरकार का जवाब यह आयेगा कि यह योजना भारत सरकार की है और केन्द्र सरकार के द्वारा ही वेतन वृद्धि हो सकती है। इसलिये मैं पहले से ही यह सवाल कर रहा हूँ कि क्या प्रदेश सरकार अपने संसाधनों के आधार पर इन भोजन माताओं के वेतन बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, पहले भोजन माताओं का वेतन छात्र संख्या के आधार पर दिया जाता था। लेकिन अब छात्र संख्या कुछ भी हो, भोजन माताओं का मानदेय 1000 रुपये कर दिया गया है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इसमें प्रदेश सरकार का भी योगदान है या भारत सरकार ने ही इसे बढ़ाया है ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

400 रुपये प्रतिमाह की जगह अब 1000 रुपया प्रतिमाह हो गया है और क्या चाहते हैं ?

अभी काफी प्रश्न हैं, समय का भी ध्यान रखें।

श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि माध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत जो स्कूलों में भोजन परोसा जाता है, क्या उसके लिये सरकार का कोई मैन्यू फिक्स है और अगर मैन्यू फिक्स है तो क्या सरकार ने निरीक्षण के दौरान यह पाया है कि मैन्यू से हटकर या मैन्यू से कम मात्रा में भोजन परोसा जाता है ? यदि निरीक्षण किया गया है तो कितने विद्यालयों में किया गया है और यदि ऐसा पाया गया तो दोषी अध्यापकों के खिलाफ क्या कार्रवाई सरकार द्वारा की गई है ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, प्रत्येक विद्यालय में उनको पोषक तत्व मिलें इसीलिए भोजन की व्यवस्था की गयी है जिसके तहत प्रति छात्र, प्रति दिन के हिसाब से उनको अनाज। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अलग–अलग बताने की जरूरत नहीं है। अभी प्रश्न बहुत हैं।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, अनवरत गति से इसका निरीक्षण चलता रहता है जिसमें वहां के जिलाधिकारी और ए0डी0ओ0............। (व्यवधान)

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, मतलब कोई केस पूरे उत्तराखण्ड में नहीं आया जहां मैन्यू से हटकर भोजन बनाया जाता हो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, ऐसा कोई प्रकरण जानकारी में नहीं आया है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि भोजन माताओं का मानदेय एक हजार रुपये कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूँ कि इसमें राज्यांश कितना है और केन्द्रांश कितना है ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, इसमें 750 केन्द्र का है और 250 राज्य सरकार का है।

सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं में गणित विषय में प्रयोगात्मक व लिखित परीक्षा में अलग–अलग उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता

*3. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार माध्यमिक शिक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में गणित जैसे विषयों में प्रयोगात्मक एवं लिखित परीक्षा में अलग–अलग उत्तीर्ण होने को आवश्यक करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार।

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत बने विनियम अध्याय–तेरह हाईस्कूल परीक्षा 3–उत्तीर्णता मानदण्ड (ङ) III द्वारा यह व्यवस्था की गयी है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जानना चाहूँगा कि प्रदेश में उत्तराखण्ड बोर्ड में कक्षा 10 में पिछले वर्ष 2008–09 में कितने बच्चे गणित में उत्तीर्ण हुए और उसमें ऐसे कितने विद्यार्थी थे जिन्हें गणित की लिखित परीक्षा में 33 प्रतिशत से कम मार्क्स मिले, अंक मिले, ये मैं जानना चाह रहा हूँ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, यह जानकारी अलग से उपलब्ध करा दी जायेगी।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, प्रश्न ये है मेरा कि क्या प्रदेश सरकार लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में अलग–अलग से उत्तीर्ण करने को आवश्यक करेगी ? (व्यवधान) अब इस का प्रश्न यहीं से शुरू होगा। सरकार कहती है हम शिक्षा में गुणवत्ता पर ध्यान देंगे। अब गुणवत्ता का ध्यान यहीं से तो शुरू होगा अब आप स्टैटिक्स नहीं होंगे, हम आपसे यह पूछ रहे हैं कि कक्षा–10 में गणित में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए पिछले साल और उसमें लिखित परीक्षा में 33 प्रतिशत मार्क्स, अंक कितनों को मिले ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, नीतिगत (व्यवधान) विषय है। इसे अलग से उपलब्ध करा दिया जायेगा। (व्यवधान) नीतिगत प्रश्न किया गया था और नीतिगत ढंग से जवाब दिया गया है।

डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, 33 प्रतिशत से ऊपर कितने बच्चों को मार्क्स मिले, आप ये नहीं बताएंगे तो कहां से कोई बात आयेगी, चिंतन कहां से शुरू होगा मान्यवर। चिंतन तो यहीं से शुरू होगा। मूल प्रश्न ही यह है कि लिखित परीक्षा में और प्रयोगात्मक परीक्षा में आप क्या अलग–अलग पास करने की व्यवस्था कर रहे हैं, आपने कहा, 'नहीं'। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लिखित परीक्षा में 33 प्रतिशत से ऊपर अंक कितने प्रतिशत बच्चे लाये, जो बच्चे उत्तीर्ण हुए, कितने लिखित में उत्तीर्ण हुए ?

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, दोनों के अंकों को जोड़ने के पश्चात् जो मार्क्स आते हैं, उसके आधार पर पास होता है श्रीमन्, इसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने दे दिया है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, जो नीतिगत प्रश्न है उसका तो ये है कि हमारा जो लिखित का होगा उसमें 80 ......। (व्यवधान)

डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, ये मैं आगे पूछूँगा अनुपूरक में आपसे। पिछले साल 75 और 25 थे, इस साल आपने 80 और 20 कर दिया है। मेरा सीधा सा प्रश्न है कि लिखित परीक्षा में 33 प्रतिशत से ऊपर कितने बच्चों ने प्राप्त किये, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। इसकी गम्भीरता तो तभी प्रारम्भ होगी।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, अलग से इसका डाटा उपलब्ध करा दिया जायेगा। (व्यवधान)

डा० हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय विधायक सिंघल जी ने सवाल किया है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, सिंघल जी ने जो सप्लीमेन्ट्री सवाल किया है वह निश्चित रूप से मूल सवाल से ही जुड़ा सवाल है। माननीय सदस्य सिंघल जी ने जो सवाल किया था, वह शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर किया था। आपने सवाल किया है कि क्या सरकार माध्यमिक शिक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में गणित

जैसे विषयों के प्रयोगात्मक एवं लिखित परीक्षा में अलग-अलग उत्तीर्ण होने को आवश्यक करेगी ? सवाल इसलिए किया गया कि अगर प्रयोगात्मक और लिखित में मिलाकर पास कर दें तो प्रयोगात्मक में अधिक नम्बर होने के कारण जो बच्चा लिखित में फेल हो रहा है, उसको प्रयोगात्मक में अधिक नम्बर होने के कारण उत्तीर्ण मान लिया जायेगा। इसमें शिक्षा के गणित जैसे विषय की गुणवत्ता पर और शिक्षा के स्तर पर कुप्रभाव पड़ेगा, इसलिए माननीय सदस्य ने यह सवाल किया था कि क्या सरकार गणित के लिखित परीक्षा को और प्रयोगात्मक परीक्षा को पूर्व की भाँति जिस तरह भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में आप प्रेक्टिकल में पास हों और थ्योरी में फेल हैं तो फेल माना जाता है, क्योंकि यह गुणवत्ता का सवाल है। यह सवाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है माननीय सिंघल जी का कि कितने विद्यार्थी थे जो कि लिखित परीक्षा में फेल थे, लेकिन प्रयोगात्मक परीक्षा के कारण उनको उत्तीर्ण कर दिया गया, यह सीधा सा सवाल है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बिल्कुल नीतिगत प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, प्रश्न सीधा जुड़ा हुआ है। आप मात्र यह बता दीजिए कि कितने छात्र ऐसे थे जिनके लिखित में 33 प्रतिशत से कम नम्बर थे।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे स्थगित करता हूँ।

प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पुस्तकों के साथ उत्तर पुस्तिकाओं का भी वितरण

*4. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पुस्तकों के वितरण के साथ आवश्यक उत्तर पुस्तिकायें भी उपलब्ध कराये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पाठ्य-पुस्तकों के साथ उत्तर पुस्तिकायें दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्राइमरी विद्यालयों में क्या प्रदेश सरकार ने कोई ऐसा सर्वे किया कि सरकारी प्राइमरी विद्यालयों के अन्दर कितने बच्चे ऐसे आते हैं, जिनके पास लिखित पुस्तिकायें उपलब्ध नहीं होती ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट-

मान्यवर, इस प्रकार का कोई सर्वे नहीं किया है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल-

मान्यवर, फिर गुणवत्ता का सवाल आ गया। मैंने यह पूछा कि क्या सरकार इस तरह की लिखित पुस्तिकायें उपलब्ध करायेगी ? मैंने यह प्रश्न इसलिए किया कि मैंने जगह-जगह जाकर देखा कि बच्चों के पास लिखित पुस्तिकायें हैं नहीं, वह क्लासों में, सरकारी स्कूलों में बैठे हैं। (व्यवधान) मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार द्वारा ऐसा कोई सर्वे कराया गया कि कितने प्रतिशत बच्चों के पास लिखित पुस्तिकायें नहीं थीं, सरकारी प्राइमरी स्कूलों में ? अगर यही पता नहीं होगा तो आगे की नीति क्या बनायेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप स्पेसिफिक प्रश्न करिये।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल-

मान्यवर, मैं स्पेसिफिक प्रश्न कर रहा हूँ, मेरा प्रश्न चार महीने पहले लगा था। मेरा प्रश्न है कि कितने प्रतिशत सरकारी प्राइमरी विद्यालयों में ऐसे बच्चे हैं, जिनके पास लिखित पुस्तिकायें नहीं हैं ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट-

मान्यवर, लिखित पुस्तिकायें दे नहीं रहे हैं, सरकार की नीति नहीं है।....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त-

माननीय अध्यक्ष जी, सर्वशिक्षा अभियान में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराने का कोई प्राविधान नहीं है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जवाब कहाँ आया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जवाब माननीय मंत्री जी ने दे तो दिया है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल--

माननीय अध्यक्ष जी, आप मुझे मौका ही नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया स्थान ग्रहण करें। शैलेन्द्र जी, आपका प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

डा0 हरक सिंह रावत--

माननीय अध्यक्ष जी, छोटा सा प्रश्न है। मैं मूल प्रश्न से सम्बन्धित ही पूछ रहा हूँ। बिना मूल के नहीं पूछूँगा। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ, जिस तरह उन्होंने कहा कि सरकार की कोई नीति उन बच्चों को उत्तर पुस्तिका देने की नहीं है जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत गरीबी रेखा के नीचे या जो निर्धन हैं। सर्व शिक्षा अभियान तो केन्द्र सरकार की योजना है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या प्रदेश सरकार प्रदेश के उन बच्चों को, जो बी0पी0एल0 व अन्त्योदय की श्रेणी में हैं और उत्तर पुस्तिका खरीदने की उनके परिवार की क्षमता नहीं है, तो क्या सरकार अपने स्तर पर उनके शिक्षा के अधिकार को और उनके शिक्षा के स्तर को ऊँचा करने के लिए उनको उत्तर पुस्तिका देने पर विचार करेगी ?

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल--

मंत्री जी को यही नहीं पता कि कितने बच्चे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट--

ऐसा सरकार कोई विचार नहीं कर रही है।

डा0 हरक सिंह रावत--

मान्यवर, यह सरकार इस प्रदेश के अन्दर गरीब बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखना चाहती है माननीय अध्यक्ष जी, यह बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है।

(कई माननीय सदस्यों के अपने--अपने स्थान पर खड़े होकर जोर--जोर से अपनी बात को कहने का प्रयास करने के कारण, सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर आ तो गया है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, इतना चिल्लाने की क्या आवश्यकता है, यह बात समझ में नहीं आ रही है। मान्यवर, सर्व शिक्षा अभियान में सारी पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क दी जाती हैं और सारे बच्चों को दी जाती हैं तो ऐसी स्थिति में चिल्लाने की क्या आवश्यकता है ? मान्यवर, शिक्षा की गुणवत्ता बने इस पर सरकार विशेष रूप से ध्यान दे रही है।

(घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, पुस्तकों का क्या करेंगे ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। जब तक सदन व्यवस्थित न हो जाये, किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान न लिया जाए।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत जी को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में आकर अपनी बात जोर से कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, कापियाँ दी जायेंगी क्या ? (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

यदि तीन साल पहले दी जाती थीं तो अब भी दी जायेंगी। (घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका विनिश्चय आ गया कि उत्तर पुस्तिकाएं दी जायेंगी। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। अब जवाब आ गया है, आपको अब क्या चाहिए ? (व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने कहा कि उत्तर पुस्तिका देने की कोई नीति नहीं है। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। जवाब आ तो गया है कि कोई नीति नहीं है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि यह सरकार उत्तर पुस्तिका न देकर प्रदेश के गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। यदि आप उत्तर पुस्तिका नहीं देंगे तो बच्चे कैसे लिखेंगे और उनके पास उत्तर पुस्तिका खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा तो कहां से लिखेंगे। अगर उनके माँ–बाप सक्षम होते तो वे बी0पी0एल0 और अंत्योदय की श्रेणी में क्यों आते ? मान्यवर, यह सरकार गरीब बच्चों को उत्तर पुस्तिका नहीं दे रही है, इसलिए मैं और मेरा दल वाकआउट कर रहा है।

(नेता प्रतिपक्ष सहित काँग्रेस के सभी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें, जवाब आ तो गया है।

प्रवक्ता/एल0टी0/प्राथमिक शिक्षकों के सम्बद्धीकरण के कारण व नियम एवं हरिद्वार में सम्बद्धीकरण से शिक्षण कार्य पर प्रभाव एवं कार्रवाई

*5. हाजी तस्लीम अहमद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रवक्ता/एल0टी0/प्राथमिक शिक्षकों को दूसरे विद्यालयों में सम्बद्धीकरण के क्या नियम हैं और किन परिस्थितियों में सम्बद्धीकरण किया जा सकता है ?

क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार में उक्त श्रेणी के शिक्षकों का सम्बद्धीकरण दूसरे विद्यालयों में किया गया, जिसके कारण मूल नियुक्ति वाले विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार तत्काल सम्बद्ध किये गये सभी शिक्षकों का सम्बद्धीकरण खत्म करके उनके मूल नियुक्ति वाले विद्यालयों में वापस भेजेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

शिक्षकों के सम्बद्धीकरण की कोई व्यवस्था वर्तमान में नहीं है, तथापि नवस्थापित विद्यालयों में पठन–पाठन की तात्कालिक व्यवस्था हेतु शिक्षकों की तैनाती/सम्बद्धीकरण किया जाता है।

जी हाँ। 03 नवीन स्थापित विद्यालयों में पठन–पाठन कार्य प्रभावित न हो, के दृष्टिगत विद्यालय संचालन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार द्वारा 11 शिक्षकों की अस्थायी व्यवस्था की गयी है। इन विद्यालयों में मात्र उन्हीं विद्यालयों से शिक्षकों को भेजा गया है, जहाँ पर कि शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में उन विद्यालयों में शिक्षण कार्य आंशिक रूप से प्रभावित हो रहा है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

हाजी तस्लीम अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के अन्दर ऐसे कितने अध्यापक हैं जिन्हें सम्बद्ध किया गया है ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में, चमोली में 3 सहायक अध्यापक, पौड़ी में 1 सहायक अध्यापक और 2 प्रवक्ता, रुद्रप्रयाग में कोई नहीं, देहरादून में 2 सहायक अध्यापक, हरिद्वार में 9, जिसमें पहले 11 थे, 2 वापस कर दिये गये हैं, नैनीताल में 1, इस प्रकार से लोगों को सम्बद्ध किया है।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण वापस आ गये।)

हाजी तस्लीम अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि शिक्षकों के सम्बद्धीकरण की कोई व्यवस्था वर्तमान में नहीं है, तथापि सम्बद्धीकरण किया जाता है। जिन स्कूलों के शिक्षकों को दूसरी जगह सम्बद्ध किया जाता है, वहां के बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है दूसरी बात यह है कि जो विद्यालय खाली हैं, उनमें अब तक शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई ? मैं यह जानना चाहूँगा।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, सम्बद्धीकरण की कोई अलग से व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो नवीन विद्यालय खुलते हैं, वो आप ही लोगों के, सबके अनुसार खुलते हैं। उन विद्यालयों को संचालित करने के लिए या कहीं पर कोई रिटायर होने के बाद, जहाँ अध्यापकों की स्थिति शून्य रहती है, केवल उस पर इस सत्र तक उनको समायोजित किया गया है और सत्र के बाद उनका समायोजन समाप्त हो जायेगा।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, एक तरफ तो उत्तर में यह दिया कि शिक्षकों के सम्बद्धीकरण की वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन दूसरा उत्तर जो दिया है, उसमें यह कहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 11 शिक्षकों की अस्थायी व्यवस्था की गयी है। मैं इनमें से जानना चाहता हूँ कि 11 शिक्षकों में से कितने प्रवक्ता हैं, कितने एल0टी0 ग्रेड के हैं, कितने प्राथमिक स्तर के हैं ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, 11 लोगों को व्यवस्था में वहाँ तीन विद्यालयों में भेजा गया है लेकिन जैसे–जैसे पूर्ति हुई उनको वापस कर दिया गया। जिनमें श्रीमती विजय गोबिल, प्रवक्ता, जीव विज्ञान, रा0क0इ0 का0, झबरेड़ा हरिद्वार में वापस और जितेन्द्र सिंह, स0अ0, रा0इ0का0, भेल, हरिद्वार वापस आ गए हैं और जो लोग सम्बद्धीकरण में हैं, उनमें श्री ओम प्रकाश शर्मा, स0अ0, अंग्रेजी जो रा0उ0मा0वि0, सिकरोड़ा, हरिद्वार में थे, यहाँ पर 7 एल0टी0 के अध्यापक थे, उनमें से इनको रा0बा0इ0का0, रुड़की, हरिद्वार भेजा है। श्रीमती अनुपमा पंवार, स0अ0, जीव विज्ञान, जो रा0उ0मा0वि0, सोहलपुर, हरिद्वार में थीं, यहाँ पर 05 अध्यापक थे, उनमें से इनको रा0बा0इ0का0, रुड़की, हरिद्वार भेजा गया है। तीसरी श्रीमती विजय गोबिल, प्रवक्ता, जीव विज्ञान, जिनको पहले रा0बा0इ0का0, रुड़की, हरिद्वार में नवीन विद्यालय के संचालन हेतु सम्बद्ध किया गया था, अब इनको वापस बुला लिया गया है, जैसा कि मैंने पहले कहा। चौथे कुमार सुमन, ये रा0इ0का0, इमलीखेड़ा, हरिद्वार से गयी हैं, यहाँ पर 06 एल0टी0 के अध्यापक हैं, ये रा0बा0इ0का0, रुड़की, हरिद्वार गयी हैं और श्री जितेन्द्र सिंह, स0अ0, रा0इ0का0, भेल, हरिद्वार, यहाँ पर 15 लेक्चरर थे, ये गये थे रा0बा0इ0का0, इकबालपुर, ये वापस आ गए हैं और छठा श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, स0अ0 विज्ञान/गणित, ये रा0उ0मा0वि0 मानुबास, हरिद्वार में कार्यरत थे, यहाँ पर 7 एल0टी0 के अध्यापक कार्यरत हैं, ये रा0बा0इ0का0, इकबालपुर, हरिद्वार गये। सातवां श्री बालेश सिंह, स0अ0 व्यायाम, जो रा0उ0मा0वि0, खेड़ी, सिकोहपुर में थे, इनको रा0क0इ0का0, इकबालपुर में भेजा गया है, व्यवस्था के लिए। श्रीमती इसराना खातून,स0अ0 अंग्रेजी, जो रा0उ0मा0वि0, लालवाला, मजबत्ता, हरिद्वार में कार्यरत थीं, इनको रा0बा0इ0का0, मंगलौर, हरिद्वार में भेजा

गया है, व्यवस्था के लिए। श्री मुन्ना लाल चौधरी, स0अ0, सामान्य, जो रा0उ0मा0वि0, मानुबास, हरिद्वार में कार्यरत थे, इनको रा0बा0इ0का0, मंगलौर, हरिद्वार में भेजा गया। श्री गजेन्द्र सिंह, स0अ0, व्यायाम, जो रा0उ0मा0वि0, लालवाला, मजबत्ता, हरिद्वार में कार्यरत थे, इनको रा0बा0इ0का0, मंगलौर, हरिद्वार भेजा गया। श्री नवीन कुमार, स0अ0, विज्ञान/गणित जो रा0उ0मा0वि0, डाडा, जलालपुर में कार्यरत थे, इनको रा0बा0इ0का0, मंगलौर में व्यवस्था के लिए भेजा गया है। जो नये विद्यालय खुले थे उनके संचालन के लिए यह व्यवस्था की गयी।

श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सम्बद्धीकरण केवल हरिद्वार के लिए है ? चूँकि मेरे यहाँ मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल में अगुन्डा इण्टर कॉलेज में पिछले तीन साल से एक भी प्रवक्ता नहीं है। वहाँ के लिए भी सम्बद्धीकरण होना चाहिए था और जो हाईस्कूल निवाल गाँव में और कोटविषन इण्टर कॉलेज में मान्यवर, पहले जो भी प्रवक्ता थे, वहाँ पर एक भी आज प्रवक्ता नहीं है, तो क्या यह सम्बद्धीकरण केवल हरिद्वार में लागू होगा, यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैंने पहले भी बताया कि जिन–जिन विद्यालयों को खोला गया उन विद्यालयों के संचालन के लिए इनको सम्बद्ध किया गया और उनके आस–पास के जिन विद्यालयों में पर्याप्त अध्यापक थे जहाँ काम चलता, उनको सम्बद्ध किया और आपका कोई प्रकरण होगा तो दिखवा लेंगे।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आपके संज्ञान में ला रहा हूँ कि इण्टर कॉलेज, अगुण्डा में एक भी प्रवक्ता नहीं है, पिछले 3 साल से जो प्रवक्ता थे भी उनको हरिद्वार में तैनात कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य की जो पीड़ा है उस पर ध्यान दें।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पहले तो वह बता दें कि नवीन विद्यालय की परिभाषा क्या है, नवीन विद्यालय कौन से हैं ? मान्यवर, नवीन विद्यालय के चक्कर में पहाड़ के सारे विद्यालय शिक्षक विहीन चल रहे हैं और बी0ई0ओ0 तथा डी0ई0ओ0 की मनमानी है उसमें, सम्बद्धीकरण तो सिर्फ उनका बहाना है, अपने चहेतों को एडजेस्ट कैसे करना है ताकि उनको पहाड़ में पैदल न चलना पड़े, उनको वहाँ की चढ़ाई

न नापनी पड़े। माननीय अध्यक्ष जी, इस बारे में हमने तहसील दिवस लगाया तो वहाँ पर टिहरी के डी0ई0ओ0 मौजूद थे, वहाँ के बी0ई0ओ0 मौजूद थे। मैंने बार-बार उनको अवगत कराया लेकिन इसके बावजूद आज भी प्राथमिक विद्यालय माजियाढ़ी और प्राथमिक विद्यालय बौंढ शिक्षक विहीन चल रहे हैं, एक शिक्षा मित्र के सहारे वह चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, यदि इस शिक्षा मित्र को किसी कारणवश कहीं जाना पड़ जाये तो उस स्कूल में ताला लग जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपके आदेश होने के बावजूद भी क्यों आज तक उन विद्यालयों में शिक्षक की व्यवस्था नहीं कराई गई ? सम्बद्धीकरण ऐसे विद्यालयों में कराया गया जहाँ पहले से ही शिक्षक हैं, ये नये विद्यालय नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि सम्बद्धीकरण नये विद्यालय में बिल्कुल नहीं है, बल्कि पुराने स्कूलों में जो पहले से ही चल रहे थे, वहाँ से भी शिक्षकों को लिया है। यह सत्य से परे है, मैं नवीन विद्यालय की परिभाषा जानना चाह रहा हूँ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, अभी जो मैंने 18 शिक्षकों का सम्बद्धीकरण बताया है वह केवल नये विद्यालय जो खुले हैं उनके संचालन के लिए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि आपके जिले से कोई भी अध्यापक हरिद्वार या अन्य किसी जिले में सम्बद्ध नहीं किया गया है।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया है, मैं जानना चाहता हूँ कि जो बी0ई0ओ0, डी0ई0ओ0 देख रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ?

हाजी तस्लीम अहमद–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि इन अध्यापकों को वहां कब तक वापस कर दिया जायेगा, जहाँ इनकी नियुक्तियाँ हुई हैं ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, शिक्षा सत्र के बाद वापस कर दिया जायेगा।

प्रदेश में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की केन्द्र के समान सेवानिवृत्ति आयु का निर्धारण

*6. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की आयु सीमा केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार तय की गयी है ?

यदि नहीं तो क्यों ?

क्या सरकार केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार आयु सीमा तय करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

जी नहीं।

सेवानिवृत्ति की आयु के निर्धारण का अधिकार राज्य सरकार को है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि शिक्षा विभाग समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची के विषय में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का बराबर का अधिकार होता है। केन्द्र सरकार ने एक व्यवस्था दी है कि शिक्षकों की आयु 65 वर्ष कर दी जाय। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या राज्य सरकार शिक्षकों की आयु 65 वर्ष करेगी ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, सी0बी0एस0ई0 पैटर्न अपने उत्तराखण्ड में स्वीकार किया गया है और सी0बी0एस0ई0 पैटर्न में भी, पूरे देश में रिटायरमेंट की आयु सीमा 60 वर्ष है। उत्तराखण्ड ने सी0बी0एस0ई0 पैटर्न स्वीकार किया है तो यह आयु 60 वर्ष ही है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, केन्द्र सरकार में क्या है ? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे देश में 60 वर्ष ही सी0बी0एस0ई0 पैटर्न में आयु सीमा है।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न मूल प्रश्न से थोड़ा हट कर है, जो कि प्रदेश के बेरोजगारों से जुड़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

कोई चर्चा नहीं हो रही है। हटकर न बोलें, प्रश्न से सम्बन्धित ही बोलें।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या प्रदेश में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करेंगे, यहां के बेरोजगारों को मध्यनजर रखते हुए ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी सरकार कोई विचार नहीं कर रही है।

ी अध्यक्ष–

अब तारांकित प्रश्न संख्या–6 का समय समाप्त होता है। प्रश्नकाल ाप्त।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के रा0मा0 विद्यालयों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियुक्त अध्यापकों व रिक्त पदों की संख्या तथा नियुक्ति प्रक्रिया का प्रारम्भ

1. श्री शेर सिंह गढ़िया–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में राजकीय माध्यमिक ों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति की था कुल रिक्त पदों की संख्या कितनी है ?

सरकार रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है ?

हाँ, तो कब तक ?

नहीं तो क्यों ?

सिंह बिष्ट–

में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के 9312 स्वीकृत पदों 5914 प्रवक्ता पदों पर तथा स्नातक वेतनक्रम के 17210 स्वीकृत पदों 14601 स्नातक वेतनक्रम के पदों पर नियुक्ति की गयी है। प्रवक्ता म में 3398 तथा स्नातक वेतनक्रम में 2609 पद रिक्त हैं।

नोट :–तारांकित प्रश्न–6 के पश्चात् प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

जी हाँ।

प्रवक्ता के सीधी भर्ती के 1404 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड द्वारा दिनाँक 30 मई, 2009 को विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है, नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है एवं प्रवक्ता के पदोन्नति कोटे के रिक्त 1689 पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही भी गतिमान है तथा सहायक अध्यापक एल0टी0 के पदोन्नति के रिक्त पदों हेतु संगत नियमावली के प्राविधानानुसार राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा सेवा के अन्तर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक, प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय से सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में 290 पदों हेतु दिनाँक 24 फरवरी, 2010 को विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजनाओं की धीमी कार्य गति मानकानुरूप कार्य न होने तथा दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई

2. श्री शेर सिंह गढ़िया–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम्य स[illegible] योजनाओं का कार्य धीमी गति से कराया जा रहा है तथा

कुछ सड़कों का निर्माण मानक के अनुरूप नहीं किया गया है ?

क्या यह सत्य है कि अभी तक फेज 3,4,5 के स्वीकृत सड़कों का कार्य पूर्ण नहीं किया है ?

यदि हाँ, तो सड़कों के निर्माण में हो रहे विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है ?

क्या सरकार सम्बन्धित दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती विजय बड़थ्वाल)–

जी नहीं।

ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं है।

फेज 3,4,5 की कतिपय सड़कों का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

सड़कों के निर्माण में वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्तावों पर भारत सरकार (वन एवं पर्यावरण मंत्रालय) की स्वीकृति में समय लगने तथा कुछ मार्गों के समरेखण में विवाद आदि होने के कारण विलम्ब हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी अन्तर्गत रा0इ0का0 गुन्दियालगाँव, राजगढ़ी, खरसाड़ी तथा हाईस्कूल सरनौल के भवनों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति एवं निर्माण हेतु कार्यवाही

3. श्री राजेश जुवांठा-

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज, गुन्दियालगांव, राजकीय इण्टर कालेज, राजगढ़ी, खरसाड़ी तथा हाईस्कूल, सरनौल, के भवनों की स्थिति अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण है, फलस्वरूप कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भवनों के निर्माण के लिए कोई कदम उठा रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट-

राजकीय इण्टर कालेज, गुन्दियालगांव के पुराने दस कक्ष जीर्ण-शीर्ण हैं। राजकीय इण्टर कालेज, राजगढ़ी के पाँच कक्षा-कक्ष जीर्ण-शीर्ण हैं। राजकीय इण्टर कालेज, सरनौल के चार कक्ष जीर्ण हैं किन्तु जीर्ण-शीर्ण कक्षों में कक्षाओं का संचालन न होने के कारण किसी अप्रिय घटना की सम्भावना नहीं है।

राजकीय इण्टर कालेज, गुन्दियालगांव में जिला योजनान्तर्गत कक्षा-कक्ष एवं प्रयोगशाला का निर्माण कराया गया है। राजकीय हाईस्कूल, सरनौल एवं खरसाड़ी जूनियर हाईस्कूल के भवन में संचालित किये जा रहे हैं। हाईस्कूल खरसाड़ी में जिला योजनान्तर्गत प्रयोगशाला निर्माण कराया जा रहा है।

विद्यालय संचालन सुरक्षित कक्षों में कराया जा रहा है तथा स्रोतों से कक्षों/प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी अन्तर्गत ब्लॉक मोरी, पुरोला और नौगाँव के उच्चीकृत हाईस्कूलों एवं इण्टर कॉलेजों में रिक्त शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति हेतु कार्यवाही

4. श्री राजेश जुवांठा-

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जिला उत्तरकाशी के अन्तर्गत पुरोला विधान सभा क्षेत्र में ब्लॉक मोरी, पुरोला और नौगांव के अन्तर्गत विभिन्न उच्चीकृत हाईस्कूलों एवं इण्टर कॉलेजों यथा जखोल, खरसाड़ी (गडूगाड) मोल्टाड़ी,

गंगटाडी, चिवा, हुडोली में शिक्षकों के अधिकांश पद रिक्त चल रहे हैं ?

यदि हाँ, तो रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

क्या सरकार छात्रहित में नये सत्र से रिक्त पदों पर शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट--

जी हाँ।

प्रवक्ता के सीधी भर्ती के 1404 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 30 मई, 2009 को विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है, नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है एवं प्रवक्ता के पदोन्नति कोटे के रिक्त 1689 पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही भी गतिमान है तथा सहायक अध्यापक एल0टी0 के पदोन्नति के रिक्त पदों हेतु संगत नियमावली के प्राविधानानुसार राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा सेवा के अन्तर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक, प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय से सहायक अध्यापक एल0टी0 वेतनक्रम में 290 पदों हेतु दिनांक 24 फरवरी, 2010 को विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर स्थित राजीव गाँधी नवोदय विद्यालयों का नाम परिवर्तित कर भूमि का वन विभाग द्वारा अन्यत्र हस्तान्तरण

5. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल--

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि ऊधमसिंह नगर स्थित राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय की भूमि वन विभाग द्वारा ब्लॉक जसपुर में हस्तान्तरित की गयी है ?

क्या यह सत्य है कि उक्त का नाम परिवर्तित कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालय कर दिया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या ब्लॉक खटीमा, जनपद ऊधमसिंह नगर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालय ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट--

जी हाँ। वन विभाग द्वारा शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित की जा रही है।

जी नहीं। शासनादेश संख्या 1637/XXIV-3/08/02(75)/08, दिनाँक 01.10.2008 द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

आवासीय विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए स्थायी व्यवस्था होने तक श्यामाप्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालय अस्थायी रूप से थारू राजकीय इण्टर कॉलेज, खटीमा में संचालित हो रहा है।

जनपद ऊधमसिंह नगर अन्तर्गत जसपुर के रा0क0इ0 कॉलेज में अध्ययनरत् छात्राओं की संख्या तथा विद्यालय में सृजित पद एवं कार्यरत् अध्यापकों की संख्या

6. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि तहसील जसपुर, जिला ऊधमसिंह नगर में राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज में कितनी छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं ?

विद्यालय में कितने पद प्रवक्ताओं एवं एल0टी0 ग्रेड सहायक अध्यापिकाओं के सृजित हैं एवं वर्तमान में कितनी प्रवक्ता एवं एल0टी0 ग्रेड सहायक अध्यापिकाएं कार्यरत हैं ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

तहसील जसपुर, ऊधमसिंह नगर में राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज में 1789 (एक हजार सात सौ नवासी) छात्रायें शिक्षा ग्रहण कर रही हैं।

उक्त विद्यालय में प्रवक्ता के 18 एवं सहायक अध्यापक एल0टी0 ग्रेड के 14 पद सृजित हैं एवं वर्तमान में 06 प्रवक्ता एवं 12 सहायक अध्यापिकाएं कार्यरत हैं।

जनपद पौड़ी स्थित मेहरबान सिंह कण्डारी रा0इ0का0 स्यूंसी में एन0सी0सी0 खोलने हेतु प्रधानाचार्य द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर कृत कार्यवाही

7. श्रीमती अमृता रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मेहरबान सिंह कण्डारी राजकीय इण्टर कॉलेज, स्यूंसी, पौड़ी गढ़वाल में एन0सी0सी0 खोलने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के पत्रांक सामान्य/49274-76/2008-09, के द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध करवाने हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को निर्देशित किया गया है ?

यदि हाँ, तो प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्ताव कब उपलब्ध करवाया गया है तथा विद्यालय में एन0सी0सी0 खोलने हेतु की गई कार्यवाही का विवरण क्या है तथा कब तक विद्यालय में एन0सी0सी0 खोल दिया जायेगा ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

जी हाँ।

मेहरबान सिंह कण्डारी राजकीय इण्टर कॉलेज, स्यूंसी, पौड़ी गढ़वाल के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय में एन0सी0सी0 खोलने हेतु कोई प्रस्ताव उपलब्ध नहीं

करवाया गया है। उक्त विद्यालय में एन0सी0सी0 खोलने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

जनपद पौड़ी स्थित रा0इ0का0 जयहरीखाल के कक्षों को रा0स्ना0 महाविद्यालय के अवैध कब्जे से मुक्त कराने हेतु कृत कार्यवाही तथा जवाहर नवोदय विद्यालय का संचालन

8. श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2008 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या : 21 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय इण्टर कॉलेज, जयहरीखाल, पौड़ी गढ़वाल के परिसर में उपलब्ध 10 कमरों को राजकीय स्ना0 महाविद्यालय के अनाधिकृत कब्जे से अवमुक्त करवाए जाने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण क्या है तथा इन कमरों को कब तक जवाहर नवोदय विद्यालय, जयहरीखाल के संचालन हेतु उपलब्ध करवाया जायेगा ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

राजकीय इण्टर कॉलेज, जयहरीखाल, पौड़ी गढ़वाल के परिसर में उपलब्ध 10 कमरों पर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अनाधिकृत कब्जे से अवमुक्त करवाये जाने के सम्बन्ध में विद्यालयी शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 23946/5ख(12)/भूमि-भवन/2008-09, दिनांक 12 सितम्बर, 2008 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी को लिखा गया। जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि कक्षा-कक्षाओं को खाली कराने के लिए लगातार नोटिस दिये जाने पर प्राचार्य, रा0स्ना0 महाविद्यालय, जयहरीखाल द्वारा वहाँ रहने वाले अपने प्राध्यापकों/कर्मचारियों को कमरे खाली कराने का नोटिस दिया गया। प्राचार्य द्वारा दिये गये नोटिस के खिलाफ वहाँ रह रहे चार प्राध्यापकों ने मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया है। शेष जो चार कर्मचारी वहाँ रह रहे हैं, उन्होंने शीघ्र ही कक्ष खाली करने का आश्वासन दिया है।

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जयहरीखाल प्रशासन जितनी जल्दी उक्त कक्षों को रा0इ0का0 जयहरीखाल को सौंपेगा विद्यालय प्रशासन तत्काल उक्त कक्षा-कक्षों को जवाहर नवोदय विद्यालय को अस्थायी रूप से उपलब्ध करवा देगा।

जनपद पौड़ी स्थित रा0इ0का0 बहेड़ाखाल में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रगति एवं प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति की प्रगति का विवरण

9. श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के तृतीय सत्र 2008 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 07 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय इण्टर कॉलेज बहेड़ाखाल, पौड़ी गढ़वाल में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में हुई प्रगति का विवरण क्या है ?

तथा प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति तथा कथित गतिमान प्रक्रिया पर हुई प्रगति का विवरण क्या है और कब तक रिक्त पदों की पूर्ति की जायेगी ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

प्रवक्ता के सीधी भर्ती के 1404 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 30 मई, 2009 को विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है, नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है, तथा प्रवक्ता के पदोन्नति कोटे के रिक्त 1689 पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही भी गतिमान है।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 2006 के नियम 5(3) के अनुसार विभागीय लिखित परीक्षा द्वारा भर्ती की प्रक्रिया के तहत नियम–17 (1) के अनुसार राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा सेवा के अन्तर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक, प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय से सहायक अध्यापक, एल0टी0 वेतनक्रम में 290 पदों हेतु दिनांक 24 फरवरी, 2010 को विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है।

प्रवक्ता के पदोन्नति कोटे के 1689 रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही गतिमान है। उक्त प्रक्रिया सम्पन्न होने पर रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र की जायेगी।

जनपद पौड़ी स्थित श्री हंस महाराज रा0इ0का0 पोखड़ा को आदर्श आवासीय विद्यालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु कार्यवाही का विवरण

10. श्रीमती अमृता रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री हंस महाराज राजकीय इण्टर कॉलेज पोखड़ा, पौड़ी गढ़वाल को आदर्श आवासीय विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने के सम्बन्ध में तत्कालीन शिक्षा मंत्री के दिनांक 12.02.2009 के पत्र द्वारा प्रश्नकर्ता के दिनांक 07 फरवरी, 2009 के पत्र को त्वरित कार्यवाही हेतु सचिव विद्यालयी शिक्षा को प्रेषित किए जाने की जानकारी दी गई है ?

यदि हाँ, तो सचिव विद्यालयी शिक्षा द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही का विवरण क्या है और कब तक उक्त विद्यालय को आदर्श आवासीय विद्यालय के रूप में विकसित किया जायेगा ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

जी हाँ।

राज्य में आदर्श आवासीय विद्यालय की योजना संचालित नहीं है अतः राजकीय इण्टर कॉलेज पोखड़ा, पौड़ी गढ़वाल को आदर्श आवासीय विद्यालय के रूप में विकसित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में भवन विहीन प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की संख्या तथा भवन उपलब्धता हेतु नीति निर्धारण

11. श्री किशोर उपाध्याय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय भवन हीन हैं ?

क्या सरकार द्वारा भवन विहीन विद्यालयों को भवन उपलब्ध करवाने हेतु किसी नीति का निर्धारण किया गया है ?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

राज्य में 29 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 02 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 01 राजकीय हाईस्कूल एवं 03 राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज भवन विहीन हैं।

जी हाँ।

विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध होने पर भवन निर्माण की विभिन्न योजनाओं में धनराशि प्राविधानित है। विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध न होने पर वन भूमि के हस्तान्तरण तथा भूमि भवन क्रय हेतु जिला योजनान्तर्गत धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भवन विहीन इण्टर कॉलेजों की संख्या एवं भवन उपलब्ध कराने हेतु सरकारी नीति

12. श्री किशोर उपाध्याय–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के कितने इण्टर कॉलेज भवन विहीन हैं ?

इन कॉलेजों को पर्याप्त भवन/कक्षा–कक्ष उपलब्ध करवाने हेतु सरकार ने क्या कोई नीति बनाई है ? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

उत्तराखण्ड में मात्र तीन राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज भवन विहीन हैं।

भवन निर्माण हेतु योजनायें संचालित हैं।

उक्त विद्यालय भूमि की अनुपलब्धता के कारण भवन हीन हैं। विद्यालयों में भवन/कक्षा–कक्षों के निर्माण हेतु विभिन्न योजनायें संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी में स्वीकृत एवं कार्यरत् आंगनबाड़ी केन्द्रों की विकास खण्डवार संख्या तथा भवन निर्माण हेतु कार्य योजना, स्वीकृत धनराशि एवं कार्य प्रगति हेतु योजना

13. श्रीमती अमृता रावत–

क्या महिला सशक्तिकरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल के अन्तर्गत स्वीकृत एवं कार्यरत आंगनबाड़ी केन्द्रों की विकास खण्डवार संख्या क्या है तथा इनमें से किन–किन केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु धनराशि कब–कब स्वीकृत की गई है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि स्वीकृत धनराशि से आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण की कार्यप्रगति का केन्द्रवार विवरण क्या है एवं अवशेष आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु कोई कार्ययोजना तैयार की गई है ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

जी हाँ। जनपद पौढ़ी गढ़वाल के अन्तर्गत स्वीकृत एवं कार्यरत आंगनबाड़ी केन्द्रों की विकास खण्डवार संख्या संलग्नक–1† के अनुसार है। इनमें से जिन–जिन केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है, उसका विवरण संलग्नक–2† के अनुसार है।

जी हाँ, स्वीकृत धनराशि से आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण की कार्य प्रगति का केन्द्रवार विवरण संलग्नक–3† के अनुसार है। अवशेष आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण की कार्य योजना तैयार किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।†

---

† (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या–147–154 पर)

जनपद पौड़ी के वि0ख0 कोट के ग्राम–खाण्डा में आंगनबाड़ी के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि एवं उत्तरदायित्व

14. श्रीमती अमृता रावत–

क्या महिला सशक्तिकरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट की ग्राम सभा बहेडा के ग्राम खाण्डा में आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन निर्माण हेतु कब कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और अभी तक भवन निर्मित न होने के प्रति कौन उत्तरदायी है तथा कब तक इस आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए भवन निर्मित कर दिया जायेगा ?

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

जी हाँ, शासनादेश दिनांक 04–07–2005 द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों के कुल 200 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये ₹ 2.00 लाख प्रति भवन की दर से कुल धनराशि ₹ 400.00 लाख (रु0 चार करोड़ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जनपद पौड़ी के अन्तर्गत कुल 26 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत हुई थी। विकास खण्ड पावो की ग्राम सभा कोला व विकास खण्ड पौड़ी की ग्राम सभा पिसौली में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों के प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण, इनके स्थान पर क्रमशः विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत देल, गोदी व खाण्डा में आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माणाधीन हैं। आंगनबाड़ी केन्द्र ग्राम खाण्डा में भवन हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका। अतः इसके लिये कोई उत्तरदायी नहीं है। चूंकि अब आंगनबाड़ी भवन हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध हो गई है तथा निर्माण कार्य गतिमान है, जिसका निर्माण यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।

जनपद पौड़ी में सुगम एवं दुर्गम विद्यालयों में 5 वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत् प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रवक्ता/सहा0 अध्यापकों का विवरण

15. श्रीमती अमृता रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत ऐसे कौन–कौन से प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रवक्ता एवं सहा0 अध्यापक हैं, जो पाँच वर्ष से अधिक अवधि से सुगम विद्यालयों में कार्यरत हैं और ऐसे कौन–कौन से प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रवक्ता एवं सहा0 अध्यापक हैं, जो पाँच वर्ष से अधिक अवधि से दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत हैं ?

क्या सभी शिक्षकों को समान सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में सरकार की कोई योजना है ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

जनपद पौढ़ी गढ़वाल के अन्तर्गत वर्तमान में पाँच वर्षों से सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों/प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों की समेकित सूचना निम्नवत् है :–

विद्यालय	प्रधानाचार्य	प्रधानाध्यापक	प्रवक्ता	सहायक अध्यापक
सुगम	07	0	199	400
दुर्गम	11	01	261	653

जी हाँ, प्रस्तावित स्थानान्तरण नीति/नियमावली में प्राविधान किया जा रहा है।

जनपद पौड़ी के राज0 इन्टर कॉलेज, घोड़ियानाखाल में तैनात/नियुक्त शिक्षकों की संख्या तथा शिक्षक/प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों का विवरण

16. श्रीमती अमृता रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय इण्टर कॉलेज घोड़ियानाखाल, पौढ़ी गढ़वाल में शिक्षकों की तैनाती/नियुक्ति किए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 05.03.2008 के उत्तर में तत्कालीन शिक्षा मंत्री के पत्र दिनांक 07.03.2008 द्वारा त्वरित कार्यवाही हेतु निदेशक, विद्यालयी शिक्षा में भेजे जाने की जानकारी दी गई है ?

यदि हाँ, तो अब तक उक्त विद्यालय में किन–किन शिक्षकों की तैनाती/नियुक्ति की गई है और वर्तमान में विद्यालय में रिक्त शिक्षकों/प्रधानाचार्य का विवरण क्या है तथा कब तक रिक्त पदों पर शिक्षकों की तैनाती की जायेगी ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

जी हाँ।

राजकीय इण्टर कॉलेज घोड़ियानाखाल, पौढ़ी गढ़वाल में तत्कालीन मा0 शिक्षा मंत्री जी के पत्र दिनांक 07 मार्च, 2008 के क्रम में श्रीमती शशि उनियाल, स0अ0 विज्ञान तथा श्रीमती राजकुमारी, स0अ0 कला की तैनाती की गई है। वर्तमान में राजकीय इण्टर कॉलेज घोड़ियानाखाल, पौढ़ी गढ़वाल में प्रधानाचार्य तथा शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :–

प्रधानाचार्य	प्रवक्ता	सहायक अध्यापक
01	09	01

प्रवक्ता के सीधी भर्ती के रिक्त पदों (1401) की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 30 मई, 2009 को विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है तथा प्रवक्ता के पदोन्नति कोटे के 1689 रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही भी गतिमान है। उक्त प्रक्रिया सम्पन्न होने पर रिक्त पदों की पूर्ति की जायेगी।

जनपद पौड़ी के राज0 इन्टर कॉलेजों व हाईस्कूलों में विभिन्न विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति तथा छात्रों द्वारा चुने गए विषयों में असंगति, असंगति को दूर करने का प्रयास व नीति निर्धारण

17. श्रीमती अमृता रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में ऐसे कौन–कौन से राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टर कॉलेज हैं, जिनमें विषय अध्यापकों की नियुक्ति तो है किन्तु विषय पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं की संख्या शून्य है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद में ऐसे कौन–कौन से विद्यालय हैं, जिनमें विषय पढ़ने वाले छात्र तो उपलब्ध हैं किन्तु विषय अध्यापकों की नियुक्ति/तैनाती नहीं की गई है ?

यदि हाँ, तो इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं और क्या नीति निर्धारित की गयी है ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में ऐसे राजकीय हाईस्कूल/इण्टर कॉलेज, जहां अध्यापकों की नियुक्ति हुई है किन्तु विषय पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं की संख्या शून्य है, से सम्बन्धित विद्यालयों की सूचना निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	विषय
1.	रा0इ0का0 कल्जीखाल	गणित
2.	रा0इ0का0 बसन्तपुर	गणित
3.	रा0इ0का0 मसाणगांव	जीवविज्ञान
4.	रा0इ0का0 गुण्डनेश्वर	रसायन विज्ञान

जनपद पौड़ी गढ़वाल के ऐसे विद्यालय जिनमें विषय पढ़ने वाले छात्र तो उपलब्ध हैं किन्तु विषय अध्यापकों की नियुक्ति/तैनाती नहीं हुई है, की कक्षावार समेकित सूचना निम्नवत् है :–

कक्षायें	विद्यालय	रिक्त पद
कक्षा 11 एवं 12	139	554 प्रवक्ता
कक्षा 6 से 10	189	394 सहायक अध्यापक

प्रवक्ता के सीधी भर्ती के 1404 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 30 मई, 2009 को विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है, नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है एवं प्रवक्ता के पदोन्नति कोटे के रिक्त 1689 पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही भी गतिमान है तथा सहायक अध्यापक एल0टी0 के पदोन्नति के रिक्त पदों हेतु संगत नियमावली के प्राविधानानुसार राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा सेवा के अन्तर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक, प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय से सहायक अध्यापक एल0टी0 वेतनक्रम में 290 पदों हेतु दिनांक 24 फरवरी, 2010 को विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है। जिन विद्यालयों में छात्र नहीं हैं और विषय अध्यापक कार्यरत हैं, उन विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। रा0इ0का0 कल्जीखाल तथा बसन्तपुर में इण्टर विज्ञान वर्ग में क्रमशः 14 (जीव विज्ञान) तथा 07 (भौतिक विज्ञान) छात्र पंजीकृत हैं तथा रा0इ0का0 मरोड़ागांव व मुण्डनेश्वर में इण्टर विज्ञान वर्ग में कोई भी छात्र पंजीकृत नहीं है।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत वि0स0 क्षेत्र बीरोंखाल में विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता के पत्र में उल्लेखित प्रमुख बिन्दुओं पर कार्यवाही का विवरण

18. श्रीमती अमृता रावत--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल, पौढ़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित प्रमुख बिन्दुओं का विवरण प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 25 सितम्बर, 2008 के साथ सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, को कब प्राप्त हुआ है तथा विवरण में वर्णित बिन्दुओं पर अब तक की गई कार्यवाही का विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर कब उपलब्ध कराई गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट--

दिनांक 31.10.2008, को प्राप्त एवं की गयी कार्यवाही की सूचना बिन्दुवार संलग्न है।

सूचना बिन्दुवार संलग्न है। †

प्रश्न ही नहीं उठता।

† (देखिये नत्थी 'ख' पृष्ठ संख्या 155--182 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2008 में प्रथम शुक्रवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न–3 के क्रम में प्रवक्ता से हाईस्कूल स्तर का शिक्षण कार्य लिए जाने का औचित्य

19. श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2008 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 03 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रवक्ता से हाईस्कूल स्तर का शिक्षण कार्य लिए जाने का औचित्य क्या है तथा जनपद में प्रवक्ता (जीव विज्ञान) विहीन इण्टर कालेजों का विवरण क्या हैं ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

शिक्षा संहिता के अनुसार प्रवक्ता को साप्ताहिक कालांश में न्यूनतम 30 वादन पढ़ाने की व्यवस्था दी गयी हैं प्रवक्ता को आवंटित निर्धारित कालांश पूर्ण नहीं होते हैं तो विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु उन्हें कक्षा 6 से 10 तक कक्षाओं में सम्बन्धित विषय के कालांश आवंटित किये जा सकते हैं। जनपद पिथौरागढ़ में प्रवक्ता (जीव विज्ञान) विहीन 35 राजकीय इण्टर कॉलेज हैं, जिनकी सूची संलग्न है। †

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2009 के अतारांकित प्रश्न–17 के क्रम में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्रगति का विवरण

20. श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2009 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति/तैनाती करने/करवाने की दिशा में अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा गतिमान की अवधि क्या है ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

शासनादेश संख्या–1010/XXIV–2/09/12(22)/2009, दिनांक 26 दिसम्बर, 2009 के द्वारा 111 प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं की पदोन्नति प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्याओं के पदों पर की गयी है तथा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के आदेश संख्या/सेवायें–1/1140/2009–10, दिनांक 30 दिसम्बर, 2009 के द्वारा 124 प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापक एल0टी0 के शिक्षक/शिक्षिकाओं की पदोन्नति प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं

† (देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या 183–184 पर)

के रिक्त पदों पर की गयी है। शेष रिक्त पदों पर भी अग्रेत्तर कार्यवाही नियमानुसार गतिमान है।

जनपद पौड़ी के बीरोंखाल अन्तर्गत उच्चीकृत विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष–कक्षाओं के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि, कार्यवाही एवं प्रगति

21. श्रीमती अमृता रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत उच्चीकृत विद्यालयों के संचालन हेतु अतिरिक्त कक्षा–कक्षों के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के दिनांक 19 मार्च, 2008, दिनांक 04 जून, 2008 तथा दिनांक 15 जुलाई, 2009 के पत्र कब–कब प्राप्त हुए हैं तथा अतिरिक्त कक्ष–कक्षाओं के निर्माण हेतु वांछित धनराशि स्वीकृत करने/करवाने की दिशा में अब तक की गई कार्यवाही और हुई प्रगति का विवरण क्या है ?

कब तक उच्चीकृत विद्यालयों के संचालन हेतु अतिरिक्त कक्षा–कक्षों के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मा0 सदस्या, विधान सभा द्वारा उल्लिखित 15 जुलाई, 2009 का पत्र वास्तव में 25 जुलाई, 2009 का है। जिसकी प्रतिलिपि अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल को की गई थी, जो अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल के कार्यालय में दिनांक 22.08.2009 को प्राप्त हुआ। मा0 सदस्या का पत्र जो मा0 शिक्षा मंत्री जी के संदर्भ संख्या 1374 दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्राप्त हुआ, निदेशालय के पत्रांक 5ख 1/1035/जि0शि0अधि0 पत्राचार/2008–09, दिनांक 08 अप्रैल, 2009 द्वारा संदर्भित विद्यालयों के कक्षा–कक्षों के निर्माण का प्रस्ताव जिला योजना में किये जाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी को निर्देशित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी द्वारा अपने पत्रांक नियो0/11621–22/5ख1 भवन, दिनांक 11.10.2009 द्वारा प्रधानाचार्यों को आगणन उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार यथा समय।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत सकनीखेत स्थित रा0इ0 कॉलेज के क्षतिग्रस्त भवन का पुनर्निर्माण

22. श्री यशपाल बेनाम–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कल्जीखाल विकास खण्ड के सकनीखेत में स्थित रा0इ0 कॉलेज का भवन पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुका है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इसके पुनर्निर्माण हेतु धन स्वीकृत करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्यालय का पुराना भवन जीर्ण–शीर्ण तो है किन्तु पूर्णतः क्षतिग्रस्त नहीं है। कक्षाओं का संचालन नये बने 6 कक्षा–कक्षों में किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड में भवन युक्त एवं भवन विहीन राज0 इण्टर कॉलेजों की संख्या तथा वि0स0 क्षेत्र धनोल्टी अन्तर्गत विभिन्न राज0 इण्टर कॉलेजों के निर्माण हेतु स्वीकृति

23. श्री गणेश जोशी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में कुल कितने राजकीय इण्टर कॉलेज भवन युक्त हैं तथा कुल कितने राजकीय इण्टर कॉलेज बिना भवन के हैं ?

क्या शिक्षा मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि धनोल्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कॉलेज श्रीकोट, गढ़खेत, जाखधार और बंगियाल में अब तक भी बिना भवनों के कक्षायें संचालित की जा रही हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त राजकीय इण्टर कॉलेजों में भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

आज की तिथि तक उत्तराखण्ड में कुल 966 इण्टर कॉलेज स्थित हैं, जिनमें 963 राजकीय इण्टर कॉलेज भवनयुक्त और तीन राजकीय इण्टर कॉलेज भवन हीन हैं।

जी नहीं, धनोल्टी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कॉलेज श्रीकोट, गढ़खेत और बंगियाल अपने भवनों में संचालित हैं। जाखधार नाम का कोई भी विद्यालय जनपद टिहरी में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रताप सिंह पुष्पवाण, पूर्व सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्‌गार

मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक')–

श्रीमन्, बहुत दुःख के साथ इस सदन को अवगत कराना पड़ रहा है कि श्री प्रताप सिंह पुष्पवाण जी का निधन हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश में विधान सभा के सदस्य भी रहे हैं और जो उत्तराखण्ड के बहुत ही प्रखर वक्ता, बहुत ही समाजसेवी, बहुत ही समर्पित व्यक्तित्व के धनी थे, उनका 11 मार्च, 2010 को निधन हो गया। श्रीमन्, स्व0 प्रताप सिंह पुष्पवाण, जो चमोली जनपद में ग्राम किमाणा, तहसील ऊखीमठ जो कि वर्तमान में अब रुद्रप्रयाग जनपद में आ गया है, के निवासी थे। प्रारम्भिक शिक्षा यहीं से प्राप्त करने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा कानपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की। श्रीमन्, शुरू से ही वे बहुत सारे आंदोलनों से जुड़ गये थे। वे जयप्रकाश जी के आन्दोलन से जुड़े रहे, जनसंघ के कार्यकर्ता के नाते उन्होंने गाँव–गाँव, घर–घर का भ्रमण किया और सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने बहुत लम्बे समय तक जो सेवा की है, उत्तराखण्ड उसको कभी नहीं भुला सकेगा।

श्रीमन्, जब गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में आन्दोलन चल रहा था, तो उन चन्द दो–तीन लोगों में प्रताप सिंह पुष्पवाण जी भी थे, जिन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में तब तक संघर्ष किया, जब तक कि उस विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो गयी। श्रीमन्, गढ़वाल विश्वविद्यालय सहित बहुत सारे ऐसे आन्दोलनों से वे जुड़े रहे, जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए थे। उसके बाद जनसंघ के कार्यकर्ता के नाते वे लगातार काम करते रहे। बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रह कर उन्होंने जनसंघ के काम को आगे बढ़ाया और बाद में जब जनता पार्टी बनी, तो 1977 में वे श्री बद्रीकेदार विधान सभा सीट से चुनाव लड़े और उत्तर प्रदेश की विधान सभा में वे चुन कर गये। श्रीमन्, 1980 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश की गौरवशाली विधान सभा में बद्रीकेदार क्षेत्र से पूरे उत्तराखण्ड का यशस्वी प्रतिनिधित्व किया और उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भी, क्योंकि वे बहुत प्रखर वक्ता थे, उन्होंने एक नया इतिहास रचा था, बहुत सारे बिन्दुओं को उठाकर। श्रीमन्, वे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उतने ही आगे थे, जितने राजनीतिक क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र में भी उतना ही काम करते थे, जितना सामाजिक क्षेत्र में। इसलिए बहुत सारे स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से जनता के बीच उनके कामों में संलग्न रहते हुए अहर्निश काम करते थे। श्रीमन्, चन्द्र कुंवर बर्त्वाल जी, जो हिमवंत के

के कवि थे, उनके भी वे सखा रहे, उनके साथी रहे। इसलिए जब चन्द्र कुंवर बर्त्वाल जी की असमय मृत्यु हुई थी, तब चन्द्र कुंवर बर्त्वाल जी के नाम पर एक संस्थान की स्थापना करके, उनकी कविताओं और उनके लेखों को, उनके विचारों को, उन्होंने आगे बढ़ाने का लगातार काम किया।

श्रीमन्, जब जनता पार्टी से हटकर भारतीय जनता पार्टी बनी, तब भी वे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सक्रिय सदस्यों में रहे और उत्तराखण्ड के प्रमुख नेताओं में रहे। उत्तराखण्ड राज्य निर्माण की दिशा में भी उनका गाँव-गाँव, घर-घर पैदल भ्रमण रहा। मैं सोचता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण में प्रताप सिंह पुष्पवाण जी जैसे यशस्वी नेता जिन्होंने बहुत लम्बे समय तक गाँव-गाँव, घर-घर जाकर जनजागरण किया। बहुत बड़ी-बड़ी सभाओं को सम्बोधित किया। श्रीमन्, वे बहुत ही प्रखर और मेधाशक्ति के धनी थे। श्रीमन्, किसी भी बात को किस तरीके से जनता के अन्दर तक पहुँचाना है, इस बात के लिए सभी लोग उनका लोहा मानते थे। उत्तराखण्ड राज्य के आन्दोलन में जो उनकी भूमिका है, वह भी इतिहास में हमेशा-हमेशा जिन्दा रहेगी और उनकी यादें, उनका संघर्ष, उनके सामाजिक कार्य और उनके द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में किया गया महत्वपूर्ण योगदान, इन सबके लिए उत्तराखण्ड सदा उनका ऋणी रहेगा। मुझे मालूम है कि जब रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में भूकम्प आ गया था और भूस्खलन हो गया था और गाँव के गाँव बह गये थे, बहुत बड़ी क्षति हुई थी। तब मैंने देखा कि कितनी निकटता से लोग उनसे जुड़े हुए थे। गाँव-गाँव, घर-घर में जिस तरीके से हजारों हजार नवयुवकों को लेकर उन्होंने राहत के काम को किया, उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। इसलिए इस अवसर पर जबकि आज वे हमारे बीच नहीं हैं, मैं पूरे सदन की ओर से, अपने दल की ओर से और व्यक्तिगत रूप से भी, क्योंकि मैं बहुत लम्बे समय तक उनसे जुड़ा रहा, इसलिए मैं उनके निधन को उत्तराखण्ड की अपूर्णीय क्षति मानते हुए, उनके परिवार को आपके माध्यम से शोक संवेदना प्रेषित करता हूँ।

*नेता प्रतिपक्ष (डा० हरक सिंह रावत)-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे इस सदन के सम्मुख माननीय प्रताप सिंह पुष्पवाण जी की मृत्यु के फलस्वरूप शोक संवेदना व्यक्त करने में हृदय से दुःख की अनुभूति हो रही है। जिस प्रकार से माननीय नेता सदन ने श्री प्रताप सिंह पुष्पवाण जी के जीवन, उनके संघर्ष, उनके विचार, उनके व्यवहार पर अपने विचार व्यक्त किये, मैं उनसे सहमत हूँ और मैं अपने आप को उससे सम्बद्ध करता हूँ तथा मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय का छात्र था, तो मैंने पहली बार पुष्पवाण जी का श्रीनगर के गोला बाजार में भाषण सुना था। वह दिन है और आज का दिन है, मैंने हमेशा उनको अपने बड़े भाई जैसा महसूस किया है। विगत 14 फरवरी को मैं रुद्रप्रयाग के रुद्रा टूरिस्ट बंगले में था और प्रताप सिंह पुष्पवाण जी भी वहां पर उपस्थित थे, जब मैं चमोली के दौरे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से वापस आ रहा था। मेरे मुंह से अनायास जो शब्द वहां पर निकले थे, मुझे यह नहीं मालूम था कि अन्तिम बार मैं यह शब्द उनके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। मैंने उनसे कहा था कि पुष्पवाण जी, मैंने आपको 35 साल पहले देखा था और जैसा 35 साल पहले देखा था, आज भी वहीं तेजी, हँसने का वही स्टाइल, माथे पर वही तेज, वही सब कुछ। मैंने उनसे कहा कि पुष्पवाण जी मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं 35 साल बाद आपको देख रहा हूँ। जैसा मैंने आपको 35 साल पहले देखा था, उसी रूप में आप आज भी हो। मैंने कहा कि यह आपकी कर्मठता है, यह आपका जीवन के प्रति संयम है, समाज के प्रति आपका जो समर्पण है, वह केवल विचारों में ही नहीं है। बल्कि उसका असर आपके शरीर पर भी पड़ा है, कि आज इतनी उम्र में भी 35 साल पुरानी जैसी फुर्ती ही आप में दिखाई दे रही है।

जब उनकी मृत्यु हुई तो मैं न्यूज देख रहा था, उसमें हैडलाइन्स आ रही थी कि "प्रताप सिंह पुष्पवाण, विधायक नहीं रहे हैं।" तो मैंने सोचा कि शायद किसी बयान के कारण उनका नाम आ रहा होगा। क्योंकि मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि जिस व्यक्ति को मैंने 10–15 दिन पहले यह शब्द कहें हों कि आप 35 साल पहले भी वैसे ही थे और आज भी वैसे ही हैं। उस व्यक्ति के लिये मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। मैं उस समाचार को देखने के लिये बैठा रहा कि दोबारा यह लाईन डिस्प्ले होगी, तो मैं कन्फर्म होऊंगा कि उन्होंने किस सम्बन्ध में बयान दिया है। जब यह हैडलाईन डिस्प्ले हुई कि पूर्व विधायक श्री प्रताप सिंह पुष्पवाण जी का निधन हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोचता हूँ कि मेरे दुःख की कोई सीमा नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह माननीय निशंक जी ने कहा कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के आंदोलन में मैंने उनकी सक्रियता देखी है और उस समय गढ़वाल विश्वविद्यालय का आन्दोलन नहीं था, ये उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय का आन्दोलन था भले ही उसके बाद कुमाऊँ विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय बना हो। लेकिन माननीय पुष्पवाण जी, हमारे कृष्णा नन्द मैठाणी, कुन्ज बिहारी नेगी, ये चन्द लोग थे, जो उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के सूत्रधार थे और उस समय ऐसा लगता था, आज तो बहुत सारे विश्वविद्यालय हो गये, उस समय विश्वविद्यालय ऐसा लगाता था कि अगर उत्तराखण्ड को एक विश्वविद्यालय मिल गया तो कोई बहुत बड़ा उत्तराखण्ड का भला पहाड़ी जिलों का हो जायेगा। ऐसे विश्वविद्यालय के सूत्रधार पुष्पवाण जी ने, मैंने बहुत लम्बे समय तक जैसे निशंक जी ने और बहुत सारे लोगों ने माननीय केदार सिंह फोनिया जी बैठे हैं, बहुत लम्बे समय तक हमने साथ–साथ काम किया, उनके साथ कई रातों हम साथ–साथ रहते थे, पैदल यात्राएं साथ–साथ करते थे। एक दिन जब मैं 91 में मंत्री था, मैं ऊखीमठ से चला और गोपेश्वर तक दुगलबिट्टा होते हुए तो पुष्पवाण जी मेरी गाड़ी में मेरे साथ थे। कब गोपेश्वर आ गया पता ही नहीं चला, उनके किस्से, कहानी उनके चुटकुले ऐसा लगा, उधर उस समय तो सड़क भी बहुत खराब थी, लेकिन

उनके बातचीत करने से ऐसा लगा ही नहीं कि हम गोपेश्वर पहुँच गये, इतने उबड़–खाबड़ रास्ते से गोपेश्वर पहुँच गये।

जब कभी उनके साथ यात्रा करने का अवसर मिलता था, कितनी ही चढ़ाई क्यों न हो, अगर पुष्पवाण जी साथ हैं तो कब हम गांव में पहुँच गये पता ही नहीं चलता था। ऐसा व्यक्तित्व था, जब भाषण देते थे माननीय अध्यक्ष जी, तो ऋषि वल्लभ सुन्दरियाल जी का नाम उत्तराखण्ड के इतिहास में एक प्रखर वक्ता के रूप में सब लोग लेते हैं, लेकिन ऋषि वल्लभ सुन्दरियाल जी के मुकाबले, उनसे कम प्रखर वक्ता प्रताप सिंह पुष्पवाण जी नहीं थे। क्या ओज था उनकी वाणी में। उनकी वाणी में, उनके विचारों में वो क्षमता थी कि पानी में भी आग लगाने की क्षमता थी। इतना धारा प्रवाह, साहित्यिक तार्किक रूप में वो हमेशा अपने विचारों को व्यक्त करते थे और मैं हमेशा उनके व्यक्तित्व के कारण उनका कायल रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जब उनके पुत्र की दुर्घटना हुई थी,एक ही उनका पुत्र था और पिछले वर्ष वो एक दुर्घटना में अपने घर, त्रिगुणा के पास उनका घर था, जहां उन्होंने छोटा सा उद्योग लगाया था, रात को जाते हुए एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गयी। मैं उस समय उनके घर पर गया था और उनकी पत्नी इतनी टूटी हुई थीं, मैं तीन दिन बाद गया था, तीन दिन बाद भी पुष्पवाण जी की पत्नी होश में नहीं थीं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैंने उस व्यक्ति को देखा है, जवान पुत्र जिस व्यक्ति ने खो दिया हो, हमारे आँखों में आँसू थे, लेकिन वह व्यक्ति, ऐसा लगता था कि उसने अपने दुःख को, अपने गम को अपने हृदय में समा लिया हो। मुझे उस दिन से लगा था, मैं जब भी रुद्रप्रयाग और चमोली के दौरे पर जाता था, हमेशा पुष्पवाण जी से मिलने की कोशिश करता था, विशेषकर इस दुर्घटना के बाद से, पुष्पवाण जी ठीक हैं या नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उनका उत्तराखण्ड के आन्दोलन में भी बहुत बड़ा योगदान रहा। 1991 में मेरे सहयोग से वह गढ़वाल विश्वविद्यालय के कार्य परिषद् के मैम्बर भी रहे और गढ़वाल विश्वविद्यालय के निर्माण में भी उन्होंने भूमिका निभाई, उसके एकेडमिक स्तर को ऊँचा उठाने में भी उन्होंने भूमिका निभाई। जैसा नेता सदन ने कहा कि उत्तराखण्ड के आन्दोलन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। माननीय अध्यक्ष जी, वह बहुत लम्बे समय से काँग्रेस की राजनीति में थे, यह काँग्रेस की और पूरे उत्तराखण्ड समाज की क्षति है। वहीं काँग्रेस परिवार ने अपने एक ओजस्वी नेता को, प्रखर वक्ता को और मैं कहूँ कि वह हमारे गार्जियन थे, बड़े भाई थे, पिता तुल्य थे, हमने उन्हें खो दिया है इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से किस के पास कहूँ, क्योंकि पत्नी भी पहले ही पुत्र मोह में टूट गई हैं, पुत्र शोक के कारण टूट गई हैं, पुत्र है नहीं, लेकिन फिर भी मेरी भावनायें मेरे दल की भावनायें इस सदन की भावनायें, जो दुःख पूरे प्रदेश की जनता को और सदन को आज उनके हमारे बीच न होने के कारण है, मेरा आपसे आग्रह है विनम्र शब्दों में हमारे इस दुःख की घड़ी में, हमारी पीड़ा को, हमारे दुःख को, कि हम सब सहभागी हैं उनके परिवार

के इस दु:ख के साथ, मैं आपके माध्यम से उस परिवार तक शोक संवेदना भेजने के लिए निवेदन करता हूं।

*श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने आपको माननीय नेता सदन और माननीय नेता प्रतिपक्ष के साथ सम्बद्ध करते हुए स्व0 प्रताप सिंह पुष्पवाण का जन्म वर्ष, 1933 में हुआ था। श्री पुष्पवाण की प्रारम्भिक शिक्षा आधारित विद्यालय विद्यापीठ में हुई। उच्च शिक्षा हेतु उन्होंने कानपुर, उत्तर प्रदेश में रहकर भूगोल विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। श्री पुष्पवाण कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू सामाजिक कार्यकर्ता थे। श्री पुष्पवाण प्रारम्भ से ही समाज सेवा के प्रति समर्पित रहे। वे सर्वप्रथम 1977 के समान्य निर्वाचन में जनता पार्टी के टिकट पर जनपद चमोली के बद्रीकेदार विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए तथा दिनांक 17 फरवरी, 1980 को विधान सभा भंग होने तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उन्होंनें विकास के अनेक विषयों पर अपने क्षेत्र की आवाज विधायिका तथा कार्य पालिका तक पहुँचाई। श्री पुष्पवाण ने गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना तथा राज्य आन्दोलन हेतु संघर्ष में सक्रिय योगदान किया। श्री पुष्पवाण ग्राम किमाणा, तहसील ऊखीमठ, जनपद रुद्रप्रयाग में निवास कर रहे थे। दिनांक 11 मार्च, 2010 को श्री पुष्पवाण का निधन हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से संवेदना प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

राजस्व मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय पुष्पवाण जी के निधन के विषय पर मैं माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष और शहजाद जी के साथ अपने आपको जोड़ते हुए, मैं उन तमाम बातों को भी इसमें सम्मिलित करना चाह रहा हूँ, जो उनके जीवन की मैं समझता हूं कि एक इतिहास के रूप में आज सभी के संज्ञान में होंगी और होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय पुष्पवाण जी एक निर्भीक राजनीतिज्ञ तो थे ही, एक प्रखर आंदोलनकारी के रूप में 1970 के दशक में पूरे पहाड़ के अन्दर अपनी कार्यप्रणाली और विचारक के रूप में जाने जाते थे। 1973 का वह समय था, मैं सदन का ध्यान इसलिए वहाँ तक ले जाना चाह रहा हूँ, जहाँ पर माननीय पुष्पवाण जी ने उन तमाम परम्पराओं को, जो उस समय हमारे यहाँ गढ़वाल और कुमाऊँ से सम्बन्धित बहुत ज्यादा बातें हुआ करती थीं, उनको जिस रूप में उस समय क्षेत्र में देखा जाता था, तब यह राज्य नहीं था। वर्तमान राज्य का जो स्वरूप था, उसके पूर्व में मैं सदन का ध्यान इसलिए ले जाना चाह रहा हूँ कि 1971 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के रूप में एक विश्वविद्यालय की घोषणा की गई और यह विश्वविद्यालय उस समय कहाँ खुले इसको लेकर के पूरे राज्य में पूरे क्षेत्र में गढ़वाल और कुमाऊँ के रूप में एक बहुत व्यापकता तत्कालीन नेताओं द्वारा स्थापित की गई। गढ़वाल में यह फैलाया गया कि गढ़वाल में खोला जाए

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्योंकि वहाँ पन्त नगर विश्वविद्यालय है। कुमाऊँ में फैलाया गया कि इसे अल्मोड़ा में खोला जाए। इस तरह की बहुत सारी बातें उस समय में आपस में बाँटने वाली की गई।

तब पुष्पवाण जी और हम तमाम लोग, मुझे सौभाग्य इस बात का है कि मैं उनके साथ बहुत बचपन से जुड़ा हुआ था। विश्वविद्यालय का यह मूवमैन्ट जिस समय प्रारम्भ हुआ उससे पहले उत्तराखण्ड राज्य परिषद् के नाम से पूरे उत्तराखण्ड के अन्दर राज्य आन्दोलन के लिए एक संगठन की स्थापना हुई थी और तत्कालीन समय में डी0डी0 सेमवाल के नेतृत्व में स्थापना हुई। उधर वह आन्दोलन चल रहा था, इधर विश्वविद्यालय का आन्दोलन शुरू हुआ और इस विश्वविद्यालय के आन्दोलन में जब बहुत बड़ी लकीरें, तलवारें और खाइयाँ इस तरह की खिंच गई कि कुमाऊँ में खुले या गढ़वाल में खुले। मैं इसलिए उनको याद कर रहा हूँ कि पुष्पवाण जी ने इस बात को रखा यह पहला वाकया उनका था, पहली जानकारी उन्होंने दी, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो तीन विश्वविद्यालयों की घोषणा हुई। एक लखनऊ से 40 कि0मी0 दूर फैजाबाद में यह घोषणा उस समय की। वह विश्वविद्यालय भी उस समय खुला था तो उन्होंने कहा था कि लखनऊ से जब इतनी दूरी पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो सकती है तो गढ़वाल और कुमाऊँ में दो अलग-अलग विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनाये जा सकते हैं और इस बात को जैसे ही उनके द्वारा यह बात जानकारी में लाई गई तो मान्यवर, गढ़वाल और कुमाऊँ की जो खाई बढ़ने वाली थी वह रूक गयी और दोनों जगह अलग-अलग विश्वविद्यालय की मांग हुई।

मैं यह बात इसलिए ला रहा हूँ कि अगर यह प्रस्ताव उनके द्वारा नहीं लाया जाता तो जो स्थितियां पैदा होती, मैं माननीय सदन के सामने नहीं कहना चाहता हूँ और जब अलग-अलग विश्वविद्यालयों की बात हो गयी। मान्यवर, मैं उन बातों की ओर ले जाना चाहता हूँ, बहुत कम लोग इस तरह की बातें कहते हैं और जिस प्रकार से उनकी दूर दृष्टि और सोच थी। जब गढ़वाल में विश्वविद्यालय खोलने में राजनैतिक तौर से कठिनाई दिखने लगी, तब एक संघर्ष समिति बनायी गई। उस संघर्ष समिति का नेतृत्व डा0 स्वामी मनमंथन और हम तमाम लोग थे। उसमें भी जो स्लोगन उनके द्वारा उजागर किया गया और कहा था, 'यदि न खुलें शिक्षा के द्वार, बन्द रहेंगे बद्री-केदार' यह भी विश्वविद्यालय आन्दोलन का एक प्रतिकारक स्वरूप था और इसने बहुत बड़ा काम किया और यह तय किया गया कि यदि वर्ष, 1973 को विश्वविद्यालय की घोषणा नहीं हुई, हम बद्रीनाथ के पट बन्द करेंगे। हम सभी लोगों ने बद्रीनाथ को बन्द नहीं किया, इसलिए बद्रीनाथ तो बन्द नहीं हुआ, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री को हमसे बात करनी पड़ी कि 15 दिन के अन्दर हम विश्वविद्यालय की घोषणा कर देंगे। मान्यवर पुष्पवाण जी जिस बात को कहते थे उस पर अमल करने की किस तरह सोच थी, उस पर दृढ़ हो जाते थे। मान्यवर, राज्य

आन्दोलन में भी, वर्ष 1977 में जब राज्य परिषद् के नेतृत्व में आन्दोलन चल रहा था, आन्दोलन की बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही जाती हैं और मन में तो हँसी भी आती है. श्री शहजाद भी बोले जाते हैं कि आन्दोलनकारी हैं और बहुत साथी बोल जाते हैं कि आन्दोलनकारी हैं। मैं इतना ही जानता हूँ कि इस आन्दोलन में जिन लोगों ने बहुत कुछ खोया, वह आज भी पर्दे के पीछे हैं, उन लोगों को कोई जानता भी नहीं। मान्यवर, पुष्पवाण जी ऐसे व्यक्ति थे और एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने अपने आप को प्रदर्शित नहीं किया और अपने को आगे दिखाने की कोशिश नहीं करी।

मान्यवर, पहली रैली उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन की दिल्ली में हुई, वर्ष 1978 में माननीय त्रिपेन सिंह नेगी जी तत्कालीन सांसद, टिहरी गढ़वाल के नेतृत्व में हुई। उस रैली में जिस प्रकार से राजनैतिक द्वेष भावनायें, राजनैतिक स्पर्द्धायें देखने को मिलीं, उस दिन उन्होंने कहा था कि अगर यही हालत रही तो राज्य की प्राप्ति नहीं कर पायेंगे। उन्होंने कहा, भाई दिवाकर, हम तो कर नहीं सकते हैं और पार्टी से बंधे हैं, तुम इसके लिए कोई रास्ता अपनाओ और उन्हीं की प्रेरणा को लेकर हमने उत्तराखण्ड क्रान्ति दल को बनाया था और इस दल का केवल यही मकसद था कि हम राज्य बनायेंगे। गलती यह थी कि अगर हमने यह भी शामिल किया होता कि हम राज्य को चलायेंगे तो आज इन जगह पर अधिकांश वो लोग बैठे होते। चलिये यह राजनैतिक बातें हैं, मैं इस गम्भीर विषय को हास्यास्पद की ओर नहीं ले जाना चाहता हूँ। मान्यवर, पुष्पवाण जी का व्यक्तित्व कई मायने में अलग था और उनके आकस्मिक निधन पर जैसे ही मुझे इस बात की जानकारी मिली तो बहुत ज्यादा दुःख हुआ है। लम्बे समय तक उनके साथ रहा। मान्यवर, बहुत सारे आन्दोलनों में हम एक साथ चले हैं और मैंने अपने को कठिन राहों में ले जाने का प्रयास किया है। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इतना बड़ा सदमा किसी व्यक्ति को नहीं हो सकता है, जितना सदमा उन्हें अपने पुत्र के बिछुड़ने पर हुआ। बहुत काबिल लड़का था, बहुत सुन्दर लड़का था।

उन्होंने रुद्रप्रयाग से थोड़ा आगे पर अपना रैन बसेरा रहने का बनाया था। वहाँ पर वो रह रहे थे, एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे थे, नदी के किनारे। उनके लड़के के उस समय बिछुड़ने का गम उनको हुआ। उनके चेहरे से कभी नहीं लगता था कि उनको दुःख है। लेकिन जो पीड़ा उनकी आँखें से झलकती थी, निश्चित रूप से वह बड़ी दर्दनीय थी। मुझे उनसे बात करने में भी बड़ा दर्द लगता था। जबकि मैं कभी रोने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कभी किसी चीज पर गम्भीर होने वाल व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जब भी प्रताप सिंह जी अगर सामने पड़ जाते, उस घटना के बाद तो निश्चित रूप से हमारी आँखों में भी आँसू आते थे। जिस व्यक्ति ने जिन्दगी हमेशा दूसरों के लिए न्यौछावर की हो उसको इस उम्र में परमात्मा का क्या यह फल मिला, उसको पुत्र वियोग झेलना पड़ा। आज जब वे हमारे बीच से गये तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी क्षति हुई इस प्रदेश

की। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे सदन के माध्यम से, अपने साथियों की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उस पुण्य आत्मा को, हम परमात्मा से सब लोग मिल करके यह प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले। उनके जो आश्रित हैं उनको इस दुःख की घड़ी को झेलने की शक्ति मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ।

*श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, नेता बसपा, नेता यू0के0डी0 के विचारों से अपने को सम्बद्ध करते हुए मान्यवर, यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हम जब बहुत छोटे थे जैसे कि भट्ट जी ने बताया और स्वामी मनमथन भी वहीं रहते थे जहाँ मेरा गाँव है, जब हम 13–14 साल के थे, जो विश्वविद्यालय आन्दोलन था, इतनी ज्यादा कोई हमारी समझ नहीं थी, लेकिन जब हम पुष्पवाण जी को देखते थे तो एक दैदिप्यमान चेहरा और हम सोचते थे कि भविष्य में हमको इनकी तरह बनना चाहिए और बाद में 78 का जो आपने जिक्र किया। मेरे पैर में चोट लगी हुई थी, जब त्रिपेन सिंह नेगी जी ने अलग राज्य के लिए रैली बुलाई थी, उसमें भी केदार सिंह जी, अभी कह रहे थे हम सब लोग साथ थे, उनके जो विचार थे, उनको सुनकर एक प्रेरणा मिलती थी और जब अभी उत्तराखण्ड आन्दोलन की बात हुई, रामपुर तिराहे पर मुजफ्फरनगर में जो घटना हुई और जब हम लोग दिल्ली में मिले और जब उन्होंने कहा कि पूरा उत्तराखण्ड आज जल रहा है, पहली बार कर्फ्यू लगा है उत्तराखण्ड में और कायरों की तरह बैठ करके हम यहाँ क्या कर रहे हैं, चलो उत्तराखण्ड की तरफ चलो। उनसे प्रेरणा ले करके सतपाल जी महाराज और हम सब उत्तराखण्ड की तरफ आये तो उनके विचारों में प्रेरणा के साथ–साथ आदेश भी होता था। लेकिन क्या मान्यवर, इसी से हमारी इतिश्री हो जाती है कि हम यहाँ पर एक घण्टे, डेढ़ घण्टे चर्चा करें। क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं बनता है कि जिस व्यक्ति ने, समाजसेवी ने, समाज को दिशा देने वाले ने अपना पुत्र खोया हो, जिस माँ ने अपना बेटा खोया हो, आज उसकी क्या स्थिति है। मैं भलीभांति जानता हूँ, आज उनकी पत्नी की आर्थिक स्थिति क्या है, कितने दिन वे रहेंगी। एक यहाँ से मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से निश्चित रूप से, संवेदनाओं के साथ–साथ, सदन के साथ–साथ, जितने वर्ष भी भविष्य में वे रहें, कम से कम उनको कोई आर्थिक कठिनाई न आये और आर्थिक संकट न झेलना पड़े, अगर उसके लिए मान्यवर, पूरे सदन से भी एक परिपाटी यह बनेगी, जो सदस्य हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता मान्यवर, कि हम 5–10 हजार अपने सेवा भाव से करें, जैसे हम देवता की पूजा करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम् के हिसाब से उनके चरणों में अर्पित करने का काम करते हैं। इसलिए मेरा विचार है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, इस सदन को कम से कम संवेदनाओं के साथ–साथ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

10 लाख रुपये का चेक श्रीमती पुष्पवाण जी को भेजना चाहिए, जिससे वे आर्थिक संकट से बची रहें। अगर इस सदन के सभी सदस्य सहमत हों तो कम से कम एक-एक माननीय सदस्य अपनी तन्ख्वाह से 10-10 हजार रुपया तो दे सकते हैं। मान्यवर, मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि वे हमारे बड़े भाई की तरह हैं। किसको संवेदनायें दें, संवेदनायें सुनने के लिए कौन है उनके परिवार में, लेकिन जो भी हैं उनका जीवन कुछ साल तक ठीक ढंग से गुजर-बसर हो जाए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आभार व्यक्त करता हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय जी ने उनके परिवार के लिए कहा।

श्री अध्यक्ष-

वह अलग विषय है, इसमें संवेदना का विषय है और आपकी बात आ गई है।

डा0 हरक सिंह रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, इस अवसर पर मैं अपने दल की ओर से जो 20 माननीय सदस्य हैं उनकी ओर से 5-5 हजार रुपया आपके माध्यम से उस परिवार तक भिजवाना चाहता हूँ।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय प्रताप सिंह पुष्पवाण जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके प्रति माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बसपा, माननीय नेता यू0के0डी0 ने अपने विचार रखे, मैं उनसे अपने आपको सम्बद्ध करते हुये, चूँकि श्री प्रताप सिंह पुष्पवाण संघ और जनसंघ के हमारे नेता रहे हैं और मेरा उनसे निकट का रिश्ता रहा है। संयोग से हम लोग भी संघ, जनसंघ और भजपा मे सहयोगी रहे हैं। मैं उनको तब से जानता हूँ जब वे विधायक बने थे और मैं तब बहुत छोटा था लेकिन संयोग से जब वे डोईवाला आते थे तो हमारे घर पर उनका आना-जाना था। जिस प्रकार से ईमानदार, कर्मठ और अभी माननीय नेता यू0के0डी0 ने कहा कि बहुत निर्भीक प्रवृत्ति के थे, वास्तव में उन्होंने अपना जीवन बहुत सादगीपूर्ण जिया और जैसा मैं जानता हूँ कि जनसंघ में हमारे उत्तराखण्ड के गिने-चुने लोग होते थे, चाहे श्री देवेन्द्र शास्त्री जी की बात मैं कहूँ, जो आज हमारे बीच में अपने अन्तिम पड़ाव की ओर हैं, मैं तो उनके प्रति भी दीर्घायु होने की प्रार्थना करता हूँ और निश्चित रूप से 75 वर्षीय श्री प्रताप सिंह पुष्पवाण जी थे, जिनके सहयोगी श्री प्रेमलाल वैद्य जी, श्री शोभन सिंह जीना जी इस प्रकार के नेता ने हमारे जनसंघ को आगे

बढ़ाने का काम किया जो अब भारतीय जनता पार्टी के रूप में अनेकों प्रदेशों और देश के अन्दर आज विद्यमान हैं, सरकार के रूप में। मैं उनको वास्तव में तब से जानता हूँ, जब एक बार देहरादून में परेड ग्राउण्ड में एक बहुत बड़ी रैली थी और उस समय मैंने उनका भाषण भी सुना था, बहुत ओजस्वी वक्ता के रूप में उनको हम लोग जानते हैं और पता चला कि उनका निधन हुआ। निश्चित रूप से हम सब बहुत दुःखी हैं, मैं अपनी ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनको श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल उनकी धर्मपत्नी को असीम दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद।

श्रीमती आशा–

माननीय अध्यक्ष जी माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता बसपा, माननीय नेता यू०के०डी०, माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय जी, सम्मानित सदस्य श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल जी से अपने आप को सम्बद्ध करते हुये मुझे आज बड़ा कष्ट और दुःख हो रहा है इस बात को व्यक्त करते हुये कि उस क्षेत्र के यशस्वी, तेज, प्रखर, विद्वान, जिन्होंने केदानाथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा की, आज उस क्षेत्र के लिए केदारनाथ विधान सभा सहित मैं समझती हूँ कि पूरे उत्तराखण्ड को उनके निधन से अपूर्णनीय क्षति हुई है। मान्यवर, उन्होंने इस राज्य के साथ–साथ अपने उस पर्वतीय क्षेत्र जोकि भौगोलिक दृष्टिकोण से भी वहां पर बहुत सारी कठिनाईयां हुआ करती थी, उन कठिनाईयों में भी एक विद्यालय में जो कि सड़क से लगभग 4–5 किलोमीटर पैदल क्षेत्र गणेश नगर में था और जनता के सहयोग से वह विद्यालय चलता था, वहां पर आपने शिक्षक के रूप में भी उस क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में अपना योगदान प्रदान किया। इसके अलावा केदारनाथ क्षेत्र का जो बहुत बड़ा एक विद्यापीठ स्थान है, जिसका अभी हमारे नेता बसपा ने भी अपने भाषण में उल्लेख किया। इस स्थान के विकास के लिए भी प्रयासरत रहने के साथ–साथ उस स्थान को हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर किया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने हमेशा प्रयास किया। इसके साथ–साथ वे उत्तराखण्ड आन्दोलन से लेकर, क्षेत्र हित में विभिन्न प्रकार के आन्दोलनों में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मान्यवर, मैंने उन्हें हमेशा अपने मार्गदर्शक के रूप में, क्षेत्र की सेवा करने के लिए, जब भी मुझे उनकी जरूरत पड़ती थी और जब भी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती थी, उन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है।

आज उनके निधन पर मैं इस सदन के माध्यम से, उनके परिवार में उनकी पत्नी है, दो बेटियां हैं, जिनमें से एक की शादी हो चुकी है और एक बेटी अविवाहित है और वह अपनी माँ के साथ ही रहती है। मैं भी आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उस परिवार को इस संकट की घड़ी से उबारने का

प्रयास करें। मान्यवर, उनके परिवार के साथ एक साल पहले बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हुई, उनके पुत्र की अचानक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गयी थी। इस घटना से भी वे बहुत आहत हुए, लेकिन कभी भी उनकी आँखें में आँसू नहीं दिखे। केवल मन के अन्दर उन्होंने उस दुःख को समाया। मान्यवर, मैं आज इस दुःख की घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगी कि उस परिवार को इस संकट में जैसे कि माननीय किशोर उपाध्याय जी ने भी कहा है। मैं भी आग्रह करना चाहती हूँ कि ऐसी घड़ी में हम उनका सहयोग करेंगे और इस सदन के माध्यम से आपसे आग्रह करती हूँ कि उस परिवार को शोक संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें और दुःख की इस घड़ी को झेलने की शक्ति ईश्वर उन्हें दे।

*श्री केदार सिंह फोनिया–

श्रीमन्, मैं अपनी आत्मा की आवाज को दबा नहीं सकता। बोलने में मैं हमेशा पीछे रहता हूँ, लेकिन कुछ धड़कन ऐसी थी कि मैं आवश्य बोलूं। मान्यवर, स्व0 प्रताप सिंह पुष्पवाण एक नक्षत्र की तरह आये और नक्षत्र रोशनी देकर खुद छिप जाता है, वही कहानी स्व0 प्रताप सिंह पुष्पवाण की है। श्रीमन्, मेरी राजनीतिक जिन्दगी बहुत कुछ इसी व्यक्ति से प्रभावित रही है। मैं तो दिल्ली में नौकरी कर रहा था, नौकरी से रिटायर्ड भी हो गया। जैसा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बद्री–केदार क्षेत्र के वे लोकप्रिय विधायक थे। मान्यवर, 1991 का चुनाव आया न जाने किन कारणों से स्व0 प्रताप सिंह पुष्पवाण को टिकट नहीं दिया गया, वे दिल्ली आये और मुझसे कहा "भाई साहब मुझे टिकट नहीं मिल रहा है, आपका का क्या ख्याल है।" मान्यवर, मैंने उनसे कहा मुझे लोक सभा का ऑफर आ चुका है। मान्यवर, मैंने अपने भाई भुवन चन्द्र खण्डूड़ी से निवेदन किया कि लोक सभा के टिकट का ऑफर आ गया है। मैं चुनाव लड़ने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। कृपया स्वीकार करें। मैंने प्रताप से यही कहा, चुनाव लड़ना मेरे बस की बात नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा। मान्यवर, मैं दिल्ली से जोशीमठ गया, जोशीमठ में कुछ अपने निजी कार्यों में व्यस्त रहा। अचानक एक दिन अखबार में छप कर आ गया कि फोनिया जी को विधान सभा का टिकट मिल गया। कौन सा टिकट ? बद्रीकेदार विधान सभा का टिकट। बद्रीकेदार विधान सभा क्षेत्र के टिकट के हकदार प्रताप सिंह पुष्पवाण थे। मेरे मन में पीड़ा थी, मैंने कहा, प्रताप मैं तुम्हारा टिकट छीन कर चुनाव नहीं लड़ूँगा। हम दोनों गोपेश्वर में एक ही गेस्ट हाऊस में रहे। नामांकन पत्र दाखिल करने का जो आखिरी दिन था, तब तक मैंने नामांकन नहीं किया। मैंने कहा मैं बात करूंगा। मैंने डा0 जोशी से बात की। मैं तो उस समय ज्यादा लोगों को जानता भी नहीं था। जहाँ भी बात हो सकती थी, मैंने बात की। लेकिन उन्होंने कहा कि अज्ञात कारणों से हम लोग प्रताप सिंह को टिकट नहीं दे सकते। मुझे बहुत बुरा लगा। प्रताप मेरे पास आया और कहने लगा, भाई

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साहब अगर मुझे टिकट नहीं मिला और आपको टिकट मिल गया तो मैं यही समझूँगा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। प्रताप की यह दरियादिली, विशाल हृदय, इस प्रकार की कार्यशैली, इस प्रकार की सोच मुझे डगमगा गयी। मैंने कहा, प्रताप, अगर यह कहते हो तो मैं नामांकन करता हूँ और मैंने नामांकन किया। 29 अप्रैल, 1991 को गोपेश्वर में माननीय खण्डूड़ी जी, मैं और प्रताप सिंह पुष्पवाण एक ही स्टेज में खड़े हुए। हम दोनों ने वहाँ पर प्रताप सिंह पुष्पवाण के मार्ग दर्शन से अपने राजनीतिक जीवन का सफर शुरू किया।

प्रताप मेरे मार्ग दर्शक थे। उनका निधन पूरे उत्तराखण्ड के लिए क्षति है और मेरे लिए और खण्डूड़ी जी के लिए तो यह महान क्षति है। मैं उनके निधन पर बहुत दुःखी हूँ। माननीय किशोर उपाध्याय जी, हमारे मित्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि अगर जिन्दगी में हमने लेना सीखा है तो हमें कुछ देना भी सीखना चाहिए। प्रताप से हमने बहुत कुछ लिया है। इस पूरे सदन को प्रताप से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं। हमें इस सदन में यह भी निर्णय ले लेना चाहिए कि हम इस सदन के माध्यम से प्रताप के परिवार में उनकी जो पत्नी और अविवाहित बेटी है, उनको हम लोग क्या दे सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि संवेदना के इस क्षण में उनकी पुत्री, जो पढ़ी–लिखी है, मुझे बताया गया कि पी0एच0डी0 है, मुझे ठीक से मालूम नहीं है। उसको कहीं पर कोई सेवा का अवसर मिल जाए, तो इस सदन की तरफ से यह बहुत बड़ा सम्मानजनक तोहफा हो जाएगा, उस लड़की के लिए। मैं पुनः अपने सभी साथियों की ओर से और सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से अपनी संवेदना आपके माध्यम से उनके परिवार को देता हूँ। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बसपा, माननीय नेता उत्तराखण्ड क्रान्ति दल, माननीय किशोर उपाध्याय, माननीय प्रेम चन्द्र अग्रवाल, श्रीमती आशा नौटियाल और श्री केदार सिंह फोनिया जी द्वारा जो भावनाएं यहाँ पर व्यक्त की गयी हैं, मैं अपने आप को उनसे सम्बद्ध करता हूँ। इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि स्वर्गीय प्रताप सिंह पुष्पवाण जी का जीवन एक संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से जो संघर्ष किया है, वह सदैव सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। उनके इस संघर्षपूर्ण जीवन में मुझे भी उनके साथ कुछ कदम चलने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं, उनका जन्म 1933 में हुआ था और निधन 11 मार्च, 2010 को हुआ। निःसंदेह उनके निधन से जो क्षति हुई है, उसकी प्रतिपूर्ति नहीं हो सकती है। मैं अपने आप को सदन की भावनाओं से सम्बद्ध करते हुये भगवान से प्रार्थना

करता हूँ कि वे उनके परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और स्व0 पुष्पवाण जी को अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। मैं आप सभी की भावनायें और सदन की भावनाओं को उनके परिवार तक पहुंचाने के लिये निर्देश देता हूँ और आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया, खड़े होकर, दो मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(तत्पश्चात् सभी माननीय सदस्य दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए दो मिनट मौन खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री शेर सिंह गढ़िया, श्री नारायण पाल तथा श्रीमती अमृता रावत जी की कुल चार सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री शेर सिंह गढ़िया और श्री नारायण पाल की सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ, शेष सूचनायें अस्वीकार की गई।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश का नाम पुकारे जाने पर)

*श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने नियम–310 के अन्तर्गत सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष–

उन्हें भी देख लेंगे।

नेता प्रति पक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, नियम–310 में जो सूचना दी जाती है, वह इसलिये दी जाती है कि सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको भी देख लेता हूँ। (व्यवधान)

जनपद हरिद्वार अन्तर्गत एस0सी0पी0 योजना का समय से सदुपयोग न होने के कारण जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र राकेश–

[मान्यवर, उत्तराखण्ड के हरिद्वार जनपद में वर्ष, 2009–10 एस0सी0पी0 योजना की अवस्थापना मद की बैठक, वित्तीय वर्ष लगभग समाप्ति की ओर है, नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की गयी है। जिस प्रकार राज्य सरकार राज्य स्तर का बजट एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत विभागों की निष्क्रियता के कारण खर्च नहीं कर पा रही है, इससे दो कदम आगे बढ़ते हुए जिलास्तरीय अधिकारियों द्वारा एस0सी0पी0 योजना की बैठक अभी तक नहीं बुलाई गई है। जब बैठक नहीं बुलाई है तो कार्यों का चयन भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में निर्धारित बजट का खर्च निर्धारित समय में कैसे हो सकता हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए तथा राज्य स्तर से अवस्थापना मद का सम्पूर्ण बजट तत्काल रिलीज किया जाए तथा एस0सी0पी0 योजना का चयन कर तत्काल कार्य प्रारम्भ कर अनु0 जाति बाहुल्य ग्रामों का समुचित विकास किया जाए। एस0सी0पी0 योजना का समय से सदुपयोग न होने के कारण हरिद्वार की जनता में भारी आक्रोश है। इस अति लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बागेश्वर के विकासखण्ड कपकोट के अन्तर्गत दर्जनों ग्राम पंचायतों में पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शेर सिंह गढ़िया–

[मान्यवर, बागेश्वर जनपद, विकास खण्ड, कपकोट के अन्तर्गत दर्जनों ग्राम पंचायतों में भारी पेयजल संकट है। कपकोट के दूरस्थ अनुसूचित व पिछड़ी जाति बाहुल्य ग्राम पंचायतों में क्रमशः चवई, मिकिकला, खल्लपट्ट, चौड़ा, पोथड़, विनाडी, उडियार, लीली, कर्मी, पनौरा, बड़ेत, माजखेत, छुरिया आदि स्थानों पर कई महीनों से पेयजल लाईनें क्षतिग्रस्त हैं तथा विभागीय लापरवाही के कारण पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है तथा स्थानीय जनता कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर है। क्षेत्र में पेयजल संकट के कारण जनता में भारी उदासीनता व रोष है। क्षेत्रीय जनता आन्दोलन करने की स्थिति पर है।

अतएव विकास खण्ड कपकोट के अन्तर्गत उक्त लिखित सभी ग्राम पंचायतों में त्वरित कार्रवाई के साथ शीघ्र पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी चाहिये।]

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य नारायण पाल का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत कुल चार सूचनायें प्राप्त हुई हैं, पहली सूचना डा0 हरक सिंह रावत, श्री करन मेहरा एवं अन्य सदस्यों की है, जो एस्बस्टेस सीमेण्ट प्रोडक्ट के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना हरिद्वार के महाकुम्भ आयोजन में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र से प्राप्त 500 करोड़ की धनराशि के दुरूपयोग के सम्बन्ध में है जो माननीय किशोर उपाध्याय, माननीय कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" माननीय प्रीतम सिंह आदि की है। तीसरी सूचना जो कि जनपद ऊधमसिंह नगर के सितार गंज एवं पंत नगर व प्रदेश के हरिद्वार, देहरादून समेत अन्य औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित उद्योगों में शासन द्वारा 70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार से सम्बन्धित है, ये श्री नारायण पाल और श्री प्रेमानन्द महाजन द्वारा दी गयी है और चौथी सूचना जो माननीय सुरेन्द्र राकेश, माननीय श्री शहजाद, माननीय श्री हरिदास एवं माननीय श्री प्रेमानन्द महाजन, माननीय श्री नारायण पाल की है, जो संविधान के 85वें संशोधन, 2001 के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति के सरकारी सेवकों को पदोन्नति में परिणामी उच्चता देने के सम्बन्ध में है। ये कुल चार सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और नियम–310 की परिधि में ये सूचनाएं नहीं आती हैं, इसलिए मैं चारों को अस्वीकार करता हूँ। (व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपनी–अपनी बात कहते हुए 'वेल' में आ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण है, घोटाला है, माननीय अध्यक्ष जी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

नियम–310 की परिधि में नहीं आती हैं इसलिए मैं अस्वीकार करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, बहुत बड़ा घोटाला है एस्बस्टेस को पर्यावरण बोर्ड के द्वारा एन0ओ0सी0 दिया गया। ये भ्रष्टाचार है, माननीय अध्यक्ष जी।

(नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में आकर अपनी बात कहने लगें।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2008 की सूचना है श्रीमन्, और 2010 में उठायी जा रही है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

तात्कालिक नहीं है। कृपया, स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस विषय को किसी भी नियम के तहत लेकर आएं, हम सुनने को तैयार हैं, लेकिन 2008 का, कम से कम नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत आना चाहिए.

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, उसका लाईसेन्स 31 मार्च को खत्म हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि रिन्यू न हो। ये बहुत तात्कालिक है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान) कल किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत देंगे तो इस पर विचार कर लेंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

नियम–310 की परिधि में नहीं आता है। कृपया, स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, दुनिया के 144 देशों में प्रतिबन्धित है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, 2008 से आज याद आ रही है श्रीमन्, यदि गलत था तो 2008 से आज तक कितने सदन हो गये श्रीमन्, उन सदनों में उठाया जाना चाहिए था।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, वहां के लोगों को कैंसर हो रहा है, विकलांग हो रहे हैं। हमारी चिंता है इस बात की।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, तात्कालिक होना चाहिए। आज अगर कोई घटना घटित हुई है, उसको आप उठाईये नियम–310 में, आज अगर कोई घटना घटित हुई है, उसको उठाईये। सदन नियमों के आधार पर चलेगा श्रीमन्, ये सदन नियमों के आधार पर संचालित होता है श्रीमन्।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, ये सरकार कैंसर फैलाना चाहती है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

कृपया, स्थान ग्रहण करें। आज नियम-58 के अन्तर्गत 1-श्री प्रेमानन्द महाजन, 2-श्री यशपाल बेनाम, 3-श्री सुरेन्द्र राकेश तथा श्री हरिदास, 4-श्री बलबीर सिंह नेगी, 5-श्री तिलक राज बेहड़, 6-श्री मनोज तिवारी, 7-श्री करन मेहरा, 8-श्री केदार सिंह रावत तथा श्री राजेश जुवांठा, 9-श्री नारायण पाल, 10-श्री किशोर उपाध्याय, श्री रणजीत रावत, श्री प्रीतम सिंह, 11-श्रीमती अमृता रावत जी की कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से 1-श्री प्रेमानन्द महाजन, 2-श्री तिलक राज बेहड़, 3-श्री करन माहरा, 4-श्री नारायण पाल, 5-श्री किशोर उपाध्याय, श्री रणजीत रावत तथा श्री प्रीतम सिंह की सूचनाओं को नियम-58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

(नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वैल' में पूर्ववत् खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार घोटालों की सरकार है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया, स्थान ग्रहण करें। जब तक किसी सदस्य को अनुमति न दी जाये तब तक उसकी बात का संज्ञान न लिया जाये। इस पर विनिश्चय आ चुका है। (घोर व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)-

मान्यवर, 2008 का मामला है, आप अभी लेकर के आ रहे हैं। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

इस पर विनिश्चय आ चुका है। अगले वर्किंग-डे में दे दीजिए, इस पर विचार कर लेंगे। कृपया, स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

मैं सदन की कार्यवाही अपराह्न 3:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर जोर–जोर से अपनी बात को कहने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, इतना बड़ा घोटाला है। सरकार चर्चा से बचना चाहती है। माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए। इतने बड़े घोटाले हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, जैसा मैंने अनुरोध किया था कि आप कल किसी नियमों के अन्तर्गत दे देंगे तो हम जरूर सुनेंगे।

(घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, कल फिर हम दूसरे घोटाले लायेंगे। क्योंकि इस सरकार ने इतने घोटाले किये हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, कल दोनों ही ले आना फिर।

(घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, रोज कहाँ से लायेंगे। सत्र का समय कम पड़ जायेगा और घोटाले अधिक होंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

नहीं, कोई बात नहीं। सत्र रात को 12 बजे तक चलायेंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, या तो सामान्य चर्चा के बाद एक सूचना माननीय नेता

प्रतिपक्ष की ओर से ले लें और (घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, दोनों ही सूचना ले लें हम कम बोल लेंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जैसा आप उचित समझें, लेकिन सामान्य चर्चा के बाद हो जाता तो उचित रहता।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, एक जो हमारी है, दो सदस्य इस पर बोलेंगे और दो सदस्य उस पर बोलेंगे। हमने इतनी तैयारी की है।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, अभी हर विभागवार अनुदान रखी जानी है। विभागवार समीक्षा कीजिए आप।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, उसमें थोड़े ही आयेगा।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, पूरा पोस्टमार्टम कर दीजिए।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, तो क्या हर सदस्य एक–एक घण्टा बोलेगा। आपकी सरकार द्वारा बहुत घोटाले किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा करते हैं कि नियम–58 के अन्तर्गत जो पाँच सूचनायें हमने ले रखी हैं उनमें से तीन ले लेते हैं और दो यह ले लेते हैं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) अब आप लोग डिसाइड कर लें। मैं क्या करूँ। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ जोर–जोर से बोलने पर व्यवधान) बताइये आप दोनों में से कौन सी लेंगे। (घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आपका विनिश्चय है।

(घोर व्यवधान)

*कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, सूक्ष्म चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष–

ग्राह्यता पर सूक्ष्म चर्चा नहीं होती है। दोनों में से कौन सी ?

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी सुन लीजिए, क्या है।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, सुनने को मना कहाँ कर रहा हूँ मैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी कम लोग बोल लेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब फिर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हम कम लोग बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे होगा ?

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण सूचनायें हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। एक आप की लेंगे और एक बसपा वालों की।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, नियम–310 में।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम–58 में कन्वर्ट करके और दो उसमें से कम कर देंगे। ये पाँच हैं ना। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, इसमें तो मान जायें। आपकी एक सूचना जो आप उचित समझें उसको ले लें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हमारे 4–5 सदस्यों के दस्तखत हैं, इसमें। हम दो लोगों को लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

ऐसे नहीं, कृपया सहयोग करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हम तो सहयोग कर रहे हैं। समय उतना ही लगेगा। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

अभी तो हाऊस के बहुत दिन हैं। सोमवार को ले लेंगे।

डा0 हरक सिंह रावत–

कम समय में हो जायेगा। सोमवार को अन्य दूसरे विषय भी तो हैं। अभी तो यह फुलझड़ी है और भी बड़े घोटाले हैं, और ज्यादा घोटाले उठायेंगे तो आप भाग खड़े होंगे। अब तक सरकार कह रही थी, हम तो चर्चा कराना चाहते हैं, विपक्ष चर्चा करना नहीं चाहता है। अब हम कर रहे हैं कि चलो हम ग्राह्यता पर ही बोलने को तैयार हैं। लेकिन सरकार ग्राह्यता से भी बचना चाहती है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह आक्षेप उचित नहीं है और हम हर विषय पर चर्चा कराना चाह रहे हैं। श्रीमन्, पीठ का विनिश्चिय आया है, उस विनिश्चय का हम सम्मान कर रहे हैं और आप सरकार पर आक्षेप लगा रहे हैं। सरकार को जैसा पीठ से निर्देश मिलेगा, उसका अनुपालन करेगी। (घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार सदन के बाहर कहती है कि विपक्ष के हंगामे के कारण सदन नहीं चल रहा है, हम तो हंगामा नहीं कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इन महत्वपूर्ण बिन्दु पर चर्चा करा लें, हम एक विषय पर केवल दो लोग बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए, यदि आपका संरक्षण नहीं मिलेगा तो प्रदेश के उस विकास की योजनाओं से क्या करेंगे ? आप अरबों रुपये की योजना को बर्बाद करो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जायेगा। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

नियम–58 की सूचनाओं में श्री करन मेहरा की जगह पर एक सूचना आपकी ले लेंगे। मैंने आपसे निवेदन किया था कि एक सूचना नियम–58 की आपकी हटाकर और एक सूचना नियम–58 की बसपा की हटाकर दो सूचना ले लेंगे, कृपया सहयोग करें। कृपया, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, सदन के सम्मुख सारे विषय कैसे आयेंगे ? आपसे यह आग्रह करना चाहता हूँ कि दोनों सूचनाऐं बहुत महत्वपूर्ण हैं। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें। मैं चार नहीं, पाँच सूचनायें ले रहा हूँ। (व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इतने महत्वपूर्ण बिन्दु हैं यदि इन पर चर्चा नहीं होगी तो किस बात पर चर्चा होगी।

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यदि उत्तराखण्ड की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो, अगर यह बात हम यहां उठा रहे हैं, उस बात पर चर्चा नहीं होगी और कुम्भ मेले में घोटाला हो रहा है, इसलिए अध्यक्ष जी, उस बात पर आपका संरक्षण नहीं मिलेगा तो हम यहां किस बात पर चर्चा करना चाहेंगे। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि सोमवार को सुन लेंगे, ऐसा नहीं होगा। (घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आप उस पीठ पर बैठे हैं, मैं सोचता हूँ कि आपकी जिद ठीक नहीं है अध्यक्ष जी,(हँसी) मैं, इसलिए निवेदन करना चाह रहा हूँ। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी ने सदाशीलता दिखायी और कहा कि आप एक सूचना दे दीजिए उसको ले लेंगे, आप फिर जिद कर रहे हैं कि दो सूचना ले लीजिए। (व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हम जिद करें तो जस्टिफाई हो जायेगा क्योंकि प्रदेश की जनता ने हमको जिद करने के लिए भेजा है। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 3:30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, आसन ग्रहण करें।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। सामने भीषण गर्मी के महीने हैं। पंतनगर–गदरपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष, 2008–09 और वर्ष, 2009–10 में 15–15 इण्डियामार्का–2 हैण्डपम्प लगे हैं और वर्ष, 2008–09 में 45 नलों का विकास खण्ड गदरपुर में रिबोरिंग किया गया है, 2009–10 में 9 नलों का रिबोरिंग किया गया। सामान्यतः मरम्मत 370 नलों का वर्ष, 2008–09 में किया गया और 413 नलों को वर्ष 2009–10 में मरम्मत करके चालू किया गया, यह विभाग का कहना है। इसके अलावा मान्यवर, रुद्रपुर के कई गांव कीरतपुर, फुलसुंगा, फुलसुंगी, मटकोटा, बिन्दुखेड़ा, आनन्दपुर यह जो सारे क्षेत्र हैं, विकास खण्ड रुद्रपुर को देखने वाली जो पेयजल निगम की निर्माण शाखा है, वह देखती है, वहाँ का हिसाब–किताब इसमें नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी,

मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो नये नल गाड़े गए हैं वह आधे से ज्यादा इसमें चालू नहीं हैं, जो चालू हैं वह इस समय जो पानी की क्वालिटी है वह ठीक नहीं है। सेकेन्ड स्ट्रेटा के नाम से 80 से 100 फुट तक नल गाड़ दिया जाता है, जहाँ पर स्ट्रेटा मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो बीच में कट लगाकर नल को चालू कर दिया जाता है, ताजा–ताजा उबला हुआ पानी आता है। जहाँ तक सामान्य मरम्मत की बात है, मरम्मत के नाम से एक्सरसाईज है रिबोरिंग और नये नलों का जो डिफरेंस है, वह 5–7 हजार रु0 का होता है और एक जो नये नल को गाड़ने का होता है, 40–45 हजार रु0 की लागत शायद आती है। 40–45 हजार रु0 अगर खर्च किया जाय तो आज की तारीख में किसी प्राइवेट मिस्त्री से तो थर्ड स्ट्रेटा में वह नल 200 से 250 फिट तक गाड़ा जा सकता है सारी स्थिति के बावजूद इस समय यह परिस्थिति है कि मेरे विधान सभा के आधे से ज्यादा नल खराब हैं और अभी 1 महीने बाद जब पूरी गर्मी होगी तो यह समझ लीजिए 10–15 प्रतिशत नलों में पानी रहेगा, बाकी में पानी नहीं रहेगा। यह जो स्थिति है इसमें विभाग के जो कर्मचारी हैं और जो निर्माण शाखा है, इनकी तरफ से घोर अनियमितता और भ्रष्टाचार परिलक्षित होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि विगत वित्तीय वर्ष के जो भी नल गाड़े गये हैं पंतनगर–गदरपुर विधान सभा क्षेत्र में और जो मरम्मत किये गये हैं उसकी विभागीय जाँच किसी थर्ड पार्टी से करायी जाए और जो नल खराब पड़े हैं, उसको ठीक कराया जाय। यह मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से माननीय मंत्री से, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, काशीपुर द्वारा गदरपुर विधान सभा क्षेत्र में फरवरी, 2010 तक 795 हैण्डपम्प, स्वजल परियोजना द्वारा 384 हैण्डपम्प और अन्य विभागों द्वारा 489 हैण्डपम्प, इस प्रकार कुल 1668 हैण्डपम्प लगाए गए। उक्त विधान सभा क्षेत्र में 30 हैण्डपम्प और 27 पम्प रिबोर कर स्थापित किये गये हैं। वर्ष, 2009–10 में अब तक 2 नग हैण्डपम्प रिबोर कर और 30 नग हैण्डपम्प ठीक कर दिये गये। मान्यवर, नये हैण्डपम्प के स्थापना में 45 हजार रुपया और रिबोर करने में प्रति हैण्डपम्प 37 हजार रुपया खर्च होता है। मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्यों ने अवगत कराया कि हैण्डपम्पों की स्थापना सेकेण्ड स्ट्रेटा पर ही पर्याप्त गहराई पर किया जाता है और इसका मुख्य कारण है कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। जहाँ तक आपने सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित किया कि जो हैण्डपम्प खराब हैं उन हैण्डपम्पों की मरम्मत करना और आवश्यकतानुसार रिबोर करवाना यह सतत् प्रक्रिया है। वर्तमान में सम्पूर्ण जनपद में 474 हैण्डपम्प खराब हैं, जिनकी मरम्मत की जा रही है और यह भी अवगत कराना है कि जहाँ तक आपने अपने नोटिस में यह अवगत कराया है कि सौ से सवा सौ खेप तक ही गाड़ा जाता है और इसे 250–300 फिट की गहराई में गाड़ा जाता तो पानी नहीं सूखता, इसके

सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जो जनपद ऊधमसिंह नगर है इसमें सामान्यतया 120 से 150 फिट की गहराई पर पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो जाता है और स्वच्छ पेयजल उसमें प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि सरकार इस विषय पर स्वयं पूर्ण रूप से गम्भीर है और माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षित करने के उद्देश्य से यह कार्य-स्थगन सूचना रखी है और माननीय सदस्य ने जो-जो विषय इस सूचना के माध्यम से रखे थे, उन सभी विषयों का परीक्षण करा लिया जायेगा, इसलिए इस सूचना को अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री प्रेमानन्द महाजन-

मान्यवर, काशीपुर निर्माण शाख की तरफ से लिखित सूचना मैंने मांगी थी तो उन्होंने जवाब दिया।

श्री अध्यक्ष-

पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री प्रेमानन्द महाजन-

मान्यवर, उसी के अनुसार इन्होंने 45 नल को रिबोर किया, विकास खण्ड गदरपुर के अन्दर। इसके अलावा जहाँ तक स्ट्रेटा की बात है।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा नहीं हो रही है।

श्री प्रेमानन्द महाजन-

मान्यवर, चर्चा नहीं कर रहा हूँ, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि इस समय पानी का वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है। जहाँ आज से 5 वर्ष पूर्व पानी सेकेण्ड स्ट्रेटा से मिलता था, वह अब थर्ड स्ट्रेटा से भी नहीं मिल रहा है, दूसरी बात नल लगाने में जो घालमेल है, इस विषय में माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, गर्मियों को देखते हुये इसको प्रायरिटी पर दिखवा लें, ताकि गर्मियों में पानी सबको मिल जाए।

श्री प्रकाश पन्त-

मान्यवर, 120 से 150 फिट पर ये हैण्डपम्प लगाये जाते हैं और जहाँ पर आपकी नजर में हो जहाँ नल खराब हो गया हो और भू-स्तर घट गया हो तो उसकी जानकारी उपलब्ध करा दें, उस पर कार्यवाही कर देंगे।

श्री अध्यक्ष-

सूची उपलब्ध करा दें। माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 की सूचना की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस विभाग में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को अन्य पुलिस कर्मियों की भाँति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह का वेतन अनुमन्य किया जाए। मान्यवर, इस राज्य को बने हुये लगभग 10 वर्ष होने जा रहे हैं और पुलिस विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी चाहे वो छुट्टी का दिन हो, चाहे वह शनिवार या रविवार का दिन हो, चाहे वह राजपत्रित अवकाश रहते हों या अन्य अवकाश जब भी होते हैं, वे कर्मचारी अपने काम पर जाते हैं और उनको अधिकतर अधिकारी अपने ऑफिस में बुला लेते हैं, उनसे काम लेते हैं और उनकी छुट्टी होते हुये भी छुट्टी नहीं देते हैं, तो ऐसे कर्मचारियों को एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाए और यह उत्तर प्रदेश में हो चुका है। उत्तर प्रदेश में पुलिस समूह–ग कर्मचारी सेवा नियमावली, 2009 अधिसूचना संख्या 1535/6/पू02/09/1163, दिनांक 28 अगस्त के तहत संशोधन करते हुये प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह का अतिरिक्त वेतन अनुमन्य किया गया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में हो गया है और हम उसी से अलग हुये हैं, छोटा प्रदेश है और कर्मचारियों की संख्या, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी माननीय अध्यक्ष जी, जिनसे सुबह–शाम कार्य लिया जाता है। ऐसे कर्मचारी जिनके लिए सुविधाएं भी कोई बहुत ज्यादा नहीं हैं और सप्ताह में तीन दिन जैसे कभी शनिवार मिल गया, कभी रविवार मिल गया या कोई छुट्टी आ गयी, उसमें भी वे घर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उन्हें कार्य करना पड़ता है। चाहे दीपावली हो, होली हो या कोई अन्य त्योहार हो, इन अवसरों पर भी इन कर्मचारियों को अधिकतर अधिकारी घर पर बुला कर उनसे कार्य लेते हैं। कार्य के बदले भी इन कर्मचारियों को कुछ मिल नहीं पाता है। माननीय अध्यक्ष जी, ये कर्मचारी भी उत्तर प्रदेश की भांति एक माह के अतिरिक्त वेतन की मांग कर रहे हैं, जिसका आदेश उत्तर प्रदेश में हो चुका है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चाहूँगा। मान्यवर, यह मामला लोक महत्व का है और अविलम्बनीय है, इसलिए मैं विधान सभा की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, माननीय तिलक राज बेहड़ जी चतुर्थ श्रेणी पुलिस कर्मियों को, पुलिस कर्मियों की भांति उनके मानदेय को बढ़ाये जाने से सम्बन्धित यह सूचना सदन के संज्ञान में लाने के उद्देश्य से लाये हैं। मैं अवगत कराना चाहूँगा जैसे कि माननीय तिलक राज बेहड़ जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई शासनादेश हुआ है, जिसमें उन्हें एक माह का अतिरिक्त वेतन दिये जाने का प्राविधान किया गया है। यह मैंने दिखवाया था, तो इस तरह का कोई शासनादेश नहीं हुआ है। मान्यवर, 11 दिसम्बर, 2009 को जो शासनादेश उत्तर प्रदेश में किया गया है, उसमें पुलिस विभाग में कार्यरत् चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राजपत्रित अवकाश, रविवार और द्वितीय शनिवार का उपभोग न कर पाने के एवज में वर्ष में मानदेय

की स्वीकृति दी गयी है। इसी तरह से जो प्रक्रिया उत्तराखण्ड में है उसमें पुलिस विभाग में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 14 दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए 14 दिन के आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त 10 दिन विशेष आकस्मिक अवकाश की उदारता पूर्वक स्वीकृति प्रदान की गयी है। जहां तक प्रश्न एक माह का अतिरिक्त वेतन दिये जाने का है तो यह प्रकरण तो अभी विचाराधीन नहीं है लेकिन विषय को आप संज्ञान में लाये हैं।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, पत्रावली अभी लम्बित है। उत्तर प्रदेश में यह लागू हो गया है मैंने अभी शासनादेश का उल्लेख किया है।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, एक माह के वेतन से सम्बन्धित कोई पत्रावली लम्बित नहीं है। मानदेय से सम्बन्धित विषय परीक्षणाधीन है, परीक्षणोपरान्त कार्यवाही करेंगे।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, एक माह के वेतन से सम्बन्धित पत्रावली लम्बित है।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, स्पष्ट करना चाहता हूं, एक माह के वेतन से सम्बन्धित पत्रावली नहीं है, बल्कि मानदेय से सम्बन्धित पत्रावली लम्बित है। इसका हम परीक्षण करा रहे हैं और परीक्षणोपरान्त ही कोई कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़ और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम-58 की सूचना की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। श्रीमन्, स्टेट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट यूनिट, देहरादून के द्वारा आई0टी0आई0 के लिए लगभग तीन करोड़ की लागत से फर्नीचर सप्लाई की बात हुई। श्रीमन्, इसमें व्यापक स्तर पर अनियमितताएं बरती गयीं, जिस वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ है। श्रीमन्, पहले जो महत्वपूर्ण बिन्दु है, वह यह है कि जब किसी भी कार्य की निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं तो उस निविदा की जो विज्ञप्ति होती है, उसे कार्यालय में चस्पा किया जाता है, ताकि निविदा डालने वाला हर व्यक्ति उसको देख सके। इस प्रकरण में सबसे पहली अनियमितता यह हुई कि जो निविदा आमंत्रित की गयी, उसको कार्यालय के

नोटिस बोर्ड पर चस्पा नहीं किया गया और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, वह यह है कि जब निविदाएं आमंत्रित की गयी तो उसे इस प्रदेश के समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिए था ताकि स्थानीय लोग उसमें हिस्सा लेते। लेकिन स्थानीय समाचार-पत्र प्रकाशित न करके बाहर के एक अंग्रेजी समाचार-पत्र में इसको प्रकाशित किया गया। तो सीधा-सीधा इससे स्पष्ट होता है कि जो निविदाएं आमंत्रित की गयी, वह निविदाएं किसी व्यक्ति विशेष को, किसी फर्म विशेष को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से आमंत्रित की गयीं और इसका लाभ उसे ही मिल सके इसीलिए इस तरह का कृत्य किया गया है। श्रीमन्, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ और सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

श्री रणजीत रावत-

माननीय अध्यक्ष जी, स्टेट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट यूनिट, कालीदास मार्ग, देहरादून द्वारा जो आई0टी0आई0 में 3 करोड़ रुपये के फर्नीचर की निविदाएं आमंत्रित की गयीं, उसमें एक बहुत बड़ी धांधली यह हुई कि जिन फर्मों का रजिस्ट्रेशन इनके यहाँ है, जो आज से पूर्व तक सप्लाई करते आए हैं, उनको भी सूचना नहीं दी गयी और पिछले वर्ष 30 लाख रुपये तक की सप्लाई के लिए जहाँ एक करोड़ रुपये का टर्न ओवर मांगा गया था, इस बार 3 करोड़ की सप्लाई के लिए टर्न ओवर की कोई शर्त नहीं रखी गयी और जैसा मेरे साथी ने कहा, प्रदेश के अखबारों में इसकी सूचना नहीं दी गयी। जो सम्बन्धित आई0टी0आई0 हैं, उनके नोटिस बोर्ड पर विज्ञप्ति को चस्पा नहीं किया गया और तो और जहाँ-जहाँ विज्ञप्ति जाती हैं, समाचार-पत्रों को, सूचना विभाग को, उनको कहीं कोई खबर नहीं थी। इसलिए यह इंगित करता है कि 3 करोड़ रुपये की सप्लाई का टेंडर किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुँचाने के लिए दिल्ली में इंडियन एक्सप्रेस अंग्रेजी अखबार में निकाला गया। स्थानीय समाचार-पत्रों को इससे दूर रखा गया ताकि लोगों को खबर न हो सके। इसलिए इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

श्री किशोर उपाध्याय-

मान्यवर, अगर आप अनुमति दें तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

कोई नई बात हो तो बता दीजिए।

श्री किशोर उपाध्याय-

मान्यवर, बहुत नई बात है। माननीय प्रीतम सिंह जी और माननीय रणजीत

सिंह जी ने महत्वपूर्ण विषय रखा है आज सवाल पैसे का नहीं है, 3 करोड़ का नहीं है यह तो घपले घोटालों की सरकार ही है, इसलिए जनता को इस पर कोई आश्चर्य भी नहीं होगा कि इसमें घपला–घोटाला कितना हो रहा है मुख्य बात यह है कि आई0टी0आई0 जैसा संस्थान, जिसमें से हमारे भविष्य के कुशल लोग निकलते हैं, उसमें अगर इस तरह का घपला हो, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, निश्चित रूप से उसके हितों पर और इस प्रदेश के हितों पर कुठाराघात होगा। मान्यवर, अगर इस तरह से करोड़ों रुपया और वह भी शिक्षण संस्थानों का और भी घोटाले हैं, (व्यवधान) मान्यवर, शिक्षण संस्थानों में किस तरह घोटाले हो रहे हैं, उनको हम सिरीज के रूप में इस सदन में लाएंगे। सिरीज के रूप में लाएंगे कि किस तरह के घपले–घोटाले हो रहे हैं। इस प्रदेश की जो आने वाली पीढ़ी है, भविष्य है, अगर इस तरह से उसके हितों पर कुठाराघात होगा तो भविष्य का क्या होगा, यह आज का सबसे चिन्तनीय विषय हैं। मान्यवर, मुझे जो जानकारी मिली है, जो टेण्डर डालने वाली दोनों फर्में हैं, जैसा कि जल विद्युत परियोजनाओं में हुआ, ठीक वैसा ही इस मामले में भी हो रहा है। जो दो टेण्डर डाले गये, वह एक ही व्यक्ति के हैं। मान्यवर, मेरे विचार से इससे महत्वपूर्ण मसला कोई दूसरा हो नहीं सकता है और इसमें यदि आप कहेंगे तो जितनी भी सीरीज हमारे पास है घपलों और घोटालों की, उस पर भी चर्चा हो जायेगी। यदि आप चर्चा स्वीकार कर लें तो हम आपके आभारी रहेंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रीतम सिंह जी, माननीय रणजीत सिंह रावत जी तथा माननीय किशोर उपाध्याय जी द्वारा इस सूचना के माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराया गया हैं इसके सम्बन्ध में मैं अवगत कराना चाहूंगा कि विश्व बैंक सहायतित वोकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, वी0टी0आई0पी0, इस योजना के अन्तर्गत 10 आई0टी0आई0, वर्ष 2006 तथा 2007 में हरिद्वार में तथा वर्ष, 2007–2008 में पिथौरागढ़, नई टिहरी, देहरादून, श्रीनगर एवं टनकपुर में तथा 2008–09 में अस्कोट, काशीपुर, पोखरी, पोखड़ा में चयनित किये गये। जिनके आई0डी0पी0 और प्रिक्योरमेंट प्लान विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित किये गये थे। विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित प्रिक्योरमेंट प्लॉन में क्रय प्रक्रिया के अन्तर्गत नेशनल शापिंग का प्रावधान है और इस निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं से कोटेशन टेलेक्स अथवा फेसीमाइल के माध्यम से प्राप्त किये जाने का उल्लेख है और विश्व बैंक के नियमों में विज्ञापन दिये जाने की बाध्यता नहीं है। लेकिन फिर भी पारदर्शिता को दृष्टिगत् रखते हुये राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किये गये। जिसके क्रम में प्रदेश से और प्रदेश से बाहर के लगभग 12 अलग–अलग प्रतिष्ठित फर्मों द्वारा संस्थावार अपने कोटेशन प्रेषित किये गये। वी0टी0आई0पी0 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार स्टेट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट का गठन

किया गया है और विश्व बैंक के अनुमोदन के उपरान्त स्टेट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत चयनित आई0टी0आई0 की साज-सज्जा एवं उपकरण आदि की आवश्यकताओं के लिए विश्व बैंक की निर्धारित क्रय प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न कराई जाती है। जैसा कि इंगित किया गया कि बहुत बड़ा घोटाला हो गया है, इसमें पूरी पारदर्शिता अपनाई गई है और किसी भी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है। मेरा सम्मानित पीठ से विनम्र आग्रह है कि इस पारदर्शी प्रक्रिया, जो विश्व बैंक की निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनाई गई है, उसको दृष्टिगत रखते हुये इस सूचना को अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री प्रीतम सिंह-

मान्यवर, मैं इसमें एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक बात कही कि विज्ञप्ति देने के लिये कोई बाध्यता नहीं है। उसके बावजूद भी कि प्रक्रिया पारदर्शी हो, इसलिये आपने विज्ञप्ति देने का कार्य किया है। हमारा आरोप ही यह है कि जान-बूझ करके एक समाचार-पत्र, जो अंग्रेजी में प्रकाशित होता है (व्यवधान) जी, है तो विश्व बैंक का ही पैसा, यह माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बता दिया है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब इसकी विज्ञप्ति जारी करने की बाध्यता नहीं थी, टेंडर की विज्ञप्ति जारी करने की कोई बाध्यता नही थीं तो एक ही समाचार पत्र में क्यों इसको प्रकाशित करने का काम हुआ। अगर आपको उसे प्रकाशित करना ही था, अगर आपको पारदर्शिता लानी ही थी तो निश्चित रूप से हिन्दी के समाचार-पत्रों, जो उत्तराखण्ड राज्य में भी व्यापक स्तर पर पढ़े जाते हैं, उनको भी प्रकाशित करने के लिए दिया जाना चाहिए था। ये हमारा कहना है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसमें व्यापक स्तर पर किसी फर्म या व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के लिए व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। अगर आपने कहा घोटाला नहीं, मैं मान लेता हूँ, लेकिन भ्रष्टाचार निश्चित रूप से हुआ है।

श्री प्रकाश पन्त-

माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा हो और पारदर्शिता रहे, इस दृष्टिकोण से श्रीमन्, अखबार में विज्ञापन के माध्यम से इसकी निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं और भारत सरकार के दिशा-निर्देश के आधार पर जो स्टेट की प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन यूनिट है, वो इसकी लगातार निगरानी रखती हैं और विश्व बैंक की सभी परियोजनाओं की लगातार मॉनीटरिंग होती है इसलिए कोई भ्रष्टाचार की गुंजाईश नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री किशोर उपाध्याय, माननीय रणजीत सिंह रावत, माननीय श्री प्रीतम सिंह जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद इसे

मैं अग्राह्य करता हूँ। हरिद्वार के महाकुम्भ आयोजन में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र से प्राप्त ₹ 500 करोड़ की धनराशि के सम्बन्ध में जो नियम–310 की सूचना थी, उसे नियम–58 में परिवर्तित करते हुए मैं अनुरोध करूँगा कि माननीय प्रणव "चैम्पियन" जी अपने विचार रखें।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, आपने जो विशाल ह्रदय का परिचय देते हुए हमारी सूचना को एक्सेप्ट किया, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, देवभूमि के तीर्थद्वार हरिद्वार में जो महाकुम्भ का आयोजन किया जा रहा है, उसे महा घोटाला कुम्भ कह दिया जाय तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। कारण है केन्द्र सरकार ने गम्भीरता का परिचय देते हुए, सदाशयता का परिचय देते हुए 565 करोड़ रुपया राज्य सरकार को दिया महाकुम्भ के आयोजन के लिए। लेकिन राज्य सरकार द्वारा सारी जिम्मेदारियों को ताक पर रखकर, अब वो ताक इनको पता है, कौन सा ताक है, आनन–फानन में उक्त राशि के दुरूपयोग में ऐसा ताना–बाना बुन डाला, कहां तो ये कहा करते थे राज्य सरकार वाले कि केन्द्र सरकार पैसा जारी नहीं कर रही है, बार–बार यह राग अलापा जाता था। मान्यवर, संसदीय चुनाव जब जीते काँग्रेस पार्टी ने, हमारे हरिद्वार के सांसद जब राज्य मंत्री बन करके आये तो सभाओं तक में बात कही गयी, जब उनकी सभा हुई कि केन्द्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। लेकिन रावत जी ने जोर लगाया 400 करोड़ रुपया और राज्य सरकार को दिलवा दिया है जबकि सरकार द्वारा कोई सुनियोजित प्राक्कलन नहीं भेजे गये थे, कोई आपके आगणन तैयार नहीं थे, उसके बावजूद केन्द्र सरकार ने आपको पैसा दिया। लेकिन सरकार के मानस पटल पर तो मान्यवर, कल्याणकारी शैली थी ही नहीं, वहां तो नकारात्मक पुट हावी था कि कैसे सब दिखावा करके इस वृहद धनराशि को कहां ले जाया जाय। मिसाल के तौर पर स्वास्थ्य विभाग को देखिये। 10 हजार सफाई कर्मचारी कागजातों में दिखा दिये गये, 10 हजार सफाई कर्मचारी दिखा दिये गये, लेकिन मौके पर ढाई से तीन हजार से ज्यादा दिखाई नहीं देते। बैंक में खाते सिर्फ 1700 के खुले और बैंक में खाते खोलने के तीन दिन बाद उन खातों को बन्द भी कर दिया गया। गौर फरमाईयेगा मान्यवर, यह बहुत सीरियस बात है। तीन दिन बाद खाते बंद कर दिये गये, इसलिए बंद कर दिये गये कि डायरेक्ट तनख्वाह देकर बगैर रिकार्ड के घोर अनियमितता की जा सके और लाखों का घोटाला किया जा सके।

घोटाला नम्बर–2 विद्युत सप्लाई में मान्यवर, ऐसी किस कम्पनी को जिम्मेदारी दी गयी कि पथ प्रकाश व्यवस्था में लगायी गयी, स्ट्रीट लाईट्स आधा कुम्भ भी नहीं हुआ था, आधे से ज्यादा फ्यूज हो गयी। विद्युत विभाग खुद संदेह के घेरे में है। जो विद्युत विभाग द्वारा बिजली के खम्भे वहां पर लगाये गये, पुराने खम्भे उनके ऊपर एल्यूमीनियम पेन्ट कर दिया गया, नीचे से उनमें दिख रहा था जंग लगा हुआ, इतना ही नहीं पुराने खम्भों को एंगल के सपोर्ट से खड़ा किया कि कहीं वह नीचे न गिर जायें। पर्चेज में दिखाये गये

नये खम्भे और लगा दिये गये पुराने खम्भे,इससे भीषण दुर्घटना होते-होते बची। गंगा टॉकीज और शंकर होटल के बीच में तीन स्थलों पर भीषण स्पार्क हुआ और तीर्थ यात्रियों तथा पुलिस वालों की जान जाते-जाते बची। तार बहुत ही निम्न कोटि के थे, इसको भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि करोड़ों रुपये का घोटाला सामने आ रहा है। इसके बाद माननीय अध्यक्ष जी, सीवर के नाते, लापरवाही का आलम देखिये कि महाकुम्भ के पर्व पर हर की पैड़ी एक तरह का गर्भगृह है, मुख्य पूजा अर्चना का स्थल वही होता है, सरकार द्वारा उस महाकुम्भ के स्थल पर सीवर नालों द्वारा गंदा पानी गंगा जी में प्रवाहित किया जा रहा है। अब ऐसा तो है नहीं, विश्वव्यापी महामेला है, पूरी दुनिया भर से धर्मार्थी, तीर्थाटक, साधू-सन्यासी, पेशवायी और पर्यटक ये सब लोग वहाँ पर आ रहे हैं, वह यहाँ से क्या इम्प्रेशन लेकर के जायेंगे कि महागंगा में ये लोग इतना पाप डाल रहे हैं, इसका तो जवाब इनको देना पड़ेगा, मैं तो आपके संज्ञान में यह बात ला रहा हूँ। मान्यवर, यदि आपकी अनुज्ञा हो तो सम्मानित सदन के आदरणीय सदस्यों से आग्रह भी करूँगा कि मेरे साथ चलें मैं उनको यह सब दिखाना चाहूँगा, अपनी आँखों से वह देखकर संतुष्ट हो जायें। अब मान्यवर, स्थायी निर्माण को देखिये, वहाँ पर अति निम्नकोटि की निर्माण सामग्री लगायी गयी है, जो कतई भी काबिले इत्मीनान नहीं है। मायापुर में जब मोटर मार्ग पुल का निर्माण चल रहा था तो निर्माण होते-होते ही उसका खम्भा ध्वस्त हो जाता है और पुल टूट जाता है, यह किसकी जिम्मेदारी होगी ? मायापुर के पास जो सड़क बनी है, उस सड़क में पता नहीं तारकोल लगाया गया है, पता नहीं क्या लगाया गया है, वह तो बनने से पहले ही टायरों में लिपट गया, फिर सड़क पर गड्ढे बन गये।

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी हमारी प्रार्थना पहुँचा दें कि अगर वह हमें भी हर की पैड़ी साथ लेकर के जायें, उनको भी उस नजारे को दिखा देंगे कि किस तरह हर की पैड़ी का मेन चौराहा टूटा है, कैसे हर की पैड़ी की सड़कें टूटी पड़ी है और कैसे लोगों की आँखें में धूल झौंकी जा रही है। उन गड्ढों को मिट्टी से भरा जा रहा है, कितने दुर्भाग्य की बात हैं आदरणीय अध्यक्ष जी, घाट पर आइये, घाट इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि बगैर घाट के स्नान सम्भव ही नहीं है। एक तो पूरी तरह से घाट बनाये नहीं गये और जो चुनिन्दा घाट बनाये गये हैं, उनको भी घोर धाँधली करके आनन-फानन में अपने चहेतों को ठेके दे दिये गयें, उसमें क्या निर्माण सामग्री लगी, एक चार की लगी या एक ग्यारह की लगी, एक तीन की लगी या एक दस की लगी। इसको वहाँ पर कोई नहीं देख रहा है कि रेते के 11 पल्ले पड़ रहे हैं, सीमेन्ट के तीन पड़ रहे हैं, इसकी कोई चैकिंग नहीं हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, घाटों में भी दरार पड़नी शुरू हो गई है, इतनी निम्न कोटि की निर्माण सामग्री लगी हुई है। अस्थाई निर्माण कार्यों का हिसाब देखें तो इसमें इस तरह अपव्यय हुआ कि निर्माण कार्य तो बहुत ही निम्न स्तर का, धनराशि उस पर कई गुना खर्च कर दी गई, मिसाल के तौर पर शौचालयों का निर्माण। आम तौर पर एक शौचालय बनाया जाय, उसमें नया सामान लगाया जाय, नई सीट लगायी जाय, नया टिन इत्यादि लगाया जाय तो साढ़े तीन हजार

रुपये से ज्यादा का खर्च नहीं आता है, लेकिन राज्य सरकार की अनोखी बात देखिये, उसमें टिन भी किराये पर ले आये, वह भी टूटी-फूटी टिन लाये, जिससे कि लम्बे समय तक इनका किराया हो। जो शौचालय साढ़े तीन हजार में बनना चाहिए था, वह एक शौचालय 35 हजार में इनको पड़ रहा है, इस तरह इस पर दस गुना धनराशि का अपव्यय किया जा रहा है। इसके बाद एक बहुत ही इन्ट्रस्टिंग प्रकरण आपके सम्मुख रखूँगा, तम्बू लगे हैं, जगह-जगह पुलिस थाने बने हैं, यात्रियों को ठहराने का है, आश्रमों का है, तो वहाँ पर फर्श के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, टैम्पोरेरी रास्ते बनाये गये हैं, खड़ंचे बनाये गये हैं, कहीं भी दुनिया में ईंट को किराये पर नहीं लिया जाता है, ईंट को खरीदा जाता है। एक ईंट की कीमत माननीय, अध्यक्ष जी, मेरे यहाँ लण्ढोरा में ईंट भट्टों की मण्डी है, सैकड़ों भट्टे हैं, एक ईंट ढाई-तीन रुपये से ज्यादा की नहीं आती, वह भी वेट के हिसाब से। महाकुम्भ में इस मर्तबा 30 रुपये प्रति ईंट (शेम-शेम की ध्वनि) के हिसाब से किराये में लिया गया। जबकि एक ईंट 3 रुपये की आती है मान्यवर, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, पहली बात तो यह है कि ईंट किराये पर नहीं ली जाती है।

*नगर विकास मंत्री (श्री मदन कौशिक)-

माननीय अध्यक्ष जी, झूठ बोलने पर इन्हें कोई सजा नहीं होने की। (हँसी)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"-

मान्यवर, इतना मत तिलमिलाइये आपको भी मौका मिलेगा। मान्यवर, 10 गुना धनराशि का अपव्यय हो रहा है। अब देखिये बल्ब पर लट्टू लगाने की बात आती है। लट्टू में जो बल्ब लगे हैं। मान्यवर, मैंने कोई असंसदीय शब्द कह दिया क्या ? आदरणीय अध्यक्ष जी, लट्टू के अन्दर जो बल्ब लगाये गये हैं, कोई 60 वाट का और कोई 100 वाट का। बाजार में कीमत 15 से 20 रुपये की होती है। लेकिन 60 रुपया उसका किराया दिया जा रहा है। यह किराया हमारी समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं यह क्या गोरखधन्धा है इनका। मैं चाहूँगा कि सदन इसे गम्भीरता से सुने। विगत सरकार द्वारा सन् 2004 में जब अर्द्ध कुम्भ कराया गया था तो केवल 156 करोड़ रुपया केन्द्र से मदद के रूप में मिला था। उस 156 करोड़ रुपये में जितने ठोस और स्थाई कार्य किये गये थे, चाहे उसमें मेला नियंत्रण कक्ष सी0सी0आर0 का निर्माण हो, चाहे उसमें पुलों का निर्माण हो, चाहे भवनों का निर्माण हो। इसके अलावा केवल कुम्भ क्षेत्र में ही नहीं, अपितु जनपद हरिद्वार क्षेत्र में ऐसे अतिमहत्वपूर्ण सम्पर्क मार्गों का जाल माननीय तिवारी जी की सरकार में बिछाया गया था, जिससे ट्रैफिक की व्यवस्था सुधरी साथ ही साथ जो सुदूर ग्रामीण अंचल थे जो कनेक्टीविटी से कटे हुए थे, उनका विकास भी सम्भव हो पाया। जैसे पुरकाजी-लक्सर-हरिद्वार मार्ग, लक्सर-लंढौरा-रुड़की मार्ग, खानपुर-दल्लावाला-ताफीर मार्ग, नारसन-झबरेड़ा-

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रधान मार्ग, मंगलोर–लखनौता–देवबंद मार्ग, भगवानपुर–इमलीखेड़ा–कलियर मार्ग, बसेड़ी–एथल–ज्वालापुर मार्ग, लंढौरा–मंगलौर मार्ग इत्यादि। लेकिन दुर्भाग्य यह है मान्यवर कि जो मार्ग 6 वर्ष पूर्व बन चुके थे वर्तमान सरकार द्वारा उनका अनुरक्षण भी नहीं किया गया। नये बनाने की बात तो छोड़ दें।

मान्यवर, नये तो नहीं बनाये गये, उनका अनुरक्षण भी नहीं किया गया। जनता हाहाकार मचा रही है, तीर्थयात्री परेशान हो रहे हैं। जो यहाँ धर्माटक आ रहे हैं, उनकी गाड़ियों की सस्पेन्सन खराब हो रही है, शौकर खराब हो रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ वहाँ खराब हो रही हैं। लेकिन सरकार है कि कुम्भकरणीय नींद में सोई हुई है। अध्यक्ष जी, यह और भी दुर्भाग्य की बात है कि राम मन्दिर निर्माण की दुहाई देने वाली सरकार ऐसे धार्मिक महापर्व में अस्मिता से खेल रही है। इसी के साथ मैं अपनी बात पर बल देते हुए आपसे विनय करूँगा कि नियम–310 के अन्दर इस पर चर्चा करवाई जाए और सी0बी0आई0 की जाँच कराई जाए। धन्यवाद।

*श्री गोपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–58 पर इसी विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने को प्रणव सिंह "चैम्पियन" से सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूँ कि हरिद्वार, उत्तराखण्ड की एक पहचान है और हमारी देवभूमि भी है और विश्व में हिन्दू धर्म की एक आस्था का प्रतीक है और जिसमें केन्द्र सरकार ने 500 करोड़ से अधिक धनराशि दी है। इसमें इतनी घोर वित्तीय अनियमिततायें हुई हैं। जिस ओर माननीय सदस्य 'चैम्पियन' साहब ने इंगित किया है मान्यवर, महाकुम्भ के निर्माण में नियोजन का बहुत अधिक अभाव था कि आनन–फानन में अफरा–तफरी में सारे के सारे धन का दुरूपयोग कर दिया। उसको अगर नियोजित ढंग से सही ढंग से खर्च किया जाता तो हरिद्वार की बात ही कुछ और हो जाती, वहाँ की चमक कुछ और हो जाती।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, विस्तार से सारी बातें प्रणव जी द्वारा कही जा चुकी हैं। कोई और विषय हो तो बता दें।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, इस तरह से धन का दुरूपयोग हुआ है, जिसकी कोई हद नहीं। मान्यवर, मैं इसी महाकुम्भ में स्नान करने के लिए गया था, सड़कें टूटी–फूटी थीं। जब मैं ऋषिकेश होते हुए गया था तो रोड में मिट्टी पड़ी थी, वहां फुटपाथ की कोई व्यवस्था नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी, महाकुम्भ के बहाने हरिद्वार में बहुत कुछ स्थायी निर्माण किया जा सकता था, वहाँ बाईपास बनाया जा सकता था जिसमें हमको आने–जाने में सुविधा हो सकती थी। मान्यवर, ऋषिकेश से हरिद्वार तक फोर लाइन की व्यवस्था की जानी चाहिए थी,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्विक्षण नहीं किया।

वह भी नहीं हो पाया। मान्यवर, जैसे कुंवर जी ने कहा था कि एक ईंट 2 से 3 रुपये की होती है, उसको 30 रुपये में खरीदा जा रहा है। मान्यवर, जो पेयजल की नालियाँ हैं, वह भी सीवर के किनारे–किनारे बनायी गयी हैं। खड़खड़ी तालाब पर जिसमें कोटा के पत्थर लगे थे, उनको उखाड़ करके साधारण पत्थर लगाये गये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस तरह से घोर अनियमितताएँ हुई हैं। मैं आग्रह कराना चाहता हूँ कि इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सभी नियमों को स्थगित करते हुए चर्चा करने की मांग करता हूँ।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे हरिद्वार के महाकुम्भ में केन्द्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि पर, राज्य सरकार द्वारा उस धनराशि में किये गये भ्रष्टाचार पर बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में बात लाना चाहती हूँ कि अगर आप स्वयं हरिद्वार गये होंगे तो देहरादून से हरिद्वार रुड़की की ओर जाने वाला बाई–पास है। उसके दोनों तरफ जो फुटपाथ हैं, उस पर भी मिट्टी नहीं डाली गयी है, यानी जहाँ शिव जी की मूर्ति है, वहां पर गड्ढे पड़े हुए हैं और उनको समतल तक नहीं किया गया है। मान्यवर, सड़क बनने से सड़क ऊँची हो गयी है और फुटपाथ नीचे हो गया है, यानी फुटपाथ को समतल भी नहीं किया गया है वहां पर मिट्टी डाल करके ईंटों से फुटपाथ ही बना देते, जिससे कि जो भी तीर्थ यात्री आता उसको परेशानी नहीं होती। मान्यवर, इस पूरे रास्ते में मैंने कहीं पर भी एक कूड़ादान नहीं देखा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कूड़ा ही नहीं होगा तो कूड़ादान कहां से होगा। (हँसी)

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जब वहां पर लाखों की जनता आयेगी तो कूड़ा नहीं डालेगी? अगर कूड़ादान नहीं होगा तो जनता सड़क पर कूड़ा डालेगी। जबकि देहरादून बिना कुम्भ के पॉलीथिन से भरा है, क्या वहां पर कूड़ा नहीं होगा ? यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है (व्यवधान) मान्यवर, वहां कहीं पर मैंने रैन बसेरा नहीं देखा, वहां पर मैंने हजारों लोगों को खुले आसमान पर बैठे हुए देखा। मान्यवर, सरकार के द्वारा वहां पर कोई रैन बसेरे की व्यवस्था नहीं की गयी थी, जबकि हर राज्य सरकार, जब भी कुम्भ होता है तो एक नहीं अनेकों रैन बसेरा बनाती है मान्यवर, जो ऐसे गरीब तीर्थ यात्री आते हैं, जो धर्मशाला और होटलों का किराया नहीं दे सकते हैं, वे ऐसे रैन बसेरों का प्रयोग करते हैं। मान्यवर, वहां आपको 2–4 पुरानी टीनें जरूर दिखायी देंगी जोकि शौचालय के रूप में उपयोग करने के लिए बनाया गया है लेकिन उसमें कुछ नहीं है केवल टीन लगायी है, उसमें कोई शेटरिंग का सामान नहीं है, उसमें कोई

दरवाजे नहीं हैं। जो महिलाएँ हैं, वह उसका उपयोग कैसे करेंगी, यह मैं नहीं समझ सकती और उसमें गड्ढे तक नहीं बनाए हैं, अगर जो गंदगी होगी वह ऐसी ही खुले में पड़ी रहेगी। चलिये मेरे साथ चलिये मैं दिखाऊँगी। मैं तो हर हफ्ते जाती हूँ। कुम्भ मेले में देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी विदेशी नागरिक आते हैं और वहाँ पर जो गंदगी मल-मूत्र देखेंगे उससे क्या सोचेंगे और क्या सोच लेकर जायेंगे कि भारत में यह क्या होता है।

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि जो वहाँ पर कैम्प साधु-संतों को दिये गये हैं, उन कैम्पों में बिजली के लिए 1 किलोवाट के लिए प्रति महीना 3 हजार रु० प्रति कैम्प किराया लिया जाता है। यानि की 3 महीने के 9 हजार रु० और उसके अतिरिक्त 1 हजार रु० यानि कुल मिलाकर 10 हजार रु० उनसे प्रति कैम्प से 3 महीने के लिए लिया जा रहा है और एक नल के कनेक्शन के लिए 1300 रु० लिया जा रहा है, अगर दो कनेक्शन लेते हैं तो 2600 रु० हो जायेगा और तीन लेंगे तो 3900 रु० हो जायेगा। जबकि सरकार हर बात पर उत्तर प्रदेश की नकल करती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में जो कुम्भ लगता है, उसमें साधु-संतों के कैम्प के लिए बिजली कनेक्शन के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता और न ही नल कनेक्शन के लिए पैसा लिया जाता है। मेरा इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि अगर हर चीज के लिए उत्तर प्रदेश की नजीर लेते हैं तो इससे नजीर क्यों नहीं ली गयी कि कुम्भ में अगर उत्तर प्रदेश में पैसा नहीं लिया जाता तो यहाँ पर भी नहीं लिया जाना चाहिए। इसके अलावा मैंने हरिद्वार को रात में देखा तो रात में पूरी हरिद्वार नगरी चमचमाती रहती है, क्योंकि हर जगह बिजली की कटौती की जा रही है और वहाँ पर बड़े-बड़े वाट के बल्ब जितने भी रास्ते हैं उन पर लगे हुए हैं। मेरा इस सम्बन्ध में यह कहने का तात्पर्य है कि अगर वहाँ पर बड़े-बड़े वाट की जगह सी०एफ०एल० के बल्ब लगाते तो इससे 40 प्रतिशत बिजली की बचत हमको होती। इससे हम कितने हजार मेगावाट की बिजली की बचत कर सकते थे और जो 3-3 घंटे देहरादून राजधानी में कटौती की जा रही है और पहाड़ों में 7- घंटे 10-10 घंट कटौती की जा रही है तो आज यह कटौती नहीं होती। तीन महीने तक अध्यक्ष जी, पता नहीं कितने मेगावाट तक की बिजली ऐसे खर्च हो रही है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसकी सी०बी०आई० जाँच कराई जाए।

श्री प्रीतम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा नाम भी था।

श्री अध्यक्ष-

आपका विषय आ गया। दो बार तो एक विषय पर बोलेंगे नहीं। नियम-58 में आप बोल चुके हैं। वह कन्वर्ट हो गयी थी।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", माननीय गोपाल सिंह जी, माननीय अमृता रावत जी ने कुम्भ से सम्बन्धित कार्य–स्थगन पर अपना विषय रखा। मान्यवर, विषय शुरू करने से पहले एक मिनट के लिए एक कहावत के रूप में एक छोटा सा विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग ऐसे थे, मैं किसी पार्टी विशेष या किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। कुछ लोग उसको एजेंसी मान लीजिए, जिसको ऐसी महारत हासिल थी कि उनको कुछ भी काम सौंपा जाए, चाहे वह सच हो या झूठ हो, वे उनका जो प्रेजन्टेशन होता था, वह सही के रूप में करना, वह उनका एक एक्सपर्टेशन था। मान्यवर, एक बार एक बकरी कहीं गुम हो गई और उस बकरी को ढूँढने के लिए अमेरिका की पुलिस की सहायता ली गई पर नहीं मिली, जापान की ली गई नहीं मिली। अन्त में जब पुलिस को कामयाबी नहीं मिली तो यह तय हुआ कि वह जो एक्सपर्ट वाली टीम है, जो सच को झूठ और झूठ को सच, कुछ भी कर सकती है उसको बुलाकर लाया जाए, तो वह आ गई। उसको कहा गया कि बकरी ढूँढकर लानी है तो उसने कहा कि ठीक है, लेकिन 10–15 दिन के बाद टीम ही गायब हो गई, सबसे बड़ी चिन्ता हो गई कि टीम कहाँ चली गई, बकरी चाहे न मिले, लेकिन टीम तो मिले। फिर कहा कि इण्टरपोल की सहायता ली जाए उस टीम को ढूँढने के लिए, तो इण्टरपोल की सहायता ली गई, तो 15–20 दिन के बाद इण्टरपोल ने ढूँढना शुरू किया तो उनको वह टीम सामने खड़ी मिल गई। उन्होंने देखा कि उस टीम के सभी लोगों के हाथ में डण्डे हैं, उन्होंने कहा कि शान्ति हुई कि टीम तो मिल गई, बकरी मिले या न मिले और वो देखते हैं कि सबके हाथ में डण्डे हैं और उन्होंने वो डण्डे कुत्तों पर बजा रखे हैं और कह रहे हैं कि "कहो मैं बकरी हूँ, कहो मैं बकरी हूँ" और उसको जबरदस्ती बकरी कहलवा रहे हैं। तो माननीय अध्यक्ष जी, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे काम चलेगा।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नगर विकास मंत्री जी की पीड़ा को समझ सकता हूँ, जब तक केन्द्र सरकार से महाकुम्भ के लिए धन नहीं मिला था तब तक माननीय विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में सारा काम हो रहा था, जैसे ही केन्द्र सरकार से 556 करोड़ रुपये मिला तो माननीय नगर विकास मंत्री जी की अध्यक्षता छोड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में काम होने लगा। यही पीड़ा है माननीय नगर विकास मंत्री जी की।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे मित्रों ने जो विषय यहाँ उठाये हैं उसके सम्बन्ध में, मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में कुल

306 योजनायें हैं, उनमें से 193 योजनायें कम्प्लीट हो गई हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जो टोटल स्वीकृति दी है, वह 570 करोड़ 82 लाख और 34 हजार की दी गई और वर्तमान समय में इसमें से जो स्थाई काम हुआ है, वह 407 करोड़ और 39 लाख के काम हैं और इस समय वर्तमान में 344 करोड़ के काम हम लोगों ने 8 तारीख तक पूरे कर लिये हैं, यह जो हमारा धन का आवंटन था उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी है। माननीय अध्यक्ष जी, एक चीज मैं निश्चित रूप से रखना चाहूँगा कि जो हमारे मित्रों ने कुम्भ से सम्बन्धित कई चीजें उठाई हैं कि 1998 और 2004 के दो विषय हमारे सामने, 1998 में महा कुम्भ और 2004 में अर्द्ध कुम्भ हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, 2004 की बात की थी तो बताना जरूरी है कि यह सरकार कहाँ खड़ी है, पारदर्शिता से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, जनता क्या सोचती है, आम लोगों की क्या भावना है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष, 2010 और 1998 एवं 2004 का अन्तर, मान्यवर, एक अन्तर तुलनात्मक रूप से मैं यहां पर रखना चाहता हूँ। 1998 में यदि हम जांय तो टोटल 103 करोड़ के जो काम थे, जो स्वीकृत थे और हुए थे और आज की तारीख में यदि माननीय अध्यक्ष जी, हम देखें तो हमने 570 करोड़ रु0 के कार्य स्वीकृत किये। यह कितना बड़ा अन्तर है। यह तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा है कि वे इतना पैसा लेकर आये, इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गये, उन्होंने अपने राज्य का विषय रखा और पैसा ले आये। आप केन्द्र से वर्ष 2004 में क्यों नहीं ले आये। आपको किसने रोका था।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, हम आपकी पीड़ा समझ रहे हैं। बकरी चिल्लाने से नहीं मिलती है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपको किसने मना किया था।

कृषि मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय प्रीतम सिंह जी को कह रहा हूँ कि कुत्ता मार–मार कर बकरी नहीं बन सकता।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह कुम्भ मेला केवल राज्य सरकार का ही नहीं अपितु एक राष्ट्रीय पर्व है, अन्तर्राष्ट्रीय पर्व है जैसा हमारे माननीय सदस्य ने कहा है कि आज देश ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी कुम्भ में पर्याप्त मात्रा आये में हैं। कुम्भ का संदेश केवल उत्तराखण्ड राज्य का ही नहीं अपितु, पूरे देश का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जाये, इसको ध्यान में रखते हुए इस सरकार ने सारी योजनाएं तैयार की हैं। वर्तमान में जब हम कुम्भ के अन्दर देखते हैं कि चाहे वह घाटों का निर्माण हो, पुलों

का निर्माण हो, विद्युत–सब स्टेशन हों, सीवर लाईन हों, जलाशय हों, आज इनकी स्थिति यह है कि लोग हरिद्वार में आकर एक चर्चा जरूर करते हैं कि क्या यह वही हरिद्वार है जो हमने 2004 के अर्द्धकुम्भ में देखा था। उस अर्द्धकुम्भ की व्यवस्था को देखकर लोग कहते हैं कि आज इतनी भव्य व्यवस्था बनी है। आज केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी यह चर्चा है कि वास्तव में उत्तराखण्ड में ऐसी कौन सी सरकार है, जिस सरकार ने आज पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा आयोजन किया है। माननीय अध्यक्ष जी, एक नई पहल इस महा कुम्भ में हम लोगों ने की है। जैसे अभी माननीय कुँवर प्रणव सिंह जी ने कहा कि जो पेशवाई का रूट है, इस रूट पर स्पार्किंग हुई और एक दुर्घटना होने से बची, इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि 17 किलोमीटर की पेशवाई रूट पर जो तारें हैं, वे रबड़ की चढ़ी हुई तारें हैं। इसमें खाली तारें नहीं छोड़ी हैं, जिससे की पेशवाई वहां बार–बार गुजरे और कोई दिक्कत न हो। यह सवाल ही नहीं उठता कि इस प्रकार की वहाँ कोई ऐसी घटना घटित हुई हो। मैं आपकी एक–एक बात का जवाब दे रहा हूँ।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, मैंने पेशवाई रूट पर नहीं कहा मैंने गंगा टॉकीज रूट पर कहा है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, गंगा टॉकीज भी पेशवाई रूट है। मैं एक–एक चीज पर आ रहा हूँ। मान्यवर, छः हमने काम्पलेक्स सब–स्टेशन बनाये। हर की पैड़ी क्षेत्र में बिजली 24 घंटे रहे, इसके लिए छः स्थानों पर लिंकिंग और डीलिंकिंग की व्यवस्था की है। हम लोगों ने पहली बार बैरागी कैम्प पर विकलांग घाट का निर्माण किया है, जो लोग वहां नहीं पहुंच पाते हैं, उनके घाटों की अलग से व्यवस्था की है। मैं एक–एक चीज को रखना चाहता हूँ। मान्यवर, ग्रीन घाट का निर्माण हम लोगों ने किया। सुना भी नहीं होगा, इन लोगों ने कहीं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि स्नान वाले दिन सभी माननीय सदस्य चलें और देखें हरिद्वार की खूबसूरती। वैसे माननीय सदस्या ने स्वीकार किया है कि शाम के समय हरिद्वार जगमगा रहा था। (मेजों की थपथपाहट) मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय सदस्या को कि उन्होंने कहा कि हरिद्वार जगमगा रहा था। (व्यवधान)

श्रीमती अमृता रावत–

यह भी तो बताईये, इससे कितने मेगावाट बिजली की कमी हुई है ? (व्यवधान) यह आपकी बुद्धि दर्शाता है कि अगर आप सी0एफ0एल0 लगाते तो कितने हजार मेगावाट बिजली बचाते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, जब हरिद्वार जगमगा रहा था, तब पूरा प्रदेश अंधकारमय था। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ हरिद्वार ही नहीं, प्रेम नगर आश्रम भी जगमगा रहा था। (मेजों की थपथपाहट) बहुत सुन्दर है, प्रेम नगर आश्रम भी। (व्यवधान) उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, वह भी जगमगा रहा था।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, व्यवस्था अच्छी है, तभी तो आपने अपनी भतीजी की शादी वहीं करायी थी (व्यवधान) और गन्दगी छोड़कर चले गये थे, सफाई भी नहीं करायी थी। (व्यवधान) पूरे कुम्भ में आपको कहीं गन्दगी नहीं दिखाई देती, एक भी कूड़ादान नहीं रखा। (व्यवधान) इससे पता चलता है आप कितने साफ–सफाई वाले मंत्री हैं। शहरी विकास मंत्री हैं कि शहरी गन्दगी मंत्री हैं आप ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आपने किराया दिया था या नहीं, जब शादी करायी थी ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इन्होंने किराया लिया ही नहीं। (व्यवधान)

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, फ्री में दिया, लेकिन माननीय मंत्री जी ने धन्यवाद भी नहीं दिया। (व्यवधान) मिठाई का एक डिब्बा तो छोड़िये, धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सफाई के लिए 31 हजार रुपये बाद में दिये थे। (व्यवधान) धन्यवाद मैं आज भी सदन के सामने दे रहा हूँ। (व्यवधान) मैंने फोन करके महाराज जी को भी धन्यवाद दिया था।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, आपने मुझे धन्यवाद कहाँ दिया ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपको नहीं दिया, लेकिन महाराज जी को दिया था। (व्यवधान) आपको आज दे रहा हूँ।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इस सरकार के मंत्रियों को फ्री खाने की आदत है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, तब मैं विधायक था, ये ही मंत्री थीं। (व्यवधान) अब आप ही कुछ कह सकते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं उस समय विधायक था। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, 2004 में केवल एक किलोमीटर का घाट बना था। आज 5 किलोमीटर घाट का निर्माण हुआ है। (व्यवधान) विकलांग घाट अलग बना है। टोटल घाट की लम्बाई 5 किलोमीटर है। (व्यवधान) आपने कहा है तो सुनना पड़ेगा। जो किया है, वही बता रहे हैं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, ये आंकड़े हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से हम 565 करोड़ रुपये ले कर आए। उसमें काम भी कराया हमने। वह काम भी रखना चाहते हैं। (व्यवधान) माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। (व्यवधान) कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र सरकार को इस सदन के माध्यम से धन्यवाद दिया है (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा, 5 किलोमीटर से अधिक अतिरिक्त घाट बने हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जब हम दिल्ली से आते थे, माननीय कुंवर प्रणव "चैम्पियन" की तरफ कहना चाहता हूँ, जरा गौर फरमायेंगे। दिल्ली से आने में इन्हीं के क्षेत्र में ढाई–ढाई, तीन–तीन घंटे लग जाते थे, आज वहां पर रेलवे का ओवर ब्रिज बनवाया है, अब आप बिना जाम के दिल्ली से हरिद्वार आ सकते हैं। (मेजों की थपथपाहट)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, यह बिलकुल गलत कह रहे हैं, इसके लिये हमारा चार साल का प्रयास रहा है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हमने उसका निर्माण कुम्भ के बजट से करवाया है।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, राज्य सेक्टर से तो नहीं बनवाया है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कुम्भ के पैसे से हमने वहां पर रेलवे का ओवर ब्रिज बनवाया है। आज दिल्ली से हरिद्वार के लिये चलेंगे तो रास्ते में कोई रेलवे क्रासिंग नहीं पड़ेगी। इनके क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हमने दी है (व्यवधान)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, मैं इनसे यह जानना चाहूँगा कि इन्होंने योजना कब दी थी ? ये जबरदस्ती इसका श्रेय ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मोटर मार्ग का हो या रेलवे का हो, ब्रिज हमने बनवाया है, इसका सबूत यह है कि इन्होंने इस पर विशेषाधिकार हनन की नोटिस दी थी कि इस योजना में इनका नाम नहीं लिखा गया है। हमने माना कि गलती हुई है और अब लिखेंगे।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, कुत्ते को बकरी बनाने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अभी तो हम ओवर ब्रिज पर ही आये हैं, अभी तो हमारे पास और कई योजनायें हैं, उनको सुनना तो पड़ेगा।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, इसका प्राक्कलन आपने कब भेजा, यह बता दें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह पूछ रहे हैं कि प्राक्कलन कब भेजा, उस पर तो अब गाड़ी चल रही है। (गाड़ी चलने का इशारा करते हुये) (व्यवधान)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, यह बाजीगरी नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह एक महत्वपूर्ण मसला है, महाकुम्भ चल रहा है और हम उस पर यहां विचार कर रहे हैं, यह एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्व है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप विचार कहाँ कर रहे हैं, आप तो घोटालों की बात कर रहे हैं, हम अपना विषय रख रहे हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, हमने इसीलिये नियम–310 में नोटिस दिया हुआ है, मैं वहाँ पर खुद गया था, क्योंकि यह पूरे देश का पर्व है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह बोलें तो कुछ नहीं और हम उसका उत्तर दे रहे हैं, यह उसमें भी चर्चा करने लगते हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, वहाँ पर यदि ऐसा कुछ होता है तो हमारी बदनामी होगी, देश की बदनामी होगी। हमारी नियम–310 की नोटिस थी, जिसे आपने नियम–58 में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिये मैं स्वयं हरिद्वार गया था।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अगर मैंने किसी प्रश्न का गलत उत्तर दिया हो, तो आप मुझे बताइये ना, आप एक–एक चीज का पूछिये।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय किशोर जी वहाँ पर स्नान करके आये या नहीं ?

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यह एक महत्वपूर्ण विषय है और माननीय मंत्री जी इतने हल्के तरीके से और मजाक में इसे ले रहे हैं।

*श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, इतने महत्वपूर्ण विषय को माननीय मंत्री जी हँसी का पुट दे रहे हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं एक–एक विषय सदन के सामने रख रहा हूँ, हँसी का कोई पुट नहीं दे रहे हैं। आप लोग सुनिये। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, हम यह चाहते हैं कि हमारे प्रदेश और देश की छवि अच्छी बननी चाहिये।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जितने भी विषय प्रतिपक्ष ने उठाये हैं, उनका उत्तर तो माननीय मंत्री जी को देना ही पड़ेगा, जो सवाल उठाये हैं, उनको जवाब तो हमें देना ही होगा। प्रतिपक्ष को सरकार का जवाब भी सुनना चाहिये।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, ये इस तरह से महाकुम्भ का मजाक बना रहे हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप लोग सुनिये तो सही, हम एक–एक चीज का उत्तर दे रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले जब कभी हरिद्वार में इस तरह का आयोजन होता था, तो नेशनल हाईवे बन्द रहता था, हैवी ट्रैफिक के लिये। उसको 15 दिन, 20 दिन, एक महीने के लिये बन्द करना पड़ता था। (व्यवधान) मान्यवर, यह जब तक सुनेंगे नहीं, बात कैसे आ पायेगी।

श्री अध्यक्ष–

पूरी बात तो आने दीजिये।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जब तक यह सुनेंगे नहीं कि सरकार की योजना क्या है, मान्यवर, मैं एक–एक चीज बताना चाहता हूँ, लेकिन माननीय सदस्य सुनें तो।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी, आप भी स्थान ग्रहण करें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं खुद वहां पर गया था, सूचना केन्द्र की हालत इतनी ज्यादा खराब है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

माननीय किशोर जी, माननीय अन्य सदस्यगण, जो–जो बिन्दु आप लोगों ने उठाये हैं, उनका माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। उसके बाद भी कोई स्पष्टीकरण आप लेना चाहें तो ले सकते हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मंत्री जी जवाब कहाँ दे रहे हैं, इतना गम्भीर विषय यहाँ पर चल रहा है और माननीय मंत्री जी उसमें हास्य का पुट ला रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले चाहे कांवड़ का मेला हो, चाहे महाकुम्भ हो। (घोर व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, ऊपर से धमका रहे हैं। (घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

नहीं माननीय अध्यक्ष जी, धमकाने की हिम्मत हमारी कहां हो सकती है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, आप कह रहे हैं सुनिये, कोई धमकाने वाली भाषा चलेगी क्या ?

श्री मदन कौशिक–

नहीं माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज क्योंकि वहां सिडकुल का एक बहुत बड़ा क्षेत्र, हैवी ट्रैफिक के हाईवे पर जाने के बाद, हाईवे पर बड़ी दिक्कत आती थी। इस सरकार ने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया कि हाईवे के बराबर में जो गंगा नहर है, उसके बराबर से सीधा एक दूसरा हाईवे निकालते हुए, धनोरी पर एक नया पुल बनाते हुए और भगवानपुर निकालते हुए सहारनपुर और दिल्ली के मार्ग पर हैवी ट्रैफिक जायेगा, ये व्यवस्था हमने की है। ये महत्वपूर्ण व्यवस्था है। (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) जो हम लोगों ने महाकुम्भ के माध्यम से की है। माननीय अध्यक्ष जी, हिल बाई पास पिछले 10 सालों से बन्द पड़ा था। पिछले 10 सालों में हरिद्वार पर ट्रैफिक आने का भी, जाने का भी केवल एक यही हाईवे था,.बाकी कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि जब बहुत ज्यादा भीड़ हो जाय तो ट्रैफिक को दूसरे रास्ते से निकालो। हिल बाईपास बिल्कुल बन्द पड़ा हुआ था, उसको न 2004 में अनुमति मिली, 2004 में जब अनुमति नहीं मिली तो इस सरकार ने विचार किया और हम लोग सुप्रीम कोर्ट गये। हमने सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष मजबूती के साथ रखा और सुप्रीम कोर्ट से हमें अनुमति मिली, हिल बाई पास के पूरे मार्ग की रिपेयर केवल नहीं हुई, अपितु हिल बाईपास को आगे तक, दो किलोमीटर आगे एक जो मोतीचूर रेलवे स्टेशन है, वहां तक बढ़ाया जायेगा, एक वैकल्पिक मार्ग हमारा सीधा बी०एच०ई०एल० से निकालकर देहरादून रोड पर मिलाएंगे। ये हमने तैयार किया है आने वाले 2–3 महीनों में कम्पलीट हो जायेगा, ये एक महत्वपूर्ण हमारी

योजना है। (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) ये कुम्भ से किया हमने। माननीय अध्यक्ष जी, अभी तक केवल 2004 में 2 पुल बने थे, 1998 में 2 पुल बने थे, 2010 में हमने 6 बड़े पुल बनाये हैं, 6 बड़े पुलों का निर्माण किया है, इस महाकुम्भ की योजनाओं में। (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) एक हमने धनोरी में बनाया, तीन हमने हरिद्वार में बनाये (व्यवधान) एक-एक का नाम बता रहा हूँ। एक हर की पैड़ी पर बनाया, गऊघाट का पुल, एक हमने डैम कोठी के बराबर में बनाया, एक हमने गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पास बनाया, एक हमने लक्सर में बनाया। (व्यवधान) हमने पुल बनाये हैं पूरे पुल, बड़े पुल बनाये हैं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, अब सुनना तो पड़ेगा माननीय अध्यक्ष जी, फिर बाद में कहते हैं कि हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं, इससे बड़ी सीरियसली क्या होगी, सुनने को तैयार नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, 1998 में (व्यवधान) गुमराह नहीं कर रहा हूँ, आँकड़े रख रहा हूँ। ये लोग इस अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मेले को इस प्रकार भ्रष्टाचार कह के इस उत्तराखण्ड ही नहीं भारत की साख को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, ये हिन्दुस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। ये शोभा नहीं देता विपक्ष के मित्रों को। (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) हम कुम्भ मेला कर रहे थे, माननीय अध्यक्ष जी, जिसका आयोजन हो रहा है। हम तो मिलकर उसमें काम कर रहे हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण एवं माननीय सदस्य चौ0 यशवीर सिंह जी 'वेल' में आ गये और अपनी-अपनी बात जोर-जोर से कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान होने लगा।)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें। किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा, जब तक वह अपने स्थान पर नहीं जायेंगे। (घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रतिपक्ष के बंधुओं से अनुरोध है कि कृपया अपना आसन ग्रहण करें। कोई ऐसा अमर्यादित व्यवहार माननीय मंत्री जी द्वारा नहीं किया गया। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त-

माननीय अध्यक्ष जी, अब प्रतिपक्ष कोई सवाल उठाता है तो माननीय मंत्री जी को हक है कि वह उसका उत्तर दें। जितने सवाल उठाये उसका माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया, इसमें अमर्यादित व्यवहार वाला विषय कहाँ से आ गया।

उन्होंने पूरी मर्यादित तरीके से आपके प्रश्नों का उत्तर दिया। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान)

मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्यगणों से अनुरोध है कि यह बात सही है कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ऐसे समय पर जबकि पूरे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राज्य पर, हरिद्वार पर सब लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, जैसा कि माननीय सदस्यगण ने भी कहा कि यह राष्ट्रीय ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय महापर्व है और यह इस सदी का, दुनिया का सबसे बड़ा मेला होने जा रहा है, यह सौभाग्य हमको मिला है, यह मेला सबका है यह बात सही है कि हमारे राज्य की छवि देश और दुनिया में अच्छी रहे। छोटी–मोटी कमियाँ होंगी आप लोगों से चर्चा करके, अगर कहीं कोई कमी होगी तो हम उसको भी दूर करेंगे। श्रीमन्, जो विषय आपने उठाया है, मेरी बात तो सुन लीजिए, आपने जो बिन्दु उठाये हैं अन्ततोगत्वा उन सारे बिन्दुओं पर एक–एक विषय पर आप बात तो आ जाने दीजिए..............।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् जोर–जोर से अपनी बात को कहते रहे)

(घोर व्यवधान)

श्रीमन्, आपने एक विषय उठाया सड़क का, एक विषय उठाया पेयजल का, तो यह सारा आ जाये और उसके बाद कोई विषय होगा तो अध्यक्ष जी की सहमति से चर्चा कर लेंगे। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं, श्रीमन्, हरिद्वार का महाकुम्भ अभी तक के इतिहास में अभिनव है। (व्यवधान) देश के अन्दर जितने भी अभी तक कुम्भ हुए हैं, हमारा सौभाग्य है कि इस समय यह कुम्भ अपने ढंग से व्यवस्था की दृष्टि से सर्वोच्च है। यह देश ही नहीं पूरी दुनिया के लगभग 50 देशों से इस ढंग का श्रीमन्, संदेश आया है, जिन्होंने हर्ष व्यक्त किया है। इसलिए देश के विभिन्न प्रदेशों से और दुनिया के विभिन्न देशों से जो संदेश श्रीमन्, इस कुम्भ के बारे में अच्छा आया है, वह हम सभी लोगों के लिए हर्ष का विषय है। इसलिए जितने विषय मान्यवर, माननीय सदस्यगणों ने उठाये हैं माननीय मंत्री जी उसका एक–एक करके जवाब दे रहे हैं और कमी होगी तो उसके बाद और बात कर लेंगे, हम उसको नोट करेंगे, श्रीमन्।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, क्या कह दिया ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय यशपाल जी यहाँ पर हैं, जो पूर्व विधान सभा अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसा आपत्तिजनक क्या कह दिया माननीय मंत्री जी ने। बतायें तो सही।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय जी द्वारा कुछ कहने पर)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, नहीं–नहीं। मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह कहा कि इस प्रकार से भ्रष्टाचार–भ्रष्टाचार कह के प्रदेश की छवि खराब कर रहे हैं। ऐसा मत कहें। मान्यवर, रिकार्ड मँगा लीजिए। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय यशपाल जी, माननीय सदस्यों के जो–जो बिन्दु आये हैं, उसे माननीय मंत्री जी ने बड़े ध्यान से सुना। अब जब मंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं तो हर एक बात पर टोका–टाकी करेंगे तो यह उचित नहीं। (व्यवधान) आप मंत्री जी की बात शान्ति से सुन लें और उसके बाद कोई जिज्ञासा होगी तो आपको और समय दे दूँगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जब यह कहते हैं भ्रष्टाचार, तब तो कुछ नहीं।

(भारतीय काँग्रेस के समस्त सदस्य अपने–अपने स्थानों पर चले गये।)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से व्यवहार किया है, गलत तरीके से आरोप लगाये हैं। गलत तरीके से हमको राष्ट्र विरोधी कहा गया है। (घोर व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से व्यवहार किया है, जब तक उस पर खेद प्रकट नही करते हैं, हम मानने वाले नहीं हैं।

श्री मदन कौशिक–

ऐसा कोई शब्द नहीं कहा है। ऐसा कोई शब्द है तो निश्चित रूप से मैं वापस लेता हूँ। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अगर 'राष्ट्रद्रोही' कहा है तो देख लूँगा।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, यदि ऐसा कोई शब्द आया है तो मैं उस शब्द को वापस लेता हूँ।

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में आकर अपनी बात कहने लगे, जिससे व्यवधान हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। यदि ऐसा कहा है तो उसका परीक्षण करा लेंगे। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकरण को अनावश्यक तूल देने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा पुनर्विचार का अनुरोध है, माननीय मंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, जिसके आधार पर इतना आवेश पैदा किया जाय। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं वही अनुरोध कर रहा हूँ, मैं कार्यवाही मंगा लूँगा और उसका परीक्षण करा लूँगा। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रद्रोही शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है और प्रतिपक्ष बहुत जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी हम समझते हैं। चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम भी जवाबदेह हैं, इस जवाबदेही को हम भी महसूस करते हैं। राष्ट्रद्रोही जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसा कोई शब्द माननीय मंत्री जी ने नहीं कहा है। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपा करके अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करें। ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया जिसे आपत्तिजनक कहा जाय। अगर ऐसा कोई विषय है तो कार्यवाही दिखा लें, उसमें तो एक–एक शब्द अंकित होता है। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा है। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, कृपया आपस में बात न करें। (घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, मेरा आपसे यह अनुरोध है कि जैसा माननीय यशपाल आर्य जी ने, माननीय तिलक राज बेहड़ जी, उपनेता ने यह कहा है कि हमको राष्ट्रद्रोही कहा है। जहां तक मैं सुन रहा था, ऐसे शब्द का प्रयोग कहीं है तो मैं आग्रह कर रहा हूँ कि उसे कार्यवाही से निकाल दें। उन्होंने जरूर कहा है कि देश की छवि धूमिल होती है यदि बार–बार हम कहें कि महाकुम्भ में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो राज्य की छवि धूमिल होती है। श्रीमन्, यदि यह शब्द है तो उसको निकाल दिया जाय। अच्छी चर्चा हो रही है ......।

(व्यवधान के मध्य)

श्रीमन्, एक–एक विषय करके चर्चा आ रही है यदि राष्ट्रद्रोही की बात है, मैंने माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध कर लिया है कि दिखवा लेंगे और निकालने की बात है। अब आप बैठ जाइये। एक–एक विषय करके वो बता दें तो ज्यादा अच्छा है। (भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर चले गये।)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है। जब इसी सदन के अन्दर हमारे जो बसपा के माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश जी हैं, वो जोर से बोल रहे थे, उस समय आपकी पीठ से आया था कि संयमित व्यवहार करें और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की तरफ से आज सुबह आया था कि संयमित आचरण करें। जब एक विधायक के लिए संयमित आचरण की बात आप कहते हैं श्रीमन्, तो सत्ता पक्ष में बैठे जो मंत्री हैं अगर वह मर्यादित भाषा का प्रयोग न करें तो निश्चित रूप से यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

मेरा आप लोगों से अनुरोध है। मैंने यह भी निवेदन किया था कि आप लोगों ने जो विषय रखा है, उसको सभी सदस्यों ने बड़े ध्यान से सुना है। अब माननीय मंत्री जी अपना विषय रख रहे हैं, अब उसे आप ध्यान से सुनिये। अगर आप बीच में हर वाक्य में टीका–टिप्पणी करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। माननीय मंत्री जी अपना विषय रख रहे हैं, आप उसे ध्यान से सुनिये। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे तो मैं फिर आपको अवसर दे दूँगा।

श्री प्रीतम सिंह–

श्रीमन्, बात यह नहीं हो रही है, बात यह हो रही है, जब इस सदन का

एक सम्मानित सदस्य, जिनकी आवाज इतनी बुलन्द है, वह बोलता है तो पीछे से इस पर आपत्ति आती है। आपने भी कहा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा कि संयमित आचरण करें।

श्री अध्यक्ष–

जब आप बीच में टीका–टिप्पणी नहीं करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा।

श्री प्रीतम सिंह–

श्रीमन्, निश्चित रूप से सत्ता में बैठे जो मंत्री लोग हैं, उनको भी संयमित आचरण का प्रयोग करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

आप टोका–टाकी छोड़ दें।

श्री प्रीतम सिंह–

अगर हम टोका–टाकी करेंगे तो माननीय मंत्री जी क्या ऐसा व्यवहार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

जब दोनों तरफ से ऐसी बाते होंगी तो दिक्कत वाली बात है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, 1998 के कुम्भ मेले में जो व्यवस्था बनी थी वह 74 हेक्टेयर भूमि पर 18 हजार 500 की अस्थायी पार्किंग बनायी गयी थी, वहीं इस बार हम लोगों ने 45 स्थानों पर और 300 हेक्टेयर पर लगभग एक लाख वाहनों के खड़े होने की व्यवस्था तैयार की है। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि एक लाख वाहन एक साथ खड़े हो सकते हैं। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष जी, कुम्भ मेले में 1998 में अस्थायी कैम्प जो लगे थे, वह 100 हेक्टेयर भूमि पर लगते थे। इस बार हम लोगों ने उस भूमि को बढ़ाकर 150 हेक्टेयर तक किया है और वह सारी व्यवस्थाएँ दी हैं, जो कुम्भ मेले में साधु–संतों को दी जानी चाहिए। उसको डेढ़ गुना बढ़ाया है। माननीय अध्यक्ष जी, केवल यही नहीं सारे काम हो रहे हैं, सारी योजनाएँ हो रही हैं, निर्माण के काम हो रहे हैं। केवल निर्माण के काम हो जाय और निर्माण के कामों पर कोई ध्यान न दिया जाए, निर्माण के काम कैसे हो रहे हैं, इस व्यवस्था को कि निर्माण के काम ठीक हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, इसको भी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार की है। माननीय अध्यक्ष जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे कामों के लिए हम लोगों ने थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल एश्योरेन्स के लिए श्रीराम इन्स्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली एवं टी0डी0यू0एस0यू0डी0 साऊथ एशिया, ये जर्मनी की है, नई दिल्ली को स्वतंत्र रूप से, जो भारत सरकार को मान्य है, सरकार के पैरेलल है, सर्वोच्च है, इन दोनों को कहा कि हर काम की जाँच करेंगे और जाँच करके सरकार को रिपोर्ट देंगे तब जाकर इसकी क्वालिटी मानकर हम लोग अगली कार्यवाही करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, 1429 इस प्रकार की निर्माण

एजेंसियों ने सैम्पल लिये हैं, उसकी जाँच की है। यह पहली बार हुआ है 11 लाख 41 हजार रुपये निर्माण एजेंसियों से कटौती के रूप में लिए और जहाँ भी कमी पायी गई है, हमने तत्काल कार्रवाई की। मान्यवर, केवल एक विभाग में नहीं हमने सिंचाई विभाग के 557, पेयजल निगम के 130, जलसंस्थान गंगा प्रदूषण इकाई के 225, नगरपालिकाओं के 36, वन विभाग के 7, लोक निर्माण विभाग के 275, इस प्रकार से कोई विभाग ऐसा नहीं बचा है जिसकी जाँच एजेंसी नहीं कर रही है। कोई नहीं छोड़ा क्योंकि यह एक स्वतंत्र एजेंसी है, भारत सरकार की सर्वोच्च एजेंसी है। हम लोगों ने कहा कि यह सरकार तो पारदर्शी सरकार है, सरकार तो चाहती है कि जो ठीक प्रकार से काम हो रहे हैं, वह जनता के बीच में जाने भी चाहिए, इस कारण से उन स्वतंत्र एजेंसियों से हम लोगों ने कहा कि आप जाँच करिये और जाँच करने के बाद जहाँ भी कमी नजर आयेगी, चाहे वह कितना भी बड़ा अधिकारी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार–चार लोगों को वहाँ से सस्पेंड किया गया है। हम लोगों ने कार्रवाई में कोई कमी नहीं रखी है।

हमारे मित्रों ने कहा कि हमने ईंट का किराया 30 रुपया दिया है, मान्यवर, मैं यह कहता हूँ कि दिखा दें कि एक बार भी ईंट का किराया 30 रुपया लिया है तो हम हर सजा भुगतने को तैयार हैं, केवल सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हम किससे कहें कि हमने 30 रुपया ईंट का किराया दिया ही नहीं, ईंट किराये पर ली ही नहीं हमने, ये हम किसको बोलें और हम बोलते हैं तो नाराज होते हैं। कौन विश्वास करेगा, क्या यह बात पूरे देश में नहीं जायेगी, तो हम कहाँ कहें, यही हाऊस तो है जहाँ हम बता सकते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है। हमें बतायें कि हमने कहाँ से 30 रुपया ईंट का किराया ले लिया ? बल्ब का किराया 50 रुपया ले लिया है, तो कुछ भी बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। मान्यवर, आज मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार के सचिव उस काम को देखने के लिए आई हैं, वह भारत सरकार की सचिव हैं, राज्य सरकार के अन्तर्गत काम नहीं करती हैं, योजना आयोग की हैं और उन्होंने सारे कुम्भ मेले का निरीक्षण करके कहा कि यह जो थर्ड पार्टी का काम इस सरकार ने किया है और यह जो कामों की गुणवत्ता है, इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहते हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा, जो सदन में उपस्थित नहीं हैं उनकी बात की गई, ऐसे तो महामहिम राज्यपाल जी ने क्या कहा यह भी बता दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रीतम सिंह जी, आप भिज्ञ हैं इससे और जानते भी हैं कि अगर जो टिप्पणियाँ किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में की जायें जो इस सदन का सदस्य नहीं है, उस पर आक्षेप लगाया जाए तो हमें एतराज हो सकता है परन्तु किसी की बढ़ाई की जाय ....। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की पीठ थपथपा दी तो उसका संज्ञान लिया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष–

बिल्कुल लिया जा सकता है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी ने यह भी तो कहा है कि इससे अच्छी सड़क तो मेरे गांव की है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदय हरिद्वार गयीं। महामहिम के साथ दौरे पर मैं स्वयं और वहां के मेयर साहब भी थे। पूरे मेले का भ्रमण करने के बाद महामहिम राज्यपाल ने सरकार के लिए खास तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को फोन पर बधाई दी कि मेले की जो व्यवस्था है, वह बहुत अच्छी है और यदि किसी अखबार में कुछ छपा था तो अगले दिन महामहिम राज्यपाल ने खुद उसका खण्डन किया और कहा कि यह गलत छपा है। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की गायिका पिनाज मसानी हैं, इनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, पूरा शहर वहाँ पर था। मैं सदन में कहना चाहता हूँ कि जब वे नीचे आयीं, हिन्दुस्तान अखबार ने उस कार्यक्रम का आयोजन किया था, उनसे जब परिचय हुआ, परिचय के बाद उन्होंने कहा कि मैंने बहुत शहर देखे, लेकिन अपने जीवन में इतना खूबसूरत हरिद्वार शहर नहीं देखा। सारे अखबार वाले वहां पर थे। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे हमारे माननीय सदस्य कुँवर प्रणव सिंह जी ने कहा कि हर की पैड़ी पर नाले गिर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के सामने कह रहा हूँ कि हर की पैड़ी पर, हर की पैड़ी के आस–पास नाला तो बहुत दूर की बात है, हमने नाली की भी व्यवस्था की है कि गंगा में नहीं जायेगी, इसको भी हमने टैपिंग करने की व्यवस्था की है। माननीय अध्यक्ष जी, जब राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आते हैं और हरिद्वार को देखकर कहते हैं कि वास्तव में अच्छी व्यवस्था है, तो हमें भी अच्छा लगता है कि अच्छी व्यवस्था का संदेश जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, जैसे कि मैंने तारों के बारे में कहा है कि पेशवाई रूट पर सारी तारों पर रबड़ चढ़ी है। जहां तक हर की पैड़ी के मुख्य चौराहे की बात आपने की कि वहाँ पर सड़क नहीं बनी। इसे मैं स्वीकार करता हूँ कि वहां सड़क नहीं बनी। इसलिए नहीं बनी क्योंकि वहां के व्यापारी लोगों ने कहा कि इस सड़क को पहले खुदवाईये फिर बनाईये। अभी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, कुम्भ के बाद वह बन जायेगी। यही 100 मीटर का टुकड़ा दुकानदारों द्वारा लिखित में दिये जाने और उनकी रजामंदी के कारण हमने छोड़ा है। मान्यवर, इसको हम कुम्भ के बाद बनायेंगे और नीचे खोद कर के बनायेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर कहा गया कि एक शौचालय का 35 हजार, ऐसी बातें

बोली जायेंगी तो हमें कुछ जवाब तो देना पड़ेगा। बताया गया कि एक शौचालय का हम 35 हजार रु0 ले रहे हैं, यह बात कुँवर साहब ने कही है। आखिर जनता में सही बातें तो जानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि यह कुम्भ का आयोजन राज्य सरकार, भारत सरकार और पूरे देश का आयोजन है। इसकी एक अच्छी छवि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी चाहिए, इसीलिए हम लोगों में समय-समय पर मिल बैठकर चर्चा हुई है।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, बिजली चार्ज के सम्बन्ध में भी बतायें।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन का समय, सदन का कार्य समाप्त होने तक के लिए बढ़ाता हूँ।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, महाकुम्भ के अन्तर्गत एक व्यवस्था होती है, जितने अखाड़े होते हैं, उन अखाड़ों से कोई शुल्क, न जमीन के आवंटन का और न अन्य सुविधाओं का लिया जाता है। यह परम्परा प्रारम्भ से ही जारी है कि जो हम अन्य सारी संस्थाओं को जमीन देते हैं, उसका रेट 30 पैसे स्कवायर फुट। मान्यवर, अखाड़ों से सम्बन्धित सब सुविधाएं फ्री देते हैं, लेकिन इससे अलग अगर कोई लेंगे, वहां तक बिजली, पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी मेला अधिष्ठान की है। मान्यवर, वहाँ से कनेक्शन लेने की जिम्मेदारी संस्थान की है, जो विभाग का निश्चित होगा, वह देना होगा, उसका भुगतान करेंगे।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के कुम्भ में नहीं लिया जाता था।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, कुम्भ में एक-एक चीज लिखित में होती है किस संस्थान को कितनी जमीन मिली, किस संस्थान को बिजली फ्री दी गयी, किस संस्थान को क्या सुविधाएं दी गयी, वह रिकार्डेड है, उस रिकार्ड के अनुसार ही सारी व्यवस्थाएं बनायी जाती हैं।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के कुम्भ में नहीं लिया जाता था। न एक किलोवाट के कनेक्शन पर न किसी पानी के कनेक्शन पर।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अखाड़ों से हम भी नहीं लेते।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, सबसे लिया जा रहा है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, किसी अखाड़े से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, अखाड़ों की नहीं, मैं कैम्प की बात कर रही हूँ। जितने साधू संतों के कैम्प हैं। (व्यवधान) जब सब बातों की नजीर आप उत्तर प्रदेश से लेते हैं, तो इसमें क्यों नहीं ले रहे हैं ?

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि जो भी परम्पराएं हैं, हम उनका निर्वहन कर रहे हैं। (व्यवधान)मान्यवर, निश्चित रूप से आज यह सौभाग्य है उत्तराखण्ड का, यह सौभाग्य है इस सरकार का, कि हम लोगों को यह अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से जो हमारे मित्रों ने बातें उठाई, मैंने प्रयास किया कि उनका निराकरण हो सके। उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। यदि और भी कुछ बताएंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास होगा कि उनको भी हम दूर कर सकें।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, कूड़ेदान की बात बता दीजिए। कितने कूड़ेदान लगवाए हैं ?

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, एक नहीं हजारों कूड़ेदान लगवाए हैं। (व्यवधान)

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, मैंने जिस रोड जिक्र किया है, उसमें अगर आप एक भी कूड़ेदान दिखा दें तो इस सदन में आपकी बात मान लेंगे। (व्यवधान) आप उस रोड की बात बताईये।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हाई–वे पर कूड़ेदान कहाँ रखवाएंगे ?

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, हाई–वे नहीं है। फुटपाथ है। (व्यवधान) मान्यवर, लाखों तीर्थयात्री जा रहे हैं। (व्यवधान) हाई–वे की बात कहां से आ गयी ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, 32 सेक्टर हैं और हर सेक्टर में कूड़ेदान हैं। (व्यवधान) एक नहीं, दो नहीं, हमने तो 32 सेक्टरों में हजारों कूड़ेदान रखवाए हैं। जितनी आवश्यकता थी, उतने रखे हैं और यदि कहीं और भी माननीय विधायक बताएंगे तो वहाँ भी रखे जाएंगे। आप मुझे बताईये, कहाँ रखवाने हैं ? (व्यवधान) आप हमें जहाँ बताएंगे, वहाँ भी रखवाएंगे लेकिन सेक्टरों में।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, यह पूरे प्रदेश की छवि की बात है, पूरे देश की छवि की बात है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी की बात पूरी हो जाए।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि कार्य स्थगन की इस सूचना को आप वापस ले लें और आप भी इसको अग्राह्य कर दें और हम लोग मिल बैठकर इतना बड़ा जो आयोजन हो रहा है, इसको सफल बनाने का प्रयास करें।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे दो स्पष्टीकरण हैं, जो अभी 3 हजार रुपये ट्वायलेट के किराए की बात आयी, वह क्लियर नहीं किया गया कि किराया कितना दे रहे हैं। नम्बर एक तो यह और नम्बर दो, जिस कुत्ते को पीट रहे थे, उसका क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों ने विषय रखा था, वे स्पष्टीकरण मांग लें।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, किराये की बात क्लियर नहीं आ रही है। (व्यवधान) मुझे जवाब चाहिए। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, किराया जब 35 हजार नहीं है, तो कितना है ?

(माननीय शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक द्वारा बैठे–बैठे कुछ कहने पर)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, बताओ तो। (व्यवधान)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जिस अन्दाज में इतनी गम्भीर समस्या को लिया, उससे जग जाहिर हो गया, सम्मानित पत्रकार भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है कि इनकी आस्था क्या है।

श्री अध्यक्ष–

कोई स्पष्टीकरण है तो बताईये।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो परिपाटी और परिणति भी है कि सदन में संसदीय भाषा का प्रयोग होना चाहिये। लेकिन माननीय मंत्री जी इससे अनभिज्ञ हैं और शायद आपकी अनुकम्पा से भिज्ञ भी हो जायेंगे कि भविष्य में वे संसदीय शब्दों का प्रयोग करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

यदि कहीं असंसदीय शब्द होगा, तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, वह तो आपने कह दिया था, मैं तो आपके माध्यम से इनको बताना चाह रहा था। माननीय मंत्री जी मेरे ही जिले से हैं, इसलिये मेरा यह फर्ज बनता है। मान्यवर, इन्होंने कहा कि हमने 75 हैक्टेयर में पार्किंग बनाई, 45 पार्किंग बनाई और एक लाख गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जब महापर्व होता है तो आठ–आठ किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ा, ज्वालापुर से, गुरूकुल से वहां पर जाने के लिये तो गाड़ियां कैसे खड़ी हुई, जिनको पुरकाजी से डायवर्ट किया, लक्सर से हरिद्वार जाने के लिये, उनको कितनी दूर गाड़ियां छोड़नी पड़ीं। उसमें वृद्ध लोग थे विकलांग लोग थे।.........

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करिये।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, एक तरफ कहते हैं कि पार्किंग बनाई है, तो क्या आठ किलोमीटर पैदल चलने के लिये बनाई हैं ? यह इन पर प्रश्न चिन्ह है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय कृषि मंत्री जी, आपस में बात मत करिये, फिर वही स्थिति पैदा हो जायेगी।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, हमने एक तथ्य सदन के संज्ञान में दिया था और हम पर भी उल्टे मिथ्या का आरोप मढ़ दिया गया कि ईंटें किराये पर नहीं ली जा रही हैं। अगर आप मौका दें तो दो दिन के अन्दर जो ठेकेदार किराये पर वहां पर ईंटें सप्लाई कर रहा है, उसकी पर्चियां मैं यहां पर दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

गवर्नमेंट ने उसकी पेमेण्ट की है ? (घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, किसी भी ठेकेदार को हमने कहा कि आप शौचालय बनाओ, अब वह कहीं से भी बनाकर लाये, हमें क्या मतलब। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, यदि ठेकेदार भी किराये की ईंटों से शौचालय बना रहा है, तो भी पैसे का दुरूपयोग हो रहा है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय उप नेता जी, आपके ही सदस्य बोल रहे हैं, या तो माननीय सदस्य बैठ जायें और आप बोल लें।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, शौचालय पर माननीय मंत्री जी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। पुरानी ईंटों को किराये पर लाया गया और इससे धन का अपव्यय किया गया है। हर की पैढ़ी के बारे में कहते हैं कि वहां पर व्यापारियों का विरोध हुआ, 100 मीटर सड़क के लिये।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं माननीय अध्यक्ष जी से बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं। स्थानीय विधायक और मंत्री होने के नाते क्या आपने व्यापारियों को कन्विंस नहीं करना चाहिये था। यदि वह 100 मीटर की सड़क बन जाती तो 100 मीटर उस परिधि में है, जहां पर पूरा का पूरा गर्भगृह है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के लोग वहां पर आ रहे हैं, अगर वह सड़क बन जाती तो अच्छी इमेज जाती। रैन बसेरों की कोई बात नहीं की, रैन बसेरे यदि बनाये हैं, तो कितने बनाये हैं ? मान्यवर, मीडिया सेण्टर की बात आई थी, वहां पर मीडिया सेण्टर बहुत जर्जर हालत में है, मात्र 2 कोठरिया बनाकर छोड़ दी गई, जहां से छवि बननी है, वह तो छवि पर ही कुठाराघात हो गया। मान्यवर, इतने पुलों की बात यहां पर आई लेकिन मायापुर के पुल का जिक्र नहीं हुआ, जो कि बनते–बनते टूट गया था, डैम

कोठी वाला पुल दो बार टूट गया, उसका कोई जिक्र ही नहीं किया गया।

मान्यवर, एक बात बता दीजिये कि अतिक्रमण करने की यह संस्कृति कहां से आ गई है ? लक्सर का रेलवे ओवर ब्रिज, उसके लिये 2005 में हमने प्रयास करना शुरू किया था और 2006 में रेल मंत्रालय ने लिखकर दे दिया था कि लक्सर की टी0यू0वी0, ट्रैफिक यूनिट वाल्यूम 42,800 है और पुल बनाने के लिये एक लाख टी0यू0वी0 होना चाहिये, इसलिये हम पुल बनाने के लिये मना कर रहे हैं। मान्यवर, मेरे अकेले का प्रयास रहा, केन्द्रीय मंत्री मुम्बई में थे, पटना में थे, हिन्दुस्तान में कहीं भी थे, मैं फ्लाइट का टिकट लेकर वहां पहुंचा, मैंने जेब से दसियों लाख रुपया खर्च किया माननीय लालू प्रसाद जी को मनाने के लिये कि भगवन् पुल दे दीजिये। तब जाकर पुल स्वीकृत हुआ है, इनका उसमें क्या योगदान रहा है ? यह उसका जबरदस्ती श्रेय ले रहे हैं। इनका योगदान मात्र इतना है कि खण्डूड़ी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, केन्द्र से पैसा आया था, मेरी अनुशंसा पर स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष–

विषय आ गया है, आपकी बात आ गई है।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, हमारे माननीय मंत्री जी सीवर का कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं, वहां पर सीवर गंगा में प्रवाहित हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

जो विषय आपने उठाये थे, उनका माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। (घोर व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण सदन का परित्याग कर बाहर चले गये एवं तुरन्त ही वापस भी आ गये।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय, माननीय सदस्य, कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री नारायण पाल जी का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री अध्यक्ष–

जो नियम–310 में आपने सूचना दी थी, उसे नियम–58 में परिवर्तित कर दिया गया था और उसमें माननीय सुरेन्द्र राकेश जी हैं, माननीय प्रेमानन्द महाजन जी हैं, माननीय नारायण पाल जी हैं, माननीय हरिदास जी हैं।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, जिन्हें बोलना था, वे चले गये हैं। मेरा अनुरोध है कि अगले दिन के लिए ले लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, काफी देर हो गयी है। मैं आज नहीं बोलूँगा।

श्री अध्यक्ष–

आज नहीं ? कोई और माननीय सदस्य आपकी ओर से बोलना चाहें तो।

वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, बजट भाषण पर आपने चर्चा का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। श्रीमन्, जब माननीय मुख्यमंत्री जी इस सदन के सम्मुख बजट भाषण प्रस्तुत कर रहे थे और जब हमने बजट भाषण को देखा तो ऐसा लग रहा था।

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रीतम सिंह, कुछ समय बताएंगे ताकि आपको टोकना न पड़े।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जब आप कहेंगे, वैसे 20 मिनट लगेंगे।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। 15 मिनट।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जब माननीय मुख्यमंत्री ने अपना बजट भाषण इस सदन के अन्दर रखा और जब हमने इस बजट भाषण को देखा तो ऐसा लग रहा था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के विकास के लिए चिंतित होंगे, इस प्रदेश के विकास की बात करेंगे, इस प्रदेश के किसान और गरीब, मजदूर की बात करेंगे। लेकिन जब बजट भाषण हमने पढ़ा तो यह बजट भाषण है तो बहुत मोटा, लेकिन जो बात कही गयी वह मात्र 15 पृष्ठों में, 15 पृष्ठों में सिमट कर रह गया है। श्रीमन्, जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपना बजट भाषण इस सदन के अन्दर पढ़ रहे थे, दे रहे थे तो हमारे सत्ता पक्ष के लोग मेजें थपथपाने का काम कर रहे थे, मैं अपने सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूँ, अगर

उन्होंने बजट के साथ जो बजट पुस्तिकायें दी गई थीं उसका अवलोकन किया होता, श्रीमन्, क्योंकि समय का अभाव है, इसीलिए मैं मुख्य बिन्दु पर आना चाहता हूँ। इस राज्य को हम ऊर्जा प्रदेश के रूप में विकसित करना चाहते हैं, सरकार का कहना है कि इस राज्य के अन्दर पानी का दोहन करके हम इसको ऊर्जा प्रदेश के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं और अगर उत्तराखण्ड शासन 2010–11 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा वित्तीय स्थिति की जो संक्षिप्त समीक्षा है, अगर इस पुस्तक का अवलोकन हम करें तो ऊर्जा प्रदेश के लिए जो बजट का प्राविधान किया गया वर्ष, 2010–2011 में 63.20 की कटौती की गई। किस आधार पर इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाने की बात यह सरकार कह रही है हम समझ नहीं पाये। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि कल भी चर्चा हुई जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन पर आज बजट भाषण में मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि इस सरकार ने इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश के रूप में विकसित करने की बात नहीं कही बल्कि इस सरकार ने इस प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं को बेचने का काम किया है, व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार करने का काम किया है श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ।

बजट भाषण में मैं पढ़ रहा था कि लखवाड़ और केशाऊ जैसी महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश के सहयोग से शीघ्र प्रारम्भ करने की बात कही गयी है, लेकिन उसमें कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई है। लखवाड़ जैसी महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना जिस पर बहुत लम्बे समय से कार्य रुका हुआ है और आज तक कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया। सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है, कोई स्पष्ट दिशा नहीं है, इसलिए ऊर्जा प्रदेश के रूप में इसको विकसित करने का जो स्वप्न प्रदेश की सरकार देख रही है, इन परिस्थितियों में वो पूरा होने वाला नहीं है। मान्यवर, दूसरा महत्वपूर्ण विषय है गृह एवं आन्तरिक सुरक्षा, गृह एवं आन्तरिक सुरक्षा जैसा महत्वपूर्ण विभाग जिस पर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था का भार है, कानून व्यवस्था का भार है इसमें भी जो बजट में कमी की गई वह इस बात का संकेत है कि प्रदेश की सरकार का सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का कोई दृढ़ संकल्प नहीं है। श्रीमन्, और तो और गृह विभाग जैसे पुलिस विभाग में जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पुलिस का हथियार होता है, उस मद में कटौती करके सरकार ने यह संकेत दे दिया है कि इस प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था से इस सरकार का कोई लेना–देना नहीं है। श्रीमन्, मैं लोक निर्माण विभाग का जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे साथियों ने मेजें थपथपाई थीं, हर साथी को लग रहा था कि इस सरकार ने लोक निर्माण विभाग के लिए जो बजट का प्राविधान किया है उससे इस उत्तराखण्ड राज्य में सड़कों का निर्माण होगा, पुलों का निर्माण होगा, लेकिन श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि लोक निर्माण विभाग के बजट में कटौती करने का कार्य इस सरकार ने किया है। वृहत् निर्माण जिसके अन्तर्गत पुल बनने थे, सड़कें बननी थीं, उसमें भी कटौती करने का काम इस सरकार ने किया है। जब एक ओर बजट में कटौती

हो रही है वर्ष 2009–10 के सापेक्ष वर्ष 2010–11 में, अगर बजट में कटौती होगी तो हम कैसे इस प्रदेश की यातायात व्यवस्था को मजबूत करेंगे श्रीमन्, हम नहीं समझ पाये।

चिकित्सा एवं परिवार कल्याण का मैं अगर जिक्र करूँ, इस सरकार को बने तीन साल का कार्यकाल हो गया है और तीन साल के कार्यकाल में चिकित्सा एवं परिवार कल्याण में जब भी बात होती है तो 108 का जिक्र होता है। इस सरकार की अगर कोई उपलब्धि है तो एक ही उपलब्धि है कि 108 सेवा दी है। रावत जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ग्रामीण अंचल में आप भी रहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में हम भी रहते हैं, मान्यवर, 2010–11 में औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा मद में भी कटौती की गई है, लघु निर्माण कार्य मद में भी कटौती की गई है, प्रशिक्षण व्यय में भी कटौती की गई है श्रीमन्, जब निर्माण कार्य नहीं होंगे, जब ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और जब प्रशिक्षण मद में भी आप कटौती करने का काम करेंगे तो किस प्रकार से आप इस प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने का काम करेंगे, यह एक सोचनीय विषय है। श्रीमन्, मैं उद्योग विभाग की बात करना चाहता हूँ, उद्योग के बजट में भी वर्ष, 2009–10 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष, 2010–11 में कटौती करने का काम इस सरकार ने किया है। एक ओर सरकार कह रही है कि इस प्रदेश के अन्दर उद्योग लगने चाहिए, एक ओर सरकार कह रही है कि केन्द्र सरकार का जो औद्योगिक पैकेज है, वह बढ़ना चाहिए। दूसरी ओर प्रदेश की सरकार की जो इच्छा शक्ति है, बजट में कटौती करके वह इस बात को दर्शाती है। इस प्रदेश में औद्योगिक विकास कैसे आगे बढ़े, इसकी कोई चिन्ता इस सरकार को नहीं है। वन विभाग की मैं बात करना चाहता हूँ, इसमें भी बजट में कटौती की गई है और वन विभाग में जब मैं पढ़ रहा था तो वन सुरक्षा तदर्थ कैम्पा के अन्तर्गत वन सुरक्षा अवस्थापना एवं मानव संसाधन विकास, वन्य जीव प्रबन्धन, मृदा एवं जल संरक्षण, वन पंचायतों का सुदृढ़ीकरण, ईको टूरिज्म, आजीविका सम्बन्धी कार्य, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, पथ–वृक्षारोपण एवं संरक्षित क्षेत्रों के विकास की बात इस सरकार ने की। वहीं दूसरी ओर हरित पट्टी स्थापना, स्पर्श गंगा अभियान तथा बद्रीनाथ धाम में बद्रीश एकता वन, नक्षत्र वन की स्थापना की बात सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, जब बजट में कटौती यह सरकार कर रही है तो किस आधार पर वन क्षेत्रों में जो विकास की बात कही है, वह किस आधार पर काम होगा, यह भी एक सोचनीय विषय है।

मान्यवर, समाज कल्याण की बात मैं करना चाहता हूँ, एस0सी0पी0 और टीएस0पी0 के अन्तर्गत भारत सरकार से राज्य को जो पैसा मिला है उस पैसे को यह सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। आज समाज कल्याण में जो स्थिति हमारी है, वह बहुत ही दयनीय है। आज आश्रम पद्धति विद्यालय जहाँ पर बन रहे हैं, वहाँ आश्रम पद्धति विद्यालय के भवन निर्माण के लिए धन का कोई

प्राविधान इस सरकार ने नहीं किया है। बालिकाओं को अच्छी शिक्षा देने की बात यह सरकार कर रही है, कस्तूरबा बालिका विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए इस सरकार ने धन का कोई प्राविधान नहीं किया है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि एस0सी0पी0 और टी0एस0पी0 में जब समाज की बातें हो रही हैं। चकरौता में बिनसौढ़ के अन्दर आश्रम पद्धति विद्यालय है। पिछली सरकार में वह स्वीकृत हुआ उस पर निर्माण कार्य हो गया, आज वह आश्रम पद्धति विद्यालय अधूरा पड़ा हुआ है, उसके लिए धन की व्यवस्था इस सरकार ने नहीं की है। कस्तूरबा बालिका विद्यालय के भवनों की बात मैंने की। चकरौता विधान सभा क्षेत्र के अन्दर पूरवा गाँव में कस्तूरबा बालिका विद्यालय है, वह विद्यालय भी अधूरा पड़ा हुआ है। इस सरकार को आये तीन साल का कार्यकाल हो गया है, एक भी पैसा आश्रम पद्धति के विद्यालयों को उपलब्ध कराने का काम इस सरकार ने नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा, खेल, युवा कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मैं एक ही बात करना चाहता हूँ, इन मदों में कटौती करने का काम इस सरकार ने किया है। एक ओर कहते हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखण्ड राज्य को आगे ले जाना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर बजट में कटौती करके सरकार ने यह संकेत दे दिया कि इस सरकार का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। खेल के विकास की बात माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, आज नेता सदन यहाँ पर नहीं हैं लेकिन खेल के बजट में कटौती करके यह संकेत दे दिया है कि खेलों के प्रति इस सरकार में कोई संवेदनशीलता नहीं है, खेलों को आगे बढ़ाने के लिए इस सरकार में दृढ़संकल्प नहीं है। श्रीमन्, बजट में कटौती करके सरकार ने यह संकेत दे दिया है मान्यवर, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन में, इसका भी अगर मैं जिक्र करूँ, 2009–10 के सापेक्ष वर्ष, 2010–11 के बजट में कटौती करने का काम सरकार ने किया है। जब हम राजस्व में कटौती की बात करते हैं, जिस प्रदेश का 60 प्रतिशत भू–भाग ऐसा है, जहां पर राजस्व पुलिस व्यवस्था है, जहां एक ओर राजस्व पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की बात करती है वहीं इसके बजट में कटौती का काम यह सरकार कर रही है, इससे यह प्रतीत होता है कि आज दो साल से ऊपर का समय हो गया है इनके कर्मचारी हड़ताल पर हैं लेकिन सरकार की नींद नहीं खुल रही है। सरकार को इस प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेना–देना नहीं हैं ऐसी परिस्थितियों में सरकार से क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि वह राजस्व पुलिस को मजबूत करने का काम करेगी। श्रीमन्, जल आपूर्ति और आवास एवं नगर विकास की बात करूं, इसमें भी वर्ष, 2009–10 के सापेक्ष बजट में कटौती करने का काम इस सरकार ने किया है। आज पूरे प्रदेश के अन्दर जल की भारी किल्लत है और सरकार बार–बार कहती है की प्रदेश की जनता को पेयजल उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, एक ओर बजट में कटौती करने का काम यह सरकार कर रही है, वहीं दूसरी ओर कह रही है कि इस प्रदेश के वासियों को पेयजल उपलब्ध कराने का काम करेंगे। मुझे

विश्वास नहीं है कि यह सरकार इतने कम बजट में यह व्यवस्था पूरी कर पायेगी।

मान्यवर, सिंचाई एवं बाढ़ का भी मैं जिक्र करूं, हमारे माननीय साथी मेज थपथपा कर माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण का स्वागत कर रहे थे, वहाँ पर भी सरकार ने बजट में कटौती करने का काम किया है। एक ओर कहती है कि बाढ़ से इस प्रदेश को, चूंकि यहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, बरसात में भूस्खलन होता है, बाढ़ की स्थिति अत्यन्त खराब रहती है, किस तरीके से निजात दिलायेंगे, मेरी समझ से परे है। एक ओर बजट में कटौती और दूसरी ओर सिंचाई एवं बाढ़ के आगे के कार्यों का काम करने की बात कहती है, दोनों ही अपने आप अलग–अलग दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। मान्यवर, इसी प्रकार परिवहन में भी बजट में कटौती करने का काम इस सरकार ने किया है। मान्यवर, एक बात के लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वह इसलिए देना चाहता हूँ कि सरकार ने आबकारी बजट को बढ़ाने का काम किया है। मैं सरकार को साधुवाद देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस सरकार का ध्यान प्रदेश के विकास की ओर नहीं है, इस सरकार का ध्यान प्रदेश के अन्दर आबकारी का धन्धा किस तरह से फले–फूले इस ओर है। आपने आबकारी का बजट बढ़ाया इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इसका बजट बढ़ाने का काम किया है। श्रीमन्, जब इस पूरे बजट भाषण को हमने पढ़ा, केन्द्र से उपलब्ध धन और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को अलग–अलग कर दें तो इस बजट की उपलब्धि शून्य है, ऐसा कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि आज सरकार की स्थिति यह है कि "जेब में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने।" सरकार के पास कुछ नहीं है। मैंने शुरू में अपना बजट भाषण प्रारम्भ किया, उसमें कहा था कि अगर आपने जो पुस्तिका हमको दी है उसका अवलोकन किया होता, तब आपको लगता कि यह बजट भाषण कितना अच्छा है।

मान्यवर, समय का अभाव है और आप बार–बार मेरी ओर देख रहे हैं इससे पहले आप मुझे कुछ कहें, मैं समाप्ति की ओर जाना चाहता हूँ। इस बजट भाषण के अन्तिम में मैं जाता हूँ जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कविता लिखी है कि 'अभी भी जंग जारी है', यह किससे है या तो संसदीय कार्य मंत्री जी से हो सकती है या रावत जी, आपसे हो सकती है इससे हमें नहीं मतलब। 'वेदना सोई नहीं है' और मैं कहना चाहता हूँ कि श्रीमन्, यह तो बजट भाषण है निश्चित रूप से इस बजट भाषण के माध्यम से इस प्रदेश के विकास की बात सोचना एक ऐसी बात होगी जिसके बारे में जितना कहा जाय वह कम है। श्रीमन्, इस बजट के माध्यम से इस प्रदेश के विकास की बात हो नहीं सकती। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बजट भाषण पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूँ।

*श्री चन्दन राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष, 2010–11 के बजट के समर्थन पर बोलने का मौका दिया मैं अन्तर्मन से आपका आभारी हूँ। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री निशंक जी द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में और वित्त मंत्री के रूप में इस प्रदेश का दूसरा बजट पेश किया गया वहीं लगातार प्रदेश की वित्तीय स्थित उतनी अच्छी नहीं होने के बावजूद भी और देश का ऐसा दूसरा राज्य जिसने अपने अल्प संसाधनों के बावजूद भी अपने प्रदेश के कर्मचारियों को छठा वेतन आयोग का लाभ दिया और नॉन प्लॉन के खर्च को ढाई हजार करोड़ रु0 व्यय करके फिर भी इस प्रदेश के निवासियों को कर मुक्त बजट दिया, मैं इसके लिए सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूँ। जहाँ एक ओर पूरा देश महँगाई की मार झेल रहा हो और 45 रु0 किलो चीनी ले रहा हो, मिट्टी तेल में इतनी ज्यादा महँगाई हो गयी हो केन्द्र सरकार द्वारा, अपने प्रदेश की सरकार ने इस मिट्टी तेल की कीमत ने 12.5 प्रतिशत वैट को घटाकर 4 प्रतिशत किया, इसके लिए भी मैं सरकार को बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चन्दनराम दास जी, समय का ध्यान रखिये और आप इधर–उधर इनके चक्कर में मत पड़ो, ये आपको बोलने नहीं देंगे। (हँसी)

श्री चन्दन राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दो साल से लगातार सरकार ने मैदा, सूजी, आटा, बेसन को कर मुक्त किया और इस बार आपने खादी ग्रामोद्योग की जितनी भी वस्तुएँ हैं, जिनको आपने कर मुक्त किया है, इसके लिए मैं सरकार को बार–बार बधाई देता हूँ। जहाँ हमारे प्रदेश में अधिकतर 70 प्रतिशत किसान हैं और किसानों के थ्रेसर पर 4.5 प्रतिशत का जो वैट था, उसको कर मुक्त करके किसानों के हित के लिए एक बहुत बड़ा काम इस सरकार ने किया है। टैक्सटाइल्स पर जितने भी 12.5 प्रतिशत जो कर था, उसको भी 4 प्रतिशत करके गरीबों को एक बहुत बड़ी राहत इस सरकार ने प्रदान की है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, शहरी क्षेत्र में अचल सम्पत्ति में स्टाम्प शुल्क जो दिया जाता था वह 7 प्रतिशत से 6 प्रतिशत किया इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, किसानों की जो ऋण सीमा है उसको 3 लाख से 5 लाख रुपया किया है, इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए हल्द्वानी में चालन प्रशिक्षण केन्द्र का शुभारम्भ सरकार द्वारा किया गया है तो इससे लगता है कि यह सरकार अपने नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहती है, इसके लिए भी आपने बहुत सार्थक प्रयास किया है, इसके लिए सरकार को बहुत–बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, मुजफ्फरनगर–रुड़की रेल लाईन निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 20 करोड़ रुपये का प्राविधान किया, इसी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तरीके से जो अन्य रेल लाईनें हैं जिसके लिए हम बार–बार टनकपुर, बागेश्वर, चौखुटिया, रामनगर की बात करते थे और कई साल से इस पर संघर्ष कर रहे हैं और जिस पर 3–4 बार सर्वे हुआ है और फिर उस पर केन्द्र सरकार ने दोबारा सर्वे का पुछल्ला लगाकर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाई है। मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि कम से कम इस पर भी कोई न कोई सार्थक पहल की जानी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, सिंचाई के क्षेत्र में जमरानी बाँध एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर आया और हम भी सुनते थे कि जमरानी बाँध का निर्माण हो रहा है, मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी को, इस सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने 35 साल पुरानी योजना की पुनः शुरूआत की है और भारत सरकार को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसके लिए एन0ओ0सी0 दे दी है, इससे लगता है कि सिंचाई के क्षेत्र में अपनी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं केन्द्र को बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो काम 3 साल में होना चाहिए था उन्होंने 35 साल लगाये हैं, कम से कम देर आये दुरस्त आये, उन्होंने वन विभाग की स्वीकृति 35 साल में दी। मान्यवर, प्रधानमंत्री सड़क योजना केन्द्र सरकार की है और मैं सदन के सामने इस बात का तथ्य रखना चाहता हूँ कि यदि हमारी एक करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री सड़क योजना होती है और वह 10 साल तक भारत सरकार के वन पर्यावरण मंत्रालय में रहती है और वन पर्यावरण मंत्रालय की जो स्वीकृति आती है, उसकी डी0पी0आर0 की जो कीमत होती है वह साढ़े तीन करोड़ हो जाती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह ढाई करोड़ रुपया भी अपनी प्रदेश सरकार देती है। मान्यवर, प्रधानमंत्री सड़क योजना के साथ–साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री सड़क योजना की जो शुरूआत की है और उसको जोड़ने के लिए जो बात कही है उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को बहुत–बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, कैम्पा तो आज पहली बार मिला है, कैम्पा के माध्यम से भारत सरकार ने जो हमको योजनायें दी हैं, उस योजना में ईको टूरिज्म, नक्षत्र वन, ग्रीन सिटी के माध्यम से हमारी सरकार प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो काम कर रही है उसके लिए सरकार को बधाई और मेरा सुझाव है कि जो अपने जौल पाण्डे में एक ग्रीन ईको पार्क बनाने का प्रस्ताव है, उसको भी करने का कष्ट करेंगे।

मान्यवर, अपने प्रदेश में आई0आई0एम0/एन0आई0टी0 की जो स्थापना की जा रही है, उसके लिए भी सरकार को बहुत–बहुत बधाई। मान्यवर, जहाँ एक ओर हिन्दी में कुछ राज्यों में शपथ लेने में भी कष्ट हो रहा हो, ऐसे उत्तराखण्ड प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी संस्कृत भाषा को राज्य की दूसरी भाषा बनाकर संस्कृत को सम्मान दिया है, उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, स्पेशल

कम्पोनेंट प्लॉन के क्षेत्र में कहना चाहता हूं कि सरकार ने कार्य किया है और मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि स्पेशल कम्पोनेंट प्लॉन का पैसा भारत सरकार का पैसा नहीं है, जो भारत सरकार से योजना अनुमोदित होती है उसमें 18 प्रतिशत और 4 प्रतिशत पैसा खर्च करने की बाध्यता है। मैं चाहता हूँ कि इस पैसे के साथ-साथ अपने प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए एक और अच्छी योजना बनायी जानी चाहिए और बैकलॉग को भरने के लिए कार्य करना चाहिए, जिससे कि जो अनुसूचित जाति के पद हैं, वे भरे जा सकें, यह कार्य किया जाय। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ।

श्री यशपाल आर्य-

मानीनीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में जो शब्दों के जाल, महाजाल को बड़े सुन्दर ढंग से इस बजट में प्रस्तुत किया है और जो ताना-बाना बुना है। निश्चित रूप से बहुत खूबसूरत दिखायी देता है। बहुत अच्छा लगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में सब विषयों का उल्लेख किया। मान्यवर, लेकिन जो यथार्थ है, सच्चाई है वह बिल्कुल उसके विपरीत है। हमें उम्मीद थी कि इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, इस बजट में तात्कालिक और दीर्घकालिक योजनाओं का समावेश करेंगे। मान्यवर, राज्य में बढ़ती बेरोजगारी, नौजवानों का पलायन, पेयजल की महत्वपूर्ण समस्या है और जो कमजोर शिक्षा तंत्र है, इस दिशा में पहल करती। मान्यवर, बिजली की बिगड़ती व्यवस्था, प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव और जो अविकसित पर्यटन है, उसको सुदृढ़ करने की दिशा में कुछ कार्य किया जाता। मान्यवर, लगातार प्रदेश सूखे की चपेट में रहता है, इसके लिए आपदा प्रबन्धन में व्यवस्था होनी चाहिए थी। मान्यवर, आय के स्रोत विकसित करने की दिशा में इस बजट में कुछ कदम नहीं उठाये गये हैं। मान्यवर, हमें यह उम्मीद थी कि इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए, इस राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इस बजट में व्यवस्था होगी। लेकिन हमें निराशा ही हाथ लगी। मान्यवर, सरकार को पूरे वर्ष में जनता के कल्याण के लिए, जनता के विकास के लिए, जनता की बुनियादी जरूरतों को हल करने के लिए अपनी प्राथमिकताएं तैयार कर लेनी चाहिए थीं और उनका निर्धारण कर लेना चाहिए था। मान्यवर, राज्य की दशा और दिशा का भी निर्धारण कर लेना चाहिए था। लगातार तीन वर्ष हो चुके हैं और लगातार केन्द्र पर यह आरोप लगता रहा कि केन्द्र इस राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, इस राज्य के साथ पक्षपात हो रहा है, इस राज्य की अनदेखी हो रही है। मान्यवर, मैं वर्ष, 2010-11 के बजट का उल्लेख करना चाहता हूँ, जो अनुमानित कुल व्यय है, वह 15452 करोड़ रु0 है और जो प्राप्तियां हैं वह हैं 14822 करोड़ रु0 और अनुमानित घाटा है 630 करोड़ रु0।

मान्यवर, जैसा मैंने कहा कि केन्द्र सरकार पर लगातार आरोप लगते रहे कि इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए, यहां के बुनियादी सवालों को हल करने के लिए राज्य सरकार की अनदेखी की जा रही है और राज्य के साथ पक्षपात किया जा रहा है। मान्यवर, इस राज्य में आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है, वह राजस्व कर है और राजस्व कर में, जो कुल प्राप्तियां हैं, वह है 33 फीसदी और मान्यवर, इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा इस राज्य की आय का स्रोत है, वह है केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली अनुदान सहायता, जो लगभग 30 फीसदी है। मान्यवर, सरकार ने स्वयं वार्षिक वित्तीय विवरण के पृष्ठ 34 में लिखा है, इसमें सरकार ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि केन्द्र सरकार से जो अनुमानित धनराशि इस राज्य को मिलने वाली है, केन्द्रीय करों में राज्य का जो अंश रहेगा, वह है 2344 करोड़ रुपया और केन्द्र सरकार से जो सहायता अनुदान है, वह है 4675 करोड़ रुपया और केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम 50 करोड़ रुपया है। इसका योग है 7069 करोड़ रुपया। मान्यवर, इससे स्पष्ट है, वर्ष 2010–11 में कुल 14822 रुपये की प्राप्ति में केन्द्र सरकार 7069 करोड़ रुपया इस राज्य को देगी, जो कुल प्राप्तियों का 48 फीसदी है। मान्यवर, अगर यह राशि इस राज्य को नहीं मिलेगी तो राज्य का विकास ठप पड़ जाएगा। आधी धनराशि केन्द्र सरकार इस राज्य के विकास के लिए देती रही है और इस बार भी दे रही है। लेकिन सरकार अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए और विकास के प्रति नकारात्मक सोच के वजह से, विकासपरक सोच न होने की वजह से, केन्द्र सरकार पर लगातार दोषारोपण करती रहती है। मान्यवर, सरकार ने वार्षिक वित्तीय विवरण के पृष्ठ संख्या–45 में स्पष्ट लिखा है कि 2010–11 में कुल अनुमानित व्यय 15452 करोड़ का 11.70 फीसदी बुनियादी ढांचे के लिए, लघु और वृहद् निर्माण कार्यों के लिए राज्य सरकार ने धनराशि रखी है। मान्यवर, इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार की नीयत क्या है, सरकार इस राज्य के विकास के लिए कितनी प्रतिबद्ध है और कितनी चिन्तित है। यह स्पष्ट हो गया।

इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का असली चेहरा भी जनता के सामने उजागर होने जा रहा है। मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, पिछले वर्ष भी लघु और वृहद् निर्माण कार्यों के लिए 10 फीसदी पैसा इस सरकार ने रखा था। आज जरूरत है कि पर्वतीय क्षेत्र में जो विकास कार्य ठप हो रहे हैं, जो बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकार पहाड़ में उद्योग ले जाने की जो बात अपने चुनावी एजेण्डे में करती रही है, आज वह इस बजट में गायब हो चुकी है मान्यवर, हम यह कहना चाहते हैं कि पहाड़ में जो कच्चा माल है, वन आधारित उद्योग हैं, अगर सरकार इस ओर ध्यान देती तो हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनका पलायन निश्चित रूप से रुकता, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की और ना ही इस बजट में इसका कोई उल्लेख है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य प्रारम्भिक दौर से गुजर रहा है और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में और अवस्थापना विकास के लिए सरकार को बहुत

कुछ करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में हम आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सकें और हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इस दिशा में भी इस बजट में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। मान्यवर, राज्य सरकार की समभाव, समदृष्टि इस बजट में कहीं नहीं दिखाई देती। इसमें समभाव, समदृष्टि का अभाव है। मुस्लिम एजुकेशन मिशन के तहत मात्र 25 लाख रुपया राज्य सरकार ने निर्धारित किया है 125 मदरसों के लिए, कितनी बड़ी विडम्बना है मान्यवर, जो मुख्य धारा में आना चाहते हैं, जो अग्रिम पंक्ति में आना चाहता हैं, सरकार उनको रोकने का काम कर रही है। यह सच्चाई है। मान्यवर, हमारा कहना है अल्पसंख्यकों के विकास के लिए, चाहे कलियर शरीफ है, चाहे हज हाऊस है, उसमें हमारी सरकार के कार्यकाल में जो शुरूआत हुई थी, उसे वहीं पर रोक दिया गया है, ठप पड़ गया है। बार-बार नियोजन विभाग, जो केन्द्र पोषित योजनायें हैं, जो केन्द्र सहायतित योजनायें हैं, इसके बारे में बार-बार नियोजन विभाग कह रहा है कि 90 फीसदी धन राशि जो केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार को दी जाती है, उसमें 10 फीसदी पैसा देना भी इस राज्य के लिये बहुत बड़ी चिन्ता की बात हो गई है, 10 प्रतिशत पैसा भी देने में यह सरकार समर्थ नहीं है।

मान्यवर, मैं वार्षिक योजना 2009-10 में क्या परिव्यय है, क्या आवंटन है और क्या खर्च है और उसके सापेक्ष 28 फरवरी, 2010 तक व्यय की स्थिति के सम्बन्ध में आपके समक्ष चन्द आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मान्यवर, राज्य की सम्पूर्ण स्थिति को देखें तो वर्ष 2009-10 का कुल अनुमोदित परिव्यय 5574 करोड़ रुपये है और इसमें 5329 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया तथा 28 फरवरी, 2010 तक इसके सापेक्ष मात्र 2183 करोड़ रुपया ही खर्च किया गया है और अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत मात्र 39 फीसदी है। मान्यवर, सरकार 60 प्रतिशत धन इस वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में खर्च नहीं कर पाई, यह इस प्रदेश के लिये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मान्यवर, 60 फीसदी पैसा लैप्स होने की कगार पर खड़ा है। मान्यवर, अगर जिला सेक्टर की स्थिति को देखें तो वर्ष 2009-10 में इस योजना में कुल अनुमोदित परिव्यय 500 करोड़ रुपये था और कुल प्राविधानित बजट 533 करोड़ रुपया था। जिसके सापेक्ष 28 फरवरी, 2010 तक का जो खर्च हुआ है, वह 500 करोड़ में से मात्र 218 करोड़ रुपया है। यह मात्र 44 फीसदी ही खर्च हो पाया है। इसी प्रकार से यदि राज्य सेक्टर की स्थिति को देखा जाय तो वर्ष 2009-10 के लिये कुल अनुमोदित परिव्यय 2815 करोड़ रुपये है और बजट में जो प्राविधान किया गया, वह 2149 करोड़ है और 28 फरवरी, 2010 तक जो खर्च किया गया, वह मात्र 988 करोड़ रुपया ही किया गया, इसमें मात्र 35 प्रतिशत धन ही खर्च हो पाया है। इसी प्रकार से केन्द्र पोषित योजनाओं की स्थिति और भी बदतर है, वर्ष 2009-10 के लिये अनुमोदित परिव्यय 1107 करोड़ रुपये है और बजट में जो प्राविधान किया गया, वह है 1784 करोड़ रुपया और खर्च हुआ है मात्र 753 करोड़ रुपया। इसमें 58 प्रतिशत पैसा खर्च करने में सरकार नाकाम रही है और

जो हमारी वाह्य सहायति योजनायें हैं, उनके वर्ष 2009—10 में अनुमोदित परिव्यय 1152 करोड़ रुपया है और प्राविधानित बजट 1004 करोड़ रुपया है। इसके सापेक्ष 28 फरवरी, 2010 तक मात्र 284 करोड़ रुपया ही खर्च हो पाया, जो कि स्वीकृत परिव्यय के सापेक्ष मात्र 25 प्रतिशत ही खर्च हो पाया है।

मान्यवर, भारत सरकार की फ्लैगशिप परियोजनाओं के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ चाहे वह नरेगा हो, पी0एम0जी0एस0वाई0 हो, इन्दिरा आवास योजना हो, जवाहर लाल नेहरु अरबन रूरल मिशन हो, त्वरित सिंचाई लाभ योजना हो, राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हो, ए0पी0डी0आर0पी0 हो, आई0सी0डी0एस0 हो, मध्याह्न भोजन हो, सर्वशिक्षा अभियान हों, इन सभी योजनाओं में 1858 करोड़ रुपये की धनराशि जनवरी, 2010 तक उपलब्ध थी, आज की तारीख में इसमें में 746 करोड़ रुपया लैप्स होने की स्थिति में है। मान्यवर, इस प्रकार से वाह्य सहायतित योजनाओं में लगभग 90 करोड़ रुपये के परिव्यय का 28 फरवरी, 2010 तक उपयोग नहीं हो पाया है। 90 करोड़ रुपया इस मद का यह सरकार खर्च नहीं कर पाई है। मान्यवर, पिछले 2009—10 में हम अगर उस पैसे को खर्च नहीं कर पाये मान्यवर, तो इस वर्ष, 2010—11 में केन्द्र सरकार किस तरह इनको ये धनराशि देगी। यह भी प्रश्नचिन्ह है। मान्यवर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को जो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उन्होंने उल्लेख किया कि अमेल बेताल घाट, जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र का पहला ट्यूबवेल, पहला नलकूप अमेल में सरकार ने स्थापित किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। लेकिन मान्यवर, विडम्बना क्या है पहला ट्यूबवेल उत्तराखण्ड का, पर्वतीय क्षेत्र का पहला ट्यूबवेल, नलकूप मेरे विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार ने इस ट्यूबवेल की स्थापना की है और इतिहास बनाया है, यही कहा है। मैं कहना चाहता हूँ आपसे मान्यवर, ये ट्यूबवेल का लोकार्पण 2006 में हमारी माननीय मंत्री, माननीया श्रीमती अमृता रावत जी और स्वयं मैंने किया था। सदन को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, मान्यवर। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है मान्यवर, सदन को गुमराह करने की माननीय मुख्यमंत्री जी कोशिश कर रहे हैं और महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में इसका उल्लेख किया है, मान्यवर। 2006 में हम इसका लोकार्पण कर चुके हैं और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और इतिहास बनाने की बात कर रही है मान्यवर, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, सदन को गुमराह करने का ये सरासर कुत्सित प्रयास है। मान्यवर, ये कुत्सित प्रयास है, इस पर माननीय नेता सदन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय में खेद व्यक्त करना चाहिए, अपनी गलती को सुधारना चाहिए। इस तरह से सदन को गुमराह नहीं किया जा सकता, मान्यवर।

अभी एम्बुलेंस की बात हो रही थी, '108' की बात हो रही थी, हमारे भाई गोपाल जी कह रहे थे कि एक उपलब्धि हुई राज्य में, हमारे प्रदेश में। हँसी का विषय नहीं है मान्यवर, ये मर्म है, ये वेदना है, ये पीड़ा है मान्यवर, ये दुर्भाग्य है मान्यवर, इस प्रदेश का कि हमारे बच्चे एम्बुलेंस में जन्म ले रहे हैं और जब उनकी कुंडली बनेगी (हँसी) क्या होगा। ये इस प्रदेश की दशा, चिकित्सा के क्षेत्र में बदहाली का एक नमूना है, दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। हमारे गांव में, हमारी डिस्पेंसरी में, हमारे एऐन0एम0 सेन्टर हैं, लेकिन वहां ए0एन0एम0 नहीं है, अगर ए0एन0एम0 होती, हमारे डॉक्टर होते तो ये स्थिति का सामना हमारी बहनों को नहीं करना पड़ता और इसमें हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी गर्व की अनुभूति, गर्व का अहसास, गर्व से कह रहे हैं कि हमने ये काम करके दिखाया है, ये काम करके हमने दिखाया है। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में विजन 2020 की बात कही है। मान्यवर, राज्य की स्थापना का आधार क्या था, राज्य गठन के बाद उत्तराखण्ड में जो मूलभूत समस्याएं थीं, ज्वलन्त प्रश्न थे, जो बुनियादी सवाल थे मान्यवर, उसको हल करना। इसलिए इस राज्य का निर्माण हुआ, राज्य की परिकल्पना का आधार यही था मान्यवर। पर्यटन के क्या हाल हैं, जल विद्युत के क्या हाल हैं, वन आधारित उद्योगों के क्या हाल हैं और जो बुनियादी ढांचा है मान्यवर, उसके क्या हाल हैं। मान्यवर, इस बजट में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। मान्यवर, इस प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं, सरकार कहां ले जाना चाहती है, किस दिशा में ले जाना चाहती है, ये भी मान्यवर, एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह है। मान्यवर, हम इस प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं, किस दिशा में ले जाना चाहते हैं।

मान्यवर, 25 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन वाले इस राज्य में मात्र 10 फीसदी विद्युत उत्पादन हो रहा है, स्वास्थ्य तंत्र चरमरा गया है, राज्य के जो स्थापित उद्योग हैं पलायन कर रहे हैं, यहां पर मान्यवर, जिन क्षेत्रों में जो व्यय अनुमानित किया गया है मान्यवर, उससे किसान, गरीब, कर्मचारी, महिला, विद्यार्थी, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक समाज के लोग, उद्योग का कहीं जिक्र ही नहीं है मान्यवर, न इसका कहीं उल्लेख है। मान्यवर, जो हमारे समाज के गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, इस बजट में उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए, उनको एक दिशा देने के लिए, उनको सामाजिक, आर्थिक विकास देने के लिए मान्यवर, इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, इस बजट में नये रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में भी इस सरकार ने कहीं कोई पहल नहीं की है। इसलिए मान्यवर, मैं आम आदमी विरोधी बजट की निन्दा करता हूँ। धन्यवाद।

चौ0 यशवीर सिंह--

मानननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, इससे पहले मेरे समय में पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने, माननीय खण्डूडत्री जी ने, दो बार माननीय निशंक जी ने बजट प्रस्तुत किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कई बार बजट को पढ़ा और मन में सोच रहा था कि सरकार की कहीं न कहीं प्रशंसा करूँगा पर इस बजट में मुझे कहीं कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे मैं सरकार की प्रशंसा करूँ। पिछले वर्ष जब माननीय निशंक जी ने बजट प्रस्तुत किया था तो उसमें देवभूमि मुस्कान योजना ऐसी थी जिसकी हमने प्रशंसा की थी और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की हमने प्रशंसा की थी, जो '108' वैन चली रही है इसकी हमने प्रशंसा की थी। माननीय अध्यक्ष जी, ये सब बाते पुरानी हो चुकी हैं। इस साल बजट में, मैं सही कह रहा हूँ माननीय पंत जी यहाँ बैठे हैं, मैंने बहुत कोशिश की मैं प्रशंसा करूँ बजट की, पर कोई शब्द मेरे पास नहीं है। बजट जब प्रदर्शित किया जाता है उसमें यह होता है कि सरकार किस मद में कितना खर्च करेगी। अब तो बजट का कोई औचित्य ही नहीं रहा, हर महीने सरकार वस्तुओं पर पैसे बढ़ा देती है और हर महीने सरकार पैसे घटा देती है, बजट की आवश्यकता ही क्या है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। कई बार साल में पैसे बढ़ते हैं, कई बार साल में पैसे घटते हैं। पहले एक बात यह होती थी सरकार साल में जब बजट प्रस्तुत करती थी तो कहा जाता था कि कार की कीमत कम हो गई, पंखे की कीमत बढ़ गयी, अब तो कोई बात ही नहीं रही, अब तो हर छठे महीने सरकार पैसे बढ़ाती है, सरकार पैसे घटाती है।

यह जो बजट पेश किया, न तो वह किसान के पक्ष में है, न मजदूर के कोई पक्ष में है, न अल्पसंख्यक के पक्ष में है। मैं समझता हूँ यह बजट समाज के किसी भी वर्ग के पक्ष में नहीं है। अच्छा होता अगर सरकार मजदूरों के लिए कोई घोषणा करती कि उसकी न्यूनतम मजदूरी हमने डेढ़ सौ रुपये कर दी, 100 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये कर देती तो अच्छा होता। अच्छा होता अगर सरकार किसानों के लिए घोषणा करती, गेहूँ कि फसल आने वाली है, इसमें जो केन्द्र सरकार ने भाव तय किया है उसमें इतनी सब्सिडी ये भारतीय जनता पार्टी सरकार काश्तकारों को देगी। आज सदन में चर्चा चल रही थी किसानों के खेत से मिट्टी उठाने की, माननीय सदस्य श्री प्रणव जी का प्रश्न था, आज कम से कम सरकार को घोषणा करनी चाहिए थी कि जो किसान खेत से मिट्टी उठायेगा उससे रायल्टी नहीं ली जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी, बेरोजगारों के लिए कोई बात नहीं कही गई है। आज भी 60922 सीटें खाली पड़ी हैं, उन्हें भरने के लिए कोई बात नहीं कही गई है। माननीय अध्यक्ष जी, महिला कृषि मजदूर जो कृषि में काम करती हैं, उनकी न्यूनतम मजदूरी की इस बजट में कोई बात नहीं की गई है। जो हाईलाईट किया गया है, वह है कि सरकार ने मिट्टी के तेल में वैट कम कर दिया। आम आदमी को तेल मिलता कितना है, जिसके पास गैस के सिलन्डर हैं, उसको दो लीटर मिलता है, जिसके पास गैस

के सिलेन्डर नहीं है उसे 4 लीटर मिलता है। वैट कम होने से तेल 70 पैसे कम भी हो गया तो जो सिलेन्डर वाले हैं उनका 1 रुपया 40 पैसा कम हो गया महीने में और जो बगैर सिलेन्डर के हैं उनका दो रुपये अस्सी पैसे कम हो गया महीने में। मैं समझता हूँ यह बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की नहीं है। थ्रेसर पर कहा कि हमने 4 प्रतिशत कम कर दिया है, थ्रेसर के साथ और भी तो इक्यूपमेन्ट हैं काश्तकार के पास, सबसे बड़ी बात तो ट्रैक्टर है, उस पर वैट कम करती तो अच्छा लगता। थ्रेसर कितने छोटे काश्तकार इस्तेमाल करते हैं, मुझे बतायें इससे छोटे काश्तकार का क्या फायदा है ? बड़ा काश्तकार ही थ्रेसर लेता है, वही थ्रेसर से काम करते हैं।

किसानों को मिलने वाले ऋण की बात की है कि तीन लाख से बढ़ा कर पाँच लाख कर दिया है, यह तो पिछले साल भी था यह कोई बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, जब हम लोन लेने जाते हैं सरकार के पास जमीन पर तो हैक्टयरवाईज लोन मिलता है, जो उसकी पोटेंशिल वैल्यू है, वह 53 हजार प्रति हैक्टेयर है। एक हैक्टेयर में 12 बीघे होते हैं, लगभग चार हजार कुछ रुपये एक बीघे पर आता है। आप मुझे बता दे कहाँ दो लाख रुपये से कम कीमत की जमीन है ? कोई कृषि जमीन चाहे वह कितनी ही गंदी हो, दो लाख रुपये से कम की नहीं है। सरकार को यह चाहिए था कि जितनी काश्तकार के पास जमीन है, उसकी परसैन्टेज के हिसाब से ऋण मिलने की सुविधा उसे उपलब्ध करानी चाहिए। मान्यवर, सरकार ने सिनेमा घर की बात कही है, मोटे-मोटे बिन्दु हैं। सिनेमा घर बने या बिगड़े, नवनिर्माण किया जाए या न किया जाए, इससे आम जनता को क्या फर्क पड़ता है। टूटेगा तो पूंजीपतियों को फायदा और न टूटेगा तो पूंजीपतियों को फायदा है। नई आई0टी0आई0 घोषणा की बात कही गई है। निश्चित रूप से नई आई0टी0आई0 या स्कूल खुलने चाहिए पर जो आई0टी0आई0 चल रही है, उनमें तो देख लो स्टाफ कितना है, वह आई0टी0आई0 आपकी ठीक चल रही है, नहीं चल रही है। मेरे यहाँ आई0टी0आई0 है, दो साल से भवन बना पड़ा है, आज तक उसमें क्लासेज नहीं चल रही हैं। स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती की बात कर रहा हूँ। मेरे यहाँ ही कन्या सरस्वती इण्टर कॉलेज है, उसमें 14 पद रिक्त पड़े हुए हैं, पता नहीं बच्चे कैसे पास होंगे। इसका अनुमान सरकार खुद लगा सकती है।

माननीय अध्यक्ष जी, वेतन बढ़ाने की बात कही गई है, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं माननीय पंत जी से कहूँगा कि इसको जरा नोट भी कर लें। जैसे अभी कहा कि हल्का सरदार का मानदेय 150 से 300 कर दिया। प्रान्तीय रक्षक का मानदेय 120 से 150 कर दिया। जो गाँव के थाने हैं, उनमें जो स्वीपर काम करते हैं, उनमें जो गाँव के चौकीदार काम करते हैं, जो खबरें देते हैं उनकी तनख्वाह 200 रुपये महीना है, आज भी। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी तनख्वाह 1000 रुपये कर दी है तो उत्तर प्रदेश के समकक्ष ही उनका मानदेय बढ़ाना बहुत जरूरी है। योजना का नाम कहीं अटल योजना रख देते हैं। अटल जी तो अभी जिंदा हैं। भगवान उनकी उम्र 100 साल करे। उनके नाम पर

योजना का मैं समझता हूँ इससे क्या फायदा। इससे अच्छा तो निशंक योजना रख देते बहुत अच्छा रहता वह आगे काम भी आती, नाम भी रोशन होता, निशंक साहब का। माननीय अध्यक्ष जी, कहीं कहते हैं रेलवे लाईन बिछा रहे हैं, कहीं कह रहे हैं लक्सर का पुल दे रहे हैं, अगर इसमें राज्य सरकार की भागीदारी है तो भागीदारी कहीं न कहीं केन्द्र सरकार की भी है, इसमें दो राय नहीं है। इसमें यह कहना कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है ऐसी कोई बात सरकार ने नहीं की है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षिप्त करें। आप तो बहुत विद्वान है।

चौ0 यशवीर सिंह–

एक बात माननीय अध्यक्ष जी, हमारी समझ में यह नहीं आई कि हमारे जो नेता हैं वह कहते हैं, नूरा कुश्ती हो रही है। हमें तो यही समझ में नहीं आया कि नूरा कुश्ती क्या है। जब पार्टी किसी बात को सदन में उठा रही है तो नूरा कुश्ती कहने का क्या औचित्य है। अन्त में यही कहूँगा कि यह जो बजट है काश्तकार विरोधी है, मजदूर विरोधी है, यह अल्पसंख्यक विरोधी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही गई है, जो बेरोजगारों को रोजगार दे। माननीय अध्यक्ष जी, अन्त में मैं यही कहूँगा–

"दिल से पहले अँधेरा निकालना होगा, फिर उसके बाद उजाला उबारना होगा,

जमी पर चाँद सितारे ढूँढने वालों, तुम्हें जमीं पर आसमां उतारना होगा।"

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका ह्रदय से आभार प्रकट करता हूँ और अपने आपको माननीय केदार सिंह फोनिया जी से, माननीय अजय टम्टा जी से और माननीय विधायक चन्दन राम दास जी से सम्बद्ध करते हुए इसका समर्थन करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आज कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए छठा वेतनमान देने के साथ 2500 करोड़ का जो अतिरिक्त व्यय भार हुआ था, उसके उपरान्त भी कुशल वित्तीय प्रबन्धन की वजह से जहाँ 13 केन्द्रीय वित्तीय आयोग द्वारा पुरस्कार स्वरूप एक हजार करोड़ रुपया प्रोत्साहन स्वरूप प्रोत्साहन राशि मिली है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। इसके साथ ही पूरे देश में जहाँ विकास की दर में हमे तीसरा स्थान मिला, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। मान्यवर, दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों के मिट्टी के तेल पर वैट 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है। मान्यवर, वहीं पिछले वर्ष की तरह आटा, मैदा, सूजी, बेसन को टैक्स फ्री रखा गया है, इसके साथ ही साथ दियासलाई, मोमबत्ती, कपूर, आतिशबाजी, गोंद, हाथ से बना कागज, बधाई पत्र, आमंत्रण

पत्र, स्याही आदि को पूरी तरह से वैट मुक्त रखा गया है और महिलाओं के हितों को ध्यान में रखकर हाथ से बने ऊन, दन, कारपेट को वैट मुक्त रखा गया है, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ।

मान्यवर, किसानों को ऋण में स्टाम्प शुल्क में छूट की अवधि को 31.03.2011 तक बढ़ा दिया है, यह भी एक अच्छा कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जहां 250 से अधिक आबादी तक सड़क पहुँचाने का काम था, वही 250 से कम आबादी वाले गांवों को जोड़ने के लिए सम्पर्क मार्गों का प्राविधान किया है, यह भी जनता के हित का कार्य है। माननीय अध्यक्ष जी, जहां गरीब परिवार के लोगों के स्थान पर केवल बी०पी०एल० परिवार के लोग ही पेन्शन के पात्र थे और वास्तविक गरीब लोगों का नम्बर नहीं आ पाता था, आज सभी पात्र लोगों को वृद्ध पेन्शन, विधवा पेन्शन, विकलांग पेन्शन का प्राविधान किया है, उसी के तहत अल्मोड़ा जनपद में आज तक जहाँ केवल 22 हजार लोगों को पेन्शन मिली थी, आज वह 40 हजार से भी ज्यादा हो गयी है। मान्यवर, पहले एक घर में एक ही आदमी को यह पेन्शन मिलती थी, अब अगर घर में दो लोग हैं तो दोनों को मिल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पेन्शन को हर महीने कराने का कष्ट करें, चूंकि यह मासिक पेन्शन है, यह पेन्शन कभी सात महीने में कभी आठ महीने में मिलती है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पेन्शन को हर माह कर दिया जाय चूंकि वे लोग इस पेन्शन का इन्तजार करते हैं, अगर हर महीने दे दी जाय तो यह एक अच्छा कार्य होगा, बजट में इसका पूरा प्राविधान है। इसी प्रकार गौरा देवी कन्या धन योजना के अन्तर्गत जहाँ पहले अनुसूचित जनजाति के लोगों की कन्या को 12 वीं पास करके जो धनराशि मिलती थी, इससे केवल जातिवाद का भेदभाव बढ़ता था क्योंकि गरीबों की कोई जाति नहीं होती है, फिर यह बी०पी०एल० परिवार के लिए भी हो गया था। आज यह उन सभी गरीब लोगों को जिनकी आय कम है आय-प्रमाण पत्र के आधार पर मिल रही है। इसमें मेरा एक निवेदन है कि लड़की जब 12 वीं पास करती है तो उसे 25,000 की एन०एस०सी० मिलती है, जो पाँच साल तक जमा रहती है। मान्यवर, क्योंकि हमारे यहां 12 वीं के बाद दो तीन साल में ही लड़की की शादी हो जाती है, अगर यह पैसा उसी समय दे दिया जाय तो यह उनके विवाह आदि के ज्यादा काम आयेगा, बल्कि पाँच सल तक उसको जमा करने के बाद शायद वह उतना ज्यादा लाभदायक न रहे, इसलिए इसे उसी समय दे दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, नेत्र चिकित्सालय की स्थापना, ट्रामा सेन्टर, सी०टी० स्केन और एम०आर०आई० आदि का संचालन सरकार के द्वारा किया जा रहा है, चूंकि मेरी विधान सभा क्षेत्र एक सुदूर क्षेत्र में स्थित है अगर इनमें से एक मशीन मेरी विधान सभा क्षेत्र में लगा दी जाय तो लोगों के हित में रहेगी।

मान्यवर, अल्ट्रासाउण्ड मशीन की बहुत आवश्यकता है, अगर इस बजट में इसका प्राविधान किया जाय, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में सुधार के साथ आई0आई0एम0 एवं एन0आई0टी0 की स्थापना करने की योजना सरकार ने बनायी है, मान्यवर हमने उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना, मुख्यतः राज्य के पर्वतीय विकास के लिए की थी। आज भी हमारे दूरस्थ क्षेत्र के कॉलेजों में बी0एससी0 जैसा विषय नहीं है। चूंकि विज्ञान का युग है लेकिन विज्ञान विषय नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे वहां दो तीन महाविद्यालय हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पूर्व में घोषणा की थी और महामहिम गर्वनर के यहाँ से भी अस्थायी सम्बद्धता मिल गयी है, अगर इसी वर्ष से वहाँ पर विज्ञान वर्ग की कक्षायें संचालित कर दें, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। मान्यवर, मेरा एक छोटा सा सुझाव सड़क निर्माण के लिए है कि यदि कोई भी योजना का कार्य प्रारम्भ किया जाता है तो पहले वन भूमि की स्वीकृति लेनी पड़ती है, जिसमें कई साल लग जाते हैं। कहीं अमीन नहीं है तो कहीं पटवारी नहीं है और सड़कों की स्वीकृति के लिए हम दो तीन साल तक प्रयास करते हैं। मान्यवर, फिर वह फाईल लखनऊ जाती है और कई दिनों तक वहाँ पर लटकी रहती है। मेरा इसके लिए निवेदन है कि वन भूमि की स्वीकृति हेतु इसका कार्यालय देहरादून में ही कर दिया जाय तो कार्य को करने में ज्यादा आसानी रहेगी।

मान्यवर, एक छोटा सा निवेदन रह गया है कि डाक्टरों की व्यवस्था हमारे पहाड़ में नहीं है और डाक्टर लोग वहाँ जाना भी नहीं चाहते हैं। अगर पहले से ही यह व्यवस्था की गई होती तो जो 15 हजार रुपये में एम0बी0बी0एस0 कराने की योजना वार्षिक तौर पर हमारी सरकार ने चलायी है, अगर यह पहले कर दी होती तो आज '108' में बच्चा पैदा होने और उसकी कुण्डली कैसे बनेगी इसकी चिन्ता नहीं करनी पड़ती और यह दिक्कत नहीं आती। धन्यवाद।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट 2010–2011 पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, इस वर्तमान सरकार का यह तीसरा बजट भाषण प्रस्तुत किया गया है और प्रति वर्ष जब हम बजट भाषण पढ़ते हैं तो हर विभाग में लिखा रहता है कि लोक निर्माण विभाग इतनी सड़कें देंगे, हम ऊर्जा प्रदेश के लिए इतने गाँवों का विद्युतीकरण करेंगे, पेयजल सुविधा देंगे लेकिन हर साल वह बीत जाता है और न कहीं किसी को एक किलोमीटर सड़क, न कोई पम्पिंग योजना, न किसी भी स्कूल का उच्चीकरण किसी भी विभाग से कुछ प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए इस सरकार की कथनी और करनी में एक बहुत व्यापक अन्तर है। यह सरकार अपने बजट भाषण में कहती कुछ है और धरातल में करती कुछ नहीं है। अभी भी अगर हम देखें तो

आगे के जिन पन्नों पर जो-जो लिखा है वही बीच के पन्नों में है, वही अन्त में दे रखा है और इसको इतना मोटा दिखा दिया गया है कि हम इतना कार्य कर रहे हैं। जबकि धरातल में कुछ नहीं होने वाला।

मैं लोक निर्माण विभाग से अपनी बात को शुरू करती हूँ क्योंकि हमारा उत्तराखण्ड एक पर्वतीय राज्य है और पर्वतीय राज्य का विकास तभी होगा जब हमारे उत्तराखण्ड के सुदूर गाँवों में सड़कों का निर्माण होगा। लेकिन इन तीन वर्षों में हम लोगों को जो कि हम लोग दूरस्थ क्षेत्रों से आते हैं। वहाँ एक किलोमीटर सड़क भी इन तीन वर्षों में हम लोगों को नहीं दी गयी है और मेरा ही विधान सभा क्षेत्र नहीं है, मैं तो समझती हूँ कि समस्त विपक्ष के विधायकों की सबकी यही राय है कि किसी को भी एक किलोमीटर सड़क नहीं दी गयी है पूरे उत्तराखण्ड राज्य में लोक निर्माण विभाग के 300 अभियंताओं के पद रिक्त चल रहे हैं। मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र के बैजरों स्थित लोक निर्माण के निर्माण खण्ड में 14 अभियंताओं के पद रिक्त हैं और मात्र 3 अवर अभियंता संविदा पर कार्यरत हैं और धनाभाव के कारण किए गए निर्माण कार्यों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जो ठेकेदार हैं, उन के परिवारों को आर्थिक कठिनाईयों से जूझना पड़ रहा है बल्कि वे भुखमरी के कगार पर भी आ गए हैं और यदि मार्ग का निर्माण नहीं होगा तो सम्पूर्ण प्रदेश का विकास अवरूद्ध हो जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि अब तक स्वीकृत निर्माण कार्यों के लिए तत्काल धन अवमुक्त किया जाय और किये गये निर्माण कार्यों के अवशेष देयकों का भुगतान किया जाय और शासन स्तर पर वर्षों से लम्बित जो भी सड़कें हैं उनको स्वीकृत किया जाय। दूसरी बात आती है कि यह सरकार बड़े गर्व से कहती है कि हम अपने राज्य में 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देंगे। एक तरफ तो 50 प्रतिशत महिलाओं के आरक्षण की बात करती है और दूसरी तरफ जो हमारी विधवा, परित्यक्ता महिलायें हैं उनको जो रोजगार के अवसर प्रदान होने होते हैं, उसको लात मार देती है। अभी चार दिन पहले हिन्दुस्तान पेपर में खबर मैंने पढ़ी कि केन्द्र सरकार ने 8 हजार मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को स्वीकृत किया लेकिन राज्य सरकार उसमें से 3 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों को नहीं ले रही है, उन्हें हटा रही है कि हम केवल 5 हजार आंगनबाड़ी की नियुक्ति करेंगे, 3 हजार की नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, इस पर कुछ स्पष्टीकरण देना चाहती हैं।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती विजय बड़थ्वाल)-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने इस पर सर्वे कराया क्योंकि इसके मानक हैं कि 150 से 300 तक की जनसंख्या पर हम मिनी आंगनबाड़ी खोल सकते हैं, 300 से अधिक जनसंख्या के गांवों में आंगनबाड़ी खोल सकते हैं। मान्यवर,

क्योंकि हमने सर्वे कराया, जहाँ डेढ़ सौ से कम की जनसंख्या के गांव हैं, उनमें नहीं खुल सकते हैं, इसलिए उसको कम किया गया है।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, ये तो माननीय मंत्री जी कह रही हैं, यदि पूरे खुलते तो 6 हजार हमारी महिलाओं को रोजगार मिलता। मान्यवर, राज्य के अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रवक्ता/सहायक अध्यापकों के पद एक लम्बी अवधि से रिक्त आ रहे हैं, जिसके कारण सम्पूर्ण राज्य की शिक्षण व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। दूरस्थ क्षेत्र में जो गाँव, स्कूल, विद्यालय हैं उनमें प्रधानाचार्य–अध्यापक नहीं हैं, जिसके कारण वहाँ के बच्चों की शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मान्यवर, वर्तमान शासनकाल में माध्यमिक विद्यालयों के एल0टी0 शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है और माननीय मंत्री जी, मैंने पहले भी आपसे अनुरोध किया था कि विकास खण्ड पोखड़ा के किसी भी इण्टरमीडिएट कॉलेज में प्रधानाचार्य कार्यरत नहीं हैं, अध्यापक नहीं हैं, तो मेरा अनुरोध है कि जहाँ–जहाँ मेरी बीरोंखाल विधान सभा क्षेत्र में, जहाँ प्रधानाचार्य/अध्यापक नहीं हैं तो कृपा करके हरिद्वार में ही न भेज कर वहाँ दूरस्थ क्षेत्रों में भी भेजेंगे तो वहाँ के बच्चों का पठन–पाठन अच्छी तरह से होगा।

मान्यवर, स्वास्थ्य में '108' की बड़ी चर्चा होती है, यह जी0वी0के0 के फाउण्डेशन एन0जी0ओ0 द्वारा अधिकतर प्रदेशों में राज्य सरकारों में दी गई है और सबसे पहले यह शुरूआत आन्ध्र प्रदेश में हुई है, उसके बाद तमिलनाडु, राजस्थान सब जगह की जाती है, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि दूरस्थ गांव में कहीं–कहीं अस्पताल हैं और इन अस्पतालों में डॉक्टर, फार्मेसिस्ट, नर्स नहीं हैं, कुछ भी नहीं है और अगर वहाँ मरीज '108' में लाये भी जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर ही नहीं होते हैं और '108' अस्पताल के बाहर छोड़कर चली जाती हैं और जब हम गांव में जाते हैं तो गांव के लोग कहते हैं कि जब डॉक्टर नहीं हैं तो '108' का क्या करेंगे। हमें '108' नहीं चाहिए, जब डॉक्टर ही नहीं होंगे तो '108' का कोई औचित्य नहीं हैं। मान्यवर, एक ओर प्रदेश में प्रशिक्षित फार्मासिस्ट नियुक्ति के लिए आन्दोलित हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में फार्मासिस्टों के सैकड़ों पद रिक्त चले आ रहे हैं, इस प्रकार कई चिकित्सालय चिकित्सक एवं फार्मासिस्ट विहीन ही संचालित हो रहे हैं। मान्यवर, ऊर्जा में जिस प्रकार से कहा जाता है कि उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन और ऊर्जा प्रदेश के रूप में अपने आप को स्वावलम्बी कर सकता है, लेकिन यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आज–कल बच्चों की परीक्षा हो रही है और अभी देहरादून में 2 बजे से 5 बजे तक डेली बिजली की रोस्टिंग की जाती है और पहाड़ों में 5 से 7 घण्टे, 8 से 10 घण्टे की रोस्टिंग की जाती है। यह हम पहली

बार देख रहे हैं कि बच्चों के हाईस्कूल–इण्टरमीडिएट के एग्जाम हो रहे हैं और रोस्टिंग की जा रही है। पहाड़ों में ट्रांसफार्मर जब जल जाता है तो वह 3–3 महीने, 6–6 महीने में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, कई–कई महीनों तक गांव में बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है, लेकिन उसको देखने और सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं है।

मान्यवर, वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या पेयजल की समस्या है, क्योंकि वर्षा कम होने के कारण जल स्रोत सूखते जा रहे हैं, नदियों का प्रभाव कम होता जा रहा है, यह बड़ा चिन्तनीय विषय है और आगामी वर्षों में यह सबसे अधिक संकट का विषय होने वाला है 'पेयजल'। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय पेयजल मंत्री जी से अनुरोध है कि जो पहाड़ों में पम्पिंग योजना स्वीकृत हुई हैं और 3 साल होने के बावजूद भी उनको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो कृपा करके उन पम्पिंग पेयजल योजनाओं को यथाशीघ्र शुरू करवा दें, जिससे कि आगामी आने वाले समय में उन गांवों को पानी से वंचित न होना पड़े। मैंने, इस विषय में आपको भी कहा था, पहले जो मंत्री थे, उनको भी अवगत कराया था। मेरे विधान सभा क्षेत्र चौबट्टाखाल पम्पिंग पेयजल योजना है, जिसमें 85 गांव लाभान्वित होंगे। लेकिन अभी तक तीन वर्ष में उसकी शुरूआत नहीं हो सकती है। खटलगढ़ की 7 ग्राम सभाओं के लगभग 25 गांवों की पेयजल योजना है, बरसुण्ड देवा पम्पिंग पेयजल योजना है, बीरोंखाल पुनर्गठन पम्पिंग पेयजल योजना है, रसिया महादेव–ललितपुर पम्पिंग पेयजल योजना है, बवासा–घुड़ियाखाना–सिन्दुड़ी पेयजल योजना का पुनर्गठन, भैरवगढ़ी देवता पम्पिंग पेयजल योजना, गुराड़मल्ला पेयजल योजना, देवकुण्डई तल्ली पेयजल योजना। मान्यवर, ये सारी योजनाएं जो अभी तक तीन वर्ष में शुरू नहीं हो पायी हैं। इस सम्बन्ध में मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं को तुरन्त शुरू कर दिया जाय, जिससे गांव वालों को बिना पानी के न रहना पड़े। मान्यवर, जिस प्रकार से बार–बार सदन में यह बात आयी है कि जो हैण्ड पम्प लगाये गये हैं, वे खराब हैं। मान्यवर, ऐसे कितने ही हैण्ड पम्प पहाड़ी क्षेत्रों में लगे हैं जो खराब हो गये हैं और जिनमें पानी नहीं आता है। इस सम्बन्ध में मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जो भी हैण्ड पम्प खराब हैं, उनको तुरन्त ठीक कराया जाय। यदि वे ठीक नहीं हो सकते हैं तो उनके स्थान पर दूसरा हैण्ड पम्प लगाने का बजट में प्राविधान किया जाय।

मान्यवर, अभी यहां पर आदरणीय सदस्य ने कन्याधन योजना का जिक्र किया था। जो कन्याधन योजना है, यदि माननीय अध्यक्ष जी, सर्वे कराया जाय तो पहाड़ों में इस धन का आवंटन नहीं किया जा रहा है। जनपद पौड़ी गढ़वाल में ही 1598 आवेदन–पत्र जमा हैं, उनको अभी तक पैसा अवमुक्त नहीं किया गया है। मान्यवर, शादी में भी जो पैसा दिया जाता है, वह पैसा भी समय पर उनको

नहीं मिल पाता है, जिससे उनका जीवन बड़ा कष्टमय हो रहा हैं मान्यवर, जिस प्रकार से प्रदेश में विधवा, विकलांग एवं वृद्धावस्था पेन्शन पर ही हमारे लोग निर्भर हैं। ऐसे कई हमारी माताएं हैं, बहिनें हैं, भाई हैं, जो इन्हीं पेन्शन पर निर्भर होते हैं, लेकिन पहाड़ों में हमें देखने को मिलता है कि साल भर हो गया है, उन्हें न विधवा पेन्शन मिल पा रही है, न विकलांग पेन्शन मिल पा रही है और न वृद्धावस्था पेन्शन मिल पा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि उनको समय पर यथाशीघ्र पेन्शन उपलब्ध करायी जाय, माननीय अध्यक्ष जी, जलागम के सम्बन्ध में कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय जलागम सतपुली इकाई द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत पसोलगार्ड के लिए ₹ 7.30 करोड़ की योजना तैयार की गई थी, जिसकी स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी थी, योजना के निर्माण हेतु आवश्यक सर्वेक्षण भी किया जा चुका है, किन्तु किन्हीं अप्रत्यक्ष कारणों से इस योजना को अन्यत्र हस्तान्तरित करने की साजिश की जा रही है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर ऐसी कोई योजना बनायी जा रही है, इसको हस्तान्तरित किया जा रहा है तो कृपा करके हस्तान्तरित न किया जाय और जो 7.30 करोड़ की योजना तैयार की गयी है उसे यथाशीघ्र बना लिया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ और यह कहना चाहती हूँ कि जो यह बजट है यह बिल्कुल दिशाहीन है, इस बजट से प्रदेश की स्थिति सम्भालने वाली नहीं है। इसलिए मैं अपनी बातों पर बल देती हूँ कि यह बजट बिल्कुल दिशाहीन एवं अर्थहीन है, धन्यवाद।

श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले इस बजट में ऐसा कोई नया कर सरकार के द्वारा नहीं लगया गया है। दूसरा अनुमानित घाटा 630.28 करोड़ का है। तीसरा 600 करोड़ इस घाटे को समायोजित करने के लिए, लोक लेखा से समायोजित किया जा रहा है और 4.72 करोड़ का सरप्लस बजट प्रस्तुत किया गया है। मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूँ कि 600 करोड़ अगर घाटे का बजट पेश किया जाता तो मैं समझता हूँ कि सरकार की इसमें कोई भी बेईज्जती नही होती, क्योंकि घाटे का बजट बनाने से कम से कम यह प्रदर्शित होता कि सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है। लेकिन सरप्लस बजट और यह भी मात्र 4.72 करोड़ का जो धनात्मक बजट आपके द्वारा पेश किया गया है, इससे साफ सिद्ध हो रहा है कि मान्यवर, कहीं न कहीं जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, उनको पूरी तरह से खर्च नहीं किया जा रहा है और जो सरप्लस बजट पेश किया गया है, यह स्वाभाविक है कि किसी राजनीतिक समीकरण को देखते हुए सरप्लस बजट पेश किया गया है। यह

तीसरा साल हम लोगों का चल रहा है। अन्ततः मैंने सरकार को समर्थन दिया था, उसके बाद भी जब मैंने दो बजटों में कहा कि मैं सरकार को समर्थन दे रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सरकार के बजट भाषण पर उसकी तारीफ कर रहा हूँ। तीसरी बार मैंने यह कहा था कि मैं सरकार से अलग हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उसकी बुराई करूँगा। लेकिन मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभी दिन में जब प्रताप सिंह पुष्पवाण जी को श्रद्धान्जलि दी जा रही थी, उस समय माननीय किशोर उपाध्याय जी ने कहा था कि हम सिर्फ श्रद्धान्जलि ही नहीं दें, उनकी आर्थिक मदद भी करें। उसी तरह से, जिस तरह माननीय अमृता रावत जी ने कहा, 3 सालों से बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन बजट में जो चीजें कही जाती है, उसे अभी तक पूरा नहीं किया जा रहा है, जो मैं समझता हूँ कि बड़े दुर्भाग्य की बात हैं।

मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि इस सरकार के द्वारा पी0पी0पी0 मोड के तहत प्रदेश में कई रोप-वे लगाने की बात की गयी थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक भी रोप-वे इस प्रदेश के अन्दर नहीं लगा है महोदय, दो तरह से जनप्रतिनिधियों द्वारा काम किये जाते हैं, हम विधायक हैं, जो हमारी हैसियत है, अपने क्षेत्र में हम अपने हिसाब से काम कराएंगे। मैं किसी सरकार पर लांछन नहीं लगा रहा हूँ। जिस तरह राज्य सरकार यह बात करती है कि केन्द्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, निश्चित रूप से हम भी यह कहना चाहेंगे कि अगर सरकार अपने विधायकों के साथ, विपक्ष के विधायकों के साथ या सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो हमारी हैसियत होती है, हम उसके हिसाब से काम करते हैं। कहीं हमारी भी निगाह रहती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस सरकार के द्वारा काम किया जाय। महोदय, एक भी रोप-वे नहीं लगा है। जब माननीय पंत जी पर्यटन मंत्री थे तब भी और अब नये माननीय पर्यटन मंत्री जी भी हैं, आप जानते हैं कि पी0पी0पी0 मोड के तहत कोई भी रोप-वे नहीं लगाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे मग्वारस्यू में ल्वाली झील के लिए 5 करोड़ रुपये की घोषणा की थी, उस पर अभी कोई कार्य नहीं हुआ। राष्ट्रीय स्टेडियम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 5 करोड़ रुपये की घोषणा की गयी थी। इस वर्ष, 2010-11 के बजट में स्टेडियमों के लिए मात्र 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जबकि माननीय मुख्यमंत्री डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक" जी के द्वारा श्रीनगर में जो अन्तर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने की बात की गयी है, उसमें करोड़ों रुपया खर्च होगा। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि "शायद उनका आखिरी हो यह सितम, हर सितम यह सोच कर सह गये और दिल के अरमां आंसुओं में बह गये।" तो 3 साल के बाद अन्ततः हमने यह सोचा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री खण्डूड़ी जी, हमारे अपने हैं, हमारे पौड़ी के हैं। माननीय निशंक जी हमारे पौड़ी के हैं, इसलिए चुप रहिए। वरना

लोग कहीं इसका यह अर्थ न लगाएं कि अपने लोगों के खिलाफ बोला जा रहा है। लेकिन महोदय, 3 साल का समय व्यतीत हो गया है, आई0टी0आई0 खोलने की बात सरकार ने कही थी, काँग्रेस के टाईम में 2 आई0टी0आई0 की घोषणा पौढ़ी में की गयी थी लेकिन मेरे तारांकित प्रश्न के जवाब में सरकार ने कहा कि आज तक प्रदेश में मात्र एक आई0टी0आई0 इन तीन सालों में खुला है। इससे अधिक दुर्भाग्य की बात और क्या होगी ? महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा कोई नया कर नहीं लगाया गया है, कर मुक्त रखा गया है। इससे अच्छा होता कि नया कर सरकार के द्वारा लगाया जाता कई चीजों पर, जिससे कि हमें राजस्व की प्राप्ति होती और जो हमारे अंशकालिक और डेलीवेजेज पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, उन लोगों की आर्थिकी को मजबूत बनाया जाता।

मैं किसी सरकार पर लांछन नहीं लगाना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेई जी की सरकार मात्र प्याज की महंगाई के कारण गिर सकती है। राज्य सरकार के द्वारा केन्द्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया गया, प्रदेश की जनता द्वारा राज्य सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया गया लेकिन हकीकत यह है महोदय, कि जब दिल को वास्तव में लगता है कि महंगाई बढ़ रही है, तभी जनता पीड़ित होती है। इतने लम्बे आन्दोलन हुए और लोगों की तनख्वाह में बहुत बढ़ोत्तरी हो गयी है, लेकिन महंगाई आप कितना ही कह लें, हम आपके खिलाफ कहें, आप केन्द्र सरकार के खिलाफ कहें। जब तक लोगों को वास्तव में महसूस नहीं होगा कि महंगाई बढ़ गयी है, तब तक इस पर कोई फर्क नही पड़ने वाला है। तो मैं लोगों से निवेदन करता हूँ कि मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय तो ऐश कर रहे हैं, लेकिन नीचे के तबके के लोग, जो कि मजदूर हैं, किसान हैं, बेरोजगार हैं, इस सरकार को, नव सृजित हमारा राज्य है, 9 साल इस राज्य को बने हो गये और हर बार बजट आता है। 2009–10 में जो आय-व्ययक था, उसका ब्यौरा दिया गया। 2010–11 में हमारा जो व्यय होगा, उस व्यय को हम अपने साधनों से, वह कौन से साधन हैं, जिनको हम चुनेंगे, जिनसे व्यय को पूरा करेंगे ? अगर हमारे अपने साधन होते और सरप्लस बजट को उन साधनों से पूरा करने की बात कही जाती तो बेहतर होता लेकिन हमने पब्लिक एकाउंट से 600 करोड़ रुपये लेकर उसे सरप्लस दिखाया है तो मैं समझता हूँ कि यह सिर्फ उन लोगों के लिए है, जो समाचार-पत्रों के माध्यम से पढ़ते हैं कि सरकार ने धनात्मक बजट पेश किया है, लेकिन यहां पर सभी संभ्रान्त लोग बैठे हैं, हकीकत क्या है, हम सब जानते हैं।

मैं इस बजट में किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक समीक्षा के तौर पर आपसे यह बात कह रहा हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों की विधवाओं की पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये की गई है। जब कि

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों की पेंशन को 3000 रुपया किया गया है, हम लोग राज्य के लिये लड़े, वह लोग देश के लिये लड़े और देश राज्य से बड़ा होता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि उन पूर्व सैनिकों ने, जिन्होंने देश के लिये और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देश की राजनीति में बढ़-चढ़ कर योगदान दिया, उनकी पेंशन को लगभग 5000 रुपया किया जाय। मान्यवर, मैंने पिछली बार भी कहा था कि गढ़वाल और कुमाऊंनी बोली को भाषा का रूप देने के लिये इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि उसे किस तरह से क्रियान्वित किया जायेगा। मान्यवर, प्रदेश को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिये, मैं जब नगरपालिका अध्यक्ष था, तो मैंने पौड़ी को पूरी तरह से पॉलीथीन से मुक्त किया था। उस समय श्री जोत सिंह गुनसोला जी ने भी अपने स्तर से अपने यहाँ प्रयास किये थे। यदि हम पूरे प्रदेश को पॉलीथीन मुक्त बनाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो फैक्ट्रियां यहां पर प्लास्टिक बना रही हैं या पॉलीथीन बना रही हैं, उन्हें या तो अन्य जगह पर पॉलीथीन बेचने के लिये कहा जाय या पॉलीथीन के व्यापार को बन्द करने के लिये, अन्य व्यापार की तरफ किस तरह से मोटिवेट करेंगे, उस पर आप लोगों को गम्भीरता से सोचना चाहिये।

महोदय, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि उसमें जो लोन दिया जाता है, उस पर सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है, उस सम्बन्ध में कई बेरोजगारों की शिकायतें आई हैं कि उनका काम पूरा हो गया है, लेकिन अभी सरकार के द्वारा उन्हें सब्सिडी नहीं दी गई है और बैंक से जो लोन लिया गया है, उस पर ब्याज लगाया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पौड़ी से मात्र 29 किलोमीटर की दूरी पर सुमाड़ी में एन०आई०टी० की घोषणा की है और उस पर काम प्रारम्भ करा दिया जायेगा। साथ ही पौड़ी में लम्बे अरसे के बाद नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्रामीण संयोजन योजना, जो 250 से कम आबादी वाले गांवों को लाभान्वित करेगी, उसको यहां पर क्रियान्वित करने की बात की गई है, वह इस बात के लिये बधाई के पात्र हैं। लेकिन कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहूंगा कि जो बजट में कहा जाता है, उन्हें यह सरकार पूरा भी करे। यह बिल्कुल सत्य बात है कि हमारी ज्यादातर योजनायें केन्द्र पोषित और वाह्य सहायतित योजनायें ही हैं, जिन पर यह सरकार काम कर रही है। तो मैं चाहूँगा कि नव सृजित राज्य के लिये हम लोग अपने आर्थिक संसाधनों को मजबूत करें और अपने बलबूते पर आगे बढ़ें। मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा क्योंकि यहां पर पूर्व एवं वर्तमान शिक्षा मंत्री जी बैठे हुये हैं। अशासकीय विद्यालयों को भी एड दी जानी चाहिये, चूंकि तनख्वाह तो उन्हें सरकार के द्वारा दी जाती है, लेकिन भवन निर्माण तथा अन्य चीजों के लिये सरकार से पैसा नहीं मिलता है और आप सभी को मालूम है कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, उनके पास एरिया बहुत ज्यादा होता है। तो मान्यवर, 'जहां नाक है, वहां नथ नहीं है और जहां नथ

है, वहां नाक नहीं है' तो मैं चाहूंगा कि इन अशासकीय विद्यालयों को भी एड दी जानी चाहिये, ताकि वह पढ़ाई का काम ढंग से कर सकें।

माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा और धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आपने विधायक निधि डेढ़ करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ रुपया कर दी है, इसके लिये मैंने एक तारांकित प्रश्न भी लगाया था और उसके माध्यम से सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। महोदय, मेरा यह निवेदन था कि '108' की यहाँ पर चर्चा होती है और मैंने उस समय डा0 रमेश पोखरियाल की तारीफ भी की थी कि केन्द्र सरकार की यह योजना है, लेकिन लागू राज्य सरकार के द्वारा की गई है। मैं ग्राम्य विकास मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि '108' सेवा का यहां पर प्रचलन हो गया है, तमाम हॉस्पिटलों में एम्बुलेंस भी हैं। मैं जब पौढ़ी में नगरपालिका अध्यक्ष था तो उस समय मैंने सिटी बसों को क्रय किया था और उनका संचालन आज भी किया जा रहा है तो मेरा निवेदन है कि जिन विधायकों के क्षेत्र में सिटी बसों का संचालन हो सकता है, उसमें विधायक निधि के लिये यह भी जोड़ा जाय कि एम्बुलेंस के साथ–साथ विधायक सिटी बस भी क्रय कर सकें। मैं चाहूंगा कि इसे आप आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अन्त में दो लाईनें कहना चाहूंगा, जो मैंने इसी सदन में इसी सत्र में और इसी सीट पर बनाई हैं इस सदन के लिये और मैं समझता हूं कि यह लाइनें दुनिया के किसी भी सदन के लिये बेहतरीन लाईनें होंगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यहां पर कहा जाता है, उसे पूरा होना चाहिये। मान्यवर, 'सदन के अन्दर लड़ते भी हैं, समझते भी हैं,' आप समझ गये होंगे कि कुछ वजन है शेर में कि "सदन के अन्दर लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं," ठहाका भी लगता है, चर्चा भी होती है, सदन के अन्दर लड़ते भी हैं, 'झगड़ते भी हैं,' ठहाका भी लगाता है, चर्चा भी होती है, फिर बताओ यारों सदन के बाहर सड़क पर ये जनता क्यों रोती है ?" इसलिए रोती है महोदय, कि जो यहाँ पर कहा जाता है, वो पूरा नहीं होता है और जो सड़क पर होता है, उसे देखा नहीं जाता तो मैं निवेदन करूंगा कि अगले साल का जब बजट होगा तो हमारे आर्थिक संसाधनों से इस नवसृजित राज्य को आगे बढ़ायेगा। आपका धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

वित्तीय वर्ष, 2010–11 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी।

उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2010

आबकारी मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत छोटा सा विधेयक है। इसमें जो वर्तमान में देशी शराब है, उसमें जो उत्पादन शुल्क 90 रुपये प्रति बल्क लीटर ले रहे थे, उसे राजस्व हित में बढ़ाने की आवश्यकता थी, क्योंकि इससे पहले इस सरकार में संशोधन सन् 2001 में इसको 90 रु0 तक लेकर आये थे और 1970 के बाद 2001 में अमेंडमेंट हुआ। तो 1970 के बाद लगातार 90 रुपये की मैक्सिमम सीमा तक लाये, लेकिन 2001 के बाद 2009 में जो आवश्यकता थी वह पिछले वर्ष इसको 95 रु0 किया था। इसलिए नितांत आवश्यक था कि इसको मैक्सिमम लिमिट इसकी 200 रु0 तक लेकर जायं। 200 रु0 मैक्सिमम लिमिट करने की पीछे जो हेतु है मान्यवर, वह इस कारण से है कि यदि हम प्रत्येक वर्ष इसमें 2 प्रतिशत, 4 प्रतिशत या 5 प्रतिशत की जो भी वृद्धि करते हैं उस मैक्सिमम लिमिट तक पहुँच जायेगा और इसमें हर वर्ष अमेन्डमेन्ट करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। चूँकि यह 1970 के बाद 2001 में हुआ और 2001 के बाद अब हम इस अमेन्डमेन्ट को लेकर आ रहे हैं। इसमें इसकी तीन छोटी–छोटी सी जो इसकी मुख्य धारा है, मूल अधिनियम की धारा–28की उपधारा–3 में खण्ड क, ख, ग, घ और ङ के स्थान पर इसमें संशोधन किया गया है और इसमें जो देशी शराब ₹ 90 प्रति बल्क लीटर थी, उसमें 200 रुपये प्रति लीटर किया गया है। इसी प्रकार से ख में जो 90 रुपये था उसमें भी उसके स्थान पर 200 रुपये प्रति बल्क लीटर किया गया है। इसी प्रकार घ में भी यही बिल्कुल चेंज किया गया है और ङ में भी यही चेंज किया गया है। ये बहुत छोटा सा विधेयक है और जो नितांत आवश्यक था तो इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय विपक्ष के सदस्यों से जिन्होंने इसमें संशोधन दिया, उनसे निवेदन करता हूँ कि ये अपना संशोधन वापस ले लें और सर्वसम्मति से इसे पास करने का कष्ट करें।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो सरकार कह रही है कि हम कोई टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, पूरे बजट के अन्दर वाहवाही लूटी जा रही है और मान्यवर, पहले वैट बढ़ाया, पेट्रोल का किया एक रुपया और आज ये देखिये, फिर दाम रोजाना अलग–अलग तरीके से सरकार बढ़ा रही है और लोगों के ऊपर इसका बोझ पड़ रहा है और वैसे भी सरकार कहती है कि महंगाई, महंगाई और सरकार खुद महंगाई बढ़ा रही है, हर चीज में। तो मान्यवर, ये तो 100 प्रतिशत से भी ज्यादा तो मान्यवर, इसका तो हम लोग विरोध करते हैं, मान्यवर। ये तो बड़ा गलत है और ये प्रवर समिति को सौंप दिया जाय मान्यवर, ये आपसे निवेदन है कि प्रवर समिति को सौंप दें इसको।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ 100 प्रतिशत नहीं बढ़ा। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, कैसे नहीं बढ़ा 90 का 200 प्रति लीटर रख दिया गया है, कितने प्रतिशत हो गया, मान्यवर ?

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, इसको पढ़ना पड़ेगा पहले, मैं बार–बार बोल रहा हूँ जब तक इसको हम पढ़ेंगे नहीं, हमने कहा कि 1970 में ये 20 रुपये था 2001 तक हमने इसमें 1970 से 2001 तक हम मैक्सिमम लिमिट पर लेकर चले गये, जैसा 2001 में हमने 90 रुपये किया तो हमने इसको लगातार 48 रुपये 2001 में था, फिर 50 किया, 52, 55, 56 जो रोज हमें अमेंडमेंट ही करने पड़ते मान्यवर, एक्ट में अमेंडमेंट के लिए हमने मैक्सिमम लिमिट 200 रुपये की है। लेकिन वर्तमान में हम 95 रुपये से 105 पर लेकर गये हैं, हमने इसको 10 परसेंट भी नहीं बढ़ाया है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाय।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, प्रवर समिति का प्रस्ताव तो आप लाये नहीं हैं।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, हमारे सम्मानित विधायक तो लाये ही हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने 10 परसेंट से भी कम बढ़ाया है। मान्यवर, इसलिए आपने जो प्रवर समिति का संशोधन दिया है, उसे वापस लेने का कष्ट करें।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्य श्री शहजाद, माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश, माननीय सदस्य श्री हरिदास, माननीय सदस्य हाजी तस्लीम अहमद, माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन तथा माननीय सदस्य श्री नारायण पाल का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2010

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या सन् 2010)

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) यह पहली अप्रैल, 2009 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

धारा–28 का संशोधन

2. संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा–28 की उपधारा (3) में निम्नलिखित संशोधन कर दिये जायेंगे, अर्थात्:–

(क) धारा–12 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार आयात की गयी देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर) में उत्पाद शुल्कारोप्य "₹ 90.00 प्रति बल्क लीटर" के स्थान पर "₹ 200.00 प्रति बल्क लीटर" रख दिया जायेगा।

(ख) धारा–13 के उपबन्धों के अनुसार निर्यात किये गये देशी शराब (ताड़ी तथा अन्य किण्वित अल्कोहलिक पेय को छोड़कर) में उत्पाद शुल्कारोप्य "₹ 90.00 प्रति बल्क लीटर" के स्थान पर "₹ 200.00 प्रति बल्क लीटर" रख दिया जायेगा।

(ग) धारा–13 के उपबन्धों के अनुसार परिवहन किये गये देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर) उत्पाद शुल्कारोप्य "₹ 90.00 प्रति बल्क लीटर" के स्थान पर "₹ 200.00 प्रति बल्क लीटर" रख दिया जायेगा।

(घ) धारा–17 के अधीन दिये गये किसी लाईसेन्स के अन्तर्गत देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर) निर्मित, कथित या संग्रहीत उत्पाद शुल्कारोप्य "₹ 90.00 प्रति बल्क लीटर" के स्थान पर "₹ 200.00 प्रति बल्क लीटर" रख दिया जायेगा।

(ङ) धारा–18 के अधीन स्थापित किसी आसवनी या लाईसेन्स प्राप्त किसी आसवनी या यवासवनी में निर्मित उत्पाद देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर) उत्पाद शुल्कारोप्य "₹ 90.00 प्रति बल्क लीटर" के स्थान पर "₹ 200.00 प्रति बल्क लीटर" रख दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) अधिनियम, 2010 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) अधिनियम, 2010 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, भारत सरकार द्वारा कृषि ऋण सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली में सुधार सम्बन्धी गठित प्रो0 वैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसाओं में सहकारी समितियों के संचालक मण्डल का कार्यकाल 03 वर्ष से अधिक न किये जाने का सुझाव दिया गया है। पूर्व में उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा समितियों का कार्यकाल दो वर्ष किया गया है। प्रो0 वैद्यनाथन कमेटी की संस्तुतियों तथा जनाकांक्षाओं के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा

यह अनुभव किया गया कि सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल 02 वर्ष के स्थान पर 03 वर्ष किये जाने से सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी जहाँ अपने सदस्यों के प्रति अधिक जवाबदेह होगी, वहीं विवेकपूर्वक कार्य करने हेतु कमेटी को पर्याप्त समय प्राप्त होगा। इससे जनाकांक्षा को बल मिलने के साथ ही सहकारी समितियों की प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया सुदृढ़ होगी। इसलिए यह एक छोटा सा संशोधन प्रस्तुत है, अतः इस पर विचार किया जाये।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्य श्री शहजाद, माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश, माननीय सदस्य श्री हरिदास, माननीय सदस्य हाजी तस्लीम अहमद, माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन तथा माननीय सदस्य श्री नारायण पाल का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो विधेयक सदन के पटल पर रखा, निश्चित रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। पूर्व में जब हमारी सरकार थी तो हमारी सरकार ने सहकारी समितियों का कार्य काल 5 वर्ष का किया था, प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के पश्चात् सरकार ने उस पाँच वर्ष के कार्यकाल को घटाकर दो वर्ष किया और आज फिर सदन में विधेयक ला करके उस दो वर्ष के कार्यकाल को तीन वर्ष करने जा रही है। इसमें जो कारण दिया है कि दो वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष किये जाने से सहकारी समितियों की प्रबन्धन कमेटी जहाँ अपने सदस्यों के प्रति अधिक जवाबदेय होगी, वहीं विवेकपूर्वक कार्य करने हेतु कमेटी को पर्याप्त समय प्राप्त होगा। जब पूर्व में सहकारी समितियों का कार्यकाल पाँच वर्ष किया गया था, वह इसी उद्देश्य को लेकर के किया गया था ताकि उनको पूरा समय मिल सके और सही तरीके से कार्य हो सके। लेकिन आप स्वयं इसी सदन में यह विधेयक लाये थे कि इनका कार्यकाल दो वर्ष कर दिया जाय। लगता है आपने अपनी बात को स्वयं ही नकारने का काम किया है। आप यह जानते थे कि सहकारी समितियों का कार्यकाल हम पाँच वर्ष से घटाकर दो वर्ष करेंगे तो इन समितियों को कार्य करने का पूरा अवसर नहीं मिलेगा और न ही ये कार्य समझ पायेंगी। आज आप भारत सरकार की वैद्यानाथन कमेटी का हवाला दे करके फिर इस सदन के अन्दर यह विधेयक लाये हैं कि इसको दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया जाय। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इसको तीन वर्ष क्यों करना चाहते हैं ? अगर आप इस विधेयक को लाये हैं तो इसको पाँच वर्ष करने की बात अगर सरकार करेगी तो निश्चित रूप से हम सर्वसम्मति से इसे पारित करेंगे अन्यथा अगर एक वर्ष बढ़ाने का उद्देश्य सरकार का है तो हमारा निश्चित मत है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2010

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या सन् 2010)

उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा–29 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा–29 में "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष" शब्द रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2010 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2010 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड प्रदेश की राजधानी चन्द्रनगर (गैरसैंण) घोषित करने सम्बन्धी असरकारी संकल्प पर चर्चा

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं संकल्प के माध्यम से उत्तराखण्ड के स्थाई राजधानी के विषय पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह विषय इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण और ज्वलंत विषय है। आज जितने भी मसले चाहे भ्रष्टाचार का हो, अनियोजित विकास का हो, अस्थाई निर्माण का हो इस सदन के अन्दर उठ रहे हैं, प्रदेश की सड़कों पर उठ रहे हैं उसका कारण आज भी राजधानी के मामलों को लटकाने के प्रपंच सरकार कर रही है, की वजह यह है। मान्यवर, 9 वर्ष, पाँच मुख्यमंत्री, 11 बार दीक्षित आयोग का कार्यकाल बढ़ा है, आज भी इसका मसला हल नहीं हुआ है, पूरी जनता परेशान है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

प्रदेश में वर्तमान विकास खण्डों की संख्या को बढ़ाते हुए नये विकास खण्डों के सृजन पर सदन में गम्भीरता से विचार किया जाए, विशेषकर जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत मछखाली, मझोड़, जालली तथा सोमेश्वर नये विकास खण्ड बनाये जाने तथा प्रदेश में लगभग 30 नये विकास खण्डों का निर्माण किये जाने सम्बन्धी असरकारी संकल्प पर चर्चा

श्री अजय टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड राज्य में विकास खण्डों का परिसीमन कर पृथक विकास खण्डों की रचना की जाए, इस संकल्प पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य में लगातार और निरन्तर हर जनपद में विकास खण्डों की मांग जनप्रतिनिधियों और जनता के द्वारा की जाती रही हैं।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

नियम–105 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के रामनगर के चौखुटिया तक रेलवे लाईन बिछाई जाए ताकि उक्त सुदूर क्षेत्रों का समग्र विकास सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–105 पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस विषय पर मैंने पहले भी बताया था कि सन् 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में रेल लाइन बिछाई गयी थी, उस समय 103 सुरंगें, 969 पुल और 919 मोड़ों को पार करते हुए 20 रेल स्टेशन को पार कर वह ट्रेन चलती थी, जबकि समुद्र तल से लगभग 1240 मीटर की ऊँचाई पर वो ट्रेन चलने लगी थी, उसकी तरह जलपाई गुड़ी ....। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

नियम–105 के अन्तर्गत प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आधुनिक पर्यटन के नये आयाम तलाशे जाने सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, पहली बार तो पढ़ने दीजिए, (हँसी) चर्चा जारी रख लो। प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आधुनिक पर्यटनों के नये आयाम तलाशे जा रहे हैं। (व्यवधान) मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण है और मेरा आग्रह है पूरे सदन के माननीय साथियों से, चाहे सत्तापक्ष के माननीय मंत्रीगण हों या नेता प्रतिपक्ष हों, दोनों तरफ बैठे हुए लोग, इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर अवश्य अपने सुझावों के साथ चर्चा में भाग लें, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

नियम–105 के अन्तर्गत डा0 हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष द्वारा उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के सीमावर्ती जनपद बिजनौर के 61 ग्राम पंचायतों को उत्तराखण्ड राज्य में शामिल किये जाने सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष के अनुरोध पर इसे स्थगित किया जाता है। (व्यवधान)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री शेर सिंह गढ़िया तथा श्रीमती अमृता रावत की कुल 04 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री शेर सिंह गढ़िया की सूचना, जो जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में शिक्षक विहीन विद्यालयों में प्रभावित हो रहे शिक्षण कार्य के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा उत्तराखण्ड लोक पुस्तकालय अधिनियमानुसार ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर पुस्तकाध्यक्ष, सहायक पुस्तकाध्यक्ष, सूचीकार के रिक्त पदों पर बी0लिब0, एम0लिब0 डिग्रीधारी छात्र/छात्राओं को नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र भिक्यासैंण के स्याल्दे मनीला महाविद्यालय में प्रवक्ताओं व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की कमी व बी0एस0सी0 के पठन–पाठन आरम्भ न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, स0वि0स0 द्वारा, नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

[राजकीय महाविद्यालय, स्याल्दे एवं मनीला में स्नातक स्तर पर संचालित कला संकाय के अन्तर्गत अन्य महाविद्यालयों की तुलना में पर्याप्त शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ की तैनाती की गयी है। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के 702 पद रिक्त हैं, इन पर नियुक्ति की कार्यवाही लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जानी है इन रिक्त पदों में से 384 पदों पर विजिटिंग एवं संविदा प्रवक्ता कार्यरत हैं। इस प्रकार वर्तमान में प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के कुल 318 पद रिक्त चल रहे हैं। शिक्षणेत्तर स्टाफ में समूह "ग" के पदों पर भर्ती हेतु नियमावली प्रख्यापित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है नियमावली प्रख्यापित होने के उपरान्त उक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जा सकेगी।

राजकीय महाविद्यालय स्याल्दे एवं मनीला में स्नातक स्तर पर विज्ञान वर्ग की कक्षाओं को प्रारम्भ किये जाने के उद्देश्य से शैक्षिक सत्र 2008–09 हेतु अस्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है दोनों महाविद्यालयों में पदों के सृजन एवं अन्य सुविधाओं की स्थापना के लिए कार्यवाही गतिमान है। पदों के सृजन एवं अन्य अवस्थापनाओं यथा प्रयोगशाला आदि के निर्माण के उपरान्त दोनों महाविद्यालयों में विज्ञान वर्ग की कक्षाएं संचालित कर दी जायेगी।]

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तराखण्ड के हरिद्वार जनपद की सहकारी समिति पनियाला द्वारा अपनायी गई ऋण वसूली प्रक्रिया की तरह ही साल में एक बार ऋण वसूली किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र राकेश, स0वि0स0 द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

[सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को फसली ऋण उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है जिसके अन्तर्गत सामान्यतः कृषकों की जोत के अनुसार उनकी ऋण सीमा स्वीकृत की जाती है, जो खरीफ एवं रबी के लिए पृथक्–पृथक् होती है उक्त ऋण सीमा तीन वर्ष के लिए स्वीकृत की जाती है। प्रत्येक जनपद में प्रति एकड़ ऋण सीमा की मात्रा का निर्धारण जिला स्तर की कमेटी के द्वारा किया जाता है।

खरीफ फसल हेतु ऋण वितरण 1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक की अवधि में किया जाता है, जिसकी मांग 1 अक्टूबर को अनुमन्य हो जाती है। इसी प्रकार रबी फसल हेतु ऋण वितरण 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक अनुमन्य किया जाता है, जिसकी मांग 1 अप्रैल को लगायी जाती है। सहकारी समिति अधिनियम में यह स्पष्ट प्राविधान है कि मांग की धनराशि का भुगतान यदि छः माह तक नहीं किया जाता है तो वह धनराशि बकाया की श्रेणी में आ जाती हैं। इस प्रकार 1 अक्टूबर को लगी खरीफ मांग अगले वर्ष 1 अप्रैल को बकाया हो जाती हैं।

सहकारी देयों की वसूली 1 जुलाई से 30 जून तक की अवधि में की जाती है यदि खरीफ मांग एवं रबी की मांग की वसूली 30 जून तक नहीं होती है तो सम्बन्धित मांग को विभागीय निर्देशों के अनुसार बकाये की श्रेणी में सम्मिलित कर दिया जाता है और उक्त बकाया धनराशि पर नियमानुसार वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा–95 क के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा किसानों को वितरित किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कृषि एवं अन्य प्रकार का ऋण वितरण किया जाता है जिसकी मांग न लगाकर, वह उसे ऋण सीमा के रूप में उपयोग करते हैं। किसान वर्ष के दौरान एक से अधिक बार अपनी निर्धारित ऋण सीमा के अन्तर्गत ऋण प्राप्त कर सकता है और एक से अधिक बार लिये गये ऋण की राशि को जमा कर सकता है। इस प्रकार वितरित ऋण की कोई भी मांग नहीं लगती अपितु वर्ष समाप्ति के पश्चात् जो भी ऋण अवशेष रहता है उसे मांग/बकाया की श्रेणी में अंकित कर लिया जाता है।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किसान सेवा सहकारी समिति लि0 पनियाला जनपद हरिद्वार में वर्ष, 1988 के पश्चात् केरल पैटर्न के अनुसार ऋण वितरण का कार्य निबन्धक, सहकारी समितियां उ0प्र0, लखनऊ के द्वारा चयनित समितियों के आधार पर प्रारम्भ किया गया। जिसके अन्तर्गत समिति द्वारा वितरति ऋण की तिथि के एक वर्ष के अन्तर्गत यदि सम्पूर्ण धनराशि की वसूली नहीं हुई है तो उक्त ऋण वितरण की तिथि के एक वर्ष पश्चात् बकाया हो जायेगा। मात्र माह अक्टूबर में प्रतिवर्ष ब्याज की मांग लगायी जाती है। ऋण की मांग वर्ष में नहीं लगायी जाती है। प्रदेश की अन्य किसी भी समिति के द्वारा उपरोक्त प्रकार की प्रक्रिया नहीं अपनायी जाती हैं जनपद नैनीताल में आलू की फसल की मांग पृथक् से माह जुलाई में भी लगाई जाती है।

समितियों के स्तर से विभागीय नीति के अनुसार ही वर्ष में दो बार मांग लगाई जा रही है। जो उचित एवं किसानों के हित में हैं एवं सहकारी देयकों की वसूली के लिए भी उचित है। यदि किसानों को वर्ष में एक बार ही ऋण जमा करने का प्राविधान लागू किया जाता है तो किसानों को अधिक मात्रा में ब्याज का भुगतान करना होगा, जो किसानों के हित में उचित नही होगा।]

श्री अध्यक्ष–

हम उठते हैं, 22 मार्च, 2010 के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(इसके उपरान्त सदन की कार्यवाही 7 बजकर 13 मिनट पर दिनांक 22 मार्च, 2010 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून :
दिनाँक 19 मार्च, 2010

महेश चन्द्र,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0–13 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0–43 पर)

जनपद पौढ़ी गढ़वाल में 15 विकास खण्डों में स्वीकृत एवम् संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या

क्र0 सं0	विकास खण्ड/परियोजना का नाम	स्वीकृत आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	स्वीकृत मिनि आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	संचालित मिनी आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या
1.	बा0वि0परि0, बीरोखाल	64	64	35	21
2.	बा0वि0परि0, पोखड़ा	31	31	26	15
3.	बा0वि0परि0, नैनीडांडा	45	45	44	32
4.	बा0वि0परि0, द्वारीखाल	52	52	47	28
5.	बा0वि0परि0, यमकेश्वर	53	53	36	16
6.	बा0वि0परि0, पावौ	46	46	21	18
7.	बा0वि0परि0, रिखणीखाल	41	41	36	26
8.	बा0वि0परि0, एकेश्वर	41	41	42	25
9.	बा0वि0परि0, खिर्सू	43	43	03	02
10.	बा0वि0परि0, कोट	51	51	15	06
11.	बा0वि0परि0, कल्जीखाल	60	60	21	12
12.	बा0वि0परि0, दुगड्डा	129	129	00	00
13.	बा0वि0परि0, जयहरीखाल	57	57	13	06
14.	बा0वि0परि0, थैलीसैंण	70	70	18	08
15.	बा0वि0परि0, पौड़ी	59	59	10	05
	कुल योग :	842	842	367	222

(संलग्नक–2)

जनपद पौढ़ी के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि का विवरण

क्रम सं.	विकासखण्ड का नाम	स्वीकृत केन्द्र	अवमुक्त धनराशि का विवरण						योग (5+7+9)
			शासनादेश	धनराशि प्रथम किश्त	शासनादेश	धनराशि द्वितीय किश्त	शासनादेश	धनराशि अन्तिम किश्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	द्वारीखाल	ओडलसेरा	346 / दिनांक 17 मई, 2004	50000	31 / दिनांक 4.04.2005	50000	227 / दिनांक 18.11.2005	25000	125000
2.		[illegible]		50000		50000		25000	125000
3.		डांडी		50000		50000		25000	125000
4.		बड़गांव		50000		50000		25000	125000
5.		[illegible]		50000		50000		25000	125000
6.		[illegible]		50000		50000		25000	125000
7.	जहरीखाल	गंडोली		50000		50000		25000	125000
8.		[illegible]		50000		50000		25000	125000
9.	कोट	डाण्डा		50000		50000		25000	125000
10.		[illegible]		50000		50000		25000	125000
11.		[illegible]		50000		50000		25000	125000
12.	दुगड्डा	[illegible]		50000		50000		25000	125000
13.	पौड़ी	[illegible]	1686 / दिनांक 07.10.2004	50000		50000		25000	125000
14.		[illegible]		50000		50000		25000	125000
15.		[illegible]		50000		50000		25000	125000
16.	थैलीसैंण	[illegible]		50000		50000		25000	125000
17.		[illegible]		50000		50000		25000	125000
18.		जसपुर		50000		50000		25000	125000
19.		[illegible]		50000		50000		25000	125000
20.		[illegible]		50000		50000		25000	125000
21.		[illegible]		50000		50000		25000	125000
22.		[illegible]		50000		50000		25000	125000
23.	कल्जीखाल	घारकोट		50000		50000		25000	125000
24.		[illegible]		50000		50000		25000	125000
25.		[illegible]		50000		50000		25000	125000
26.		[illegible]		50000		50000		25000	125000
27.		[illegible]		50000		50000		25000	125000
28.		[illegible]		50000		50000		25000	125000
29.	द्वारीखाल	[illegible]		50000		50000		25000	125000
30.		[illegible]		50000		50000		25000	125000
31.		[illegible]		50000		50000		25000	125000
32.	दुगड्डा	[illegible]		50000		50000		25000	125000
33.		[illegible]		50000		50000		25000	125000
34.		[illegible]		50000		50000		25000	125000
35.		[illegible]		50000		50000		25000	125000
36.		[illegible]		50000		50000		25000	125000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	दुगड्डा	कठीखालमल्ला		50000		50000		25000	125000
38.		बूंगीखाल		50000		50000		25000	125000
39.		ग्वीन्ठेर (म)		50000		50000		25000	125000
40.		फतेहपुर		50000		50000		25000	125000
41.		काण्डी चौक		50000		50000		25000	125000
42.	एकेश्वर	बैजरो		50000		50000		25000	125000
43.		सतपुली		50000		50000		25000	125000
44.		टिम्पाडी		50000		50000		25000	125000
45.		रणस्था		50000		50000		25000	125000
46.		नौगांव		50000		50000		25000	125000
47.		सांगी		50000		50000		25000	125000
48.		मठाली		50000		50000		25000	125000
49.	जयहरीखाल	चरेख		50000		50000		25000	125000
50.		कुनवाखेत		50000		50000		25000	125000
51.		धौड़ा मल्ला		50000		50000		25000	125000
52.		रवणूण		50000		50000		25000	125000
53.	बीरोंखाल	जौरासी		50000		50000		25000	125000
54.		ढाकरखाई		50000		50000		25000	125000
55.		पंचारा		50000		50000		25000	125000
56.		पट्टू भनारी		50000		50000		25000	125000
57.		बीरोंखाल		50000		50000		25000	125000
58.		मैंदवाल		50000		50000		25000	125000
59.		गडीगमल्ला		50000		50000		25000	125000
60.		बंगार		50000		50000		25000	125000
61.	नैनीडांडा	देवराड़		50000		50000		25000	125000
62.		जमरोई खाल		50000		50000		25000	125000
63.	कोट	कल्जू		50000		50000		25000	125000
64.		पुखेठ		50000		50000		25000	125000
65.		पोखरी		50000		50000		25000	125000
66.		घासाकोट		50000		50000		25000	125000
67.		कुमजी		50000		50000		25000	125000
68.	पौड़ी	रसुली		50000		50000		25000	125000
69.		सिवनी		50000		50000		25000	125000
70.		भगवा		50000		50000		25000	125000
71.		बम्बाला		50000		50000		25000	125000
72.		कवाखाड़ा		50000		50000		25000	125000
73.		सौरा की कोट		50000		50000		25000	125000
74.	खिर्सू	डोटली		50000		50000		25000	125000
75.		पोखरी		50000		50000		25000	125000
76.	यमकेश्वर	जामदा		50000		50000		25000	125000
77.	थलीसैंण	जालीखाडजी		50000		50000		25000	125000
78.	यमकेश्वर	बीडा		112500				12500	125000
79.		कोटगा		112500				12500	125000
80.		टौला		112500				12500	125000
81.		कोटा		112500				12500	125000
82.	कोट	गंगुर		112500				12500	125000
83.	पोखड़ा	पायरा		112500				12500	125000
	योग :			4525000		3850000		2000000	10375000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84.	दुगड्डा	लोकमणिपुर		200000					200000
85.	यमकेश्वर	[illegible] कटुलस्यूं	578/दिनांक 4 जुलाई, 2008 एवं 3822/दिनांक 28.09.2009 एवं	200000					200000
86.		[illegible]		200000					200000
87.	एकेश्वर	[illegible]		200000					200000
88.	जयहरीखाल	[illegible]		200000					200000
89.	द्वारीखाल	[illegible]		200000					200000
90.		जसपुर		200000					200000
91.	नैनीडांडा	[illegible]		200000					200000
92.		[illegible]		200000					200000
93.	थलीसैंण	[illegible]		200000					200000
94.	[illegible]	पोखरी		200000					200000
95.		[illegible]		200000					200000
96.		[illegible]		200000					200000
97.	कोट	[illegible]		200000					200000
98.		[illegible]		200000					200000
99.		[illegible]		200000					200000
100.		[illegible]		200000					200000
101.		[illegible]		200000					200000
102.	कल्जीखाल	[illegible]		200000					200000
103.		[illegible]		200000					200000
104.		[illegible]		200000					200000
105.		[illegible]		200000					200000
106.		[illegible]		200000					200000
107.	पौड़ी शहर	[illegible]		200000					200000
108.		[illegible]		200000					200000
109.		[illegible]		200000					200000
		योग		5200000					5200000
		महायोग							15075000

(संलग्नक–3)

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण की कार्य प्रगति का विवरण

क्र0 सं0	विकासखण्ड/परियोजना का नाम	स्वीकृत केन्द्र का नाम	कार्य प्रगति का विवरण
1	2	3	4
1.	द्वारीखाल	ओबलाखा	निर्मित
2.		कुलहाड़	निर्मित
3.		तोली	निर्मित
4.		मलगांव	निर्मित
5.		गहड़	निर्मित
6.		बमरयूल	निर्मित
7.	जयहरीखाल	गंडोली	निर्मित
8.		चमेठा	निर्मित
9.	कोट	काण्डा	निर्मित
10.		मजुनड	निर्मित
11.		ककरोड़ा	निर्मित
12.	दुगड्डा	उरौड़ा	निर्मित
13.	पोखड़ा	खेड़ागांव	निर्मित
14.		घड़ियाला	निर्मित
15.		मटगल	निर्मित
16.	थैलीसैण	गंगाऊ	निर्मित
17.		पादुली	निर्मित
18.		जसपुर	निर्मित
19.		सालोन	निर्मित
20.		बसीला	निर्मित
21.		फफडीयाणा	निर्मित
22.		गासी	निर्मित
23.	कल्जीखाल	पारकोट	निर्मित
24.		पाली	निर्मित

1	2	3	4
25.	कल्जीखाल	बसगढ	निर्मित
26.		डांगी	निर्मित
27.		टंगरोली	निर्मित
28.		सिलेथ	निर्मित
29.	द्वारीखाल	किनसुर	निर्मित
30.		कोठार	निर्मित
31.		सतपुली	निर्मित
32.	दुगड्डा	धूराधनई	निर्मित
33.		हर्ष	निर्मित
34.		काण्डाई	निर्मित
35.		भीमसिंहपुर	निर्मित
36.		मदालीखाल	निर्मित
37.		खड़ीयालगांव	निर्मित
38.		कुरीखाल	निर्मित
39.		झण्डीचौर (उ0)	निर्मित
40.		फतहपुर	निर्मित
41.		झण्डी चौड	निर्मित
42.	एकेश्वर	पैधार	निर्मित
43.		सतपाली	निर्मित
44.		टिग्वाड़ी	निर्मित
45.	एकेश्वर	रणस्वा	निर्मित
46.		नौगांव	निर्मित
47.		सांसी	निर्मित
48.		स्योली	निर्मित
49.	जयहरीखाल	जलेथा	निर्मित
50.		असनखेत	निर्मित
51.		घोडा पल्ला	निर्मित
52.		डुकसुण	निर्मित
53.	बीरोंखाल	लोदली	निर्मित
54.		अरंकडाई	निर्मित
55.		पंचराढ	निर्मित

1	2	3	4
56.		थकुलसारी	निर्मित
57.		सीलातल्ली	निर्मित
58.		मेलधार	निर्मित
59.		म्वीनमल्ला	निर्मित
60.		बंगार	निर्मित
61.	नैनीडाबा	देवलाड	निर्मित
62.		जगदेई खाल	निर्मित
63.	कोट	बजणू	निर्मित
64.		पुकेत	निर्मित
65.		पोखरी	निर्मित
66.		चाराकोट	निर्मित
67.		डुंगली	निर्मित
68.	पौड़ी	रखूली	निर्मित
69.		सिसणी	निर्मित
70.		पनाऊ	निर्मित
71.		कुम्हारा	निर्मित
72.		उफाल्डा	निर्मित
73.		डोश श्री कोट	निर्मित
74.	खिर्सू	कोटगी	निर्मित
75.		पोखरी	निर्मित
76.	यमकेश्वर	मागथा	निर्मित
77.	थलीसैंण	मगरोखाटली	निर्मित
78.	यमकेश्वर	सीला	निर्मित
79.		कोठार	निर्मित
80.		टोला	निर्मित
81.		कोटा	निर्मित
82.	कोट	पंचुर	निर्मित
83.	पोखड़ा	पाम्चा	निर्मित
84.	दुगड्डा	लोकमणीपुर	निर्मित
85.	यमकेश्वर	पोखरी	निर्मित
86.		तिमलयाडी	निर्मित

1	2	3	4
87.	एकेश्वर	बिनजौली	निर्मित
88.	जगहरिखाल	सारीमल्ली	निर्माणाधीन
89.	द्वारीखाल	कोटलमंडा	निर्माणाधीन
90.		जसपुर	निर्मित
91.	नैनीडांडा	विलाड़	निर्मित
92.		चमाड़ा	निर्मित
93.	धलीसैंण	नलई	निर्माणाधीन
94.	खिर्सू	पोखरी कट्‌लस्यूं	निर्मित
95.		बुगाड़ी	निर्माणाधीन
96.		भैंसकोट	निर्मित
97.	कोट	देवल	निर्माणाधीन
98.		नवन	निर्मित
99.		पर्वई	निर्माणाधीन
100.		देल गोदी	निर्मित
101.		खाणढा	निर्माणाधीन
102.	कल्जीखाल	बिलखोत	निर्मित
103.		धापली	निर्मित
104.		नैथाणा	निर्मित
105.		गहड़	निर्मित
106.		किमोली	निर्मित
107.	पौड़ी शहर	गिरगांव	निर्माणाधीन
108.		मल्ली	निर्मित
109.		मासी	निर्मित

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0–18 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0–47 पर)

विधान सभा प्रथम सत्र 2010 के प्रथम शुक्रवार हेतु श्रीमती अमृता रावत माननीय विधान सभा सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–18 के 12 सूत्रीय बिन्दुओं की सूचना का प्रेषण।

1.	विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल के उच्चीकरण तथा जूनियर हाईस्कूल घोडापाल मल्ला के प्रान्तीयकरण के सम्बन्ध में।	विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत जनता जूनियर हाईस्कूल घोडापाल मल्ला के प्रान्तीयकरण के सम्बन्ध में
2.	पब्लिक इण्टर कॉलेज ललितपुर (खटली) के जीर्ण–शीर्ण भवन निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु पाँच लाख की धनराशि स्वीकृत करने सम्बन्धी।	वर्तमान में शिक्षा विभाग के वार्षिक योजनान्तर्गत अशासकीय विद्यालयों/मान्यता प्राप्त विद्यालयों के भवन निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु बजट प्राविधान नहीं है
3.	पब्लिक स्कूल चौखाल, पौड़ी गढ़वाल के लिए 2 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।	ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए विशेष सुविधा योजनान्तर्गत प्रश्नगत विद्यालय का प्रस्ताव निदेशालय के पत्रांक/57420/5ख (12)/बालि0सुवि0/2008–09, दिनांक 18 मार्च, 2008 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है
3.	एन0टी0टी0 प्रशिक्षित युवतियों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति देने सम्बन्धी।	राज्य में एन0टी0टी0 प्रशिक्षितों को सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय के पदों पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय के पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता स्नातक तथा दो–वर्षीय बी0टी0सी0 प्रशिक्षण अनिवार्य है इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत नर्सरी शिक्षा का कोई प्राविधान नहीं है

5.	रा0इ0का0 घोड़ियानाखाल में पाँच वर्ष से अनुपस्थित व्यायाम शिक्षक के प्रति कार्यवाही सम्बन्धी	रा0इ0का0 घोड़ियानाखाल में श्री गणेश चन्द्र बनकोटी स0अ0 व्यायाम दिनांक 01.03.2004 से अविरल अनुपस्थित चल रहे हैं। इस सम्बन्ध में अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी अपने पत्रांक–सेवा–अरा0/5755–62/03(2)/2009–10, दिनांक 04 जून, 2009 के द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 05 वर्ष से अधिक समय/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिकों की नामावली सूची तत्काल उपलब्ध करायें। तत्पश्चात् इस अ0शि0नि0 गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के पत्र संख्या–सेवा–अरा0/15760–66/3(2)/अनुपस्थित/2009–10, दिनांक 30 सितम्बर, 2009 के द्वारा पाँच वर्ष से अधिक लगातार अनुपस्थित ऐसे कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने हेतु विधि अनुरूप अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु स्थापित प्रक्रिया के अधीन स्थायी अथवा उपलब्ध पते पर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री गणेश चन्द्र सिंह बनकोटी, रा0अ0 व्यायाम का त्याग–पत्र प्राप्त हो गया है, जिसमें औपचारिक कार्यवाही गतिमान है।
6.	रा0इ0का0 घोड़ियानाखाल, पौड़ी गढ़वाल में रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति/तैनाती सम्बन्धी	रा0इ0का0 घोड़ियानाखाल, पौड़ी में तत्कालीन मा0 शिक्षा मंत्री जी के पत्र दिनांक 07.03.2008 के उपरान्त श्रीमती शशि उनियाल, स0अ0 विज्ञान तथा राजकुमारी स0अ0 कला की तैनाती की गई। वर्तमान में रा0इ0का0 घोड़ियानाखाल, पौड़ी

		में प्रधानाचार्य का 01 पद तथा प्रवक्ता के 09 पद (हिन्दी, अंग्रेजी, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान) तथा स0अ0 सामान्य 01 पद रिक्त है। प्रवक्ता वेतनक्रम के सीधी भर्ती के रिक्त पदों (1404) की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 30 मई, 2009 को विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है, नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है तथा प्रवक्ता के पदोन्नति कोटे के रिक्त 1689 पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही गतिमान है। उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 2006 के नियम 5(3) की श्रेणी में विभागीय लिखित परीक्षा द्वारा भर्ती की प्रक्रिया के तहत नियम–17(1) के अनुसार विभागीय लिखित परीक्षा द्वारा भर्ती हेतु राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा सेवा के अन्तर्गत कार्यरत ऐसे सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय/पूर्व माध्यमिक विद्यालय/सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय से सहायक अध्यापक एल0टी0 वेतनक्रम 290 पदो पर नियुक्ति हेतु दिनांक 24 फरवरी, 2010 को विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है।
7.	क0पू0मा0वि0 तैली पखोली का उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में	जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी द्वारा 7262–67/विविध–2/2008–09, दिनांक 15.05.2008 एवं 26446–47/विविध–2/प्रान्तीय/उच्ची0/2009–10, दिनांक 25.11.2009 के द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी, वीरोंखाल को तत्काल प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

8.	प्राथमिक विद्यालय बौंदर, पोखड़ा में एक भी शिक्षक के कार्यरत न होने सम्बन्धी।	राजकीय प्राथमिक विद्यालय बौंदर सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत संचालित विद्यालय है, जिसमें एक सहायक अध्यापक तथा एक शिक्षा मित्र का पद स्वीकृत है। वर्तमान में विद्यालय की छात्र संख्या 32 है तथा छात्र मानकानुसार 01 सहायक अध्यापक एवं 01 शिक्षा मित्र कार्यरत है।
9.	अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में नवीन शिक्षा सत्र 2008–09 से शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पद सृजन करने तथा वित्त सहित मान्यता के प्रतिबन्ध को हटाने सम्बन्धी।	अशासकीय माध्यमिक विद्यालय जो अनुदानित है, उन में पद सृजन पर रोक नहीं है। वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को इसी प्रतिबन्ध के साथ मान्यता दी जाती है कि सम्बन्धित विद्यालय भविष्य में अनुदान की मांग नहीं करेंगे। उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा–13 के अन्तर्गत यह प्राविधान है कि वित्त विहीन विद्यालय में वेतन वितरण से सम्बन्धित उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा–42 से 51 प्राविधान लागू नही होंगे, जिसके कारण सम्बन्धित विद्यालयों के शिक्षक/कर्मचारियों को वेतन अनुदान स्वीकृत किये जाने की बाध्यता राज्य सरकार की नहीं होती है। इसलिए सम्बन्धित विद्यालयों में पद सृजन की आवश्यकता नहीं होती। उक्त विषयक कतिपय विद्यालयों के सम्बन्ध में मांगी गई आख्या इस कार्यालय पत्र दिनांक 03–01–2009 (सुलभ सन्दर्भ हेतु छाया प्रति संलग्न) द्वारा प्रेषित की गई हैं विद्यालयों को वित्त सहित मान्यता दिये जाने तथा तद्नुरूप पद सृजन किये जाने की व्यवस्था नीतिगत है। जिस पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना है।

10.	श्री मुकेश सिंह रावत, राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय में प्रवेश देने के सम्बन्ध में।	शासनादेश संख्या–226/मा0सं0वि0/2003, दिनांक 10 अप्रैल, 2003 एवं शासनादेश संख्या–189/XXIV–2/2005, दिनांक 11 अगस्त, 2005 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार राजीव गाँधी नवोदय विद्यालयों में विद्यार्थियों का चयन श्रेष्ठता के आधार पर, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कक्षा–6 में प्रवेश दिया जाता है।
11.	01. शिक्षा विभाग में तकनीकी ईकाई का गठन	शासन के पत्र संख्या–798/XXiv–2/08–25(7)/2008, दिनांक 06 नवम्बर, 2008 के पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत तकनीकी ईकाई के गठन विवरण चाहा गया है। इस सम्बन्ध में निदेशालय के पत्र संख्या–34568/5स्था1–2/05(01)2009 के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य से शिक्षा विभाग की तकनीकी ईकाई गठन के स्वरूप कार्य एवं पदों का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है।
	02 विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2009 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति/तैनाती करने/करवाने/रुकवाने की दिशा में अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा गतिमान की अवधि क्या है ?	शासनादेश संख्या शिक्षा अनुभाग–2 संख्या 1010/XXiv–2/09/12/(22)/2009 देहरादून, दिनांक 26 दिसम्बर, 2009 के अनुसार 111 (एक सौ ग्यारह) प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं की पदोन्नति प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्याओं के पदों पर की गयी है तथा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के आदेश संख्या/सेवायें–1/1140/2009–10, दिनांक 30 दिसम्बर, 2009 के अनुसार 124 (एक सौ चौबीस) प्रवक्ताओं एवं एल0टी0 के शिक्षक/शिक्षिकाओं की पदोन्नति प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाओं के रिक्त पदों पर की गयी है।

		शेष रिक्त पदों पर अग्रेत्तर कार्यवाही नियमानुसार गतिमान है।
	03. रा०उ०मा०वि० जिवई का उच्चीकरण	अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के पत्र संख्या/21915–16/5ख(4)उच्ची०/2008–09, दिनांक 17.01.2009 के द्वारा निदेशालय को प्रस्तुत किया गया।
	04. उच्चीकृत विद्यालयों के लिए भवन निर्माण	प्रश्नगत विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष, 2009–10 की जिला योजनान्तर्गत सम्पूर्ण धनराशि निदेशालय के पत्र संख्या 5ख–1/20548–82/जिला योजना/2008–09, दिनांक 12 अगस्त, 2008 जिला शिक्षा अधिकारियों के निर्वतन रखी गयी है।
12.	01. विकास खण्ड पोखड़ा के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी।	विकास खण्ड–पोखड़ा के अन्तर्गत रिक्त सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों पर विशिष्ट बी०टी०सी० अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है। प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, प्राथमिक के रिक्त पदों पर बी०टी०सी० प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी व प्र०अ०, प्राथमिक के रिक्त पदों पर पदोन्नति से पूर्ति की जा रही है तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उच्चीकृत विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों का समायोजन किया जा रहा है।
	02. श्री हंस महाराज राजकीय इण्टर कॉलेज, पोखड़ा के भवन का निर्माण सम्बन्धी।	प्रश्नगत विद्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु पत्र संख्या/5ख1/86579/जीर्ण–शीर्ण/2009–10, दिनांक 26 फरवरी, 2010 के द्वारा आगणन शासन को प्रेषित किया गया है।

विधान सभा प्रथम सत्र 2010 के प्रथम शुक्रवार हेतु श्रीमती अमृता रावत माननीय विधान सभा सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–18 के 22 सूत्रीय बिन्दुओं की सूचना का प्रेषण।

1.	विधान सभा बीरोंखाल के अन्तर्गत जनता जूनियर हाईस्कूल घोडापाल मल्ला के प्रान्तीयकरण के सम्बन्ध में।	जिला शिक्षा अधिकारी, पौढ़ी द्वारा अपने पत्र संख्या–36126/प्रान्ती0/विविध/2008–09, दिनांक 26.11.2009 एवं पत्र संख्या/26446–47/विविध–2/प्रान्तीय/उच्ची0/2009–10, दिनांक 25.11.2009 के द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी, बीरोंखाल को तत्काल प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
2.	विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूल सिसई का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।	अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौढ़ी के पत्रांक संख्या/17186–87/5ख(4)उच्ची0/01/2007–08, दिनांक 08.02.2008 के द्वारा निदेशालय को प्रस्तुत।
3.	विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत क0पू0मा0वि0 तैली पखोली का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में	जिला शिक्षा अधिकारी, पौढ़ी द्वारा 7262–67/विविध–2/2008–09, दिनांक 14.05.2008 एवं 26446–47/विविध–2/प्रान्तीय/उच्ची0/2009–10, दिनांक 25.11.2009 के द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी बीरोंखाल को तत्काल प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
4.	रा0उ0मा0वि0 जिवई, पौढ़ी गढ़वाल का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में	अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौढ़ी के पत्र संख्या/29195–16/5ख(4)उच्ची0/2008–09, दिनांक 17.01.2009 के द्वारा निदेशालय को प्रस्तुत किया गया।
5.	विकास खण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय रिंगवाड़ी में 100 छात्र संख्या पर एक ही अध्यापिका रहने के सम्बन्ध में	विकास खण्ड–एकेश्वर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय रिंगवाड़ी में 74 छात्र हैं तथा मानकानुसार 01 प्रधानाध्यापक एवं 01 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं।

6.	विकास खण्ड, बीरोंखाल के प्राथमिक विद्यालय गड्कोट में मध्याह्न भोजन योजना बन्द रहने के सम्बन्ध में।	राजकीय प्राथमिक विद्यालय गड्कोट में ग्राम-प्रधान के सहयोग न करने का कारण मध्याह्न भोजन योजना कुछ समय बन्द रहीं। जिला शिक्षा अधिकारी, पौडी के पत्रांक : बेसिक/15594-96/2007-08, दिनांक 13.02.2008 के द्वारा प्रधानाध्यापक द्वारा एकल खाता की संचालन की कार्यवाही की गई और उप खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं बी०आर०सी० तथा सी०आर०सी० समन्वयकों को मध्याह्न भोजन योजना सुचारू रूप से संचालित करने हेतु चेतावनी पत्र निर्गत किया गया। वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना सुचारू रूप से संचालित हो रही है।
7.	विकास खण्ड पोखड़ा के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी।	विकास खण्ड-पोखड़ा के अन्तर्गत रिक्त सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों पर विशिष्ट बी०टी०सी० अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी चुकी है। प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, प्राथमिक के रिक्त पदों पर बी०टी०सी० प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी व प्र०अ०, प्राथमिक के रिक्त पदों पर पदोन्नति से पूर्ति की जा रही है तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उच्चीकृत विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों का समायोजन किया रहा है।
8.	शिक्षा मित्र के चयन में धांधली किये जाने के सम्बन्ध में।	जिला शिक्षा अधिकारी, पौडी की आख्यानुसार "प्राथमिक विद्यालय जामरी, बीरोंखाल में शिक्षा मित्र चयन हेतु माह फरवरी, 2006 में विकास खण्ड, बीरोंखाल स्तर पर विज्ञापन

प्रकाशित किया गया, जिसमें 25 अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र प्राप्त हुए। खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा तैयार की गई वरिष्ठता सूची में श्री श्यामचरण पुत्र श्री चन्द्र को 52.61 गुणांक के आधार पर प्रथम वरीयता, द्वितीय स्थान पर रंजन बाला को 50.61 तथा तृतीय स्थान पर श्री महिताब सिंह को 50.03 अंकों की वरीयता प्रदान की गई तथा प्रथम वरीयता अंक प्राप्त अभ्यर्थी श्यामचरण का चयन शिक्षा मित्र पद पर किया गया।

खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्रांक/367–68/शि0मि0/2007–08, दिनांक 03.11.2007 एवं शिकायतकर्ता श्री महिताब सिंह के पत्र को इस कार्यालय के पत्र संख्या/1569–72/2007–08, दिनांक 02.01.2008 के द्वारा जांच हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चढ़ीगाँव को भेजा गया, जिसकी प्रति माननीय विधायक एवं सभापति माननीय लोक लेखा समिति, उत्तराखण्ड, विधान सभा को भेजी गई।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चढ़ीगाँव से प्राप्त श्री महिताब सिंह की शैक्षिक मैरिट गुणंक सूची इस कार्यालय के पत्र संख्या–1618–20/2007–08, दिनांक 12.01.2008 के द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी, बीरोंखाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई तथा प्रति माननीय विधायक को भेजी गई। इस प्रकार खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं डायट–चढ़ीगाँव द्वारा तैयार

शैक्षिक गुणांक सूची निम्नवत् है :–

01	श्री श्यामाचरण	52.66	46.67
02	श्री महिताब सिंह	50.03	50.04

यहाँ यह भी कहना आवश्यक है कि खण्ड कार्यालय द्वारा श्री श्यामचरण, जिनकी प्रशिक्षण योग्यता बी0पी0एड0 है, की अंक तालिका को सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक श्रेणी में विभाजन हेतु अमरावती विश्वविद्यालय को भेजी गई, जिसके क्रम में अमरावती विश्वविद्यालय द्वारा पत्र दिनांक 02.05.2008 के द्वारा श्री श्यामचरण बी0पी0एड0 समर 2001 प्रथम श्रेणी अंकित कर भेजा है। उक्त पत्रों की छाया प्रति संलग्न है शिक्षा मित्र से सम्बन्धित प्रकरण पर अन्तिम रूप से ग्राम शिक्षा समिति/खण्ड शिक्षा समिति द्वारा ही निर्णय लिया जाना है।"

9. भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में

शासनादेश संख्या–1980/xxiv(1)/2009–25/2007 टी0सी0, दिनांक 05 फरवरी, 2010 के द्वारा भोजन माता के लिए ₹ 1000.00 प्रतिमाह का मानदेय निर्धारित किया गया है, जिसमें ₹ 750.00 केन्द्र तथा ₹ 250.00 राज्य द्वारा वहन किया जाता है।

10. एन0टी0टी0 प्रशिक्षित युवतियों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति देने सम्बन्धी।

राज्य में एन0टी0टी0 प्रशिक्षितों को सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय के पदों पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय के पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता स्नातक तथा दो–वर्षीय बी0टी0सी0 प्रशिक्षण अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत नर्सरी शिक्षा का कोई प्राविधान नहीं है।

11.	विकास खण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत नवदीप चिल्ड्रन अकादमी जूनियर हाईस्कूल कमेडी, सोडियाखाल, पौड़ी गढ़वाल को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।	निदेशालय के पत्रांक अर्थ–3 अनुदान सूची/27548/2006–07, दिनांक 23 अगस्त, 2006 के द्वारा अनुदान की पत्रावली उप सचिव, शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रेषित की गयी।
12.	राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय, सन्तूधार, पौड़ी गढ़वाल के लिए भूमि की रजिस्ट्री पर हुये व्यय ₹ 46,460.00 का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय, सन्तूधार, पौड़ी गढ़वाल के निर्माण हेतु दान की गई भूमि की रजिस्ट्री पर हुए व्यय ₹ 46460.00 के भुगतान के सम्बन्ध में नियमानुसार आदेश के तहत भूमि की रजिस्ट्री पर हुआ कुल व्यय ₹ 32060.00 का बिल विद्यालय के कार्यालय द्वारा 08 मानक मद से भुगतान हेतु आपके स्वीकृति आदेश के तत्काल बाद दिनांक 06.10.2008 को लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, पौड़ी के कार्यालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु जमा किया जा चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिल अद्यावधि तक लम्बित होने के कारण चैक प्राप्त नहीं हुआ है। चैक प्राप्त होते ही सम्बन्धित पार्टी को अविलम्ब भुगतान हो जायेगा। इस आशय की जानकारी सम्बन्धित चौंदकोट उत्थान समिति के सचिव को दी जा चुकी है।
13.	प्राथमिक विद्यालय बौंदर, पोखड़ा में एक भी शिक्षक के कार्यरत न होने सम्बन्धी।	राजकीय प्राथमिक विद्यालय बौंदर में छात्र संख्या 23 हैं तथा छात्र मानकानुसार 01 सहायक अध्यापक एवं 01 शिक्षा मित्र कार्यरत है।
14.	श्री मुकेश सिंह रावत, ग्राम–लखचौरी, वेदीखाल, पौड़ी गढ़वाल को राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय, सन्तूधार, पौड़ी गढ़वाल में प्रवेश देने के सम्बन्ध में।	शासनादेश संख्या–226/मा0सं0वि0/2003, दिनांक 10 अप्रैल, 2003 एवं शासनादेशसंख्या–189/XXIV–2/2005, दिनांक 11 अगस्त, 2005 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार राजीव गाँधी नवोदय विद्यालयों में विद्यार्थियों का चयन श्रेष्ठता के आधार पर प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कक्षा–6 में प्रवेश दिया जाता है।

15.	राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय सन्तूधार, पौड़ी गढ़वाल में प्रधानाचार्य तथा अन्य शिक्षकों की तैनाती करने के सम्बन्ध में।	राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय सन्तूधार, पौड़ी गढ़वाल में प्राचार्य–1, टी0जी0टी0–5 एवं प्रवर सहायक–1 कार्यरत है। शेष पदों पर संविदा के आधार पर मानदेय पर अध्यापकों की नियुक्ति की गई है।
16.	राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय सन्तूधार, पौड़ी गढ़वाल की अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में।	1. विद्यालय के पास नवोदय विद्यालय के मानक के अनुसार भूमि उपलब्ध नहीं है। जिस कारण राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों ने क्रीड़ास्थल उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की है। समस्त अध्यापकों द्वारा छात्रों को विभिन्न टोलियों में बाँटकर मार्निंग पी0टी0 एवं इवनिंग गेम्स, विद्यालय के किनारों पर उपलब्ध अतिलघु भू–खण्डो पर सम्पन्न कराये जाते हैं। उपरिवर्णित समिति के पदाधिकारी अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने से पूर्व समस्त भूदानदाताओं के आश्रितों को विद्यालय में इनकी योग्यतानुसार नियुक्ति चाहते हैं। इस प्रकार क्रीड़ास्थान का अभाव एक गंभीर समस्या बनी हुई है। 2. डाइनिंग हाल की सीढ़ियो पर विधिवत् रेलिंग दो माह पूर्व ही लगवाई जा चुकी है। प्रशासनिक भवन एवं समस्त छात्रावासों के जीनों पर भी प्राथमिकता के आधार पर गत वर्ष ही रेलिंग का कार्य पूर्ण करवा लिया गया था। 3. पूर्व जिलाधिकारी श्री शैलेश बगोली एवं स्थानीय अभिभावकों के सहयोग से शुद्ध प्राकृतिक स्रोत से पेयजल की नई पाईप लाईन राजकीय निर्माण निगम उत्तर प्रदेश से बिछवाकर पेयजल सम्बन्धी समस्या का पूर्ण समाधान किया जा चुका है साथ ही पुरानी पाईप लाईन पर भी फिल्टर टैंक एवं क्लोरीन प्लॉट जोड़ने का कार्य भी प्रगति पर है तथा अतिशीघ्र पूर्ण होने वाला है।

		4. विद्यालय को दूरसंचार की सुविधा के अभाव में फैक्स करने के लिए न्यूनतम 30 किमी दूर सतपुली जाना पड़ता है। इस सम्बन्ध में भारतीय दूरसंचार निगम के उच्चाधिकारियों से विगत दो वर्षों से विद्यालय अपने स्तर पर अविरल कार्यवाही कर रहा है। सन्तूधार के चारों ओर 10 कि0मी0 व्यास के वृत्ताकार क्षेत्र में रिहायसी इलाके में कहीं भी दूरसंचार की व्यवस्था नहीं है। अध्यावधि तक समस्या यथावत् बनी हुई है। विद्यालय परिसर गहरी बन्द घाटी में होने के कारण मोबाइल सेवा भी यदा–कदा ही प्रभावी रहती है। छात्र/छात्राओं एवं कार्यालय से सम्बन्धित सूचनाओं का आदान–प्रदान प्रधानाचार्य एवं अध्यापक निजी व्यय पर निजी मोबाइल से करते हैं। 5. प्रतिनियुक्ति पर आवेदनकर्ताओं की संख्या शून्य होने के फलस्वरूप मैट्रन का पद रिक्त चल रहा है छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मानदेय पर केवल अध्यापिकाओं को ही नियुक्त किया गया है। छात्राओं के साथ 02 अध्यापिकाएँ एक छात्रावास में रहती हैं। छात्राओं के साथ कुल तीन छात्रावासों में 06 अध्यापिकाओं की उपस्थिति के द्वारा व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। अतः छात्राओं की असुरक्षा की आशंका पूर्णतः आधारहीन है।
17.	पब्लिक इण्टर कॉलेज ललितपुर (खाटली), पौड़ी गढ़वाल के भवन निर्माण/जीर्णोद्धार	वर्तमान में शिक्षा विभाग के वार्षिक योजनान्तर्गत अशासकीय विद्यालयों/मान्यता प्राप्त विद्यालयों के भवन निर्माण/जीर्णोद्धार हेतु बजट प्राविधान नहीं है।

	हेतु धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।	
18.	पब्लिक इण्टर कॉलेज चौखाल, पौड़ी गढ़वाल के लिए 2 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में	ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए विशेष सुविधा योजनान्तर्गत प्रश्नगत विद्यालय का प्रस्ताव निदेशालय के पत्रांक/57420/5ख(12)/बालि0सुवि0/2008–09, दिनांक 18 मार्च, 2008 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है।
19.	उच्चीकृत विद्यालयों के लिए भवन/अतिरिक्त कक्षा–कक्षों के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रश्नगत विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा–कक्ष निर्माण हेतु निदेशालय के पत्रांक/5ख 1/1035/जि0शि0अ0/2008–09, दिनांक 8 अप्रैल, 2009 द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी को जिला योजनान्तर्गत प्रस्तावित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
20.	श्री हंस महाराज राजकीय इण्टर कॉलेज पोखड़ा के भवन का निर्माण करवाए जाने के सम्बन्ध में	प्रश्नगत विद्यालय के भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु पत्र संख्या/5ख1/88579/जीर्ण–शीर्ण/2009–10, दिनांक 26 फरवरी, 2010 के द्वारा आगणन शासन को प्रेषित किया गया है।
21.	राजकीय इण्टर कॉलेज घोड़ियानाखाल, पौड़ी गढ़वाल में रिक्त पदों पर शिक्षकों की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में।	रा0इ0का0 घोड़ियानाखाल, पौड़ी में तत्कालीन मा0 शिक्षा मंत्री के पत्र दिनांक 07.03.2008 के उपरान्त श्रीमती शशि उनियाल, स0अ0, विज्ञान तथा राजकुमारी, स0अ0, कला की तैनाती की गई। वर्तमान में रा0इ0का0 घोड़ियानाखाल, पौड़ी में प्रधानाचार्य तथा शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :– प्रधानाचार्य, 01 पद प्रवक्ता 09 पद (हिन्दी, अंग्रेजी, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, जीव वि0, भौतिक वि0, गणित एवं रसायन वि0) स0अ0 सामान्य 01 पद

		प्रवक्ता के सीधी भर्ती के रिक्त पदों (1404) की पूर्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 30 मई, 2009 को विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है, नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है तथा प्रवक्ता के पदोन्नति कोटे के रिक्त 1089 पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही भी गतिमान है। उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 2006 के नियम 5 (3) की श्रेणी में विभागीय लिखित परीक्षा द्वारा भर्ती की प्रक्रिया के तहत नियम–17(1) के अनुसार विभागीय लिखित परीक्षा द्वारा भर्ती हेतु राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा सेवा के अन्तर्गत कार्यरत ऐसे सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय/पूर्व माध्यमिक विद्यालय/ सहायक अध्यापक, राजकीय आदर्श विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय से सहायक अध्यापक, एल०टी० वेतमक्रम हेतु 290 पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 24 फरवरी, 2010 को विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है।
22.	श्रीमती संतोष नेगी, प्रवक्ता जीव विज्ञान रा०बा०इ०का० नमजला, मुनस्यारी, पिथौरागढ के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।	शासनादेश संख्या–1099 डी/XXIV(1)/2009/6/2009, दिनांक 11 अगस्त, 2009 के अनुपालन में निदेशालय के आदेश संख्या–सेवायें–2/प्रवक्ता/645/2009–10, दिनांक 28 अगस्त, 2009 के द्वारा श्रीमती संतोषी नेगी, प्रवक्ता, जीव विज्ञान, रा०बा०इ०का० नमजला मुनस्यारी, जनपद पिथौरागढ का स्थानान्तरण रा०बा०इ०का० धीरवाली, हरिद्वार में किया जा चुका है।

भवदीय,

जी०आर० जायसवाल,
उप निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत रा0प्रा0वि0 में स्वी0/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण :-

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	कुल छात्र सं0	स्वीकृत पदों की संख्या			कार्यरत पदों की संख्या			रिक्त पदों की संख्या			विद्यालय का गत वर्ष का परीक्षाफल	टिप्पणी
				प्र0अ0	स0अ0	शि0मि0	प्र0अ0	स0अ0	शि0मि0	प्र0अ0	स0अ0	शि0मि0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 पंचराढ	51	1	1	0	0	1	0	1	0			
2.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 गढ़कोट	33	1	1	0	1	1		0	0			
3.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 गुडियालखील	14	1	0	1	1	0	1	0	0			
4.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 पराड़ मल्ला	38	1	1	0	1	1		0	0			
5.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 धंगा	28	0	1	1		1	1	0	0			
6.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 दुरांसीखाल	10	1	0	1	1	0	1	0	0			
7.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 खल्यार	18	1	0	1	1	0	1	0	0			
8.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 अरकण्डाई	19	1	0	1	1	0	1	0	0			
9.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 कुणजोली	20	1	1	0	1	1		0	0			
10.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 चौखाल	110	1	1	1	1	0	1	0	0			
11.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 पुरकली	49	1	0	1	1	0	1	0	0			
12.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 चोपताखाल	58	1	1	0	0	2	0	1	0			
13.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 देवली	30	1	0	1	1	0	1	0	0			
14.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 डौण्ड	52	1	1	0	1	1		0	0			
15.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 कनेरा	52	1	1	0	1	1		0	0			
16.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 कोरकण्डाई	18	1	0	1	1	0	1	0	0			
17.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 डुनकोट	26	1	1	0	1	1		0	0			
18.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 पार्तो	28	1	1	0	1	1		0	0			
19.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 लखनेश्वर	29	1	0	1	1	0	1	0	0			
20.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 बचेला	38	1	1	0	1	1		0	0			
21.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 पैरवाडा 2	16	1	1	0	1	2		0	0			
22.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 कमलिया प0	12	1	1	0	1	1		0	0			
23.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 कमलिया म0	27	1	1	0	1	1		0	0			
24.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0मतवाँ	12	1	1	0	0	1		0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25.	बीरोंखाल	रा०प्रा०वि० उफरैंखाल	11	1	1	0	0	2		0	0			
26.	बीरोंखाल	रा०प्रा०वि० माटखर्क	11	1	0	1	1	0	1	0	0			
27.	बीरोंखाल	रा०प्रा०वि० बूड़ाकोट	31	1	1	0	1	1		0	0			
28.	बीरोंखाल	रा०प्रा०वि० डुलमोट	61	1	0	1	1	0	1	0	0			
29.	बीरोंखाल	रा०प्रा०वि० सैंजोली	33	1	1	0	1	1		0	0			
30.	बीरोंखाल	रा०प्रा०वि० चोन्डलिया	15	0	1	1	1	0	1	0	0			
31.	बीरोंखाल	रा०प्रा०वि० पसोल	31	0	1	1	1	0	1	0	0			
32.	बीरोंखाल	रा०प्रा०वि० सलूँसी	60	1	1	0	1	1		0	0			
33.	बीरोंखाल	रा०प्रा०वि० बंगार	30	1	1	0	1	1		0	0			
34.	बीरोंखाल	रा०प्रा०वि० रावकोट	22	1	1	0	0	2		0	0			
35.	बीरोंखाल	रा०प्रा०वि० मासी	14	1	1	0	1	1		0	0			
36.	बीरोंखाल	रा०प्रा०वि० संतूमासी	11	0	1	1	0	1	1	0	0			
37.	बीरोंखाल	रा०प्रा०वि० लखचौरी	16	1	1	0	1	1		0	0			
38.	बीरोंखाल	रा०प्रा०वि० भरणखोली	39	1	0	1	1	0	1	0	0			
39.	बीरोंखाल	रा०प्रा०वि० भौराड	40	1	0	1	1	0	1	0	0			
40.	बीरोंखाल	रा०प्रा०वि० बग्वोली राठ	18	1	1		1	1		0	0			
41.	बीरोंखाल	रा०प्रा०वि० मल्चण्ड	9	1	0	1	1	0	1	0	0			
42.	बीरोंखाल	रा०प्रा०वि० ककरोंडा	10	1	1	0	1	1		0	0			
43.	बीरोंखाल	रा०प्रा०वि० आमकुलाई	12	1	0	1	1	0	1	0	0			
44.	बीरोंखाल	रा०प्रा०वि० धोबीघाट	35	1	0	1	1	0	1	0	0			
45.	बीरोंखाल	रा०प्रा०वि० पटेलयार	17	1	1	0	1	2	0	0	0			
46.	बीरोंखाल	रा०प्रा०वि० सीला	9	1	0	1	0	0	1	0	0			
47.	बीरोंखाल	रा०प्रा०वि० साकी	53	1	0	1	1	0	1	0	0			
48.	बीरोंखाल	रा०प्रा०वि० जोगीमढ़ी	42	1	0	1	1	0	1	0	0			
49.	बीरोंखाल	रा०प्रा०वि० पंडियाऊ	29	0	1	1	1	0	1	0	0			
50.	बीरोंखाल	रा०प्रा०वि० भतैलीखाल	23	1	1	0	1	1		0	0			
51.	बीरोंखाल	रा०प्रा०वि० चौम्बला	26	1	0	1	1	0	1	0	0			
52.	बीरोंखाल	रा०प्रा०वि० कफल्यार	26	1	0	1	1	0	1	0	0			
53.	बीरोंखाल	रा०प्रा०वि० मैठाणा	32	1	0	1	1	0	1	0	0			
54.	बीरोंखाल	रा०प्रा०वि० कैलाड	32	1	0	1	1	0	1	0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 सैधार	42	1	1	0	0	2		1	0			
56.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 डलाड	22	1	0	1	1	0	1	0	0			
57.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 गेहूँलाद	7	1	1	0	1	1	0	0	0			
58.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 बडियाणा	30	1	1	0	0	2		1	0			
59.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 देवकण्डाई	10	1	1	0	0	3		1	0			
60.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 गैस्वाडा 1	19	1	1	0	1	1		0	0			
61.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 चेरखिम्बा त0	84	1	0	1	1	0	1	0	0			
62.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 चेरखिम्बा म0	16	1	0	1	1	0	1	0	0			
63.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 वेदीखाल	24	1	1	0	1	1		0	0			
64.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 लोदली	36	1	1	0	1	1		0	0			
65.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 मनूर कोटा	13	1	1	0	1	1		0	0			
66.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 गवीनखाल	42	1	0	1	1	0	1	0	0			
67.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 सुकरिया	25	1	0	1	1	0	1	0	0			
68.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 सौराड	16	1	0	1	1	0	1	0	0			
69.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 जमरिया	78	1	0	1	0	0	1	1	0			
70.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 सौली त0	56	1	1	0	1	1		0	0			
71.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 नर्द	67	1	0	1	1	0	1	0	0			
72.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 नागणी	37	1	0	1	1	0	1	0	0			
73.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 बंवासा	41	1	0	1	0	0	1	1	0			
74.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 सिटोटिया	51	1	0	1	1	0	1	0	0			
75.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 मुजगामहादेव	33	1	1		1	1		0	0			
76.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 डूलखोली	30	1	1	0	1	1		0	0			
77.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 कांडाग्वीन	11	1	0	1	1	0	1	0	0			
78.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 रानीहाट	9	0	1	1	0	0	1	1	0			
79.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 कोटा	34	1	0	1	1	0	1	0	0			
80.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 मापला मल्ला	42	1	0	1	1	0	1	0	0			
81.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 पाली	22	1	1	0	1	1		0	0			
82.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 डिस्वाणी	26	1	0	1	1	0	1	0	0			
83.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 सिमली	18	1	1	0	1	2		0	0			
84.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 सुन्दरखाल	40	1	1	0	1	2		0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 ग्वारी	11	1	0	1	1	0	1	0	0			
86.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 भरपूर बड़ा	37	1	0	1	1	0	1	0	0			
87.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0मलकण्डाई	0	1	1	0		1		0	0			
88.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 कसाणी	81	1	0	1	1	0	1	0	0			
89.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 लैंगल	10	1	0	1	1	0	1	0	0			
90.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 कण्डूली बड़ी	33	1	1	0	1	1		0	0			
91.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 कण्डूली छोटी	16	0	1	1	0	2		0	0			
92.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 गगराईखाल	33	1	1	0	1	1		0	0			
93.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 काण्डा म0	44	1	1	0	0	2		1	0			
94.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 काण्डा त0	61	1	1	0	0	2		1	0			
95.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 पौड़खाला व0	32	1	0	1	1	0	1	0	0			
96.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 बन्दरखोली 2	0	0	1	0	0	1		0	0			
97.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 सौंखाल	9	1	0	1	1	0	1	0	0			
98.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 चन्दोली ग्वा0	18	1	1	0	0	2		1	0			
99.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 बाबा सौंकी	36	1	0	1	1	0	1	0	0			
100.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 पटोटिया	13	1	0	1	1	0	1	0	0			
101.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 दुर्दीव	23	1	1	0	1	1		0	0			
102.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 ढैंजीपल्खोली	28	1	1	0	1	1		0	0			
103.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 बाग खाटली	25	1	0	1	1	0	1	0	0			
104.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 चौण्डी	17	1	1	0	1	1		0	0			
105.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 पनाश	25	1	0	1	1	0	1	0	0			
106.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 जागरी	21	1	0	1	1	0	1	0	0			
107.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 कमरई	26	1	0	1	1	0	1	0	0			
108.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 बैजपुर	17	1	0	1	1	0	1	0	0			
109.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 पौड़पाला म0	15	0	1	1	0	2		1	0			
110.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 सिमड़ी	51	1	1	0	1	1		0	0			
111.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 भापला सैं0	51	1	0	1	1	0	1	0	0			
112.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 गोदिया	6	0	1	1	1	0	1	0	0			
113.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 बाड़ा	18	1	1	0	1	1		0	0			
114.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 बीरोंखाल	22	1	1	0	1	1		0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
115.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 दुधैला उ0	26	1	0	1	1	0	1	0	0			
116.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 पुडिण्डा	26	1	1	0	1	1		0	0			
117.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 रिखाड	28	1	0	1	1	0	1	0	0			
118.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 नकुरी	30	1	0	1	1	0	1	0	0			
119.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 धोडियाना	42	1	0	1	1	0	1	0	0			
120.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 गटवाडा	52	1	1	0	0	2		1	0			
121.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 कोलरी	54	1	0	1	1	0	1	0	0			
122.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 उनाई	21	1	0	1	1	0	1	0	0			
123.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 सिराई	51	1	1	0	1	1		0	0			
124.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 बन्दरकोली-1	18	1	0	1	1	0	1	0	0			
125.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 बैजरावघाट	33	1	1	0	1	1		0	0			
126.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 बीरोंखाल	40	1	1	0	0	2		1	0			
127.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 सिन्दुडी	28	1	0	1	1	0	1	0	0			
128.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 केदारगली	48	1	0	1	1	0	1	0	0			
129.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 जाखणी	6	1	0	1	0	1	1	1	0			
130.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 थबडिया	15	1	0	1	0	1	1	1	0			
131.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 देवीखाल कोठा	51	1	0	1	1	0	1	0	0			
132.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 दिवोलीखाल	64	1	0	1	1	0	1	0	0			
133.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 मकुलसारी	54	1	1		1	1		0	0			
134.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 मगरौ	78	1	0	1	0	1	1	1	0			
135.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 बैजरो	54	1	1	0	1	1		0	0			
136.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 शुकई	56	1	1	0	1	1		0	0			
137.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 वापती	15	1	0	1	1	0	1	0	0			
138.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 जिबई	30	1	1	0	1	1		0	0			
139.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 विरगण	32	1	0	1	1	0	1	0	0			
140.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 नावसू	28	1	1	0	1	1		0	0			
141.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 कोटिम्बा	21	1	0	1	1	0	1	0	0			
142.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 कण्डाली	36	1	0	1	1	0	1	0	0			
143.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 लंगोरा	22	1	1	0	0	2		1	0			
144.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 बांसी	11	1	1	0	1	1		0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
145.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 जसपुरखाल	115	1	1	1	1	0	1	0	0			
146.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 नन्दाखाल	7	1	1	0	1	1		0	0			
147.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 गटेरा	26	1	1	0	1	1		0	0			
148.	बीरोंखाल	रा0प्रा0वि0 रानकिला	16	1	0	1	1	0	1	0	0			
149.	एकेश्वर	प्रा0वि0 गुराड मल्ला	21	1	1		1	1		0	0			
150.	एकेश्वर	प्रा0वि0 हलाई	20	1	0	1	1	0	1	0	0			
151.	एकेश्वर	प्रा0वि0 लटिबौ	8	1	1		1	1		0	0			
152.	एकेश्वर	प्रा0वि0 दनिबौ	2	1	1		1	1		0	0			
153.	एकेश्वर	प्रा0वि0 रणोंली	16	1	1		1	1		0	0			
154.	एकेश्वर	प्रा0वि0 रणसा	101	1	1	1	1	1	1	0	0			
155.	एकेश्वर	प्रा0वि0 भुनिया	59	1	1		1	1		0	0			
156.	एकेश्वर	प्रा0वि0 गण्डली	51	1	1		1	1		0	0			
157.	एकेश्वर	प्रा0वि0 रिन्वाडी	99	1	1		1	1		0	0			
158.	एकेश्वर	प्रा0वि0 मजेरा	22	1	1		1	1		0	0			
159.	एकेश्वर	प्रा0वि0 नौगाँवखाल	32	1	1		1	1		0	0			
160.	एकेश्वर	प्रा0वि0 बडेथ	14	1	1		1	1		0	0			
161.	एकेश्वर	प्रा0वि0 संगलाकोटी	34	1	1		1	1		0	0			
162.	एकेश्वर	प्रा0वि0 सीमी	5	1	1		1	1		0	0			
163.	एकेश्वर	प्रा0वि0 बुडिग्धा	8	1	1		1	1		0	0			
164.	एकेश्वर	प्रा0वि0 बैडगाँव	23	1	1		1	1		0	0			
165.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 ढिकवोली	14	1	1	0	0	1	0	1	0			
166.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 चवाणातल्ला	3	1	1	0	0	1	0	1	0			
167.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 चवाणामल्ला	28	1	1	0	1	1	0	0	0			
168.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 बडेत	15	1	1	0	1	1	0	0	0			
169.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 बुडिग्धा	29	1	1	1	1	0	1	0	0			
170.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 कोटीखाल	88	1	1	1	1	0	1	0	0			
171.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 करगुण्डखाल	30	1	1	0	1	1	0	0	0			
172.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 पढोलगांव	7	1	1	1	1	0	1	0	0			
173.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 जसकोट	6	1	1	0	1	1		0	0			
174.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 पठोलगांव	9	1	1	1	1	0	1	0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
175.	पोखड़ा	राउप्रावि पटोटी	37	1	1	0	1	1	0	0	0			
176.	पोखड़ा	राउप्रावि गवाणगांव	17	1	1	1	0	0	1	1	0			
177.	पोखड़ा	राउप्रावि बगोली	6	1	1	1	0	1	1	1	0			
178.	पोखड़ा	राउप्रावि चमोटी	19	1	1	1	0	0	1	1	0			
179.	पोखड़ा	राउप्रावि पटल्यू	21	1	1	1	0	1	1	1	0			
180.	पोखड़ा	राउप्रावि महरगांव	10	1	1	1	0	0	1	1	0			
181.	पोखड़ा	राउप्रावि सन्दणा	23	1	1	1	0	1	1	1	0			
182.	पोखड़ा	राउप्रावि टाकपुखार	9	1	1	1	1	0	1	0	0			
183.	पोखड़ा	राउप्रावि दमदेवल	32	1	1	1	1	0	1	0	0			
184.	पोखड़ा	राउप्रावि गवरी	133	1	2	1	1	0	1	0	0			
185.	पोखड़ा	राउप्रावि दुबीलामल्ला	49	1	1	1	0	0	1	1	0			
186.	पोखड़ा	राउप्रावि दुबीलातल्ला	43	1	1	0	1	1	0	0	0			
187.	पोखड़ा	राउप्रावि कन्दूर	12	1	1	0	1	1	0	0	0			
188.	पोखड़ा	राउप्रावि चोपड़ा	51	1	1	1	1	0	1	0	0			
189.	पोखड़ा	राउप्रावि किनगढ़ी	31	1	1	0	1	1	0	0	0			
190.	पोखड़ा	राउप्रावि सकाण	20	1	1	1	1	1	1	0	0			
191.	पोखड़ा	राउप्रावि श्रीकोट	44	1	1	0	1	1	0	0	0			
192.	पोखड़ा	राउप्रावि ताली	11	1	1	0	1	0	0	0	0			
193.	पोखड़ा	राउप्रावि मालकोट	28	1	1	0	1	1	0	0	0			
194.	पोखड़ा	राउप्रावि चलणसेत	47	1	1	0	1	1	0	0	0			
195.	पोखड़ा	राउप्रावि नवाणी	63	1	1	1	1	0	1	0	0			
196.	पोखड़ा	राउप्रावि चौबट्टाखाल	19	1	1	0	1	1	0	0	0			
197.	पोखड़ा	राउप्रावि कुई	11	1	1	1	1	0	1	0				
198.	पोखड़ा	राउप्रावि दांथा	59	1	1	0	1	1	0	0	0			
199.	पोखड़ा	राउप्रावि परगांव	2	1	1	1	1	0	1	0	0			
200.	पोखड़ा	राउप्रावि पणधाऊ	28	1	1	0	1	1	0	0	0			
201.	पोखड़ा	राउप्रावि नाई	33	1	1	0	1	1	0	0	0			
202.	पोखड़ा	राउप्रावि महादेवसैण	31	1	1	0	0	1	0	1	0			
203.	पोखड़ा	राउप्रावि ओडगांव	19	1	1	0	1	1	0	0	0			
204.	पोखड़ा	राउप्रावि जसेपखाल	7	1	1	0	1	1	0	0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 जवन्काल	8	1	1	0	1	1	0	0	0			
206.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 बौरगांव	12	1	1	1	1	0	1	0	0			
207.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 खाल्युडांड	10	1	1	1	1	0	1	0	0			
208.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 गरखा	14	1	1	1	0	1	1	1	0			
209.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 देवकजमाल	34	1	1	0	1	0	1	0	0			
210.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 ढकली	11	1	1	1	1	0	0	0	0			
211.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 पाली	11	1	1	0	1	0	1	0	0			
212.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 भल्ड	35	1	1	0	1	1	0	0	0			
213.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 सराईखेत	14	1	1	1	1	0	1	0	0			
214.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 मगरगांव	30	1	1	1	1	1	1	0	0			
215.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 दलमाना	41	1	1	1	1	0	1	0	0			
216.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 बड़खाली	14	1	1	1	0	0	1	1	0			
217.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 पदिवाल	28	1	1	0	1	1	0	0	0			
218.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 अरलेट	9	1	1	1	1	0	1	0	0			
219.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 कराणी	14	1	1	1	0	0	1	1	0			
220.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 कर्णोताखाल	17	1	1	1	1	0	1	0	0			
221.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 खाल्युखेत	36	1	1	0	0	2	0	1	0			
222.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 कुभजखाल	22	1	1	1	1	0	1	0	0			
223.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 मदूली	28	1	1	1	1	0	1	0	0			
224.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 मरगोली	17	1	1	0	1	1		1	0			
225.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 मैलगांव	26	1	1	1	1	0		0	0			
226.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 महरगांवखाल	39	1	1	0	1	1		0	0			
227.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 राजनोलीखाल	39	1	1	0	1	1		0	0			
228.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 बांसईमल्ली	12	1	1	1	1	0	1	0	0			
229.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 बांसईतल्ली	17	1	1	0	1	1		0	0			
230.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 पोखड़ा	29	1	1	0	1	1		0	0			
231.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 सीढ़िकाखाल	25	1	1	0	1	0		0	0			
232.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 एरोली	13	1	1	0	1	1		0	0			
233.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 सिमाखाल	21	1	1	0	1	0		0	0			
234.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 चौम्पमल्ली	30	1	1	1	1	0	1	0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
235.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 ल्वीठा	18	1	1	0	1	1		0	0			
236.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 उबोट	14	1	1	1	1	1	1		0			
237.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 पाल्डीगैन	12	1	1	0	1	1			0			
238.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 पडियारगांव	11	1	1	1	0	1	1		0			
239.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 चौंडीसार	21	0	1	1	0	1	1		0			
240.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 चौरन्ड	18	1	1	0	0	1			0			
241.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 दबकोट	1	0	1	1	0	1	1		0			
242.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 बीदर	37	0	1	1	0	1	1		0			
243.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 लौंदल	15	1	1	0	1	1			0			
244.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 नैसोली	8	1	1	0	0	1			0			
245.	पोखड़ा	रा0प्रा0वि0 किलबाग	7	0	1	1	0	1	1		0			

जिला शिक्षा अधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत जू0 हाईस्कूल में स्वी0/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	छात्र संख्या	स्वीकृत पदों के नाम		स्वीकृत पदों की संख्या		कार्यरत पदों की संख्या		रिक्त पदों की संख्या		विद्यालय का गत परीक्षाफल का पूर्णांक	टिप्पणी
				प्र0अ0	स0अ0	प्र0अ0	स0अ0	प्र0अ0	स0अ0	प्र0अ0	स0अ0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	जू0 हाईस्कूल चौपड़ाख्याल	बीरोंखाल	65			1	4	0	4	1	0	शत् प्रतिशत	
2.	जू0 हाईस्कूल देवीखाल कोटा	बीरोंखाल	63			1	4	1	3	0	1		
3.	जू0 हाईस्कूल चोरखिन्डा	बीरोंखाल	65			1	4	0	3	1	1		
4.	जू0 हाईस्कूल जिवई	बीरोंखाल	69			1	4	0	3	1	1		
5.	जू0 हाईस्कूल भाखण्ड	बीरोंखाल	22			1	4	1	1	0	3		
6.	जू0 हाईस्कूल स्यूसी	बीरोंखाल	40			1	4	1	3	0	1		
7.	जू0 हाईस्कूल पडिण्डा	बीरोंखाल	53			1	4	0	4	1	0		
8.	जू0 हाईस्कूल बड़ीयाना	बीरोंखाल	14			1	4	0	2	1	2		
9.	जू0 हाईस्कूल गढ़कोट	बीरोंखाल	27			1	4	1	3	0	1		
10.	जू0 हाईस्कूल काण्डामल्ला	बीरोंखाल	23			1	4	1	1	0	3		
11.	जू0 हाईस्कूल तैली पर्खोली	बीरोंखाल	9			1	4	0	4	1	0		
12.	जू0 हाईस्कूल थापला	बीरोंखाल	47			1	4	0	1	1	3		
13.	जू0 हाईस्कूल उनकिला	बीरोंखाल	14			1	4	1	3	0	1		
14.	जू0 हाईस्कूल गैंठाखा	बीरोंखाल	23			1	4	0	2	1	2		
15.	जू0 हाईस्कूल तिमली	बीरोंखाल	18			1	4	0	2	1	2		
16.	जू0 हाईस्कूल मकुलसारी	बीरोंखाल	33			1	4	1	3	0	1		
17.	जू0 हाईस्कूल दुनाव	बीरोंखाल	17			1	4	1	1	0	3		
18.	जू0 हाईस्कूल कोलरी	बीरोंखाल	44			1	4	1	4	0	0		
19.	जू0 हाईस्कूल कलाणी	बीरोंखाल	70			1	4	1	3	0	1		
20.	जू0 हाईस्कूल सिसई	बीरोंखाल	42			1	4	1	1	0	3		
21.	जू0 हाईस्कूल रिखाड़	बीरोंखाल	19			1	4	1	3	0	1		
22.	जू0 हाईस्कूल सिली	बीरोंखाल	59			1	4	1	3	0	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23.	जू0 हाईस्कूल धोबीघाट	बीरोंखाल	16			1	4	1	0	0	4		
24.	जू0 हाईस्कूल नानसूं	बीरोंखाल	17			1	4	1	1	0	3		
25.	जू0 हाईस्कूल दुलमोट	बीरोंखाल	39			1	4	0	2	1	2		
26.	जू0 हाईस्कूल नक	बीरोंखाल	46				3		2		1		
27.	जू0 हाईस्कूल खलकर	बीरोंखाल	12				3		2		1		
28.	जू0 हाईस्कूल सीला	बीरोंखाल	11				3		2		1		
29.	जू0 हाईस्कूल पटोटगांव	पोखड़ा	37			1	4	1	2	0	3		
30.	जू0 हाईस्कूल बरसुण्डाखाल	पोखड़ा	25			1	4	1	3	0	1		
31.	जू0 हाईस्कूल खालूखेत	पोखड़ा	27			1	4	1	3	0	1		
32.	जू0 हाईस्कूल बमठीगाड़	पोखड़ा	25			1	4	1	3	0	1		
33.	जू0 हाईस्कूल भांगमल्ला	पोखड़ा	14			1	4	1	1	0	3		
34.	जू0 हाईस्कूल बहालटसैंण	पोखड़ा	39			0	4	0	4	0	0		
35.	जू0 हाईस्कूल पालकोट	पोखड़ा	47			1	4	0	3	1	1		
36.	जू0 हाईस्कूल बालीधार	पोखड़ा	42			1	4	1	2	0	2		
37.	जू0 हाईस्कूल पाई	पोखड़ा	45			1	4	1	3	0	1		
38.	जू0 हाईस्कूल ल्वीठा	पोखड़ा	10				3	0	3	0	0		
39.	जू0 हाईस्कूल दुगीलाखाल	पोखड़ा	30				3	0	3	0	0		
40.	जू0 हाईस्कूल किनगढ़ी	पोखड़ा	166			1	4	0	4	1	0		
41.	जू0 हाईस्कूल दाधा	पोखड़ा	50			1	4	0	2	1	2		
42.	जू0 हाईस्कूलकठोठाखाल	पोखड़ा	34			1	4	0	1	1	3		
43.	जू0 हाईस्कूल मटगल	पोखड़ा	16			1	4	1	3	0	1		
44.	जू0 हाईस्कूल मवणी	पोखड़ा	15			1	4	1	3	0	1		

विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत रा0प्रा0वि0 में स्वी0/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण :-

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	छात्र संख्या	स्वीकृत पदों के नाम			स्वीकृत पदों की संख्या			कार्यरत पदों की संख्या			रिक्त पदों की संख्या			विद्यालय का गत परीक्षाफल का प्रतिशत	टिप्पणी
				प्रधानाचार्य	प्रवक्ता	एल0टी0	प्रधानाचार्य	प्रवक्ता	एल0टी0	प्रधानाचार्य	प्रवक्ता	एल0टी0	प्रधानाचार्य	प्रवक्ता	एल0टी0		
1	2	3	4	5			6			7			8			9	10
1.	रा0उ0मा0वि0 रजपा	पोखड़ा	67	1	0	7	1	0	7	0	0	4	01	0	3	88.88	
2.	रा0उ0मा0वि0 किनगढ़ी किन्गोड़ी	पोखड़ा	149	1	0	7	1	0	7	0	0	6	01	0	1	96.87	
3.	रा0उ0मा0वि0 कन्ठोलखाल	पोखड़ा	188	1	0	7	1	0	7	0	0	6	01	0	1	83.30	
4.	रा0उ0मा0वि0 मलकोट	पोखड़ा	90	1	0	7	1	0	7	0	0	5	01	0	2	75	
5.	रा0उ0मा0वि0 गवाणी	पोखड़ा	125	1	0	7	1	0	7	0	0	5	01	0	2	78.13	
6.	रा0इ0का0 दमदेवल	पोखड़ा	167	1	9	12	1	9	12	0	6	9	01	3	3	100	
7.	रा0इ0का0 सकनीखाल	पोखड़ा	250	1	9	12	1	9	12	0	4	9	01	5	3	96	
8.	रा0इ0का0 पोखड़ा	पोखड़ा	188	1	9	10	1	9	10	0	6	10	01	3	0	88.57	
9.	रा0इ0का0 धौलिका-नलखाल	बीरोंखाल	727	1	10	10	1	10	10	0	1	9	01	9	1	62.5	
10	रा0इ0का0 धौन्द	बीरोंखाल	148	1	9	10	1	9	10	0	4	5	1	5	5	100	
11	रा0इ0का0 बीरोंखाल	बीरोंखाल	146	1	9	11	1	9	11	0	6	10	1	3	1	89.15	
12	रा0इ0का0कड़ाखाल	बीरोंखाल	127	1	10	12	1	10	12	0	3	8	1	7	4	62.75	
13	रा0इ0का0 बैजरो	बीरोंखाल	293	1	9	9	1	9	9	1	6	8	0	3	1	95.73	
14	रा0इ0का0 भरोलीखाल	बीरोंखाल	275	1	9	12	1	9	12	0	2	10	1	7	2	78.76	
15	रा0इ0का0 भगवती तलिया	बीरोंखाल	238	1	10	12	1	10	12	0	0	10	1	10	2	100	
16	रा0इ0का0 स्यूंसी	बीरोंखाल	242	1	9	10	1	9	10	1	8	9	0	1	1	75.87	
17.	रा0इ0का0 सुन्दरनगर	बीरोंखाल	434	1	9	12	1	9	12	1	7	10	0	2	2	68.5	
18.	रा0इ0का0 बैधार	बीरोंखाल	161	1	9	10	1	9	10	0	5	8	1	4	2	47.50	

1	2	3	4	5			6			7			8			9	10
19.	रा0इ0का0 बैरोंखाल	बीरोंखाल	311	1	10	13	1	10	13	1	8	10	0	2	3	74.5	
20.	रा0इ0का0 फरसाड़ी	बीरोंखाल	290	1	9	12	1	9	12	1	3	10	0	8	2	84.89	
21.	रा0इ0का0 जयपुर	बीरोंखाल	189	1	9	12	1	9	12	1	3	10	0	6	2	68.78	
22.	रा0बा0इ0का0 बीरोंखाल	बीरोंखाल	83	1	9	10	1	9	10	0	2	7	1	7	3	57.85	
23.	रा0उ0मा0वि0 पोखड़ा	बीरोंखाल	104	1	0	7	1	0	7	0	0	6	1	0	2	83.33	
24.	रा0उ0मा0वि0 [illegible]	बीरोंखाल	80	1	0	7	1	0	7	0	9	6	1	0	1	94.39	
25.	रा0उ0मा0वि0 सिरई	बीरोंखाल	120	1	0	7	1	0	7	0	0	8	1	9	1	57.89	
26.	रा0उ0मा0वि0 मरड़ईखाल	बीरोंखाल	96	1	0	12	1	0	12	6	0	10	1	0	2	47.59	
27.	रा0उ0मा0वि0 पंडिया	बीरोंखाल	87	1	0	7	1	0	7	1	8	7	0	0	0	58.85	
28.	रा0उ0मा0वि0 कुल्सोट	बीरोंखाल	82	1	0	7	1	0	7	1	6	5	0	0	2	87.5	
29.	रा0उ0मा0वि0 चौरीखाल	बीरोंखाल	101	1	0	7	1	0	7	1	9	6	[illegible]	0	2	79.6	
		योग	5057	29	157	278	29	157	278	9	74	222	20	83	56		

जिला शिक्षा अधिकारी,
पौड़ी गढ़वाल।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0–19 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0–48 पर)

जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय इण्टर कॉलेजों (बालक/बालिका) की सूची जहां पर प्रवक्ता जीव विज्ञान का पद रिक्त है :–

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1	2	2
1.	रा0इ0का0 गुरना	01
2.	रा0इ0का0 मानले	01
3.	रा0इ0का0 दौबांस	01
4.	रा0इ0का0 पीपली	01
5.	रा0इ0का0 छड़नदेव	01
6.	रा0इ0का0 धारचूला	01
7.	रा0इ0का0 पॉगू	01
8.	रा0इ0का0 बरम	01
9.	रा0इ0का0 पर्व्यॉ पौढ़ी	01
10.	रा0इ0का0 जौलजीबी	01
11.	रा0इ0का0 खेत	01
12.	रा0इ0का0 खेला	01
13.	रा0इ0का0 मोमकैलाश	01
14.	रा0इ0का0 रॉथी	01
15.	रा0इ0का0 थल	01
16.	रा0इ0का0 मदकोट	01
17.	रा0इ0का0 मवानी–दवानी	01
18.	रा0इ0का0 डोर	01
19.	रा0इ0का0 बॉसबगड़	01
20.	रा0इ0का0 कोटापन्द्रहाला	01
21.	रा0इ0का0 छ्हौली	01
22.	रा0इ0का0 मणाई–गंगोली	01
23.	रा0इ0का0 चौरवान	01

1	2	3
24.	रा0इ0का0 डोबालखेत	01
25.	रा0इ0का0दुबौला	01
26.	रा0इ0का0 दशाईथल	01
27.	रा0क0इ0का0 ऐंचोली	01
28.	रा0क0इ0का0 कनालीछीना	01
29.	रा0क0इ0का0 धारचूला	01
30.	रा0क0इ0का0 डीडीहाट	01
31.	रा0क0इ0का0 नमजला	01
32.	रा0क0इ0का0 बेरीनाग	01
33.	रा0क0इ0का0 थल	01
34.	रा0क0इ0का0 गंगोलीहाट	01
35.	रा0क0इ0का0 गणाई–गंगोली	01

अनिल कुमार नेगी,
अपर निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 33 विधान सभा/421–05–02–2013–230 प्रतियां (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।